राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का तेतीसवां दिवस [संख्या 19

शुक्रवार,

दिनांक 16 अप्रेल, 1971

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)।

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, कृषि, आयुर्वेद, सहकारी, उपनिवेशन, न्याय एवं विधि, पशुपालन एवं पुनर्वास विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

डेरी फार्म के लिए भूमि

294. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इण्डियन डेयरी एग्रीकल्चरल कम्पनी लिमिटेड को भीनमाल के पास जुन्जानी के बीड में डेयरी फार्म लगाने के लिए जो 1000 एकड़ जमीन दी गई थी उसका अलाटमेंट आर्डर वापिस ले लेने का निर्णय सरकार के द्वारा किया गया है ?

(2) क्या उक्त कम्पनी ने सरकार को यह प्रतिनिवेदन किया है कि अगर उसको एक हजार एकड़ भूमि न दी गई तो वह अपना एग्रीकल्चरल फार्म जालोर जिले में नहीं लगायेंगे ? अगर हां, तो क्या कारण दिये गये हैं जिनकी वजह से कम्पनी अपना एग्रीकल्चरल फार्म नहीं लगा सकती ?

(3) उक्त कम्पनी की योजना का पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी अकाल पीड़ित जालोर एवं निकटवर्ती जिलों में एक हजार एकड़ पर गायों की नस्ल सुधारने का कार्य करेगी और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, व पशु चिकित्सालय खोलेगी ?

Page No 2

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)

(5) क्या इस कम्पनी द्वारा जालोर जिले के पशुधन को सुधारने का ठोस कार्य-क्रम भी बनाया गया है ?

(6) कम्पनी इस भूमि पर कितने जानवर रख सकेगी ?

(7) क्या यह कम्पनी दूध का कार-खाना लगा रही है जिससे एक लाख लीटर दूध नित्य इस जिले के पशु पालकों का खरीदा जायगा ?

(8) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी करीब ढ़ाई करोड़ रुपया योजना को अमल में लाने में व्यय करेगी ?

(9) क्या यह सही है सरकार एक हजार एकड़ भूमि जुन्जानी बीड़ में से अलाटमेंट करे तो उसकी एवज में सरकार वृक्ष लगवाने के लिये जो जमीन रोकी है उसमें से जमीन छोड़ सकती है ?

(10) क्या भीनमाल के नागरिकों की हिस्सा पूंजी इस डेयरी फार्म में ली जावेगी ? यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ये आदेश प्रसारित किये गये हैं कि अग्रिम आदेश तक भूमि का कब्जा कम्पनी को नहीं किया जावे।

(2) कम्पनी ने उसके हक में जो भूमि आवंटन सम्बन्धी आदेश हुए हैं उसको यथा पूर्व रखने के लिए अनुरोध किया है।

(3) कम्पनी की योजना जो उसने भूमि आवंटन कराने हेतु पूर्व में दी थी, उसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(4) योजना के अनुसार जो कार्य कम्पनी ने करना व्यक्त किया वह संलग्न परिशिष्ट में अंकित है।

(5) प्रस्तुत योजना में कम्पनी द्वारा ऐसा अंकित किया हुआ है।

(6) कम्पनी द्वारा प्रस्तुत योजनानुसार प्रारम्भ में 1 हजार गायें रखने का प्रस्ताव था।

(7) कम्पनी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत योजना के अनुसार दूध का कारखाना (मिल्क प्लान्ट) लगाना प्रस्तावित है। दूध उत्पादन की क्षमता 50 हजार किलोग्राम बढ़ाया गया था।

(8) इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(9) प्रश्न स्पष्ट नहीं होने के कारण सूचना दिये जाने में असमर्थता है।

(10) कम्पनी ने नागरिकों की हिस्सा पूंजी लेना राज्य सरकार को अब प्रस्तुत किये गये पत्र में दर्शाया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या इस बारे में पहले राज सरकार की तरफ से कोई योजना की स्वीकृति दी गई थी और उस पर पुनर्विचार करने का अब इरादा है इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र जालोर जिले से आये प्रतिनिधियों की ओर से सरकार को मिला है ? प्रार्थना-पत्र में यह भी कहा गया है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जाय, उसे कैंसिल न किया जाय ?

श्री गंगा राम चौधरी : 24 मार्च को जालौर जिले के विधायक और कुछ अन्य प्रतिनिधियों ने ऐसा पत्र मुख्य मन्त्री को प्रस्तुत किया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर इसका सरकार ने उनको क्या जवाब दिया ?

श्री गंगाराम चौधरी : अभी तक कोई उत्तर नहीं भिजवाया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सरकार इस पर विस्तृत रूप से विचार कर रही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : सरकार ने दुबारा एग्जामिन नहीं किया है अभी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब करने का है क्या इरादा ?

श्री गंगाराम चौधरी : जैसा विचार होगा उत्तर भेज दिया जावेगा।

श्री विरदा राम : इस योजना के बारे में जालौर के नागरिक यह चाहते हैं कि हमारा पिछड़ा जिला है। इस जिला में डेरी फारम लगाणो जरूरी है। क्योंकि इसो करणे सूं नस्ल पशुओं री सुधारणे के वास्ते भी कोशिश होगी। सांचोर की मशहूर गायों की नस्ल है। वा सुधरेला। अस्पताल जगह जगह खुलेला। अच्छे सांड आवेंगे नस्ल सुधारेंगे। एक लाख लीटर दूध बिकेगा।

श्री अध्यक्ष : अब जवाब ले लेते हैं। आपको मौका दिया तो आप चिपक ही गये।

श्री गंगाराम चौधरी : यह तो पिछली बार सदन में जब माननीय सदस्य विचार कर रहे थे तो जानकारी में आ गई थी। पर जमीन देने की बात जब आई तो कठिनाई पैदा हुई। इस पर कम्पनी को लिख दिया गया था कि क्या वे इस सम्बन्ध में तैयार हैं कि एक हजार एकड़ जमीन नहीं लें केवल उद्योग के लिये ही जमीन लें। इसके लिये सरकार तैयार है।

अब हाल ही में जालौर जिले के विधायकों की ओर से एक पत्र आया उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री शंकर लाल : क्या यह सही है कि डेयरी फार्म के लिये जमीन अलाटमेन्ट के नियम बने हुए हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां।

श्री शंकर लाल : तो क्या इन नियमों के तहत उतनी जमीन नहीं दी जा सकती ? क्या इस की इस पोइन्ट आफ व्यू से जांच की गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : इन नियमों के तहत न तो यह प्लान्ट आता है न डेयरी फार्म। राज सरकार ने इसको उद्योग सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र मानकर धारा 102 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत लिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज सरकार ने इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन किया है और उस अध्ययन के बाद राज्य सरकार की क्या मान्यता बनी ? इतनी मात्रा में भूमि अलाट करने के बाद इतना दूध सप्लाई हो सकता है या इस क्षेत्र का विकास हो सकता है ? या अन्य दृष्टि से लाभदायक हो सकती है।

Page No 4

श्री गंगाराम चौधरी : राज सरकार ने सही मानकर ही पिछली बार धारा 102 के तहत भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया था। पर सदन में माननीय सदस्यों की राय विपरीत समझकर इसे रद्द कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या पुनर्विचार करने का अब इरादा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अभी कम्पनी की ओर से उत्तर नहीं आया है उस पत्र का जो पिछली बार दिया कि केवल उद्योग के लिये जमीन लेने को वे तैयार हैं क्या ?

इसके अतिरिक्त मुख्य मन्त्री के पास उस जिले के लोगों का पत्र भी आया है उस पर भी अभी निर्णय लेना बाकी है।

आइरन स्टील की खरीद

295. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि कृषि विभाग द्वारा सन् 1968 में आइरन स्टील की खरीद के लिए टेण्डर लिये गये थे ?

(2) उपरोक्त टेण्डरों में लोएस्ट टेण्डर किस पार्टी का किस किस आइटम में था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त टेण्डरों में से लोएस्ट पार्टियों से न खरीद करके सारी खरीद राधा बल्लभ एण्ड सन्स से की गई ?

(4) यदि हां, तो क्यों और इससे सरकार को कितना घाटा हुआ ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त माल का रेल्वे फेयर चार्जेज आर्डर के 10 रुपये टन के हिसाब से था परन्तु वह 50 रुपया फीट के हिसाब से चुकाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सच है कि 50 रुपया टन दर्ज करने पर भी इस पार्टी की दरों से दूसरी पार्टियों की दरें कम पड़ती है ? यदि हां, तो क्या ऊंची दरों से खरीद करने पर सरकार से स्वीकृति ली गई ?

उप मंत्री कृषि (श्री हरिसिंह बेगू): (1) जी हां।

(2) सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। पूरे साल की आवश्यकता के लिये राधाबल्लभ एण्ड सन्स के टेण्डर का मूल्य सब से कम था जैसा कि सूची 'ब' से स्पष्ट होगा, तभी इस फर्म से ही खरीद करने का निर्णय लिया गया।

(4) जैसा कि प्रश्न के भाग 3 के उत्तर में बताया जा चुका है पूरे साल की आवश्यकता के लिये जिसके टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे मैसर्स राधाबल्लभ एण्ड सन्स की दरों से कुल मूल्य अन्य पार्टियों से करीब रुपये 3600 कम था अतः सरकार के हित में फायदा देखते हुए इस फर्म से खरीद प्रारम्भ कर दी गई।

(5) जी नहीं। टेण्डर की शर्तों के अनुसार टेण्डर की खरीद पर केवल 10 रुपये प्रति टन ही पारवार्डिंग चार्जेज चुकाये गये हैं।

(6) जी नहीं प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री श्रवणलाल : क्या बिना टेण्डर के भी इस पार्टी से किसी साल में माल खरीदा गया था ?

श्री हरिसिंह : जी नहीं।

श्री श्रवणलाल : तो क्या यह माना जावे कि इस साल में जितनी डिमान्ड थी उस डिमाण्ड के अनुसार ही इस पार्टी से माल खरीदा गया। 70/71 में कुछ नहीं खरीदा गया ?

श्री शोभाराम : प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो आपने केवल 68 के सम्बन्ध में प्रश्न किया है। 70/71 का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रवणलाल : मैं तो 68 के लिये ही पूछ रहा हूं। जो टेण्डर मन्जूर किये गये क्या उसके अलावा भी बिना टेण्डर दिये इस पार्टी से माल खरीदा गया था ?

श्री शोभाराम : आपने जो यह पूछा कि सम्बन्धित सूची दी जाय, वह दे दी गई। और किसी से माल नहीं खरीदा गया।

श्री श्रवणलाल : अब और किन किन से खरीदा गया इसकी सूची नहीं मिली।

श्री शोभाराम : और किसी से नहीं खरीदा गया।

श्री भैरोंसिंह : इस टेण्डर में कुछ आइटम ऐसे थे जिनकी लोएस्ट रेट दूसरी फर्म ने दी थी। तो वह माल भी उनसे नहीं खरीद कर ऊंची रेट में ही इस पार्टी से वह माल क्यों खरीदा गया जब कि सरकार को प्रत्येक अलग अलग आइटम के अनुसार लोएस्ट और हाईएस्ट रेट देखकर भी खरीदने का अधिकार हासिल है।

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, जो राधा वल्लभ एण्ड सन्स का टेन्डर था उसमें उसने यह शर्त रखी थी कि अगर जो टोटल रिक्वायरमेंट है, अगर वह सब टोटल रिक्वायरमेंट हम से ही खरीदते हैं तो यह टेन्डर वैलीड होगा। फिर हमने इसको वर्कआउट किया और उसमें कुछ आइटम्स् तो ऐसे थे जिसमें कुछ लोएस्ट रेट थी और कुछ में ज्यादा। दूसरे टेन्डर में भी यही स्थिति थी। कुछ आइटम्स में उनकी रेट्स लोएस्ट थी। तब हमारे सामने यह प्रश्न आता था कि उनके टेन्डर को रिजेक्ट कर देते और उस टेन्डर को रिजेक्ट करने के बाद जो टोटल कॉस्ट आती थी वह उस टेन्डर से ज्यादा होती थी। जो टोटल वेल्युएशन थी, वह दूसरी टेन्डर की ज्यादा होती थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने एक जायी हिसाब लगाया है कि इतना हमें फायदा हुआ। जबकि अधिकतर आइटम्स की रेट्स ऐसी थीं जिनमें दूसरे टेन्डर वाले कम थे राधा वल्लभ एण्ड सन्स से।

श्री शोभाराम : यह सही है। मैंने भी यही कहा है कुछ आइटम्स ऐसे थे जो लोएस्ट थे। लेकिन हमारे सामने यह प्रश्न आया और उन्होंने यह शर्त रखी थी कि एकजायी रूप से सारी टोटल रिक्वायरमेन्ट, जो टोटल क्वान्टिटी की जरूरत है वह खरीदी जायेगी तो ही उनका टेन्डर वैलीड होगा। हमारे सामने यह शर्त थी और या तो हम उनके टेन्डर को रिजेक्ट कर देते रिजेक्ट करने के बाद हमारे सामने यह प्रश्न आता था कि सारी क्वान्टीटी किसी एक टेन्डर से हमें नहीं मिल पाती और जो

(श्री शोभाराम)

टोटल अमाउन्ट है उसमें वह कीमत 3600/- रुपया कम बैठती है। इस तरह से फायदा ही हुआ है। यह प्रश्न हमारे सामने था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि विभाग ने राधाबल्लभ एण्ड सन्स के हरेक आइटम को वर्क आउट नहीं किया है। और क्या यह भी सही है कि विभाग ने दूसरे टेन्डर वालों के साथ किसी प्रकार का नेगोसिएशन्स नहीं किये और क्या राज्य सरकार इसको आवश्यक नहीं समझती थी कि जबकि अधिकतर टेन्डर की रेट्स कम थी तो उस स्थिति में वह नेगोसिएशन्स के द्वारा किसी एग्रीमेंट पर पहुंचती।

श्री शोभाराम : नेगोसिएशन्स करना लाजिमी नहीं है। रिजेक्ट कर दिया जाये तो कोई नेगोसिएशन्स नहीं किया जा सकता और दूसरी तरफ हमको 3600/- रुपया ज्यादा देना पड़ता। यह सही है कि दूसरे आइटम में कीमत कम थी, और राधा बल्लभ एण्ड सन्स को ज्यादा थी किन्तु टोटल मिलाकर 3600 रुपयों का लाभ होता है दूसरे टेन्डरर्स के मुकाबले में। चार पांच पार्टियां होती हैं और किसी का टेन्डर इनवेलिड हो जाता है तो यह लाजिमी नहीं है कि नेगोसिएशन्स किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन सिंह। आर्डर प्लीज।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानकारी करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जिस प्रकार मन्त्री महोदय ने बताया है कि टोटल लगाकर यह निकाला गया है कि 3600 रुपयों का मार्जिन था। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें जो चद्दरों की कीमत लगाई हैं वह कन्ट्रोल रेट की है या ब्लेक के रेट की और उसने यह चद्दरें विभाग को सप्लाई नहीं की है। क्या यह सही है?

श्री शोभाराम : कौनसा माल ?

श्री श्रवणलाल : जो चद्दरें हैं, उसकी कीमत टेन्डर में कन्ट्रोल रेट की लगायी है और उसके आधार पर आपने यह बताया है कि विभाग को इससे 3600 रुपयों का लाभ हुआ है। किन्तु व्यापारी ने ये चद्दरें विभाग को नहीं सप्लाई की हैं कन्ट्रोल रेट पर और इसकी वजह से उल्टा विभाग को नुकसान हुआ है। क्या यह सही है।

श्री शोभाराम : इसमें करीब अध्यक्ष महोदय, 40 से 47 आइटम हैं। इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौनसे आइटम का माल सप्लाई किया गया है और कौनसा नहीं ? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कितने आइटम की रेटस् लोएस्ट थी और कितने की ज्यादा और उसके हिसाब से जो क्वान्टीटी थी सप्लाई हुआ है या नहीं और जो पेमेंट हुआ है इसकी जानकारी इस प्रश्न के अन्दर नहीं आती है कि कितने आइटम का माल सप्लाई किया गया है। यदि इसके सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न रखें तो आपको इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक ही है। मन्त्री महोदय ने फाइल देख कर अनुमान लगाया होगा इस बात का कि इस मामले में कितना माल सप्लाई किया गया है और नहीं। इसमें कहीं भी मिटिगेट तो नहीं हुआ है। कहीं राज्य सरकार को इससे हानि तो नहीं हुई है। वास्तविकता क्या है इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री शोभाराम : इस बात की जानकारी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इसी सत्र के अन्दर यह जानकारी आपको दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री आयुर्वेद मन्त्री। आर्डर प्लीज।

श्री ःवणलाल : अध्यक्ष महोदय''''

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : मैं सिर्फ अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से विभाग को लाखों रुपयों का घाटा हुआ है और इसमें घोटाला किया गया है। एक बार ही नहीं अध्यक्ष महोदय, हर समय और हर सेशन में इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं जबकि सरकार पर 50/50 हजार के गबन के चार्ज लगाये गये हैं और इसमें भी करीब 25 हजार का घोटाला है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो टेन्डर इनवाइट किया गया था और उस पीरीयड में जो माल खरीदा गया था, तो क्या इस टेन्डर के अलावा भी कोई माल इस पार्टी से बिना टेन्डर के खरीदा गया है ?

श्री शोभाराम : शुरू में ही मैंने निवेदन कर दिया है अध्यक्ष महोदय कि दूसरे माल के बारे में यह प्रश्न सम्बन्ध नहीं रखता है। दूसरी बात के बारे में मैंने यह कहा है कि जिन आइटम्स की रेट लोएस्ट थी और टेन्डर नोटिस में उसकी जो रिक्वायरमेन्टस् थी, जो क्वान्टिटी चाही गई थी, उसके मुताबिक माल सप्लाई किया गया है या नहीं और कम सप्लाई किया गया है तो उससे कितना क्या फर्क है, उसकी जानकारी आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री आयुर्वेद मंत्री।

दांता रामगढ़ क्षेत्र में औषधालय

296. **श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनता मन्डा (सूरेरा) पंचायत समिति दांता रामगढ़ द्वारा औषधालय का उपयुक्त भवन निर्माण कराये जाने पर भी औषधालय खोलने के आदेश क्यों नहीं हुए हैं और अब वहां औषधालय कब तक खोल दिया जायेगा ?

(2) क्या इस बारे में जनता द्वारा भी लिखा पढ़ी की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम आलोदा तहसील दांता रामगढ़ जिला सीकर द्वारा औषधालय हेतु भवन उपलब्ध कराया गया है ? व पंचायत समिति द्वारा भी प्रस्ताव पास कर भेजे जा चुके हैं फिर भी औषधालय नहीं खोला जा रहा है ? यदि हां तो क्यों और कब तक औषधालय खोल दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम सामी मेई तहसील दांता रामगढ़ में औषधालय खोले हैं उनमें स्थाई कौन से व अस्थायी कौन से हैं इतनी जल्दी ही आदेश किस कारण से हुए ?

उपमन्त्री, आयुर्वेद विभाग (श्री समर्थ लाल) : (1) उपर्युक्त भवन निर्माण की जानकारी नहीं है। औषधालय खोलने के नियमित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

(श्री समर्थलाल)

(2) जी नहीं ।

(3) आलोदा में भवन उपलब्ध नहीं कराया गया है । जिला परिषद ने केवल खाट्ट श्यामजी से आलूदा में औषधालय स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव पास किया है ।

(4) जी नहीं ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, खाट्ट श्यामजी का प्रस्ताव नहीं है । मेरे पास में प्रूफ है । जब मैं भाषण कर रहा था और इस बात का जिक्र किया था तो मंत्री महोदय ने बीच बीच में यह कहा था कि यह झूठ है । जिला परिषद ने खाट्ट श्यामजी से आलूदा औषधालय स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव किया था तो यह औषधालय चक में कैसे लगा दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा (आयुर्वेद मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसके सन् 67 से कागजात चल रहे थे ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी उपमन्त्रीजी ने यहां पर बताया है कि आलोदा स्थानान्तरित करने का इस औषधालय के बारे में जो प्रस्ताव है वह यहां पर बताया है । अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह आलोदा न होकर बीच में और कहां से आ गया यह चक गोपीनाथपुरा । आप इन दोनों मंत्रियों की बात को देख लीजिये । मैंने जब अपने भाषण में यह कहा था तो इन्हीं मंत्री महोदय ने उत्तेजित होकर यहां पर कहा था कि यह झूठ है झूठा भाषण करते हैं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भ्रम होगया है । यहां पर झूठ-सच का सवाल खड़ा नहीं होता है । जिला परिषद ने प्रस्ताव तो पास कर दिया है आलोदा के लिये किन्तु भवन उपलब्ध नहीं कराया है । चक गोपीनाथपुरा के सन् 69 से कागजात चल रहे थे और वहां पर भवन भी उपलब्ध करा दिया गया था इसलिये खाट्ट श्यामजी से यह औषधालय वहां पर स्थानान्तरित कर दिया गया ।

श्री मदनसिंह : मन्डा में क्यों नहीं किया गया और यह चक में ही क्यों किया गया । अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पंचायत समिति को इसके लिये सिफारिश थी । मुन्डा के लिये पंचायत समिति की सिफारिश थी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि चक के लिए कौनसी पंचायत समिति की सिफारिश थी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इनके लिये किसी पंचायत समिति की सिफारिश होना चाहिये । जिला परिषद ने जरुर एक प्रस्ताव पास किया था और उसके ऊपर यहां प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि आलोदा के लिये जिला परिषद का प्रस्ताव था किन्तु जिला परिषद ने वहां पर कोई भवन उपलब्ध नहीं कराया है । चक गोपीनाथपुरा की सन् 69 से ही एप्लीकेशन थी और वहां पर एक औषधालय को ट्रान्सफर करने की बात चल रही थी और खाट्ट श्यामजी से यह औषधालय चक गोपीनाथपुरा ट्रांसफर कर दिया गया । राज्य सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया कि वहां पर भवन उपलब्ध करा दिया गया था । चूंकि चक गोपीनाथपुरा में भवन उपलब्ध हो गया था इसलिये यह औषधालय वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया ।

श्री मदनसिंह : सन् 60 से मन्डा में औषधालय का भवन उपलब्ध है एक प्राइवेट आदमी वहां पर मेरी ओर से काम भी कर रहा है। वहां क्यों नहीं खोला गया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मदन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन के टाइम पर महामारी का नाम लेकर औषधालय खुलवाया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह विभाग का फर्ज है कि कोई बीमारी फैले, कोई महामारी फैले और वहां की जनता एप्लीकेशन दे और हमारे पास सुविधायें उपलब्ध हों तो उनको देने का हमारा कर्तव्य है और हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इसमें आपको क्या नाराजगी है ?

श्री मदन सिंह : महामारी कतई नहीं थी अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन के टाइम पर इन्होंने औषधालय खोला है। चुनावों में इस तरह के कार्य करना भ्रष्ट तरीकों में आता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ऐसे ऐसे वरडिक्ट हैं कि मंत्री लोग ऐसी कोई भी चीज...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा वहां भवन उपलब्ध है क्या आप वहां बनवाने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री मदन सिंह : यह अन्याय की बात है। जहां जरूरत है वहां तो खोलते नहीं हैं और वहां कांग्रेस के केन्डीडेट चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। राजस्व मंत्री जी।

भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा लगान की वसूली

298. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के भूतपूर्व जागीरदारों ने संवत् 2012 और 2013 का भूमि का लगान काश्तकारों से वसूल किया था ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जागीरदारों को दिये जाने वाले मुआवजे से इस लगान की रकम को पुनः राज्य सरकार के खजाने में जमा कराया जाता है ?

(3) बाड़मेर जिले के कितने भूतपूर्व जागीरदारों से उनके मुआवजे की रकम में से लगान की रकम वसूल नहीं की गई, जो कि अब भी बकाया है ? प्रत्येक जागीरदार में कितनी रकम बकाया है, इसकी सूची सदन की मेज पर रक्खें ?

(4) अब तक इस रकम की वसूली के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है अतः इसको स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री रामकिशन : श्री केदार नाथ।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित क्यों किया गया है ? इसका जवाब कब तक आ जायगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : अगले सप्ताह तक दे दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

आर० ए० एस० तथा आर० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

299. **श्री रामकिशन** (बैर) :
श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत 10 वर्ष में ऐसे कितने आर.ए.एस. तथा आर. पी. एस. अधिकारी हैं जिनको भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी प्रकार का दण्ड दिया गया है ? सूची सविवरण सदन की मेज पर रक्खी जावे ।

उपमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : पांच आर. ए. एस. अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में दण्ड दिया गया है जिनमें 4 को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत व एक को प्रिवेन्सन ग्राफ करप्शन एक्ट के अन्तर्गत अदालत से सजा हुई है । इनका विवरण सूची में दर्ज है जो सदन की मेज पर रक्खी गई है ।

किसी भी आर. पी. एस. अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामलों में दण्ड नहीं दिया ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न । दण्ड का मतलब यानि सर्विस रूल्स में जिन लोगों को वारनिंग दी गई हो, या कोई ताड़ना दी गई हो तो क्या यह आपकी इस दण्ड की परिभाषा में नहीं आते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रश्न के अन्दर पूछा है भ्रष्टाचार के मामले । वैसे तो और भी मामले हैं जिनमें अधिकारियों को सजा दी गई है उनका मैंने जिक्र नहीं किया है । भ्रष्टाचार के मामले में आपने पूछा है उसका उत्तर मैंने माननीय सदस्य को दे दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें एक तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है उसके द्वारा प्रोसीक्यूशन होता है और दण्ड मिलता है और दूसरी तरह के मामले होते हैं जिनमें डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी होती है और डिपार्टमेंट द्वारा सजा दी जाती है । आपने जो उत्तर दिया क्या ये दोनों उसमें समावेश हैं या कोर्ट से मिले हैं वे ही हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : दोनों का समावेश है ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया आर.पी.एस. अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसमें कोई शिकायत ही नहीं थी या शिकायत के बाद उन्हें दण्ड देने योग्य नहीं समझा गया ?

(बीच में मा० मंत्रीजी द्वारा व्यवधान करने पर)

मैं सदाचार की नहीं, भ्रष्टाचार की पूछ रहा हूं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, आर० पी० एस० अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने प्रश्न किया

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

है कि भ्रष्टाचार के मामले में किस किस को सजा दी गई या नहीं दी गई। मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उससे ऐसा मालूम पड़ता है आर० पी० एस० अधिकारियों के मामले में कोई सजा नहीं दी गई—न कोर्ट से दी गई और न डिपार्टमेंट से दी गई। ग्रेड इन्क्रीमेंट रोकना या डिमोशन करना या अदालत से कोई सजा मिलना दोनों का ही उत्तर में समावेश किया गया है। ऐसा नहीं पाया गया है रेकार्ड से, किसी प्रकार की सजा दी गई हो।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह माना जाय पुलिस प्रशासन उच्चतम प्रशासन है जिसमें कोई करप्शन की बात ही नहीं होती है या फिर इतना पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है कि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष। नेक्स्ट।

कृषकों से सरचार्ज की वसूली

300. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसानों से सरचार्ज की वसूली के सम्बन्ध में यह आम शिकायत है कि पुराने खातों के आधार पर पटवारियों द्वारा सरचार्ज लगा दिया जाता है जबकि उन खातों में अलग अलग हिस्से होने से खाते तरमीम हो जाने चाहिये थे ?

(2) क्या सरकार इस प्रकार के खातों का नवीनीकरण व म्यूटेशन सरकार की तरफ से आम जांच के बाद स्वतः सरकार द्वारा कराये जाने सम्बन्धी आदेश जारी कर किसानों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं। साधारणतया मौजूदा रेकार्ड में बताये गये हिस्सों पर ही सरचार्ज निर्धारण किया जाता है। ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं हुई कि पटवारियों द्वारा पुराने खातों के आधार पर सरचार्ज लगाया गया है।

(2) नामान्तरकरण के मामलों को निपटाने के लिये दिनांक 22-1-71 को आदेश जारी किये गये हैं जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अलावा जिन मामलों में नामान्तरकरण के आवेदन आये हैं उनमें भी सरचार्ज वसूली स्थगन के आदेश दिये गये हैं। आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं शिकायत नहीं हुई। मैंने स्वयं शिकायत की थी। इसके अलावा प्रश्न सं० 2 में कहा है नामान्तरकरण के लिये आदेश दे दिये गये हैं तो तहसीलदारों को आदेश दिये गये हैं कि शेयर डिफाइन किये जायं पटवारी जो पंचायत में पेश करते हैं साथ ही तहसीलदारों के साथ पटवारी को भी यह आदेश दे दिये जायं कि जिनके शेयर डिफाइन करें तो वे म्यूटेशन भर कर भी पंचायत में दे दें।

श्री गंगाराम चौधरी : पटवारियों को शेयर भरकर देने के आदेश नहीं है लेकिन

(श्री गंगाराम चौधरी)

आदेश में यह अवश्य है जो प्रार्थना-पत्र पेश करें, एन्युअल रेकार्ड से डिफाइन नहीं करें उनके प्रार्थना-पत्र पर ही पंचायत निर्णय लेगी। आपने अगर इस सरक्यूलर के भाग चार को देखा होगा तो इसमें यह लिखा है कि.........

" In case where actual shares of successor are not recorded the Tehsildar should be directed that the share of the cotenant and co-sharers should be recorded in case the party feel on the basis of their legal agreement wide publicity may be given. "

इस सरक्यूलर के इस पैरा से यह स्पष्ट होगा कि जिलाधीश तहसीलदार को हिदायत देंगे और तहसीलदार पटवारी को उसी माफिक हिदायत देगा।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह नहीं है—

—को-टिनेन्ट्स और को-शेयर्स हैं—

उनके हिस्से दर्ज हो जाय लेकिन हिस्से दर्ज होने के बाद म्यूटेशन दर्ज नहीं होता है क्योंकि यह पटवारी करता है। उसी वक्त साथ में पटवारी को लिख दें तो म्यूटेशन भर कर पंचायत में पेश कर दिये जायं जिससे यह म्यूटेशन रुके नहीं।

श्री गंगाराम : यह पत्र म्यूटेशन से ही सम्बन्धित है। मैं समझता हूं इसमें कोई कठिनाई नहीं आयेगी। फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं तो फिर से इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सारे राजस्थान में हम देखते हैं पुराने खातों के आधार पर पटवारी सरचार्ज लगा देता है और जमीन बेचते हैं वह भाइयों के और बेटों के खाते हिस्से नहीं हुई है। उनका म्यूटेशन नहीं हुआ है इसलिये केवल आप यह करें कि सरक्यूलर भेज दिया है यह काफी नहीं होगा। इस पर स्पेसल इन्स्ट्रक्शन दिये जाने चाहियें।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय अभी शेयर्स ही डिफाइन नहीं हुये हैं, जैसलमेर के रेकार्ड में ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण ?

श्री गंगाराम चौधरी : जैसलमेर में सेटिलमेंट हो चुका है और कुछ तहसीलों में पूर्ण सेटिलमेंट हो गया है। मैं समझता हूं कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री बालसिंह सोढ़ा : समरी सेटिलमेंट फाइनल नहीं हुआ है। एक जगह बैठ कर पूरे गांव की लिखवा दी है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामकिशन

श्री राम किशन : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट है.......

श्री शंकर लाल : पटवारियों में जो बीमारी है खासकर इसको करने में इनको क्या दिक्कत आती है.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : रेकार्ड में 7-7

(अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : ······ साथ में पटवारी को यह आदेश दे दें कि वे भरकर पेश करें। आगे आपने कह दिया दो महीने···

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय प्रश्न कर्त्ता के उत्तर में मैंने निवेदन किया है। जैसा वे चाहेंगे वैसी पटवारी को भी हिदायत दे दी जायगी। माननीय जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जैसलमेर में सेटिलमेंट कम्पलीट नहीं हुआ है। जब तक बन्दोबस्त रोज नहीं होता है तब तक रिकार्ड सेटिलमेंट विभाग के पास है वे ही निपटाया करते हैं और वे ही नियमानुसार लैण्ड ऐक्ट रिव्यू के प्रोविजन के अनुसार निपटाते हैं। कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री बालसिंह सोढ़ा : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सेटिलमेंट विभाग······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज्। नैक्स्ट

श्री बालसिंह सोढ़ा :·······के पास एप्रोच किया और उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे आदेश नहीं है और हम नहीं निपटायेंगे···· ···

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट,

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, बहुत से काश्तकारों से वसूली हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

उपनिवेशन विभाग के निरीक्षक

301. **श्री रामसिंह कुडी (जायल)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कोलोनाइजेशन विभाग में कौन कौन व्यक्ति कब कब से निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं ? क्या इनमें से कई ऐसे व्यक्ति हैं, जो इस पद की कोई भी विभागीय परीक्षा पास नहीं है ? सूचियां सदन में प्रस्तुत की जावे।

(2) राजस्व मण्डल की निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में वर्णित कौन कौन व्यक्ति कोलोनाइजेशन विभाग में निरीक्षक या इससे ऊपर के पद पर कार्य कर रहे हैं ? क्या कोलोनाइजेशन विभाग के निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची अलग से है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखावें ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) सूची निरीक्षकों की परिशिष्ट (क) पर अवलोकनीय है।

जी हां, इस विभाग में कार्य कर रहे निरीक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पहले नहीं थी। अब यह व्यवस्था की जा रही है। नियमों में संशोधन कर दिया गया है।

(2) राजस्व मण्डल द्वारा विज्ञप्ति संख्या क्रमांक पी. आर./एफ (49) दिनांक 8-8-69 जो राजस्थान राज-पत्र, दिनांक 25-9-69 द्वारा प्रसारित दिनांक 1-1-69 तक की स्थिति की भू-अभिलेख, भू-प्रबंध, भूमि एकीकरण एवं उपनिवेशन विभाग में निरीक्षकों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची में सर्व श्री रिधकरण, भीमसिंह, जसवन्तसिंह, सुन्दर लाल, बशीर अहमद, बचनसिंह के क्र० सं० 90, 135, 162, 351, 446, 47 पर नाम अंकित है जिनमें से कोई भी कर्मचारी निरीक्षक के पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं परन्तु सभी उपरोक्त नायब तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं।

(श्री शोभाराम)

उपनिवेशन विभाग द्वारा दिनांक 31-8-70 तक की स्थिति की निरीक्षकों एवं आफिस कानूनगो की वरिष्ठता सूची विभाग द्वारा प्रसारित की गयी है जो परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है । इसमें से राजस्व मण्डल द्वारा प्रसारित की गयी वरिष्ठता सूची में किसी भी निरीक्षक का नाम अंकित नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क: क्या यह सही है कि नियुक्तियां पदोन्नति करके की गयी थी और उसमें शिक्षा की योग्यता के संबंध में कोई ध्यान नहीं रखा गया?

श्री शोभाराम: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि उपनिवेशन विभाग के निरीक्षकों की जो वरिष्ठता सूची है उसकी जिम्मेदारी उपनिवेशन विभाग की है और जैसा मैंने कहा कि उसके नियम बन गये हैं और निरीक्षकों से पदोन्नति होती है नायब तहसीलदार की। तो वह रेवेन्यू बोर्ड के अधिकार में है। अब यह फैसला हो गया है कि 66 परसेन्ट तो फ्रेश रिक्रूटमेन्ट और 34 परसेन्ट ......

श्री हरजीराम बुरड़क: सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि पदोन्नति करके जब निरीक्षक बनाया गया है तो शिक्षा की क्या योग्यता थी यह ध्यान नहीं रखा गया और जो सूची दी है उसमें सब तीसरी चौथी क्लास पास हैं और उनमें से नायब तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री शोभाराम: आप नायब तहसीलदार इन्सपेक्टर और पटवारी की सर्विसेज की बात कर रहे है। इसमें कोई क्वालीफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड नहीं थी कि जिसमें योग्यता की बात आती हो। अब भी ऐसे पटवारी हैं जो कि नोन मेट्रीकुलेट है। अब क्योंकि बेसिक क्वालीफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, इसलिए योग्यता की बात नहीं आती है।

श्री रामसिंह कुड़ी: आपने नायब तहसीलदार में प्रमोशन कैसे दिया जब कि उस की क्वालीफिकेशन ही नहीं है?

श्री शोभाराम: अभी फैसला राजस्व मण्डल को करना बाकी है। अगर वह चीज एप्रूव नहीं होती है तो डिमोट होते हैं। वह तो एडहाक बेसिस पर प्रमोशन दिया गया।

श्री रामसिंह कुड़ी: उपनिवेशन विभाग के संबंध में कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है?

श्री शोभाराम: किस के लिए?

श्री रामसिंह कुड़ी: निरीक्षक के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है?

श्री शोभाराम: मैंने कहा कि इनका प्रमोशन तो पटवारी वगैरह में से होता है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 302

श्री मेघराज पंवार:

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:

जयपुर शहर में किराये पर लिये हुए मकान

303. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(1) राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर में कितने मकान किराये पर लिये हुए हैं ?

(2) अलग अलग स्थानों पर कार्यालयों के स्थित होने के कारण आम जनता को जो भारी कष्ट होता है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन सब को एक दो स्थानों पर केन्द्रित करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) (मुख्य मंत्री जी की ओर से) : (1) राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर में लगभग 80 मकान किराये पर लिये हुए हैं।

(2) प्रयत्न यही किया जाता है कि अधिक से अधिक कर्यालय विशेषरूप से वे जो एक दूसरे से अधिक संबंधित हो एक दो स्थानों पर ही केन्द्रित किये जावें। किन्तु वित्तीय सीमाओं के कारण पर्याप्त संख्या में कार्यालय भवन न बन सकने के कारण निजी भवन भी किराये पर लेने पडते हैं जो सदैव केन्द्रीय स्थानों पर ही उपलब्ध नहीं होते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है मूल मेरा प्रश्न है उसमें यह है कि जो किराये के मकान जयपुर में लिये हुए हैं 80 यह किन किन व्यक्तियों के हैं ? क्योंकि मेरा एलीगेशन यह है कि बहुत से ऑफिसर्स ऐसे हैं कि जिनके मकान सरकार ने किराये पर लिये हुए हैं और उनको दूसरा अलाटमेन्ट कर दिया। मैंने प्रश्न में सब बातें पूछी हैं कि किन किन के मकान हैं और कितने किराये पर हैं इस लिए मैं जानना चाहता हूं कि 80 मकानों का सालाना कितना किराया सरकार देती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपका जो प्रश्न है उसकी भाषा से तो यही जाहिर होता था कि किराये पर लिये हुए मकानों की संख्या क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो इसमें इन्टरेस्टेड हूं कि गवर्नमेंट कितना किराया दे रही है, न कि ऑफिसर्स के मकान हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में मैंने पूछा है और अभी टेबल आफिस से भी पूछा है/ This question may be postponed and my original question should be answered.

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो प्रश्न मेरे पास है उसके आधार पर ही उत्तर दिया है उससे जाहिर होता है कि 80 मकान हैं और राज्य सरकार करीब 30 हजार रुपया महीना इस मकानों का किराये का देती है। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने इस बारे में पूछा कि जिन सरकारी अधिकारियों के अपने मकान हैं उन्होंने अपने मकान सरकार को किराये पर दे दिये हैं और सरकारी मकानों में वे रह रहे हैं। इस बारे में साफ सरकार के नियम हैं कि जिनके अपने घर के मकान हैं उनको सरकार की तरफ से कोई मकान अलाट नहीं किया जायगा। अगर माननीय सदस्य किसी भी आफिसर के बारे में नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिन्होंने अपने मकान रहते हुए सरकार को किराये पर दिये हैं और सरकारी मकानों में रह रहे हैं तो जानकारी कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आपकी जानकारी में तो नहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरी जानकारी तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो नियम आपने बना रखे हैं उनके अन्तर्गत कुछ ऑफिसर्स को मुक्त किया हुआ है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे पास जो इस समय सूचना है उससे तो जानकारी नहीं है लेकिन कुछ माननीय सदस्य······

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी में हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं आपको यही कहूंगा कि पहले रूल्स पढ़ लें आप। चीफ सैक्रेटरी सरकारी मकान में रहते हैं

श्री प्रद्युम्नसिंह : राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी, आइ० जी० इस मामले में एक्सेप्शन हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही तो कह रहा हूं कि उसमें कुछ मुक्त भी किए हुए हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : रूल्स में एक्सेप्शन है जिसमें जिलाधीश जयपुर है, एस०पी० है, आइ०जी०पी० हैं, चीफ सेक्रेटरी है– इन लोगों के लिए सरकारी मकान ईयरमार्क हैं कि वे उन मकानों में रहेंगे लेकिन इनके अलावा किसी भी ऐसे अधिकारी के लिए जिसके पास अपना मकान है उनको सरकारी मकान का आवंटन नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : इन चार के अलावा तो नहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ईयरमार्क हैं जिनके लिए कायदे के अनुसार सरकारी मकान दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : 4 के अलावा और तो किसी के लिए ईयरमार्क नहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे पास और जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई।

भूमि विकास बैंक भवन के लिए भूमि

304. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में भूमि विकास बैंक की इमारत के लिए कोई प्लाट खरीदा गया है ? अगर हाँ, तो वह कितनी रकम में व किसके द्वारा खरीदा गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्लाट की वास्तविक कीमत बहुत कम थी परन्तु उक्त प्लाट के लिए वास्तविक कीमत से बहुत ज्यादा रकम चुकाई गई ? अगर हां, तो कितनी व क्यों ? इसकी जुम्मेवारी किसकी है ? इस बारे में जुम्मेवार कर्मचारी के खिलाफ क्या सरकार विभागीय कार्यवाही करना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) उक्त प्लाट के आसपास के प्लाटों की कीमत क्या है ? इस प्लाट की इतनी ज्यादा कीमत क्यों दी गई ? क्या यह भी सत्य है कि इस प्लाट की खरीद में भारी घोटाला है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस बारे में शीघ्र उच्चस्तरीय जांच कराना उपयुक्त समझेगी ? यदि हां तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

सहकारी मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव): (1) जी हां, जिला जालोर में भूमि विकास बैंक की इमारत के लिए प्लाट 13000 रु० में संचालक मण्डल के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 14-7-70 के द्वारा खरीदा गया है।

(2) इसकी जिम्मेवारी किसकी है, इस बारे में उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर से जांच कराई जा रही है। जांच के पश्चात् ही यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) इस सम्बन्ध में उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा जांच करवाई जा रही है। जांच 15-5-71 तक की अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये गए हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित बताया है 4 हजार कीमत तय की थी और 13 हजार दिये यह जानकारी आपको है ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्षजी, मेरे पास जो जानकारी है उसमें संचालक मंडल का प्रस्ताव है। अगर उसके बारे में माननीय सदस्य को कोई शन्का है तो मैं जांच करवा सकता हूं।

प्रश्न सं० 305

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विट्ठलभाई : अध्यक्ष महोदय, श्री हीराभाई का प्रश्न ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : समय होने पर।

प्रश्न सं० 306

श्री फूलचन्द बाफणा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : समय हुआ तो ले लूंगा।

श्री जुझार सिंह।

ग्राम चेचट में चरनोट से बंजड़ में कनवर्ट की गई भूमि

307. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चेचट, तहसील रामगंज मण्डी, जिला कोटा में बोहराओं की छतरी के पास की जमीन को चरनोट से बंजड़ में कनवर्ट किया गया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि को किसकी मांग पर किसके द्वारा ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कनवर्ट शुदा बंजड़ में से करीब 20 बीघा जमीन बोहरा समाज को अलाट की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा, कब और कौन से नम्बरों की ?

(3) क्या कलेक्टर कोटा या एस० डी० एम० रामगंज मण्डी को किसी समाज या व्यक्ति के नाम जमीन अलाट करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो यह भूमि किस कानून के तहत एलाट हुई है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, यह सही है। ग्राम चेचट की चरनोट जमीन 19 बीघा 8 बिसवा, जमात बोहरान की मांग पर जिलाधीश कोटा द्वारा नियमानुसार बंजड़ में कनवर्ट की गई।

(2) जी हां, यह सही है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन सलाहकार समिति तहसील रामगंज मण्डी द्वारा ग्राम चेचट की भूमि खसरा नं० 208 की 19 बीघा 8 बिसवा दिनांक 18-1-71 को अलाट की गई थी।

(3) एस० डी० ओ० को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सलाह से भूमिहीन व्यक्ति को नियमानुसार जमीन अलाट करने का अधिकार है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्लेक्टर ने जो चरागाह की जमीन को बंजर में कनवर्ट किया है वह कौन सी तारीख को किया है?

श्री गंगाराम चौधरी : कनवर्ट करने की तिथि मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन कनवर्ट करने के बाद में आवंटन हुई है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत सिग्नीफीकेन्ट है कि उसी दिन तो चरागाह को बंजर में कनवर्ट करते हैं और उसी दिन ही एस० डी० ओ० अलाट करता है। वह तारीख तो बतायें।

श्री गंगाराम चौधरी : तिथि तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन मैंने निवेदन कर दिया कि आवंटन के सम्बन्ध में जिलाधीश विचार कर रहे हैं कि सेक्शसन 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन हुआ है या नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : प्रश्न पूछने का मक्सद ही यह था कि आपने किसी पर्टीक्युलर कम्युनिटी को ओब्लाइज करके, वोट लेने की गर्ज से काम किया है। प्रश्न यह था कि क्लेक्टर ने जो भूमि कनवर्ट की, वह उतनी ही की जितनी कि बोरा समाज को देनी थी, और वह विदिन ए वीक अलाट भी हो गई। तो विदिन ए वीक सलाहकार समिति की बैठक कहां से हो गई। सलाहकार समिति की बैठक के लिये ही एक माह का नोटिस मिलता है, तो नोटिस कब दिया गया?

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है ‥

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री हरजी राम बुरड़क : साथ ही आ जायेगा। क्या यह सही है कि चरागाह भूमि को दूसरे किस्म में परिवर्तन करने के लिये रूल्स और प्रोसीजर बना हुआ है और उसके हिसाब से गांव वालों को भी नोटिस दिया जाता है।

श्री गंगाराम चौधरी : आवंटन के सम्बन्ध में पहले मैं प्रश्न कर्ता के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। प्राइमा-फेसी यह आवंटन सही नहीं नजर आता, इसलिये जिलाधीश सेक्शन 14 (4) के अन्तर्गत विचार कर रहे हैं, उन्होंने कांगनीजेन्स ले लिया है और नोटिस भी दे दिया है। अगर क्लेक्टर ने आवंटन को गलत पाया तो वे उसको रद्द भी कर सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या आवंटन को रद्द कर दिया है?

श्री गंगाराम चौधरी : रद्द नहीं किया है, नोटिस दिया है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि किसी कम्युनिटी के नाम जमीन अलाट नहीं होती है, व्यक्ति के नाम अलाट होती है।

श्री अध्यक्ष : यह भी एक अनियमितता है।

श्री गंगाराम चौधरी : समाज, व्यक्ति की परिधि में नहीं आता है, इस पर भी विचार हो रहा है जिलाधीश द्वारा।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने अलाट कर लिया, वोट ले लिये और अब कैंन्सिल करेंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इस तरह से जाति के नाम जमीन अलाट करके क्या आप जातिवाद को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं?

श्री दौलतराम सारण : जिस एस० डी० ओ० ने इस तरह गैरवाजिब तरीके से जमीन अलाट कर दी, क्या उसके खिलाफ आप ऐक्शन लेंगे?

श्री गंगाराम चौधरी : जिलाधीश की रिपोर्ट के बाद जो भी त्रुटि मालूम हुई उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : त्रुटि के लिये जिम्मेदारी तो साफ पड़ी है।

श्री जुझार सिंह : अलाटमेंट के समय भी ऐतराज उठाया गया था लेकिन क्योंकि उनको वोट लेने थे, तो जान बूझ कर यह किया गया।

श्री अध्यक्ष : अलाटमेंट किस तारीख को हुआ है?

श्री गंगाराम चौधरी : 18 फरवरी, 1971 को अलाट किया गया।

श्री दिग्विजयसिंह : इलेक्शन्स के टाइम में अलाट किया है।

श्री दौलतराम सारण : तीन दिन के नोटिस पर कैसे अलाट कर लिया?

प्रश्न सं० 308

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० 309

श्री दुर्गालाल बादशाह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० 310

श्री गोरधन सोनी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अमीलाल यादव।

नेशनल हाइवे में आई भूमि का मुआवजा

311. **श्री अमीलाल यादव (बहरोड़)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से देहली वाया बहरोड़ नेशनल हाइवे में आई भूमि का बहरोड तहसील के किसानों से भूमि अवाप्त होने के बाद तक लगान वसूल किया

(श्री अमीलाल यादव)

गया ? यदि हां, तो किस सन् तक और कुल कितनी रकम अवाप्ति के बाद वसूल राज्य सरकार ने की ?

(2) क्या राज्य सरकार उस लगान की वसूल की गई रकम को वापिस उन संबंधित किसानों को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या उनके मुआवजे के साथ अदा करेगी ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वसूल की गई राशि को वापिस किये जाने की व्यवस्था भवन निर्माण एवं पथ विभाग के अवाप्ति अधिकारी से सम्बन्धित गांवों की अवाप्त की गई भूमि का पूर्ण विवरण प्राप्त होने पर की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री अमीलाल यादव : यह जो नेशनल हाइवे जयपुर से जा रही है, इसमें मेरा प्रश्न यह था कि कौन से वर्ष में तो यह भूमि अवाप्त की गई और इसके बाद भी उन गांवों से कौन से साल का लगान वसूल किया गया। उनको यह रकम वापिस की जायेगी ? और अवाप्त भूमि का मुआवजा कब तक पेमेंट किया जायेगा, इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदय दें।

श्री गंगाराम चौधरी : मुआवजा तो सम्बन्धित विभाग, पी. डब्लू. डी. दे सकता है। जहां तक लगान वसूल करने का प्रश्न है, उसके लिए मैंने निवेदन कर दिया है कि सूची में विवरण दिया है। भूमि अवाप्त करने का वर्ष दे रखा है, सम्वत् 2018 में भूमि अवाप्त की गई, और लगान की वसूली की है वह सम्वत् 2024 तक हुई है। प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में निवेदन किया है कि इसका विवरण आने पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, स्थगित प्रश्न।

श्री अमीलाल यादव: अध्यक्ष महोदय, बहुत से किसानों की भूमि अवाप्त की गई है। 2018 में तो भूमि अवाप्त की गई और 2025 तक उसका लगान उन किसानों से वसूल किया जा रहा है। मुआवजे की पूछते हैं तो कह दिया कि पी. डब्लू. डी. से आने पर होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पी. डब्लू. डी. ये अलग तो नहीं है। इसके पहले भी मैंने जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था तो उस वक्त भी यह आश्वासन दे दिया गया था कि एक साल के अन्दर तय करेंगे, लेकिन आज तक...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, स्थगित प्रश्न।

श्री अमीलाल यादव : यह तो बतायें कि कब तक तय कर दिया जायेगा।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कई बार आ चुका है और यह मुआवजे का प्रश्न कई बार उठाया गया है। जमीन तो ले ली जाती है

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अमीलाल यादव : सभी जगह जितनी भी सड़कें बन रही हैं उनमें यह ही प्रश्न आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री अमीलाल यादव : उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है और दूसरी तरफ उनसे लगान भी वसूल किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अमीलाल यादव : उनसे लगान अलग वसूल किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री अमीलाल यादव : मंत्री महोदय से उत्तर दिलाया जाये।

श्री गोरधन सोनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है और बार बार सदन में आता है। चाहे सिंचाई विभाग वाले जमीन अवाप्त कर लें, चाहे पी. डब्लू. डी. वाले जमीन अवाप्त करलें, मुआवजे देने का प्रश्न तो पेंडिंग ही रहता है और लगान वसूली चलती रहती है।

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त हो गया। स्थान ग्रहण करें।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी······

श्री अध्यक्ष: मैंने स्थगित प्रश्न ले लिया है, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय,······

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा गम्भीर मामला है और काफी समय से चला आता है। बीस साल हो गये हैं सड़क को निकाले हुए और वहां किसानों से लगान वसूल किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : मुआवजे की बात तो दूर रही······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री अमीलाल यादव : इससे सड़कों की प्रगति रुक रही है। आज सड़कों के लिये जमीन अवाप्त की जाती है तो किसान लोग उसका विरोध करते हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है। वे ऑपोज कर रहे हैं।

श्री गोरधन सोनी: यह कब तक मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से मंत्री महोदय को कुछ हिदायत होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सारे प्रश्न को देखकर मैं मंत्री महोदय से बात करूंगा।

स्थगित प्रश्न

26-3-71

पटवारियों का वेतन स्थिरीकरण

106. **श्री गंगासहाय (कठूमर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पटवारियों का नवीन वेतनमान 1969 के अनुसार स्वीकृत वेतन स्थिरीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है ?

(श्री गंगासहाय)

(2) क्या यह सत्य है कि प्रशिक्षण केन्द्रों पर आवास के लिए भी मकान की व्यवस्था समुचित नहीं है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(3) गत 5 वर्षों में तहसीलों में पटवार घरों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था और उसमें से कितनी लैप्स हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि सभी पटवारियों को तिजोरियों का वितरण अभी तक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : जी हां, । 619 पटवारियों का वेतन स्थिरीकरण होना शेष है । जिलाधीश सवाई माधोपुर की सूचना इसमें सम्मिलित नहीं है ।

(2) टोंक प्रशिक्षण केन्द्र पर आवास की समुचित व्यवस्था है । प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर व गंगानगर में भी यथा सम्भव आवास की व्यवस्था है । समुचित व्यवस्था हेतु राजस्व मण्डल द्वारा जिलाधीशों को निवेदन किया गया है । शीघ्र ही समुचित व्यवस्था कर दी जावेगी ।

(3) गत 5 वर्षों में 25 लाख रुपये (प्रतिवर्ष 5,00000.00 के हिसाब से) पटवार घरों के निर्माण हेतु धनराशि का प्रावधान किया गया था । उसमें से 3, 89,782 रु० सरेण्डर किए गये हैं ।

(4) 1000 तिजोरियां पूर्व में वितरण की जा चुकी हैं और इस वित्तीय वर्ष में 950 अलमारियां खरीदने का आदेश दिया गया है । अगले 5 वर्षों में यह कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

श्री गंगासहाय : क्या मन्त्री महोदय यह फरमायेंगे कि जो केसेज अधूरे पड़े हैं, वह कब तक कर दिये जायेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : जल्दी ही कर दिये जायेंगे । 600 बाकी हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जल्दी की परिभाषा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : एक लम्बा समय बता दें ।

श्री गंगाराम चौधरी : जल्दी ही कर दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

स्थगित प्रश्न

31-3-71

सीलिंग कानून के अन्तर्गत वकीलों की नियुक्ति

178. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सीलिंग कानून के तहत अधिकतम जोत तय कराने के सम्बन्ध में हर जिले में राज्य सरकार ने सरकारी पैरवी हेतु वकील नियुक्त किये हैं ? यदि हां, तो किन किन जिलों में किस किस को नियुक्त किया गया ? तालिका जिलेवार सदन की मेज पर रखें । इन्हें कितनी तनख्वाह पर नियुक्त किया है ?

(श्री दिग्विजय सिंह)

(2) यह नियुक्तियां किस कार्य को ध्यान में रख कर की गई हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि अधिकतर जो सरकारी वकील नियुक्त किये गये हैं वे कांग्रेस (नई) के सदस्य हैं ?

(4) अब तक अधिकतम जोत के कितने केस तय कर दिये गये हैं ?

उपमंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां। सिवाय इन चार जिलों के जिनके नाम हैं सीकर, झुंझुनूं, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, विभिन्न जिलों में नियुक्त राजकीय अभिभाषकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन्हें 500-00 रु० (पांच सौ रुपये) मासिक पारिश्रमिक (रिटेनर) पर नियुक्त किया गया है।

(2) यह नियुक्तियां सीलिंग कानून के अन्तर्गत उठने वाले विवादों की राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने हेतु की गई है जिससे उक्त विवाद शीघ्र निपटाये जा सकें।

(3) जी नहीं। जिन लोगों की नियुक्ति की गई वह उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर जिलाधीश की सिफारिश पर की गई है और इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया कि वे किस पार्टी के सदस्य है।

(4) अब तक निपटाये गये मुकद्दमों की संख्या सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि जिन 4 जिलों में नियुक्ति नहीं की गई है, वहां कोई सीलिंग में भूमि आने वाली नहीं है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, जहां 100 से अधिक केसेज हैं वहां की गई है।

श्री शंकरलाल : यह नियुक्ति कितने समय के लिए की गई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 30-6-71 तक के लिए है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भरतपुर जिले में एक भी केस की पैरवी नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामसिंह कुड़ी : नागौर जिले में एक भी वकील नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कौन सा आधार मान कर चलते हैं जिससे कि नियुक्ति होना जरूरी हो। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, एक्ट और रूल्स इस प्रकार के हैं कि दो और दो चार ही होंगे, छः नहीं हो सकते हैं।

श्री विधि मन्त्री (श्री बरकतउल्ला खां): जिस समय में मीटिंग हुई है कि सीलिंग केसेज को करने के लिए एडवोकेट मुकर्रर किये जायें। तो कलेक्टर्स की सिफारिश पर ही निर्णय लिया गया।

श्री दिग्विजयसिंह : जो केसेज डिस्पोज-ऑफ हुये हैं, जो सूची दी है। आपके

(श्री दिग्विजय सिंह)

गवर्नमेन्ट एडवोकेट ने क्या एतराज किये हैं। वह एपीयर हुये हैं या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अलग से प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : क्या यह सच है कि उन लोगों को नियुक्त करने से पहले बार एसोसिएशन या दूसरा कोई और माध्यम क्यों नहीं अपनाया गया है ?

श्री बरकतउल्लाखां : कलेक्टर्स ने पेनल बना कर दिया है, उसके आधार पर लिया गया है। पहले से जो लॉयर थे उनको।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जितने नये आगये हैं, उनका कैसे पता चला है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि कोटा के लिए जो वकील हैं श्री नाथूलाल जैन जो 67 में एम० एल० ए० का चुनाव हारे हैं, उनके भाई हैं ? क्या यह सही है ?

श्री बरकतउल्लाखां : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, एक भी रेवेन्यू केस नहीं हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसे ही लोगों को नियुक्त किया गया है ?

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में किसी को यह मालूम नहीं है कि वकील है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमियों को वकील नियुक्त किया गया है जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या ऐसे वकीलों को रखा गया है जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है ?

श्री बरकतउल्लाखां : अध्यक्ष महोदय.......

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, लिस्ट तो .....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर आ रहा है।

श्री बरकतउल्ला खां : कलेक्टर्स को यह कहा गया था कि सीलिंग केसेज को लड़ने के लिए जिनको उस कानून की पूरी जानकारी हो उनका नाम रिकमेण्ड करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कलेक्टर ने कोई एप्लीकेशन इन्वाइट नहीं की है। यह काम इस ढंग से हुआ है कि इससे बहुत से लोगों में असन्तोष है।

श्री बरकतउल्लाखां : मैं जानकारी करूंगा। कलेक्टर्स ने लापरवाही से नाम क्यों दिये हैं ?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : इतने दिन हो गये हैं कोई केस नहीं हुआ है।

श्री बरकतउल्लाखां : मैं लेटर भिजवाऊंगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि जैसलमेर में कोई नियुक्ति नहीं हुई है ?

श्री बरकतउल्लाखां : कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें 100 से कम सीलिंग के केसेज हैं। जैसे सीकर है, बांसवाड़ा है, झुंझुनूं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि जैसलमेर में कोई भी एडवोकेट नियुक्त नहीं किया गया है ?

श्री मुकुटविहारी लाल गोयल : लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत जिनमें सरकार पार्टी होती है, उनको डिफेंड करने के लिए आपने क्या डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर किया है ? अपील के केसेज में, 91 के केसेज में आपने क्या व्यवस्था की है ?

एक माननीय सदस्य : अलग से प्रश्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलग से नहीं यह जरूरी है।

श्री बरकतउल्लाह खां : जो भी है, सीलिंग के लिए सरकार जिम्मेदार है। केसेज को जल्द से जल्द लिया जाये। दूसरा जो है, पेनल आफ लायर्स केसेज कंडक्ट करते हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

एलाटमेन्ट कमेटी की बैठकें

302. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विधान सभा के सदस्यों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुये माल विभाग को यह आदेश दिये हुये हैं कि जब विधान सभा का सेशन चालू हो तो अलॉटमेन्ट कमेटीज की मिटिंग न बुलाई जाया करें ? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाये ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलों में इस आदेश का पालन करते हुए एलॉटमेन्ट कमेटीज की मीटिंगें बुलाई जाकर भूमि वितरण का कार्य अब भी चालू है ? यदि हां तो क्या सरकार ऐसी मिटिंग में की गई कार्यवाही को अवैध घोषित करेगी ?

उत्तर

(1) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) कुछ जिलाधीशों से सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार आदेश की पालना हो रही है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

जिला बांसवाड़ा क्षेत्र के भूमिहीनों को भूमि

305. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा क्षेत्र में वर्तमान में कितने भूमिहीन हैं ?

(2) सरकार ने भूमिहीनों को जमीन देने के लिए क्या क्या कदम उठाये हैं ?

Page No 26

(श्री हीराभाई)

(3) क्या सरकार जंगलात विभाग की भूमि राजस्व में लेकर भूमिहीनों को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो बांसवाड़ा जिले के किन किन क्षेत्रों के जंगलों को राजस्व विभाग में लेने की कार्यवाही चल रही है और कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 17729 भूमिहीन हैं ?

(2) भूमिहीनों द्वारा भूमि आवंटन करने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उन्हें नियमानुसार भूमि आवंटित की जाती है ?

(3) जी हां, वन विभाग की काश्त योग्य भूमि वन से कम कर काश्त हेतु परिवर्तन की जाकर भूमिहीनों को आवंटन की जाती है । अभीतक 12152·26 एकड़ भूमि परिवर्तन की गयी है पंचायत समिति घाटोल के 1131 व भुखिया के 160 एकड़ के प्रस्ताव हैं जिन पर कार्यवाही जारी है जो लगभग एक माह में पूरी हो जाने की संभावना है ।

श्री हीरालाल शास्त्री मंत्रि मंडल में मंत्रियों की संख्या

306. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान का एकीकरण होकर मंत्रिमंडल बना उस समय श्री हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी थी और चालू मंत्रिमण्डल में मंत्रियों की संख्या कितनी है ?

(2) श्री हीरालाल शास्त्री मंत्री-मंडल के प्रत्येक मंत्री के लिए पानी, बिजली भ्रमण में दैनिक भत्ता आदि खर्च के लिए क्या क्या निश्चित रकमें थीं ?

(3) उपरोक्त भाग नं. 1 व भाग नं.2 की स्थितियों में श्री हीरालाल शास्त्री मंत्री-मंडल के और चालू मंत्रीमंडल की स्थिति में क्या क्या अन्तर है और क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान के एकीकरण के पश्चात श्री हीरालाल शास्त्री के मंत्री-मंडल में 10 मंत्री थे और वर्तमान मंत्री-मंडल में 15 मंत्री, 5 राज्य मंत्री व 16 उप मंत्री है ।

(2) श्री हीरालाल शास्त्री मंत्री-मंडल के समय प्रत्येक मंत्री के लिये पानी बिजली व दैनिक भत्ता निम्न प्रकार से निश्चित था:-

(अ) पानी— 25/-रु० प्रति माह

(ब) बिजली 75/-रु० प्रति माह

(स) दैनिक भत्ता रु० 12.50, सिवाय बम्बई व कलकत्ता, जहां के लिये रु० 15/- था ।

(3) (अ) जैसा कि ऊपर निवेदन किया गया है, वर्तमान मंत्री-मंडल में 15 मंत्री, 5 राज्य मंत्री एवं 16 उपमंत्री हैं ।

(ब) आइटम नं. 2 की स्थिति से चालू मंत्री-मंडल की स्थिति में बिजली व पानी की निश्चित वार्षिक राशि निम्न प्रकार से अधिक हैं :—

मुख्य मंत्री पानी व बिजली :	अन्य मंत्री (जिनमें, राज्य मं.व उप मंत्री भी शामिल हैं)
रु० 3,600)	रु० 1,500)

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

इसी प्रकार अब भ्रमण दैनिक भत्ता रु० 31/- है। किन्तु साथ ही तीन माह में दैनिक भत्ते की अधिकतम सीमा भी 1500) रु० निर्धारित है। अस्तु, इनमें रुपये क्रमशः 18, 50 व 16/-रु० का अन्तर है।

उपरोक्त अन्तर का कारण यह है कि सन् 1949 से 1970 की बिजली व पानी की दरों में काफी वृद्धि हो चुकी है तथा महंगाई बढ़ जाने के कारण दैनिक भत्ते में वृद्धि की गई है।

राजकीय प्रवास भवन

308. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्रवास भवन का प्रबन्ध सामान्य प्रशासन विभाग के हाथ में है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन अत्यन्त गन्दा है और वहां की केन्टीन जो भोजन देती है वह बहुत खराब होता है।

(3) क्या यह सही है कि दूसरे राज्यों की कमेटियां जैसे जनलेखा समिति आदि के सदस्य आते हैं तो उन्हें भी यही ठहराया जाता है।

(4) क्या यह सही नहीं है कि इस भवन की गन्दगी को देख कर राजस्थान के विधान सभा के सदस्यों के लिये ये आने वाले ऊंची राय लेकर नहीं जाते ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) सरकार द्वारा तो इस सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पुरानी हाइकोर्ट में स्थित अदालतों में शैड व पीने के पानी की व्यवस्था

309. श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर): क्या न्याय एवं विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सांगानेरी दरवाजे बाहर पुरानी हाईकोर्ट में स्थित अदालतों में पैरवी के लिये शहर व बाहर से आने वाले फरीकों के आराम करने और बैठने के लिये कोई लिटिगेन्ट शेड की सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है ?

(2) यदि हां, तो उसका निर्माण कब हुआ और उसमें कितने व्यक्तियों के लिये बैठने की व्यवस्था है

(3) क्या इस लिटिगेन्ट शेड में (अगर है तो) जनता के लिये गर्मी से बचने के लिये पंखों की व पीने के पानी की व्यवस्था के लिये पाइप आदि हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जल्दी ही जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पानी के पाइप और पंखों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(न्याय एवं विधि मंत्री)

उत्तर

(1) हां, सांगानेरी दरवाजे बाहर पुरानी हाई कोर्ट के भवन में सरकार द्वारा एक लिटिगेन्ट शेड बनाया हुआ है जो अहाते के दक्षिणी छोर पर स्थित है। परन्तु इसमें इस समय टाइपिस्टों को बैठाने की आज्ञा जिला न्यायाधीश ने 1966 में दे दी थी।

(2) इस भवन का निर्माण सन 1959 में हुआ और इसमें लगभग 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं।

(3) इस लिटिगेन्ट शेड में बिजली की फिटिंग व पानी का नल लगा हुआ नहीं है। इसमें टाइपिस्ट ही बैठते हैं। चूंकि इस शेड का प्रयोग जनता द्वारा नहीं किया जा रहा था। अतः नल व बिजली आदि का प्रबन्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बलदेव पशु मेला मेड़ता एवं छुट्टी वाले दिन दुकानें खोलने के आदेश

310. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चैत्र शुक्ला 15 को मेड़ता शहर में बलदेव पशु मेला भरता है एवं मेले में आस-पास एवं प्रान्त के बाहर के लोग चैत्र शुक्ला 10 से वैशाख बुद्ध 5 तक इकट्ठे होते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि श्रावण शुक्ला 10 एवं 11 को चारभुजा के नाम से मेड़ता शहर में मेला लगता है एवं इसमें भी बाहर के लोग श्रावण शुक्ला 9 से श्रावण शुक्ला पूर्णिमा तक आते हैं ?

(3) क्या सरकार ने मेला भरने की तिथियों में रविवार आने पर दुकानें खुली रखने के आदेश जारी कर रखे हैं जिससे कि यात्रियों को सभी चीजें समय पर उचित मूल्य पर उपलब्ध होती रहें ? यदि नहीं, तो क्या ऐसा आदेश जनहित की दृष्टि से दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मेड़ता शहर में चार भुजा के नाम से लगने वाले मेले की सूचना इस विभाग को नहीं है।

(3) आवश्यकता नहीं दुकानें मेले में रविवार को खुली रहती हैं अतः इस सम्बन्ध में आदेश का प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

झोटवाड़ा क्षेत्र की कठिनाइयों सम्बन्धी मांग-पत्र

293. श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि झोटवाड़ा विकास समिति, जयपुर पश्चिम (जयपुर) की ओर से मुख्य मन्त्री महोदय को व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को झोटवाड़ा क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर किये जाने सम्बन्धी मांग-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब कब ? कृपया मांग-पत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मांग पत्रों पर कोई आश्वासन दिया गया है ? यदि हां, तो कब कब व किस किस के द्वारा ?

(श्री लादूराम सुलानिया)

(3) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में उपरोक्त मांग पत्रों में दर्शाई गई कठिनाइयों का निराकरण कर जनता की मांगों को पूरो करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 28-7-66 एवं 6-11-70 को मांग पत्र मुख्य मन्त्री महोदय को प्रेषित किये गये थे। मांग पत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं। कोई आश्वासन देना नहीं पाया जाता।

(3) सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था जो इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुओं के मालिकों को खातेदारी अधिकार

293. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले के ग्राम भूठा तहसील रायपुर व ग्राम मंडला, तहसील सोजत के पटवारियों द्वारा राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रेकार्ड) नियम 1957 के नियम 167 के अनुसार फार्म नं० पी०-29 में रखे गये कूप विवरण वर्ष 1968 से वर्ष 1970 तक में से ऐसे कुओं के विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे जिनसे कुओं के मालिकों द्वारा उनके खातेदारी की भूमि के 10 गुना या इससे अधिक दूसरे कृषकों की भूमि को आबपाश किया गया हो ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताये गये कुओं के मालिकों के पास उस गांव में कितने बीघा भूमि खातेदारी की है व कितने समय से है व उसका लगान क्या अदा करते हैं ?

(3) क्या इन खातेदारों ने अपनी खातेदारी की भूमि में कुछ भी काश्त नहीं किया है ? यदि हां, तो फार्म नं० पी०-29 के खाना नंबर 7 व खाना नम्बर 6 के विवरण बाबत खुलासा जानकारी दी जावे कि क्या इस तरह की परम्परा मौजूदा अधिनियमों व नियमों की खुली अवहेलना नहीं है ?

(4) क्या सरकार भूमि के अन्दर संचित जल भण्डार से कृषक कानून (टिनेन्सी एक्ट) के अन्तर्गत खातेदारों को दी जाने वाली रियायतों की ओर से ऐसे खातेदारों के शोषण को रोकने व ऐसे क्षेत्रों को सार्वजनिक हित में चन्द व्यक्तियों के एकाधिकार से मुक्त करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार इस तरह की भूमियों पर दी गई खातेदारी की अविलम्ब जांच कर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पाली जिले के ग्राम भूठा तहसील रायपुर एवं ग्राम मंडला, तहसील सोजत

(राजस्व मंत्री)

के पटवारियों द्वारा राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू (लेण्ड रेकार्ड) नियम 1957 के नियम 167 के अनुसार वर्ष 1968 से 1970 तक के कूप विवरण फार्म नम्बर पी०–29 जिसमें ऐसे कुओं के मालिकों जिनके द्वारा स्वयं की खातेदारी के भूमि के 10 गुणा या इससे अधिक दूसरे कृषकों की भूमि को आबपाश किया तैयार की गई, प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) प्रश्न के भाग 1 में बताये गये कुओं के मालिकों के पास 70½ बीघा 1बिस्वा व 35 बीघा भूमि खातेदारी से है जिसका लगान क्रमशः 120.09, 26.25 पैसे अदा किया जाता है।

(3) ग्राम भूंठा में खसरा नं० एन० 1968 में समस्त कुओं के मालिकों द्वारा (खातेदारों) स्वयं की भूमि ही आबपाश की गई है। सन 1969 में एक कुवां जो गुन्दा वाला जाय खसरा नं० 902 में है, जिसकी जमीन खसरा नम्बर 903 में 34 बीघा 12 बिस्वा आई हुई हैं, कुए के मालिक द्वारा इस वर्ष स्वयं की भूमि के साथ-साथ दूसरे कृषकों की 385 बीघा भूमि आबपाश की गई। सन 1970 में इस ग्राम में एक कुवां गुंदावाला व दूसरा कुआं (जो गत वर्ष नया कुआं खुदा है व तीसरा कुआं सरहद में है, इन तीनों का पानी सम्मिलित कर स्वयं के पास के 70 बीघा 11 बिस्वा के आबपाश करने के साथ-साथ अन्य कृषकों का 692 बीघा 21 बिस्वा एकड़ आबपाश किया गया।

इसी प्रकार ग्राम मंडला तहसील सोजत में खसरा नं० 362 में कुआ सम्वत् 2026 में खातेदारान द्वारा सौंपा गया जिससे इस वर्ष स्वयं की 6 बीघा 11) 1 बिस्वा खातेदारी भूमि के साथ अन्य कृषकों की 250 बीघा 13 बिस्वा भूमि आबपाश की गई। सम्वत् 2027 में स्वयं की खातेदारी भूमि की कोई आबपाश न करके दूसरे कृषकों की 178 बीघा 12 बिस्वा भूमि को आबपाश किया गया।

(4) प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है।

टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र के काश्तकार को खातेदारी अधिकार

294. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील देवली के टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों व कस्बा देवली में कितने काश्तकार हैं तथा उसमें मुस्तकिल खातेदार कितने हैं व गैर-खातेदार कितने हैं ?

(2) उपरोक्त ग्राम पंचायतों में राजस्व खतौनियों में या खसरा राजस्व विभाग में गैरखातेदार एलाटी कितने हैं और तालाबी कितने हैं ?

(3) टोडारायसिंह क्षेत्र की उपरोक्त ग्राम पंचायतों व शहर देवली क्षेत्र में कौन कौन से काश्तकारों की भूमि सीलिंग में आई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील देवली के टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों व कस्बा

(राजस्व मंत्री)

देवली में कुल 9521 काश्तकारान है जिनमें मुस्तकिल खातेदार 9071 व 450 गैरखातेदार हैं।

(2) उपरोक्त 16 ग्राम पंचायतों में 175 गैरखातेदार, अलाटी व 275 तालाबी हैं।

(3) टोडारायसिंह क्षेत्र की उपरोक्त ग्राम पंचायतों व शहर देवली क्षेत्र में 26 भूमि—धारक ऐसे हैं जिनके नाम तहसीलदार ने सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्रस्तावित किए हैं, इनकी सूची संलग्न है। इनमें से अभी एक भूमिधारक के मामले में निर्णय लिया गया है जिनके अन्तर्गत 3-15 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के आदेश हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगित जुर्माने

295. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के पत्र संख्या क/अ/राजस्व 654/72, दिनांक 23-1-1971 से धारा 91 के केसों के जुर्माने स्थगित कर दिये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो कब तक के लिये ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

तहसीलदार बानसूर के विरुद्ध शिकायतें

296. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बानसूर (अलवर) के तहसीलदार श्री कालूराम के खिलाफ वहां के वकीलों ने कलेक्टर अलवर को करीब 5 माह पूर्व भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत पेश की ? यदि हां, तो कृपया शिकायत की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कलेक्टर अलवर ने इन शिकायतों की जांच बहरोड़ के उप-खण्ड अधिकारी से कराई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस तहसीलदार के खिलाफ बानसूर में हड़ताल की गई, जुलूस निकाला गया और घेराव का नोटिस कलेक्टर को दिया गया और उसके बाद उसका तबादला किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि तहसीलदार को जांच के बाद चार्जशीट कलेक्टर अलवर द्वारा दी गई ?

(5) तहसीलदार के खिलाफ सरकार अब क्या कर रही है और उसके द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(6) क्या यह सही है कि इस तहसीलदार के खिलाफ पहले भी 376 ता० हि० का मुकदमा चलाया गया था और वह मोअत्तिल भी रहा ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। श्री कालूराम के विरुद्ध 4 वकीलों द्वारा एक शिकायत की दरख्वास्त दिनांक 23-11-70 को पेश की गई थी। शिकायत की नकल सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां, यह जांच उपखन्ड अधिकारी बहरोड़ द्वारा कराई गई थी। जांच रिपोर्ट अभी कार्याधीन है।

(3) जी हां। दिनांक 4-12-70 को तहसीलदार के खिलाफ हड़ताल की गई थी जुलूस निकाला गया और घेराव का नोटिस भी दिया गया, उसके बाद तहसीलदार का तबादला हो गया।

(4) जी हां।

(5) श्री कालूराम तहसीलदार से चार्जशीट का उत्तर प्राप्त हो चुका हैं। जांच अधिकारी की टिप्पणी भी प्राप्त हो चुकी हैं। अब इस जांच को अंतिमरूप शीघ्र दिया जावेगा।

(6) जी हां। तहसीलदार के खिलाफ पहिले अभद्र व्यवहार का मुकदमा चल और वह निलंबित भी रहे।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

पाटन तहसील में भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र

297. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले की पाटन तहसील में 1-1-70 से 1-1-71 तक किस किस नाम से भूमि-आवंटन की दरख्वास्तें आई? सूची सदन की मेज रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त अवधि में आई दरख्वास्तों पर किन-किन को आवंटन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें व यह भी बताने का कष्ट करें कि उपरोक्त अवधि में किन किन की दरख्वास्तें विचारार्थ रखी गई व किन-किन की खारिज की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) खारिज की गई दरख्वास्तों की सूची में प्रत्येक खारिज करने के कारण बताने का कष्ट करें।

(4) क्या सरकार ऐसी दरख्वास्तों पर पुनः विचार करेगी जिनको खारिज करने का कारण उचित नहीं पाया गया हो? अगर हां, तो कब तक?

(स्थगित किया गया)

भू-राजस्व की दरें

298. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में भू-राजस्व की दरें किस किस जिले में किस किस किस्म की भूमियों की क्या क्या हैं?

(2) क्या राजस्व में एक ही किस्म की भूमि की भू-राजस्व की दर उसी किस्म की भूमि राज्य में, उसी जिले में, उसी तहसील में व उसी गांव में भिन्न है? यदि हां, तो कहां कहां व किन किन कारणों से?

Page No 33

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जिलेवार भू-राजस्व की दरें संलग्न सूची में, जो सदन की मेज पर रख दी गई है, अंकित है।

(2) जी हां। तहसील एवं गांववार भू-राजस्व की दरें सूची में दी गई हैं। भूमि की प्राकृतिक बनावट, उर्वर शक्ति, उत्पादन, क्षमता, सिंचाई की सुविधा, आबादी के समीप या दूर होना आदि का ध्यान रख कर वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए भूकर में भिन्नता हो सकती है।

गांधी शताब्दी वर्ष में भूमि का एलॉटमेंट

299. श्री नन्दलाल (किशन गंज): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगंज—शाहबाद तहसील क्षेत्र में कितनी भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति वालों को गांधी शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत एलॉट की गई ?

(2) कितनी भूमि स्थानीय व्यक्तियों को, कितनी भूमि अन्य स्थानों से आये लोगों को बांटी गई ?

(3) क्या यह सही है कि बाहर से आये लोगों को अनुसूचित जाति तथा जन-जाति का प्रमाण-पत्र लिए बगैर ही जमीन उनके कहे मुताबिक एलॉट कर दी गई ?

(4) उक्त वर्ष में कितनी कितनी भूमि, किस किस पंचायत क्षेत्र की जंगलात से निकाल कर बांटी गई ?

(5) कुल कितनी जमीन, कुल कितने व्यक्तियों के किस किस जाति के लोगों को एलॉट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील किशनगंज व तहसील शाहबाद क्षेत्र में गांधी शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लोगों को क्रमशः 4444 एकड़ तथा 4579 एकड़ भूमि आवंटित हुई है।

(2) भाग एक में वर्णित कुल भूमि स्थानीय व्यक्तियों को ही आवंटित की गई है। बाहर से आये हुये किसी व्यक्ति को भूमि-आवंटन नहीं हुआ है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) आवंटित भूमि वन क्षेत्र से नहीं निकाली गई है।

(5) तहसील किशनगंज में कुल 4444 एकड़ भूमि 1296 व्यक्तियों, मीना मेर, कोली, मेखा, चमार, हरिजन, नायक, नमोशुद्र अहेड़ी, पिण्काट, जाटव, खटीक, रैदास, धोबी, मयवंशी, रजेड़ा, धानुक, तथा मजहबी जाति के लोगों को आवंटित की गई है तथा तहसील शाहबाद में 4579 एकड़ भूमि कुल 1087 व्यक्तियों सहरियों, भील, मीना, चमार, गहड़ियां, कोली, संगार, बलाई, मोगीयां, अहेड़ी, भंगी, सरभंगी व खटीक जाति के लोगों को आवंटित की गई है जिनकी सूची साथ संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जैसलमेर व बाड़मेर में पशु संख्या

300. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा हर वर्ष पशु-गणना की जाती है? अगर

(श्री बालसिंह सोढा)

हां, तो 1967 से आज तक वर्षवार जैसलमेर-बाड़मेर जिले की पशु संख्या का ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं। पशु गणना पांच वर्ष में एक बार की जाती है। अतएव 1967 से अब तक का वर्षवार ब्योरा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति डीडवाना द्वारा लगाये गये कर

301. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)- क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर द्वारा लगाये गये कर की राशि तहसीलदार डीडवाना द्वारा भू-राजस्व के साथ साथ वसूल की गई है ? यदि हां तो अब तक के मतालबे का विवरण पंचायतवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कर की राशि की वसूली कब शुरू की गई तथा किस वर्ष की राशि किस किस वर्ष में वसूल की गई ? शुरू से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष में की गई वसूली और बकाया रही राशि का विवरण वर्षवार और पंचायत वार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति डीडवाना में लगाये गये करों की वसूली राजस्थान पंचायत समिति कर व्यवस्था नियम 1960 के नियम 11 के अनुसार इनकी वसूली भू-राजस्व के साथ ही की जाती है। पंचायत समिति द्वारा लगाए गए राजस्व कर एवं प्राथमिक शिक्षा उप कर के अब तक के मतालबे का विवरण पंचायतवार एवं वर्ष वार संलग्न है परिशिष्ट 1 व 2 :

(2) पंचायत समिति डीडवाना द्वारा भू-राजस्व कर वर्ष 1962/63 में तथा शिक्षा उप कर वर्ष 66/67 में लगाया गया था तथा वसूली की कार्यवाही इन्ही वर्ष में कर दी थी। अब तक प्रत्येक वर्ष में की गई वसूली और बकाया राशि का विवरण वर्ष वार पंचायत वार संलग्न है : परिशिष्ट 3, 4 व 5 : (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निरीक्षक के पद

302. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में सेटलमेंट विभाग में कितने व्यक्ति निरीक्षक के पद पर काम कर रहे हैं ?

(2) राजस्थान में सेटलमेंट विभाग के निरीक्षकों की पदोन्नति सेटलमेंट विभाग से ही होती है एवं क्या सदर मुन्सिरिमों के पदों पर भी निरीक्षकों की पदों पर भी निरीक्षकों की पदोन्नति सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों से ही की जाती है ?

(3) क्या राजस्थान में सेटलमेंट विभाग में ऐसे व्यक्ति भी निरीक्षक या इससे उपर के पद पर कार्य कर रहे हैं जो ऐसे पद की

(श्री रामसिंह कुड़ी)

कोई भी विभागीय परीक्षा पास नहीं है ? यदि हां तो सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) स्वीकृत स्ट्रेन्थ 100 के विपरीत 95 निरीक्षक कार्य कर रहे हैं ।

(2) निरीक्षक पद पर भू-मापकों में से वरिष्ठता के अधार पर पदोन्नति दी जाती है । इस प्रकार निरीक्षकों में से सदर मुन्सरिम के पद पर चयन कर पदोन्नति दी जाती है ।

(3) सेटलमेंट विभाग में निरीक्षक व सदर मुन्सरिम के पद पर कार्य करने वालों के लिये कोई विभागीय परीक्षा पास करने का प्रावधान नहीं है ।

पिछड़े जिलों में सहायता

303. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य के नौ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किये हैं ? यदि हां, तो कब और कौन कौन से जिले तथा उसमें क्या क्या सहायता केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को दी जायेगी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त जिलों में अब तक क्या क्या उद्योग उक्त योजना के अनुसार लगाये गये है जिनको क्या क्या सहायता दी जा चुकी है ?

(3) उक्त योजना की अब तक की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां, केन्द्रीय सरकार द्वारा 1970-71 में राज्य के अब तक निम्न 16 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किये हैं :—

1. अलवर	2. बांसवाड़ा
3. भीलवाड़ा	4. चूरू
5. डूंगरपुर	6. जालोर
7. झालावाड़	8. जोधपुर
9. नागौर	10. सिरोही
11. सीकर	12. झुंझुनूं
13. उदयपुर	14. टोंक
15. जैसलमेर	16. बाड़मेर

सहायता दिये जाने के सम्बन्ध पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(परिशिष्ट 1, 2, व 3)

(2) इस संबंध में राज्य वित्त निगम द्वारा अभी तक पिछड़े जिलों के 10 संस्थानों को 27, 94,000/- रु० के ऋण स्वीकृत किये हैं और उनमें से एक संस्थान का, 1,13,900/- रु० का ऋण वितरित किया जा चुका है ।

(3) प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(परिशिष्ट 4)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ऊंट व बकरी के बालों से बनी कम्बल व चटाई का निर्यात

304. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गांव जसोल (जिला बाड़मेर) में सर्वोदय जट औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड ऊंट और बकरी के बालों के कम्बल और चटाईयां बनाकर विदेशों को भेजती है ?

(2) इस सहकारी समिति का सालाना उत्पादन कितना है और कितनी धन राशि का माल प्रति वर्ष विदेशों को भेजा जाता है ?

(3) इससे देश प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है ?

(4) क्या इस सहकारी समिति को राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का कर्जा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण उत्पादक समिति को विकसित करने की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु कोई माल उनके द्वारा विदेशों को नहीं भेजा गया।

(2) इस समिति ने गत तीन वर्षों में कुल 675) रु० का उत्पादन किया है। विदेशों को माल नहीं भेजा गया है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस उद्योग हेतु उनकी मांग पर नियमानुसार राशि इस समिति को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

वित्त निगम द्वारा ऋण

305. श्री दुर्गालाल बादशाह (हवा महल, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान वित निगम द्वारा लघु उद्योगों को ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में यह ऋण किस किस जिले में किस किस वर्ष में किस किस उद्योग को कितना कितना दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त ऋण किस आधार पर वितरित किया गया ? क्या इस हेतु कोई नियम बने हुऐ हैं ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन जिन उद्योगों को ऋण दिया गया है उनकी पूंजी लागत कितनी कितनी है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन नियमों के अन्तर्गत ऋण बांटे गये हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उद्योगों को योजना अनुसार पूंजी की लागत का विवरण जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है, में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

Page No 37

भूमि के तबादले

306. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूमि के हर प्रकार के तबादले बन्द हैं ? यदि हां तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि भूमि के तबादले बन्द होते हुए भी तबादले हो रहे हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(3) राजस्थान कैनाल व भाखरा कैनाल में जनवरी 1968 से आज तक जो तबादले हुए हैं उनके नाम, तादाद भूमि के विवरण की प्रति सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

कठूमर क्षेत्र के कृषकों को ऋण

307. श्री गंगा सहाय (कठूमर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कठूमर क्षेत्र को कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत योजना द्वारा कितने कृषकों को कितना ऋण कुओं, पम्पिग सैटों व ट्रैक्टरों को अभी तक दिया जा चुका है ?

(2) इन ऋण प्राप्तकर्ताओं में कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं ?

उत्तर

(1) कठूमर क्षेत्र को कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत निम्न भांति कृषको को योजनान्तर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण दिया गया है।

क्र० सं०	उद्देश्य	कृषक सं०	ऋण राशि
1.	कुआ निर्माण हेतु	266	10,24,050
2.	पम्पसैट (बिजली एवं डीजल लगाने हेतु)	218	15,94,850

(II) ट्रैक्टर हेतु कृषकों को ऋण देने का उपरोक्त योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) योजनान्तर्गत ऋण वितरण का रिकार्ड कृषक-वार रखा जाता है न कि विभिन्न जाति-वार अतः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कृषकों को दिये ऋण की सूची अभी उपलब्ध नहीं है।

ग्राम अटरू का ट्यूब वैल

308. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या भू-तल जल मण्डल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के ग्राम अटरू में एक बाग के आस पास ट्यूब वैल लगाया है ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ और किस प्रयोजन हेतु नल कूप लगाया गया ?

Page No 38

(श्री देबीदत्त गाड़िया)

(2) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर ट्यूब वैल लगाया उसके आस पास की भूमि की सतह ट्यूब वैल के स्थान से ऊंची है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ट्यूब वैल के पास एक तरफ नदी है ?

(4) क्या यह सही है कि अटरू तहसील में सिंचाई की दृष्टि से ग्राम बरला में ट्यूब वैल लगाए जाने की योजना बनी थी ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर ट्यूब वैल लगाया गया है, उससे सिंचाई नहीं हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सत्य है कि कोटा जिले के अटरू ग्राम में एक बगीचे के पास में नलकूप लगाया जा रहा है। अनुमानतः इस नलकूप-पर रु० 25000) का खर्च आयेगा, इस नलकूप का प्रयोजन भू-जल का अन्वेक्षण हेतु हैं।

(2) जी हां, यह सत्य है कि नलकूप के स्थान से उसके आस पास की भूमि की सतह कुछ ऊंची है।

(3) उक्त नलकूप के पास कोई बड़ी नदी नहीं है।

(4) ग्राम बरला में अटरू तहसील में सिंचाई के लिए राज्य सरकार की ओर से नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं थी।

(5) उक्त नलकूप के सफल होने पर कुछ प्रयोग व अन्वेषण करने के बाद इस नलकूप का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकेगा।

कृषि विकास योजना से बाहर रखे गये ग्राम

309. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति कठूमर क्षेत्र के कितने ग्राम को कृषि पुनर्वित्त निगम की कृषि विकास योजना से बाहर रखा गया है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन ग्रामों को कृषि विकास कार्य-क्रम के बाहर रखने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कठूमर क्षेत्र के 14 ग्रामों को कृषि पुनर्वित्त निगम की लघु सिंचाई योजना से बाहर रखा गया है। ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उपरोक्त 14 ग्राम कृषि विकास कार्य-क्रम के बाहर नहीं है परन्तु कठूमर पंचायत समिति की लघु सिंचाई योजना के कार्य-क्षेत्र के बाहर केवल इस कारण रखे गए हैं कि राजस्थान भू-जल मण्डल विभाग ने इन ग्रामों में भू-जल को क्षार प्रकृति का बताया है। इस कारण कृषि पुनर्वित्त निगम ने इन ग्रामों को परियोजना में सम्मिलित नहीं किया हैं।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

Page No 39

भू-तल जल प्राप्ति हेतु सर्वेक्षण

310. श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से किन किन जिलों में सर्वेक्षण किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से सर्वेक्षण नहीं किया गया है ?

(3) यदि सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो राज्य सरकार कब तक सर्वेक्षण करा देगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में भू-जल प्राप्ति की दृष्टि से जिन जिन जिलों में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है वे इस प्रकार हैं-

1. अलवर, 2. भरतपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जालौर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, व बांसवाड़ा हैं। इनके अतिरिक्त कृषि पुनर्वित्त निगम की लघु सिंचाई योजनाओं के लिए सीकर, झुन्झनूं व चूरू जिलों के कुछ भागों में भू-जल सर्वेक्षण किया गया है।

2. बाड़मेर जिले में सुचारू रूप से विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

3. वर्ष 1971-72 में बाड़मेर जिले में भू-जल हेतु सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया जावेगा।

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के ट्यूब वेल्स

311. श्री बाल सिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में कुल कितने ट्यूब वैल सफल हुए हैं और किस किस विभाग द्वारा कौन कौन सा ट्यूब वैल कब कब खोदा गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त दोनों जिलों में कितने ट्यूब वैल काम आ रहे हैं और उनमें से कितने कृषि कार्य में काम कर रहे हैं और कितने केवल पेय जल के लिए ही उपयोग में लिए जा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि करीब करीब सभी ट्यूब वेल्स मशीनों के अभाव में समय पर पुर्जे नहीं प्राप्त होने पर काफी लम्बे अर्से से खराब पड़े रहते हैं ? अगर हां, तो इस वर्ष में कौन सा ट्यूब वैल कितना समय चला और उसके बाद खराब होने पर कितने समय तक ठीक नहीं किया गया ?

(4) जिलेवार कौन सा ट्यूब वैल इस वर्ष में कितने घन्टे प्रतिदिन के हिसाब से चला ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि जिलाधीश बाड़मेर व जैसलमेर ने विभाग को बार बार लिखा कि ट्यूब वैल खराब पड़े रहते है फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ? अगर हां, तो राज्य सरकार भविष्य में इनको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर में 26 तथा जैसलमेर में 30 नलकूप सफल हुए हैं, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

कृषि मन्त्री

(2) उपरोक्त दोनों जिलों में पेय जल हेतु 23 नलकूप काम में लिये जा रहे हैं तथा कृषि कार्यों में काम में लिये जाने वाले नलकूपों की संख्या 26 हैं।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

राजस्थान व भाखरा नहर क्षेत्र के गांवों में पेयजल की व्यवस्था

312. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राजस्थान व भाखरा नहर क्षेत्र के गांवों में पेयजल की व्यवस्था के लिए डिग्गियां व तालाबों की पक्की नालियां बनाने पर काफी खर्च किया जा रहा है? यदि हां, तो सन् 1967 के बाद से कुल कितनी डिग्गियां व पक्की नालियां बनाने पर कुल कितना खर्च हुआ है और किन किन गांवों व चकों में पेय जल की व्यवस्था के लिए डिग्गियां व नालियां तामीर करवाई गई और आइन्दा कितने गांवों में पेयजल की व्यवस्था के लिए कितने व्यय का अनुमान है? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

उत्तर

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था के लिये डिग्गियों के निर्माण पर धनराशि व्यय की जा रही है। वर्ष 1967 के बाद से दिसम्बर, 1970 तक कुल 58 डिग्गियों का निर्माण कार्य हुआ है तथा 108 डिग्गियों का वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है। इन डिग्गियों पर वर्ष 1967 से लेकर वर्ष 1970 के दिसम्बर तक 20.51 लाख रुपये व्यय हुआ है पूर्ण हुई डिग्गियों की सूची संलग्न है।

आगामी वर्ष 1971-72 में डिग्गियों हेतु 30.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है तथा करीबन 80 डिग्गियों के निर्माण कार्य को हाथ में लिए जाने की सम्भावना है।

उक्त डिग्गियों के अतिरिक्त राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में व्यास परियोजना के व्यय पर विस्थापितों के लिए निर्माणाधीन 25 डिग्गियों की सूची संलग्न है। भाखरा नहर क्षेत्र में कोई डिग्गियों का निर्माण नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

सरकारी ऋणों की बकाया और उसकी वसूली

313. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालौर में पिछले पांच सालों की किस किस प्रकार के सहकारी ऋणों की कितनी बकाया है और उसमें वसूली योग्य बकाया कितनी किस किस साल की है? सालवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

Page No 41

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) उक्त सालों की सरकारी ऋणों की बकाया सालवार कितना मूलधन व कितना ब्याज सम्मिलित है ? बकाया ब्याज में सालवार कितना साधारण ब्याज व कितना पीनल ब्याज जोड़ा गया है ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ? पीनल ब्याज लगाने के क्या कारण हैं ?

(3) इस प्रकार के सरकारी ऋणों की वसूली में अधिक से अधिक कितना ब्याज मूलधन के साथ साथ वसूल किया जा सकता है ? इस बारे में ब्याज वसूली के सरकार ने अब तक क्या क्या आधार रखे हैं ? भविष्य में इस बारे में सरकार क्या नीति अपनाने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक बाड़मेर द्वारा दिया गया ऋण

314. श्री देवीदत्त गाढ़िया (बारां): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक बाड़मेर द्वारा बैंक की स्थापना से लेकर अब तक किस किस वर्ष में किस किस प्रकार का कितना कितना ऋण दिया गया है ?

(2) ऋण की किस किस वर्ष की कितनी बकाया हैं ?

(3) क्या यह सत्य हैं कि ऋण प्राप्त कर्ताओं में से कई व्यक्तियों का अब कोई पता नहीं लग रहा है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की नामवार सूची मय रकम के सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

कठूमर क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

315. श्री गंगा सहाय (कठूमर): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र की जनता का प्रमुख धन्धा खेती व पशुपालन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस लम्बे चौड़े क्षेत्र में केवल एक पशु चिकित्सालय है जहाँ पर भी पशु चिकित्सक नहीं बल्कि एक कम्पाउन्डर ही है ?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र के विस्तार तथा पशुपालन उद्योग को बढ़ाने की दृष्टिकोण को सामने रखते हुए एक छोटी डिस्पेन्सरी खेड़ली में खोलने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र में कठूमर में एक पशु औषधालय हैं ।

(3) खेड़ली में लघु पशु औषधालय स्थापित करने के आदेश शासन ही दे सकता हैं ।

कर्मचारियों का स्थायीकरण

316. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि भेड़ व ऊन विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया है ? यदि हां, तो किन किन का ? विवरण सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) स्थायीकरण में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

(3) भविष्य में स्थायीकरण के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी और कब तक सारे कर्मचारियों का स्थायीकरण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, विवरण संलग्न हैं।

(2) नियमानुसार।

(3) नियमानुसार किया जावेगा यथाशीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

भेड़ व ऊन विभाग में की गई पदोन्नतियां

317. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सरकार के ध्यान में यह बात आई थी कि भेड़ व ऊन विभाग में की गई पदोन्नतियां गलतरूप से की गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी पदोन्नतियां गलत की गई थीं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या उक्त पदोन्नतियां जो गलत रूप से कीं उनमें किसी अधिकारी को भी दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो किस को और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त पदोन्नतियों में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो किन किन के स्थान पर किन किन को पदोन्नत किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता :

(3) नवीन वेतन मान 1969 के अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना की गई आदेश की प्रतियां संलग्न है।

पूरक टिप्पणी

विभागीय पदोन्नतियां राज्य सरकार के ध्यान में रही है। इनमें गलत रूप में पदोन्नति का कोई मामला नहीं हैं।

किस अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। नवीन वेतन मान 1969 के अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई थी। परिवर्तन से संबंधित आदेश की प्रतियां संलग्न हैं। श्रीनारायण सिंह, निरीक्षक, जो कि ऊन वर्गीकरण के विदेश से प्रशिक्षण प्राप्त किया है को तदर्थ रूप से 180-425 ग्रेड से 225-800 वेतन मान के ऊन वर्गीकरण अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था परन्तु उक्त पद 500-1000 वेतनमान में परिवर्तित होने के कारण श्री नारायणसिंह को पदोन्नत कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

नागौरी कैटल ब्रिडिंग फार्म

318. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार नागौरी कैटल ब्रीड को मिक्स करने का इरादा रखती है एवं क्या

Page No 43

(श्री रामसिंह कुड़ी)

इसी इरादे से नागौर कैटल ब्रीडिंग फार्म में कोई कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

वैद्यों की वरिष्ठता सूची

319. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वैद्यों की दिनांक 6·9·1957 को तथा दुबारा 15-10-1967 को विभाग द्वारा सीनियोरिटी लिस्ट तैयार की गई थी ? यदि हां, तो दोनों कि प्रति सदन की मेज पर रखें तथा उनकी वेतन शृंखला भी अंकित करें।

(2) क्या यह भी सच है कि श्री हरिनारायण शर्मा को भी उपरोक्त लिस्ट को ध्यान में नहीं रखते हुए प्रमोशन दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सच है कि श्री हरिनारायण शर्मा को विशेष अलाउन्स के रूप में 100/-रुपया प्रति माह फैमिली प्लानिंग के नाम से दिया जाता है।

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 6·9-1957 को वैद्य हकीम ग्रेड तृतीय (सी श्रेणी) तथा दिनांक 15-10-66 को वैद्य/हकीम (बी श्रेणी) की सीनियोरिटी लिस्ट तैयार की गई थी। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। वेतन शृंखला प्रसारित सूचियों में पहले से ही अंकित हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ग्राम उदयपुरिया में औषधालय की मांग

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत उदयपुरिया ने ग्राम उदयपुरिया में औषधालय खोलने की मांग एक लम्बे समय से कर रखी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

उत्तर

जी हां। वर्ष 1971-72 में नये औषधालय खोलते समय विचार किया जावेगा।

औषधालय भवन कैथून

321. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कैथून ग्राम के लोगों द्वारा करीब दस हजार की लागत का एक औषधालय भवन बनाकर विभाग के सुपुर्द किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि अब किसी अकस्मात कारण से यह इमारत जीर्ण हो गई है ? और इसी साल बरसात में गिर जाने का भय है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार अब तुरन्त उसे ठीक कराने का विचार रखती है ?

आयुर्वेद मंत्री
उत्तर

(1) वैधानिक विधि से भवन विभाग को अभी सुपुर्द नहीं हुआ है।

(2) भवन की क्षति हुई है।

(3) ग्रामवासियों से आवश्यक मरम्मत करवाने का अनुरोध किया गया है।

स्थगित प्रश्न

(31-3-71)

कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

178. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जयपुर तहसील द्वारा किन किन व्यक्तियों की कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में अब तक नोटिस जारी किये गये और उनमें क्या प्रगति हुई? सूची मय नाम, पते एवं नोटिस देने की तारीख व भूमि का क्षेत्रफल आदि सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जयपुर तहसील में 980 व्यक्तियों की कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में अब तक नोटिस जारी किये गये उनकी सूची मय नाम, पते व नोटिस देने की तारीख तथा भूमि का क्षेत्रफल सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

राणावत आयोग के अनुसार पटवारियों को मिलने वाला लाभांश

97. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राणावत आयोग के अनुसार जिन पटवारियों की सेवा से अवकाश ग्रहण की अवधि 10 वर्ष रह गई उन्हें भी एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो कितने पटवारियों को यह लाभ दिया गया है और यदि नहीं दिया गया है, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, ऐसे 593 पटवारियों को यह लाभ दिया जा चुका है तथा 75 पटवारियों को अभी यह लाभ नहीं दिया जा सका है। क्योंकि कुछ को वेतन स्थिरीकरण के समय एक वेतन वृद्धि वेतन से अधिक का लाभ होना कुछ का सेवा अभिलेख अपील आदि में होना तथा कुछ का सेवा अभिलेख अन्य जिलों से प्राप्त न होने के कारण विचाराधीन है। उपरोक्त सूचना में जिला सवाई माधोपुर की सूचना सम्मिलित नहीं है क्योंकि वह प्राप्त नहीं हो सकी है।

स्थगित प्रश्न

(31-3-71)

अतिक्रमण करने वाले काश्तकारों के कब्जे की भूमि का नियमन

173. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि 31 दिसम्बर, 1967 तक के अतिक्रमण करने वाले

(श्री रामचन्द्र आर्य)

2 लाख काश्तकारों के कब्जे की भूमि को रेगुलराइज कर दिया जावे ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों के कब्जे नाजायज करार दिये गये और उन काश्तकारों में से कितने के रेगुलराइज किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के अतिक्रमी काश्तकारों की भूमि बारानी क्षेत्र में ही है ? यदि हां, तो नहरी क्षेत्र के काश्तकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि नहरी क्षेत्र में जिन काश्तकारों को अतिक्रमी घोषित किया गया है, उनके कब्जे की भूमि उनके पुराने कब्जे की है ? यदि हां, तो उनके साथ ऐसा वर्ताव किस कारण से किया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में भूमिहीन व कम जमीन वाले काश्तकारों के कब्जे में सरकारी भूमि काफी सालों से है और उन काश्तकारों पर अनापशनाप तावान-मी कायम किया हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रकार से कुल कितने काश्तकार हैं और उनके कब्जे में कुल कितनी एकड़ भूमि है ?

(5) क्या यह सही है कि काफी तादाद में इस प्रकार के नाजायज कब्जों के बारे में मुकद्दमे चल रहे हैं ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों के विरुद्ध मुकद्दमें राज्य सरकार व सम्बन्धित तहसीलदारों व एस. डी. ओ. की अदालतों में चल रहे हैं ? क्या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के मुकद्दमों को समाप्त कर उनके कब्जों का रेगुलराइजेशन करने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस रूप में और नहीं तो क्यों ? समस्त चल रहे मुकद्दमों की तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधानसभा ने अजमेर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों द्वारा काम रोको हड़ताल के कारण दिनांक 8-4-71 से नगर की सफाई ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने जिला श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर तहसील की समेजा नहर में पानी नहीं छोड़ने से 100 ग्रामों में पेयजल संकट उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा ने ग्राम सिमारला पीरान तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर के 30 कृषकों द्वारा एस्टीमेट का 75 प्रतिशत ऋण के रूप में विद्युत मण्डल में जमा कराने पर भी कृषि के लिए कनेक्शन न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

Page No 46

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर जिले में चेचक फैल जाने से हजारों की संख्या में बच्चों व नौजवान चेचक से पीड़ित होने तथा दवाई व डाक्टरों का इन्तजाम न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री दौलतराम सारण व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने चूरू जिले के कई गांवों में चेचक के प्रकोप से कई बच्चों को मौत हो जाने तथा उस जिले के कई गांवों में व्यापकरूप से लोग बुखार व खांसी से पीड़ित होने तथा उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स कम्पनी के मालिकों द्वारा 16-4-71 से तालाबन्दी कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(7) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा ने छोटी खाटू काण्ड के श्री चैनाराम सहित 14 अपराधियों का पुलिस द्वारा 12-4-71 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, डीडवाना की अदालत में चालान प्रस्तुत करने, तथा मुलजिमान की जमानत करवाते समय मुलजिमान के फरार हो जाने व उनकी गिरफ्तारी न होने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(8) श्री भैरोंसिंह शेखावत व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर में पिछले तीन दिन से रिक्शा चालकों के एक प्रतिनिधि ने रिक्शा चालकों की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। राज्य जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : कोई नहीं है जानकारी।

श्री अध्यक्ष : इनके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री चुन्नीलाल इंदलिया व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें बीकानेर जिले की नोखा के ग्राम लालमदेसर बड़ा के कुआ ढ़ह जाने से पेय जल की कठिनाई का उल्लेख किया गया है।

यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अत: मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक पेंडिंग स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी राज्य से जानकारी प्राप्त हुई है। इसका सम्बन्ध राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नवें डिवीजन छत्तरगढ़ में कुछ वर्क चार्ज कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा पीटे जाने से है। इसकी सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई थी। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अत: मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री बालसिंह सोढ़ा, पृथ्वीसिंह चौहान, श्री विजयसिंह व श्री डूंगाराम राजोरिया, सदस्य विधान सभा द्वारा गंगानगर, बाड़मेर जैसलमेर में पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को राहत पहुंचाने में सरकार की उदासीनता के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय पुनर्वास मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुए इस विषय में एक वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जयपुर मेटल्स और इलेक्ट्रिकल्स की तालाबन्दी के सम्बन्ध में जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है उस सम्बन्ध में आपने जानकारी मांगने के लिए व्यवस्था दी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो दिन के लिए सदन स्थगित हो रहा है, 19 को फिर मिलेगा, और यह मामला अत्यन्त महत्व का है, जयपुर मेटल्स के मालिकों ने जबर्दस्ती छुट्टी कर दी, जबकि मजदूर कारखाने के अन्दर जा रहे थे और आज लॉक आऊट कर दिया, जबर्दस्ती मजदूर काम कर रहे थे लगातार, कुछ लोग हड़ताल पर थे, मालिकों ने आज नोटिस लगाया है और उसमें कहा है कि हमारी जान और माल को खतरा है। मुझे आश्चर्य है यह सरकार इस प्रकार की व्यवस्था में लॉ एण्ड आर्डर मेन्टन नहीं कर पाई-इसकी वजह से लोक आउट करा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है, वह लोक आउट ऐसी सूरत में कर सकता है जिससे कि काम बन्द हो जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! मैंने तो आपसे निवेदन किया है कि आज ही मैं जानकारी इस सम्बन्ध में ले रहा हूं, इस पर चर्चा उठाना व्यर्थ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि दो दिन की छुट्टी हो जायगी। मैंने काफी सवेरे आठ साढ़े आठ बजे इसकी सूचना दे दी थी। यह सूचना यहीं की यहीं गेदर की जाने की थी, जो गेदर की जा चुकी है। मेरा निवेदन है कि लोक आउट लिफ्ट होना चाहिए। यह लोक आउट लिफ्ट होना चाहिए आज ही क्योंकि जबर्दस्ती मिल मालिक ने मिल कर, कुछ मजदूरों के कोलोबोरेशन, से लोक आउट किया है और यह मजदूरों के खिलाफ हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्री जी मौजूद हैं वह कह सकते हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं कर पाये है, मिल में झगड़ा नहीं हुआ है और कोई इन्सिडेन्ट नहीं हुआ है, केवल वहां कुछ मजदूरों से मिल कर बन्द करना चाहते हैं और यह साजिश रची गई है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, कुछ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं ?

स्थगन प्रस्ताव पर गृह मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक लोक आउट का प्रश्न है उसके लिए तो मैंने लेबर कमिश्नर से कहा है वे लेबरर्स की सम्बन्धित पार्टीज से बातचीत करके कुछ आपस में फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एण्ड

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऑर्डर की सिचुएशन के मुतल्लिक यह बात सही है कि सी.पी.एम. लेबर यूनियन ने परसों के रोज कुछ करने की कोशिश की थी इस सिलसिले में 48 आदमी गिरफ्तार हुए लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए सरकार बिल्कुल सक्षम है। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, मगर जो एम्प्लायर्स हैं उनका कहना यह है कि सी. पी. एम. यूनियन वाले अन्दर आकर झगड़ा करेंगे। यह बात सही है। उन्होंने अपने इरादे का इस बात में ऐलान किया था कि सी. पी. आइ. के दूसरे लोग अन्दर जाकर यदि काम करने जायेंगे तो हम भी जायेंगे और अन्दर झगड़ा करेंगे। इससे जो एम्प्लायर्स हैं उनको इस बात का डर पैदा हो गया कि अन्दर जाकर शायद वे लोग मशीनरी वगैरह को खराब कर दें, डेमेज कर दें, या और कोई उपद्रव कर दें। इस डर से उन्होंने लोक आउट कर दिया है, हालांकि हमने इस बात के लिए आश्वासन दिया था कि अगर जरूरत होगी तो अन्दर पुलिस का इन्तजाम रखेंगे ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ न होने पावे। अब लोक आउट की लीगेलिटी, इल्लिगेलिटी के लिए लोक आउट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था— इसको लेबर डिपार्टमेंट अलग डील कर रहा है। जहां तक लॉ एण्ड ऑर्डर का प्रश्न है, लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए हम सख्ती के साथ मेन्टेन करेंगे, किसी पार्टी को किसी तरह की गड़बड़ी करने का मौका नहीं देंगे-मैं यह विश्वास दिलाता हूं। रहा सवाल इस बात का कि दो यूनियनों का आपस में झगड़ा है और एक यूनियन दूसरी यूनियन के साथ बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। यह नाजुक मसला है, जिसका लेबर डिपार्टमेंट डील कर रहा है। मेरे खयाल में कल तक, या आज शाम तक लेबर डिपार्टमेंट कोई फैसला कराने में सफल हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी रिपोर्ट की थी, आपसे सहायता मांगी थी अन्दर के लिए ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पर्याप्त हुआ !

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री भैरों सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक एडजोर्नमेंट जो कई बार इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसमें दो प्रक्रियायें आप पूरी करते हैं, पहले दिन आपकी तरफ से यह आदेश दिया जाता है, इस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी चाही गई है, दो तीन दिन के बाद, जानकारी के बाद यह निर्णय किया जाता है कि अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब एडजोर्नमेंट मोशन अस्वीकार कर दिया जाता है उस समय तक आपत्तिजनक स्थिति बनी हुई रहे, वह इसलिए बनती है, जैसी सदन को जानकारी होगी, अध्यक्ष महोदय, छोटी खाटू के काण्ड के अपराधियों को गिरफ्तार करने में राजस्थान की पुलिस बिल्कुल सक्षम नहीं रही है, इसलिए इस सदन में मांग की गई थी कि इस मामले को सी. बी. आइ. को दे दिया जाय, इसलिए दिया जाय कि मंत्री-मण्डल के वरिष्ठ सदस्य अपने प्रभाव से पीछे बैठकर लोकल पुलिस को, पुलिस अधिकारियों को काम नहीं करने देते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस समय केस रजिस्टर किया गया, उस समय डकैती की

(श्री भैरोंसिंह)

धारायें लगायीं गई, जो नान बेलेबल हैं, लेकिन प्रभाव के आगे झुक कर पुलिस ने धाराओं में परिवर्तन कर दिया और ऐसी धारायें लगाई जिनमें जमानत हो सकती थीं उन धाराओं को लेकर जब प्रासीक्यूशन के लिए प्रोसीक्यूशन इन्सपेक्टर ने मुल्जमान को कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने स्वयं ने चार्ज-शीट का सब्जेक्ट देखकर कहा कि आपने जो धारायें लगाई, उचित नहीं हैं। इस सब्जेक्ट मैटर से जो जो धारायें बनती हैं वह नान बेलेबुल हैं, अगर जमानत कराना है तो अलग से एप्लीकेशन पेश की जाए और उस पर बहस करने का मौका दिया जाए उस समय पी. एस. आई. ने कहा इस समय बहस करने को तैयार नहीं तो दो दिन की मुहलत दी जाए। दो दिन की मुहलत मांगते ही मजिस्ट्रेट ने कहा इनको जुडीशियल कस्टडी में भेजा जाए और दो दिन के बाद बहस की जाए। ज्योंही जुडीशियल कस्टडी का प्रश्न आया, पैरोकार ने दो घंटे बाद बहस करने को कहा। दो घण्टे के बाद में आया। मुल्जिम फरार हो गए और मुल्जिमान ने कहा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट से न्याय की उम्मीद नहीं है। ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी। मजिस्ट्रेट ने ट्रांसफर एप्लीकेशन पर लिख दिया कि फाइल को कलेक्टर के पास भेजा जाए। मुल्जिमान सब फरार हो गए। पुलिस ने जब मुल्जिमान को कोर्ट के सामने पेश किया उस समय तक पुलिस ने मुल्जिमान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया चाहे जमानत लेती, चाहे गिरफ्तार करती लेकिन गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी नहीं की। उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट में जमानत हुई। पुलिस की कस्टडी में के रूप में मुल्जिम अदालत में पेश किए, कस्टडी में गए। इनके फरार होने के बाद में मुकदमा क्यों नहीं बनाया ? आज के दिन हालत यह हो रही है, बार २ इस प्रश्न को उठाने में मुझे भी शर्म आ रही है लेकिन अफसोस यह है कि आए दिन पत्र व तार आ रहे हैं कि जितने गवाह हैं उनको मौत का डर दिया जा रहा है, जबरदस्ती····

श्री अध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव आज आया है। आपने सारे प्रश्न का विवेचन अभी से प्रारंभ कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पर निर्णय आज ही दिया जाए और निर्णय दिया जाए तब चर्चा उठा सकते हैं। गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि यदि मैं इस पर वक्तव्य के आदेश दूं तो क्या आप इस स्थिति में है कि आप वक्तव्य दे सकेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी आज्ञा हो तो मैं वक्तव्य दे सकता हूं।

श्री मुकुट बिहारीलाल : क्यों ये इन्टरेस्टेड थे कि जमानत इनकी हो ही। इसका मतलब प्रासीक्यूशन······

श्री अध्यक्ष : अभी तो प्रश्न ही नहीं आया है। मैं गृहमंत्री से कहूंगा कि वह वक्तव्य दें। उसके बाद आप चर्चा उठाएं।

स्थगन प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक छोटी खाटू के मुकदमे का प्रश्न है, मैं सबसे पहले अर्ज करना चाहता हूं कि यह मुकदमा सबजुडिस है। यह मुकदमा अदालत के अन्दर पेश हो चुका है। यह मुकदमा सेशन्स कोर्ट के अन्दर मुल्जिमान के दरख्वास्त पर गया और मुल्जिमान को सेशन्स कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मुकदमा सबजुडिस है, उस पर डिटेल में बहस सदन में होना नामुनासिब है······

Page No 50

श्री विजयसिंह : आपका गला दबा हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं दबा हुआ है।

श्री मदनसिंह : वह धमकियां दे रहा है, किसी न किसी को मारेगा।

श्री विजयसिंह : हमारा दबा हुआ नहीं है। गृहमंत्री जी अपने काम में फैल हो चुके हैं लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने में, आपके वरिष्ठ मंत्री का...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : मामूली सदस्य...

श्री अध्यक्ष : सदन के सामने सीरियस मामला है, इसको नान-सीरियस मत करें।

श्री विजयसिंह : यह नान-सीरियस मामला नहीं है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : होम मिनिस्टर इज..

श्री अध्यक्ष: वक्तव्य आ रहा है डिस्टर्ब न किया जाए।

श्री विजयसिंह : विवेचन का सवाल नहीं है। What is the sense of being a Home Minister ? This is not the way...

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक मुकदमे का सवाल है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का सवाल है, माननीय सदस्य ने जो कहा कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, यह बात सही नहीं है। यह मामला सत्र न्यायालय में चला गया है तथा मुलजिमों की दरख्वास्त पर वहां उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने उन्हें बाकायदा गिरफ्तार किया था तथा कोर्ट की आज्ञा से जमानत पर रिहा किया था। ये लोग जमानत के मुताबिक अदालत में आ गये परन्तु मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश नहीं दिये थे। अदालत ने बयानात जो दफा 164 जा० फौ० पढ़ने के बाद निर्णय लेना चाहा और इसके लिए मुल्जिमान को बाहर बैठने को आदेश दिए। अतः वे बाहर चले गये और फिर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर नहीं हुए। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके खिलाफ वारन्ट भी जारी किया था जिसके खिलाफ मुलजिमों ने सत्र न्यायालय में अर्जी देकर जमानत करा ली। अदालत ने मामला जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिया जहां से जिलाधीश ने पुनः कार्यवाही के लिये इसे अदालत के लिए लौटा दिया।

इसका कॉग्नीजेन्स नहीं लिया है। कलेक्टर ने वापस मुकदमे को, जहां तक मेरी जानकारी है, मजिस्ट्रेट के पास यह कहकर भेज दिया है कि काग्नीजेन्स ले लिया जावे, कार्यवाही की जाए। दूसरी तरफ मुल्जिमान सेशन्स कोर्ट में चले गए और सेशन्स कोर्ट से एण्टीसिपेटरी बेल, जमानत 15-15 सौ या 2-2 हजार की हो गई है और वह जमानत पर रिहा हैं। मुकद्दमा जेरे तहकीकात है, मजिस्ट्रेट के पास में है। इससे ज्यादा इसके मेरिट्स डीमेरिट्स में पड़ना, मेरे ख्याल से, उन पर बहस करना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि मुकदमा सब्जुडिस है। इससे अधिक मैं कहने को तैयार नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस ने मुल्जिमान की जमानत किस तारीख को ली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मुझे याद नहीं है जमानत मुकदमा पेश हुआ, उससे एक दिन पहले हुई।

श्री विजयसिंह : गृहमन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छोटी खाटू का कांड हुआ उस पर स्थगन प्रस्ताव आया था आपने फरमाया था कि मुकदमा 395 व 452 पर दर्ज किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : 395 या 302 में दर्ज हुआ है लेकिन आखिरी नतीजा तफतीश से जो जरायम काबिल होता है, इन्वेस्टीगेटिंग ऑफीसर को अधिकार है उसमें तबदील करने का।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मजिस्ट्रेट ने फाइल को देखने के बाद पी० एस० आई० से कहा कि जिन धाराओं के तहत चालान पेश किया गया है वह सही नहीं है बल्कि केस के सबजेक्ट मैटर को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि इसके आधार पर धारा 394 के अन्तर्गत केस तैयार किया जाना चाहिए था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यही तो सवाल है। मुद्दे की बात की जानकारी नहीं है, बाकी सब चीजों की जानकारी है। यह जानकारी आपको है कि धाराओं में किस प्रकार से परिवर्तन किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत आवश्यक बात है, मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह धारा में तबदील करके चार्जशीट में कोई भी धारा लगा सकता है। मजिस्ट्रेट के लिए यह पी० एस० आई० को कहना जरूरी नहीं था कि तुमने यह धारा क्यों लगाई। मान लीजिए यदि उन्होंने गलत धारा लगाई है तो मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वे जो उपयुक्त धारा समझें यानि 383 या 384 उसे वे लगा सकते हैं। पुलिस की इन्वेस्टीगेशन का जो नतीजा निकला जिस धारा के तहत चालान देना मुनासिब समझा वह उन्होंने दे दिया, वाकयात सबके सामने हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मुकदमे के मैरिट्स पर बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि एफीडेविट्स, काउंटर एफीडेविट्स, स्टेटमेंट्स काउंटर स्टेटमेंट्स कइयों के हो चुके हैं और पार्टीज गवाहों पर इस बात के लिए दबाव दिलाकर बयानात अपनी मर्जी के मुताबिक करवाना चाहती हैं, उधर दूसरी पार्टी गवाहों से दूसरी तरह के बयानात कराना चाहती है। इसलिए सारा मामला अदालत के सामने है, अदालत फैसला करेगी कि आया जमानत के काबिल है या नहीं, जुर्म साबित हुए या नहीं, प्राइमा फैसी केस बनता है या नहीं, कौनसी दफा लगाई जाए, इस पर यहां बहस करना नामुनासिब है। किसी भी लेजिस्लेचर के अन्दर संसद के अन्दर जो मुकदमा सब्जुडिस होता है उसके मैरिट्स पर बहस नहीं होती है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार बावरियों और रेगरों के साथ नहीं है बल्कि उन अपराधियों के साथ है जिन्होंने बावरियों और रेगरों को मारा, जिनके घर नाश कर दिये, जिनके जेवर

(श्री भैरोंसिंह)

जबरदस्ती उतरवा लिए, मारपीट करके गांव से निकाला, आज वे लोग गवाहों को आतंकित कर रहे हैं। अगर यह सर्टीफिकेट लेना चाहते हैं तो सदन को निःसंकोच होकर यह सर्टीफिकेट दे देना चाहिए कि आप मुल्जिमान के साथ हैं, आप साधारण जनता के साथ नहीं हैं।

आप कह सकते हैं कि पुलिस ने जिस प्रकार की इन्वेस्टीगेशन की उसके आधार पर जो जुर्म बना, कोर्ट में चालान पेश कर दिया, मैं समझता हूं कोई वकील या कोई भी सरकार और गृह मन्त्री यदि थोड़ा बहुत भी दिल सच्चा है तो उससे ऐसा अन्दाजा लगायें, उनकी आत्मा कहेगी की हमने इन मुल्जिान को बचाने के लिए जो भी कारस्तानी की जा सकती है, वह कारस्तानी की है। आप कहते हैं कि एक साइड दूं और दूसरा साइड गवाहों के बयानात बदलवाने की कोशिश कर रहा है मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरा साइड कौन है ? जिन लोगों को मारा, जो गांव में नहीं पहुंच सकते, जिन लोगों के घर नाश हुए, जिन लोगों के जेवरात उतारे गए, जिन लोगों के जेवर उतारे, जिन लोगों की रोटी छीन ली, जिनका रोटी का साधन नहीं और आप कहते हैं कि दूसरा साइड बयान बदलवाने की कोशिश कर रहा है। बल्कि हालत यह है कि जिस बावरी के मकान में मरने की बात मैंने कहा जिसके लिए सरकार ने कह दिया कि यह आदमी मकान में नहीं मरा, सम्बन्ध के एक आदमी ने नागौर में जाकर पुलिस में बयान करवाया कि हमने एक व्यक्ति मकान में मरा हुवा देखा जिसके बारे में आरोप लगाया कि उस व्यक्ति को पीट कर उठाकर जबरदस्ती ले गये और फिर उनके बयान करवाए कि मैंने जो पुलिस में बयान दिया वह गलत है।

माननीय गृह मन्त्रीजी आपको कहता हूं खाटू में जैसी स्थिति है, आप जैसे राजस्थान के गृह मंन्त्री और राजस्थान के सारे मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों को भी चेनाराम के सुपुर्द कर दिया जाय तो जो बीस वर्षों में पैसा खाया है वह एक एक पाई आप से वसूल कर लेगा। साधारण जनता में चेनाराम का आतंक छाया हुआ है। पाली जिले में एक आदमी का एक राजपूत ने साफा उतार दिया। यही राजस्थान की सरकार जिसने 395 का उस पर मुकद्दमा चलाया इस कारण कि वह राजपूत है। साफा गिर गया। भगवान जाने उसने उठाया या नहीं उस पर 395 का केस रजिस्टर करके उसको गिरफ्तार करने लिए पुलिस घूम रही है। राजस्थान के गृहमंत्री बन कर आप न्याय करने को बैठे हो या गरीबों को मारने के लिए ? राजस्थान के गृह मन्त्री बन कर बैठे हो और गरीब आदमी लुट रहे हैं। आपको इसलिये नहीं गृह मन्त्री बनाया गया है कि राजस्थान के गरीबों को लुटने दिया जाय। चालान करने की बात होती है 395 में। 307 में गिरफ्तार किया जा सकता था। चेनाराम डीडवाना में प्रधान बन कर बैठा है और वही चेनाराम के रूप में यहां राजस्थान के वित्त मन्त्री मथुरादास माथुर सीनियर चेनाराम बन कर बैठे हैं और चेनाराम के रूप में नाथूरामजी मिर्धा लोक सभा में बैठे हैं। गृह मन्त्रीजी आप और मुख्य मन्त्रीजी चुप बैठे हो और गरीबों को लूटा जा रहा है और आप अदालत की शरण लेकर मामले को दबाते हो तो हम

(श्री भैरोंसिंह)

भी इसका मुकाबला करेंगे । लॉ एण्ड आर्डर को हमको भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा और उसके लिये हम संघर्ष करेंगे । जब राजस्थान की पुलिस और राजस्थान का गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री लोगों के जान माल की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है । राजस्थान की पुलिस, राजस्थान का होम मिनिस्टर और राजस्थान का मुख्य मन्त्री इतने निकम्मे हैं कि वे लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमें अपने तौर पर इन चीजों की रक्षा करनी पड़ेगी । गांवों के लोग खुद अपनी रक्षा करेंगे आपकी धौंस में अब आने वाले नहीं हैं । लोगों को मार रहे हैं लोगों की जमीन जायदाद और जेवर छीने जा रहे हैं····

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कौन मार रहे हैं यह सामने आना चाहिये ।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : आप बाड़मेर में क्या करवा रहे हो ?

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर में बराबर चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, पुलिस है नहीं, कुछ करती नहीं आपके समर्थक हैं जो चोरियां करवा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको चैलेन्ज करता हूं । आपके समर्थक ये जो चोरियां करवा रहे हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : डकैतियां की चोरियां कीं और उनको कभी सजा नहीं हुई इसलिए हौसले बढ़ रहे हैं ।

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह : (शोरगुल में अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ··· × ×

श्री भैरोंसिंह······ × × ×

श्री प्रेमसिंह सिंघवी······ ×××

श्री अध्यक्ष : यस ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि वे एक भी इन्स्टान्स दे सकते हैं किसी ने स्मगलिंग किया हो ओर कोई भी अपराध किया हो और उसको बचाया हो ? क्या आप एक भी इन्स्टान्स दे सकते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दे सकता हूं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: होश में होकर कहिये ।

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : अभी मैं शून्य में हूं ।

श्री भैरोंसिंह : एक चीज बता दें चोरों के लिये और उनको छुड़ाने के लिये कभी कोई पैरवी की हो । वृद्धिचन्द्रजी ने कहा था कि बाड़मेर में चोरियां हो रही हैं, अमुक

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

(श्री भैरोंसिंह)

आदमी ने मवेशी चुराली तो मैंने वृद्धिचन्द्रजी से कहा कि चलो होम मिनिस्टर के पास चल कर कहें कि इस प्रकार की चोरियां हो रही हैं, उनको इसके लिये रोकथाम करनी चाहिये। उन्हें मैंने कहा कि मैं उनको मदद देने के लिये तैयार हूं। किन्तु मुझे खेद है कि वृद्धिचन्द्रजी जैसे आदमी खड़े होकर कहें कि मैं चोरों का सहयोग दे रहा हूं। मैंने सदन में कभी नहीं कहा कि चोरों का वृद्धिचन्द्र जी साथ देते हैं लेकिन हालांकि बाड़मेर के सारे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि वृद्धिचन्द्र जी चोरों का सहयोग देते हैं····

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: माननीय सदस्य को सारा बाड़मेर क्षेत्र जानता है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

माननीय श्री सिंघवी। स्थान ग्रहण करें। चेयर प्रोन लेग्स। स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य दांता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पचास हजार खा गये, स्मगलिंग करते हैं····

(अश्रव्य शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री मदन सिंह।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय,····

श्री प्रेमसिंह सिंघवी। मुझ से कह रहे थे—

श्री मदनसिंह : बड़े अफसोस की बात है कि भैरोंसिंह जी ने साधारणत: सही रूपक अदालत में हुआ वह पेश किया कि दो घंटे पैरोकार ने मांगे, आप दो घंटे का रेस्ट करते हैं और बीच में मुल्जिम चले गये। चले गये, होम मिनिस्टर गारन्टी लेते हैं आगे से पुलिस नहीं होने देगी। क्या आप गारन्टी लेते हैं? रात को घरों में जाकर लोगों को दबाते हैं। भैरोंसिंहजी ने आरोप लगाया कि चेनाराम को बचाने के लिये पेशबन्दी चल रही है। सवाल चेनाराम का चला था। केवल भैरोंसिंह जी शेखावत ने एक राजपूत का साफा उतारने की मिसाल दे दी और एक कम्युनिटि को दर्द हो गया। हमने डाकुओं का मुकाबला किया था और राजपूत डाकुओं को भी हमने मारा जहां कि आपकी पुलिस नहीं पहुंची। आपके इलाके को छुड़ाया। आप जाति के आधार पर यहां न कहें।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन सिंह : हम होम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं कि क्या वहां के नागरिक सुरक्षित हैं? हम इस सवाल को बन्द कर देंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरे ऊपर चार्ज लगाया वह असत्य है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन। हम दबने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित कुछ भी न हो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 55

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : × × ×

श्री बिरदाराम : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिरदारामजी आप भी स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य शांता (उनके उठने पर) स्थान ग्रहण करें।

माननीय बिरदाराम जी आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बिरदाराम : × × ×

श्री मदनसिंह : × × ×

श्री बिरदाराम : × × ×

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : × × ×

श्री गिरधारीलाल व्यास : × × ×

(विराम)

स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : —"" आर्डर प्लीज।

यह स्थगन प्रस्ताव माननीय भैरोंसिहजी ने रखा। उस सन्दर्भ में माननीय गृह मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया। माननीय शेखावत साहब ने भाषण के साथ साथ जानकारी के प्रश्न भी पूछे। अब मैं डिबेट तो नहीं चलाऊ कर सकता। मैं फिर भी समय दे सकता हूं थोड़ा प्रश्नों के रूप में कोई पूछना चाहे तो गृह मन्त्री जी से पूछ ले। इसके बाद इसको समाप्त कर दें।

जो आक्रोश सदन में पैदा हो रहा है वह आगे के समय पर आघात पहुंचाता है इसलिये शान्त मन से सन्तुलित मस्तिष्क से काम लिया जावे और इसे समाप्त किया जावे।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : मेरा प्रश्न है कि वहां के आठ आदमी से जनता सुरक्षित है क्या ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : वृद्धिचन्द्र जी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में जो चोरी या डकैती जो भी कुकृत्य करते हैं मेरे जीवन में मैं उनके विरोध में रहा हूं और ऐसी सूरत में मेरे पर यह चार्ज लगाना कि मैं डकैतों से मिला हुआ हूं और लूट का माल मैं लेता हूं यह बिलकुल मिथ्या चार्ज है। स्वयं भैरोंसिहजी जानते हैं कि यह मिथ्या चार्ज है।

कुछ भी अंकित न हो।

श्री भैरोंसिंह : और आप यह भी जानते हैं कि मेरे पर आपने जो चार्ज लगाये हैं वे भी सही नहीं हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 56

(श्री भैरोंसिंह)

मेरे लिये भी उन्होंने कहा वह सही है क्या ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर

वृद्धिचन्द्रजी ने जो कहा वह भी मिथ्याचार है और इन्होंने जो कहा यह भी मिथ्याचार है। दोनों मिथ्याचार। दोनों समाप्त करिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरा कथन मिथ्याचार नहीं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अगर ऐसा है तो डकैतों और डकैतियों के बारे में जानते हुए भी वृद्धिचन्द्रजी ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की ? डाकुओं की बात छिपाना यह भी अपराध है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने यह कहा था कि भैरोंसिहजी के चुनावों में जो समर्थक थे उनके वे समर्थक इन चुनावों के बाद में बाड़मेर जिले में ऊंटों की चोरियां कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये शब्द कहे थे और ये शब्द अब भी कह रहा हूं। ऊंट की चोरियां हो रही हैं और वे भैरोंसिहजी के समर्थक रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भैरोंसिहजी ही वे चोरियां करवा रहे हैं। ये शब्द मैंने कहे भी नहीं, प्रोसीडिंग्स उठाकर देखी जा सकती है। भैरोंसिहजी के समर्थक कर रहे हैं यह कहा है केवल।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : चोर किसी के समर्थक नहीं होते और चोरी को वे समर्थक ही हैं यह इल्जाम आपको कैसे हो गया ? कांग्रेस वाले चोरी नहीं करते क्या ? या कांग्रेस के समर्थक चोरी नहीं करते क्या? बहुत से चोरों ने भी कांग्रेस को वोट दिये होंगे। यह क्या बात हुई ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री बालसिंह सोढ़ा : जो लोग सरे आम स्मगलिंग करते हैं, डी. आई. आर. में जो पकड़े गये उनको वृद्धिचन्द्रजी ने छुड़ाया।

श्री विजयसिंह : ये करप्ट हैं तो फिर।

श्री भगवान दास शास्त्री : स्मगलर हैं। स्मगलरों को छुड़ाते हैं। उनकी पैरवी करते हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं स्मगलरों के कट्टर खिलाफ रहा हूं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : होम मिनिस्टर हैं वे उनके साथ आये गये कि नहीं ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

ये देशद्रोहियों से, स्मगलरों से सबसे मिले हुए हैं। बातें करते हैं यहां।

(शोरगुल)

श्री कृष्णकुमार गोयल : 65 के अन्दर पाक आक्रमण हुआ। इसमें जिन देशद्रोहियों ने पाकिस्तान के सिपाहियों और सैनिकों को हमारे देश में रास्ता दिखाया

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

और फिर जो पाकिस्तान जाकर बस गये और फिर यहां आने की हिमाकत की। उनको क्या आपने यहां वापिस बसाने में मदद नहीं की। वे देशद्रोही हैं और उनकी मदद करना भी देशद्रोहिता है। आपको शर्म आनी चाहिए उन देशद्रोहियों का पक्ष लेते।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप देशद्रोही हैं। देशद्रोहियों को बचाते हैं। उनका पक्ष लेते हैं।

(शोरगुल: अश्रव्य)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्यों बताया क्योंकि यह स्मगलिंग का सारा धन्धा उनकी मार्फत उनके द्वारा होता है। सोने के टुकड़े और दूसरी दूसरी चीजें स्मगल होती हैं। यह सब आपकी जानकारी में हो रही है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक स्थगन प्रस्ताव उपस्थित हुआ। उस पर गृहमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दे दिया। अब उसमें से बाड़मेर की चोरी भी निकल पड़ी और कुछ भी निकल पड़ा......

श्री विजयसिंह : और उसमें से नाहर भी निकल पड़े।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अब एक दूसरे के खिलाफ चार्ज लगावें यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। अब भी भगवान के नाम पर अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वे शान्ति सुलह का रास्ता अपनावें। गरिमा के खिलाफ रास्ता तो नहीं अपनावें।

श्री अध्यक्ष: वह रास्ता नहीं अपनावेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन करूंगा सदन की गरिमा के लिये प्रतिष्ठा और इज्जत के लिये एक दूसरे पर चार्ज लगाना छोड़ें। बाहर ही जगह बहुत है इसके लिये। सदन की गरिमा कायम रक्खें और अध्यक्ष महोदय ने जैसा आदेश दिया है उस के अनुसार कोई प्रश्न पूछना हो पूछें।

श्री मदनसिंह : मैंने दो प्रश्न पूछे थे। क्या वहां की जनता आठ आदमियों के बाहर रहने से सुरक्षित है ?

श्री अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न पूछा वह याद है गृह मन्त्री जी को।

श्री किशनलाल शाह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो वक्तव्य दिया गया उससे लगता है दो पक्ष हैं। एक पक्ष सरकारी है और दूसरा चैनारामजी का। दोनों तरफ से प्रयत्न किया जा रहा है बयान दिलाने का। वे बयान देने वालों को धमकाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार की यह नौलेज में है कि मुल्जिम रिकार्ड को और गवाहियों को टेम्परविथ करना चाहते हैं। ऐसी हालत हो तो यह नान बेलेबल है न्यायालय का फैसला है कि ऐसे मुल्जिमों की जमानत कैंसिल की जा सकती है। क्या आपके पी. पी. ने अदालत में दर्खास्त दी कि मुलजिमान गवाहान को टेम्परविथ कर रहे हैं, धमका रहे हैं इसलिए उनकी जमानतें कैंसिल की जावें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत साधारण तरीके से जो सही स्थिति थी छोटी लाट्ट की वह बताई। मैं माननीय सदस्यों को यह अर्ज करना

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाहता हूं कि कम से कम सदन में इस तरह का वातावरण न बनावें कि वे कोई राजपूत-वाद या जाटवाद को समर्थन दे रहे हैं और कोई किसी की चोरियां करवा रहा है। इससे आपस में बड़ी कटुता पैदा होगी। और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इस मुकदमे के लिये भैरोंसिहजी ने जो यह कहा कि मैं किसी के असर में आकर के कार्यवाही कर रहा हूं यह निराधार है मैं विश्वास दिलाता हूं और निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं अपने महकमे के अन्दर अपना डिस्क्रिशन इन्डीपेन्डेन्ट रूप से ऐक्सरसाइज करता हूं और चाहे कोई वरिष्ठ मंत्री हो चाहे और कोई हो मैं उसके दबाव के अन्दर नहीं आता हूं। जिस दिन देखूंगा कि मैं अपने महकमे के अन्दर इन्डीपेन्डेन्ट रूप से कार्य नहीं कर सकता हूं उस दिन मैं इस पद को छोड़ दूंगा। मेरा निवेदन है कि आप बदले की भावना से बात न करें। मैंने साफ कह दिया है कि जो बयानात एकजायी रिपार्ट में है, जो आपके बयानात में है, अगर पुलिस ने उनको चालान में नहीं लिखा है तो आप कह सकते हैं। रहा सवाल पुलिस की तफतीश का तो यदि यह समझता है कि यह कोई जुर्म नहीं हुआ, डकैती नहीं हुई बल्कि एक्स्टरशन हुआ तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बात नहीं है। यह तफतीश का नतीजा है। जेवर ले गया वह कोई थर्ड परसन है, इन्टीमीडिशन हुआ, दूसरे आदमियों ने किया और दूसरे आदमी हैं, तो यहां पेचीदा कानूनी सवाल है। इसके अन्दर पुलिस ने अगर एक्स्टोरशन को समझ कर पेश किया तो उसके लिये कोर्ट है, सेशन जज है। उनकी वहां जमानत हो। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं और यह कहता हूं कि जो जमानत केन्सिल करने की बात है, तो जो जुर्म बनता है उसके ऊपर आप पैरवी कर सकते हैं, अदालत में पैरवी कर सकते हैं और पुलिस भी पैरवी करेगी। पुलिस की राय मे यह एक्स्टारशन ही रहा है और अगर अदालत के ख्याल के अन्दर डकैती का केस बनता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। मगर यह कहना कि जान बूझकर इसको एक्स्टोरशन का केस बनाया गया तो यह चार्ज ठीक नहीं है। मैंने भी मेरिट के बारे में कुछ नहीं कहा। माननीय भैरोंसिहजी के पास में यह जो सूचना है वह मेरे ख्याल से गलत है। उन्होंने यह कहा कि पैरोकार ने दो दिन की मोहलत ली। मजिस्ट्रेट खुद ने जब चालान पेश किया तो पहले यह कहा कि 181 के बयानात जो कलम बंद किये गये हैं नागौर के अन्दर, जो बयानात वहां कलम बंद किये गये हैं उनको पढ़ने के बाद ही इस चालान का कोगनीजेन्स लेऊंगा और यह सुनकर मुल्जिमान बाहर चले गये और वे 164 के बयानात को पढ़ने लगे। इस दौरान के अन्दर मुल्जिमान वहां से बाहर चले गये। मुल्जिमान हिरासत में नहीं थे, गैर जमानती थे और जमानत-नामा चालान के अन्दर शामिल था। अदालत को अख्तियार है कि जमानत होती है और हाजिर नहीं हो तो वारन्ट जारी करे और अदालत ने वारन्ट जारी कर दिये और उन्होंने मुल्जिमों को इस कानून के खिलाफ सेशन कोर्ट में जमानत दिए जाने की दरख्वास्त पेश कर दी। बहरहाल अदालत के जरिये एक अदालत से दूसरी अदालत में यह मामला चल रहा है। तो हर पहलू से यह मामला सबजुडिस है और यहां पर बात करना वाजिब नहीं हैं। मैं फिर नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि इस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मामले में उग्र न हो। श्री भैरोंसिहजी ने साफा बांधने की बात सदन में उठाई है, इसके बारे में आपने मा. मुख्य मंत्रीजी को पत्र भी लिखा है और एक पत्र मेरे पास भी पहुंचा है। मैं इस मामले की छानबीन कर रहा हूं। केवल इसलिये कि कोई राजपूत है या आपकी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है इसलिये उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं। यह कहना बिलकुल गलत है आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई अकारण विक्टेमाईजेशन नहीं होगा। हर बात का इन्साफ होगा, सही तफतीश होगी। तफतीश के अन्दर आपको कोई शंका हो तो आप मुझसे मिलें मैं उस तफतीश को ठीक से करवाने की कोशिश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहूंगा... ...

श्री अध्यक्ष : श्री शेखावत आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न की जानकारी करना चाहूंगा। आप कहते हैं कि यह मामला सबजुडिस है। सब बात आपने कही है। एक बात व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं। चार्जशीट को देखने के बाद अगर आप यह कह दें कि चार्जशीट के आधार पर धारा 394 का केस बनता है ? मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। इस इन्वेस्टीगेशन के बेसिस पर इसको 394/395 का नान बेलेबल आफेन्स का केस नहीं बनाया हैं और पुलिस की तफतीश का जो आधार है उससे ऐसा लगता है इस केस में पुलिस दबी हुई है। उनकी आत्मा तो कहती है कि धारा 394/395 के अन्दर इसका चालान होना चाहिये लेकिन उनके अन्दर दम नहीं है। 394/395 में केस बनता है तो मुलजिमान को गिरफ्तार करना पड़ेगा और उनकी जमानत नहीं होगी। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि सबजेक्ट मैटर तो 394/395 का ही रख दिया गया और धारा उसके ऊपर कई और लगा दी ताकि मुलजिमान को जमानत हो जाये। कोई मजिस्ट्रेट ही अन्धा हो तो यह स्वीकार कर लेगा -324/325 जुर्म जो काबिल जमानत होते है उनमे उनको जमानत स्वीकार कर लेगी और यदि थोड़ी बहुत अक्ल हुई तो सब्जेक्ट मेटर पढ़ने के बाद नान बेलेबल आफेन्स में जमानत के लिये तैयार नहीं होगा, उसकी स्वीकृति नहीं देगा। कम से कम यह बात तो आप भी जानते हैं। मैं कोई वकील नहीं हूं, इस सदन के अन्दर कई वकील हैं और आप स्वयं भी वकील हैं, गृह मंत्री क्रिमीनल के भी वकील रहे हैं, आप इस केस की चार्ज शीट पढ़ने के बाद कह दे कि 394 का केस बनता है या नहीं बनता है। कम से कम इस स्थिति मे तो आप होंगे। जो बात अभी आपने यहां पर कही है वह सही नहीं है। यह बात सही है कि पुलिस के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, कांग्रेस के मंत्रियों का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और गृह मंत्रीजो इस स्थिति के अंदर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बावरियों का भाग्य भगवान के भरोसे है। दूसरे तरफ बढ़िया से बढ़िया वकील जा रहे हैं और इन बावरियों की पैरवी करने के लिये आपने क्या व्यवस्था की है। कोई व्यवस्था नहीं है। कोर्ट में कैसे केस चल सकेगा। इस तरह तो एक तरफ फैसला हो जायेगा और कोई न्याय की आशा मुझे नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। यह शायद आप नहीं जानते कि अगर 395/394 की जो धारा आप कह रहे हैं पुलिस लगा भी दे तो भी पुलिस को यह कानूनी अधिकार है कि वह जमानत ले सकती है। आपका यह ख्याल गलत है। जिस तरह जमानत लेने की मजिस्ट्रेट के पावर में है, उसी तरह पुलिस को भी पावर है। इसलिये आप अगर महज जमानत के लिये ही कहते हैं तो यह गलत है।

श्री विजयसिंह : आपने वहां के एस. पी. का ट्रान्सफर कर दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण होने दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो सर्वोदयी आदमी हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पुलिस जमानत लेती नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका ख्याल गलत है। महज जमानत की बात को लेकर बवन्डर उठा रहे हैं। जमानत लेने का जो अधिकार मजिस्ट्रेट, सेशन जज को है वही पुलिस को भी है। इसलिये पुलिस भी कई मुकदमों के अन्दर जमानत लेती है। 394 लगाकर भी पुलिस अधिकारी जमानत ले सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब रहा सवाल चार्जशीट का सो चार्जशीट मंगवा करके मैंने नहीं देखी हैं। ऐसा मुझे कोई बाजाप्ता अधिकार भी नहीं हैं कि इसके ऊपर पुलिस को डाइरेक्शन दे सकूं। चार्जशीट में यह दफा लगी है या नहीं इसका मुझे पता नहीं हैं, क्या वाकयात् लिखे हैं, इस बात की भी मुझे जानकारी नहीं है। जो विभाग ने जानकारी मुझे दी है उसके आधार पर यह वक्तव्य मैंने दिया है, आपके सामने पेश किया है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ। इस पर सारी चर्चा समाप्त करता हूं।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट है। होम मिनिस्टर को यह अधिकार है कि किसी मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी में कोई केस चल रहा हो तो उस केस को अगर कोई डाउट हो तो मंगवा कर देख सकते हैं उसकी फाइल। आठ आदमी भाग गये हैं जमानत से ... आप मेरी बात सुन लें ...

श्री अध्यक्ष : आप कह दीजिये मैं सुन रहा हूं।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति भाग गया है। मैंने पहले ही कहा था कि उनको डिटेंशन एक्ट में गिरफ्तार कर लीजिये। आपके पास में वह अधिकार है। ताकि यह सारा हो हल्ला बन्द हो जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब सदन को मुगालता दे रहे हैं। 307 के मुकदमे, 395 के मुकदमे में आपको एक हजार बता सकता हूं कि जिस में पुलिस ने कभी कोई जमानत नहीं ली है। और न पुलिस जमानत लेती है। यहां पर सेशन जज भी बैठे हुए हैं, आप उनकी बात को भी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वाकई जब एफ.आई.आर 395 की दर्ज होती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है तो मैं राजस्थान के होम मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि मैं खुद वकील रहा हूं, आप भी वकील हैं, किसी भी मुकदमे के अन्दर पुलिस जमानत नहीं लेती है। इसके पीछे तो गड़बड़ी हो रही है। 395 का 325 में मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस जमानत कराने की कार्यवाही कर रही है। होम मिनिस्टर साहब यह न्याय नहीं हो रहा है। बीसों केस इस बात के मैं आपको बता सकता हूं। इस तरह इसके अन्दर अन्याय हो रहा है और आप कहते हैं कि न्याय हो रहा है। बिलकुल ही यह गलत कार्यवाही हो रही है। छोटी खाटू की जो घटना है उसके अन्दर राजस्थान की पुलिस से न्याय नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसलिये यह बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि कांग्रेस के सदस्य इसको डिफेन्ड कर रहे हैं। जमानत दिलाने के कारण आप दफा को ही बदल रहे हैं। पुलिस और सरकार मिलकर चैनाराम और गिरोह को बचाने की कार्यवाही कर रही है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त कराया कि नान बेलेबल आफेन्स में पुलिस जमानत ले सकती है। मुझे इसका ज्ञान नहीं था। आप तो अपने जमाने के टॉप क्रिमिनल लायर रहे हो अपनी लाइफ में। किसी धारा का ज्ञान और करा दीजिये कि कौनसी कौनसी ऐसी धारा है जिसमें नान बेलेबिल आफेन्स में जमानत ली जा सकती हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है नान बेलेबिल आफेन्स में कोर्ट्स के मजिस्ट्रेट भी जमानत नहीं ले सकते हैं और जिसमें पासिबिलिटीज सेन्टेन्स की हो सकती है उसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी जमानत नहीं लेता है। सेशन्स में जमानत होती है लेकिन पुलिस के थानेदार थाने में नान बेलेबल आफेन्स धारा 303, 304, 307 के तहत जमानत ले लें यह आज नया मालूम हुआ है हमारे गृह मंत्री महोदय द्वारा। चैनाराम की जमानत ले ली गई जो कानून के हन्ड्रेड परसेन्ट विपरीत है। चैनाराम का कितना प्रभाव है, इससे साबित होता है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्री जी ने यह फरमाया चाहे राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री हो कानून के अनुसार हम नहीं छोड़ सकते है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं चैनाराम के खिलाफ जब वारन्ट आफ आरेस्ट निकाला गया था तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उस चैनाराम को वित्त मंत्री जी ने प्रोटेक्शन दे दिया, संरक्षण दे दिया और वे चैनाराम वित्त मंत्रीजी के बंगले

(श्रीमदनसिंह)

पर रहते थे और आज भी उनके बंगले पर मौजूद हैं। आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। आज आप मथुरा दास जी माथुर के खिलाफ कार्यवाही कर लें, यह आप में हिम्मत है ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा इस सम्बन्ध में समाप्त हुई।

(व्यवधान, अश्रव्य)

(श्री मदनसिंह के बोलते रहने पर, अश्रव्य)

माननीय सदस्य आप तो बहुत ही ज्यादा व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत ही अच्छे क्रिमिनल ऐडवोकेट रहे हैं–अपने जमाने में। सी. आर. पी० सी० के अन्तर्गत केवल दो सेक्सन हैं एक सेक्सन 497 जिसमें कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ले और 498 सेक्सन मे कोर्ट और हाई कोर्ट ले सकती है और जो बेलेबल केसेज हैं वह 496 में ले सकते हैं। केवल ये ही सेक्सन्स हैं। इसमें आपने कोई दूसरा क्रिमिनल कोड बना लिया है तो मैं नहीं कह सकता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : अब कोई जवाब नहीं है सब प्रश्न समाप्त हैं। प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री पुखराज कालानी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी हो रही रिक्शा चालकों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय, उनकी साधारण मांग है। जमीन किसकी जो जमीन को जोते और जमीन को बोये उसकी उसी प्रकार रिक्शा किसका जो रिक्शा चलाये। आज रिक्शा चालकों और रिक्शा मालिकों के बीच एक्सप्लाइटेशन हो रहा है। उसके लिये रिक्शा चालकों को प्रदर्शन करना पड़ता है, जुलूस निकालने पड़ते हैं, भूख हड़ताल करनी पड़ती है नारे लगाने पड़ते हैं। और आज विधान सभा के बाहर उनका जूलूस नारे लगाता है तो यह इस सरकार के सोचने की बात है। रिक्शा चालकों की साधारण मांग है कि रिक्शा आनर्स को लाइसेन्स नहीं मिलना चाहिये। रिक्शा चालकों का भंयकर एक्सप्लाइटेशन हो रहा है। पहले भी सदन में मामला आया था बिल में भी इन कारपोरेट हुआ है। सरकार को कुछ कहना चाहिये कि उनके एक्सप्लाइटेशन को कैसे रोकना चाहती है। केवल पुलर्स को–एक्चुअल पुलर्स को ही लाइसेन्स रिन्यू कीजिये आप मालिक हैं उसको लाइसेन्स रिन्यू मत कीजिये। इसमें कौनसे सिंघानिया और शाहू जी को नुकशान पहुंच रहा है। मान लिया वे तो आपको चन्दा देते हैं इसलिये उनके लिये तो आप जा बेजा समर्थन दें लेकिन रिक्शा मालिकों मे ऐसी कौनसी बात आ रही हैं। उनसे तो आपको चन्दा नहीं मिलने वाला है। उनके एक्सप्लाइटेशन को तो आप रोक सकते हैं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : मानवीय आधार पर वास्तव में जो रिक्शा चलाते हैं उनको ही

(श्री शंकरलाल)

लाइसेन्स देना चाहिये और जो रिक्शा नहीं चलाता है मालिक है उसको लाइसेन्स•••

श्री अध्यक्ष : अब मैं समाप्त करता हूं।

श्री शंकरलाल :' नहीं दिया जाना चाहिये। रिक्शा मालिकों का लाइसेन्स खतम किया जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय जहां तक रिक्शा चालकों का सम्बन्ध है और जो मांग है कि पुलर्स को लाइसेस दिया जाय मैं सहमत हूं और मेरी उनमें हमदर्दी है। मैं खुद चाहता हूं सरकार चाहती है पुलर्स को लाइसेन्स मिलना चाहिये, ओनर्स को नहीं मिलना चाहिये। इस एक्सप्लाइटेशन को दूर हटाना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले पर पूर्ण गभीरता से विचार किया जायगा और जो कानूनी हल निकल सकता है कि जिसके द्वारा रिक्शा मालिकों के लाईसेन्स केन्सिल होकर पुलर्स को दे दिये जाय तो उस पर हम सहर्ष आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, कई बार सदन में बहस होतो और सदन के बाहर भी चर्चा होती है। रिक्शा चालकों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इसमें आदमी आदमी को खींचता है अन-एम्पलायमेंट के जमाने में मजबूर होकर वह इस काम के लिये प्रेरित होता है। मेरा सुझाव है आपके माध्यम से अगर आप ओनर्स के लाइसेन्स केन्सिल नहीं कर सकते हैं और केवल पुलर्स को लाइसेन्स नहीं दिला सकते हैं तो रिक्शा पर लाइसेन्स की प्रथा ही समाप्त कर दें चाहे वह रिक्शा मालिक हो और चाहे रिक्शा पुलर हो।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया। एक ही तो स्थगन प्रस्ताव हुआ है''''

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय पिछले 10 साल से समस्या चली आ रही है। दिल्ली में इसके लिये एक कान्फ्रेंस हुई थी उसमें भी उसको समाप्त करने पर विचार किया गया था। इसका उपाय कई बार किया यह कोई आज की बात नहीं है। सरकार आश्वासन दे रही है, 10 साल से आश्वासन चला आ रहा है रिक्शा पुलर्स को लाइसेन्स दिया जाय। इसके बावजूद भी रिक्शा ओनर्स को लाइसेन्स दिया जा रहा है। पहले ये लोग रिक्शा ओनर्स कोर्ट में चले गये और स्टे ले आये थे। सरकार ने एक बार आश्वासन दिया और फिर गई 10 साल की इसलिये सरकार को इस मामले में क्या किया जा सकता है इसको गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : हां, वह गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग अपनी मेहनत के सारे पैसे दे चुके हैं''''

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय मैंने बीकानेर जिले की तहसील नोखा ग्राम लालमदेसर बड़ा में एक कुआ ढह जाने का प्रस्ताव दिया था। आपने जो व्यवस्था दी है वह तो मैं मानता हूं लेकिन फिर भी मैं आपसे पुर्नविचार के लिये प्रार्थना करता हूं आप इस पर पुनः विचार करें। उस गांव में दो सौ घर हैं'''

श्री अध्यक्ष : इस पर पुन: विचार कर लिया जायगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : वे सब एक ही कुए से पानी भरते हैं अध्यक्ष महोदय यह बहुत जरूरी है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं सौभाग्य से जब मैं बाहर से आ रहा था तो मैंने रिक्शा चालकों का ...

श्री अध्यक्ष : अब मैं रिक्शा चालकों के प्रश्न को समाप्त करता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय मैंने सारे भारतवर्ष की सरकारों को कानून भेजा है। सब सरकारों ने जवाब दिये हैं-10 साल में बन्द कर देंगे। राजस्थान सरकार को भी मैंने एक बिल बना कर दिया है। उसमें एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। केवल पुराने लाइसेन्स चालकों को-135 चालकों को रिक्शा के मालिकों को...(अश्रव्य)... तीन सौ रुपये रोज लेते हैं...

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न करें माननीय सदस्य।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उनकी आवाज भूखी है, उस आवाज को सुनें। डेढ़ डेढ़ वर्ष बाद मालूम पड़ता है... आपको जैसे (अश्रव्य) उस खून को पीने के बाद इस सदन में उनकी मदद के लिये नहीं कर रहे हैं। अगर सत्र में पेश नहीं कर सकें तो मेरा ख्याल से इस देश में समाजवाद नहीं आयेगा कोई दूसरा ही वाद आयेगा।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनकी एक बात को तो स्वीकार किया जावे कि जो बिल इन्होंने पेश किया है वह किसी न किसी रूप में इसी सत्र, में आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसको मैं भी देख लूंगा। मन्त्री महोदय से भी बात कर लूंगा कि क्या स्थिति है।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री पुखराज कालानी (सभापति, जन-लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग लेखे 1967-68 वित्त लेखे 1967-68 एवं वर्ष 1967-68 के लेखों का अंकेक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अकाल सहायता विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग एवं वित्त विभाग विषयक जनलेखा समिति के 11 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

(1) श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1966-67 से सम्बन्धित, राजकीय उपक्रम समिति के 9 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 15 वां प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1966-67 व 1967-68

(श्री भैरोंसिंह)

से सम्बन्धित) विषयक राजकीय उपक्रम समिति का 16 वां प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि खासा समय का सदुपयोग हो चुका है। अब उस प्रकार का सदुपयोग आगे नहीं किया जायें और वक्तव्य के बाद केवल प्रश्न ही पूछे जायें ताकि आगे का बिजनेस लिया जा सके।

कृषी मन्त्री जी।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के 181 श्रमिकों को सेवा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में :—

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर वर्कशाप के वर्कचार्ज कर्मचारीगणों की छटनी के बारे में जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की हैं उसके सम्बन्ध में जो एक वक्तव्य देने के लिए आदेश हुए हैं मैं सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं।

राज्य सरकार ने 1 अगस्त, 1969 को राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि कृषि भूमि के विकास के सम्बन्धी कार्यक्रम तथा कृषि औजारों व यन्त्रों को बनाने व वितरण करने का कार्यक्रम व्यापारिक ढंग से व कुशलता पूर्वक चलाया जा सके। यह निगम भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने समय समय पर राजस्थान कृषि अभियांत्रिकी मण्डल द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम जो कि व्यापारिक आधार पर चलाये जा सकते थे, को राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम को सौंप दिया।

राजस्थान कृषि अभियांत्रिक मण्डल के अधीनस्थ बैलों से चलित कृषि यन्त्र बनाये जाते हैं उनके बजाय ट्रैक्टर चलित कृषि यन्त्र निगम द्वारा बनाये जाने लगे जिससे श्रमिकों की आवश्यकता पहले से कम हो गई और इस प्रकार बहुत से श्रमिक अतिरिक्त हो गये और इसी क्रम में तारीख 28 फरवरी, 1970 को राजस्थान अभियांत्रिक मण्डल ने छटनी का नोटिस दिया। इस पर यूनियनों की तरफ से यह ऐतराज उठाया कि 27 मई, 1968 के समझौते के मुताबिक कोई छटनी नहीं होगी जब तक यह एग्रीमेंट रिवोक नहीं हो जाये। इस पर एक समझौता तारीख 27 मार्च, 1970 को कर्मचारियों की यूनियनों तथा मण्डल के बीच में श्रम आयुक्त के सामने हुआ जिसके द्वारा यह तय पाया कि पहले 27 मार्च, 1968 के समझौते को रद्द किया जावे और बाद में एक माह का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जायें। इस समझौते पर यूनियनों के प्रतिनिधियों और मण्डल के प्रतिनिधियों एवं स्टेट कान्सिलियेशन ऑफिसर के हस्ताक्षर है, जिसके मुताबिक तारीख 29 मई, 1970 को जब कि रिवोकेशन के नोटिस के दो महीने हो चुके थे कृषि अभियांत्रिक मण्डल द्वारा छटनी का एक महीने का नोटिस दिया गया। जब यह नोटिस दिया गया तब कर्मचारीगण हड़ताल पर चले गये इस पर राज्य सरकार ने तारीख 14 जून, 1970 को यह मानते हुए कि चूंकि राजस्थान कृषि

(1.03 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अभियांत्रिक मण्डल, जयपुर एवं राजस्थान एग्रीकल्चर एम्पलाईज यूनियन, जयपुर और राजस्थान एग्रीकल्चर वर्कशाप कर्मचारी यूनियन, जयपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गया है और चूंकि उनके बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया, इस विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रेषित करने का आदेश दिया। जब कि यह मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया गया तब तारीख 22 जून, 1970 को एग्रीकल्चर वर्कशाप कर्मचारी यूनियन की तरफ से एक प्रार्थना पत्र औद्योगिक न्यायाधिकरण, राजस्थान के समक्ष पेश किया कि विवाद के फैसले तक सम्बन्धित कर्मचारियों की छटनी नहीं करने का अन्तरिम अवार्ड दे दिया जावे। चूंकि छटनी के नोटिस की अवधि तारीख 28 जून, 1970 को समाप्त हो गई थी। इस पर औद्योगिक न्यायाधिकरण, राजस्थान, जयपुर ने यूनियन की अन्तरिम रिलीफ की मांग को इस बिना पर कि छटनी का नोटिस इफेक्ट में आ चुका है अस्वीकार कर दिया, इसलिये अब यूनियन को अन्तरिम रिलीफ का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और यूनियन के प्रार्थना-पत्र को बाबत अन्तरिम रिलीफ तारीख 2-7-70 को औद्योगिक न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया।

औद्योगिक न्यायाधिकरण ने तारीख 15 अप्रेल, 1971 को अन्तरिम अवार्ड अधिसूचित किया गया है। राजस्थान सरकार को वह प्रतिलिपि कल अर्थात् 15 अप्रेल, शाम को ही प्राप्त हुई हैं। उस अवार्ड का सरकार अध्ययन कर रही है और तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि अभी तक उन श्रेणियों (केटेगरीज) में जिनके कर्मचारियों की छटनी की गई है, निगम द्वारा किसी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं की गई है और कर्मचारी संघों को यह आश्वासन भी दे दिया गया है कि प्रत्येक श्रेणी जिसमें छटनी की गई है नई नियुक्तियां करते समय निगम द्वारा उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह इन्टिरिम अवार्ड कौनसी तारीख को हुआ और जनवरी, 71 में जब इन्टरिम कम्पन्सेशन का अवार्ड दिया है तो फिर तीन महीने सरकार को निर्णय लेने में क्यों लगे, पब्लिश कराने में?

श्री शोभाराम : मैं अर्ज करूं कि अवार्ड जिस तारीख को पब्लिश होता है उस तारीख को अवार्ड माना जाता है, उसके पहले नहीं और यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का विषय नहीं है, न निगम का है, न एग्रीकल्चर इन्जिनियरिंग बोर्ड का है कि उसको पब्लिश कराये जिस समय वह पब्लिश हुआ और कल ही वह पब्लिश हुआ और हमने तो पहले ही प्रतिलिपि के लिए दरख्वास्त दे रखी थी लेकिन यह कहा गया कि जब तक पब्लिश नहीं होता है तब तक इसकी कापी आपको नहीं मिलेगी। हमको लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से सूचना मिली की 15 तारीख को यह अवार्ड प्रकाशित हो रहा है इसलिए आपको 15 तारीख को अवार्ड की प्रति मिलेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपसे जो संबंधित मामला है केवल इतना सा जवाब दे दिया मैं आखिर इन सब वैधानिक उलझनों में यहां जाने की आवश्यकता नहीं है कि एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन और एग्रीकल्चरल इन्जिनियरिंग वर्कशाप के लीगल रिलेशनशिप क्या है और क्या नहीं। उसकी लीगेलीटी और इल्लीगेलिटी के बारे में एक मिनट के लिए चर्चा छोड़ दी जाये तो मैं मानवीय दृष्टिकोण से आपसे पूछना चाहता हूं कि यह 181 कर्मचारी जो इस वर्कशाप के कर्मचारी थे और जो पिछले दस-दस साल से काम कर रहे थे जिनकी छटनी अवैध हो, रिट्रेंचमेंटको इल्लीगल मानकर जो मामला इंडस्ट्रियलट्रिब्यूनल को सोंपा गया जिसका फैसला नहीं हुआ अभी तक क्या आप उचित समझते हैं कि जहां मजदूरों का शोषण प्राइवेट सेक्टर में होता है उसके खिलाफ तो राज्यसरकारइतनी चिंतित रहती है तो क्या पब्लिक सेक्टर में चलने वाला आपका कारपोरेशन और राजस्थान की सरकार इस प्रकार से मजदूरों का शोषण करना उचित समझती है और क्या मजदूरों का रिट्रेन्चमेंट किया जाना वाजिब समझती है और क्या फिर इन्डिस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जायें तो आप हाईकोर्ट में जायें और उस पर हजारों रुपया खर्च करें, मजदूरों के खिलाफ लड़ने में सारी शक्ति लगायें, तीन महीने तक आप रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करे और उनको पैसा नहीं दें और आप आज इस बात की तैयारी में है कि इस अवार्ड के खिलाफ इसका पब्लिकेशन इसलिए डिले किया गया कि वह इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि उसकी कापी लेकर हाईकोर्ट में इस अवार्ड के खिलाफ भी वहां जाया जाये तो आप क्या यह चाहते है कि मजदूरों को भूखों मार दिया जाये। आप इन मजदूरों को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? जनता को किस रास्ते पर डाइवर्ट करना चाहते हैं। कार्पोरेशन गवर्नमेंट का है और पब्लिक सेक्टर में हैं और आप एन्टी-लेबर पालिसी अपनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मैं दो आश्वासन आपसे चाहता हूं–एक तो यह है कि जितने लोग इस सारे एग्रीकल्चर कार्पोरेशन में, ये मामले ट्रिब्यूनल में जब गये होंगे तब गये होंगे, लेकिन आप इसमें इन्टरवीन करें और अपने गुड आफिसेज को यूज करें और कार्पोरेशन के अधिकारियों से कहें कि इन रिट्रेन्चड मजदूरों को वापिस ले और जितनी भी इनकी तनख्वाह का भुगतान करना है वह कर दिया जाय। न इनको हाई कोर्ट में जाने की जरूरत है और न ट्रिब्यूनल के फैसले की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय जिस डिपार्टमेंट ने यह कार्पोरेशन क्रियेट करने की बात की उस समय इन एक्जिस्टिंग एम्प्लाइज को तमाम वर्कमैन को यह आश्वासन दिया गया था कि उन लोगों को रिट्रेन्चड नहीं किया जायगा, और कार्पोरेशन जो उसका सकसेसर इन्चार्ज है उनको पूरे को एब्जार्व कर लेगा, और मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पालिसी भी है या होना चाहिए कि जो भी पब्लिक सेक्टर की एक कारोलेरी है कि कोर्पोरेशन बना बना कर जिसके लिए मजदूर काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, जैसे कि बैंक एम्प्लाइज है और बैंक नेशनेलाइजेशन हुआ तो तमाम कर्मचारियों को निकाल दिया जाय तो नेशनेलाइजेशन प्रोग्राम पर बहुत बड़ा सेटबैक होगा, पब्लिक सेक्टर के प्रोग्राम पर बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर एक्जिस्टिंग एम्प्लाइज की सर्विस

Page No 68

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कन्टीन्यू नहीं रखी जायतो। तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट अपनी पालिसी के खिलाफ और स्पेसिफिक एश्योरेन्स के खिलाफ कि उस डिपार्टमेंट के जिसको कि बाद में आपने किसी सहूलियत के कारण कार्पोरेशन का फार्म दे दिया उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लाइज हैं जिनका कि पहला हक था उनको आप रिट्रेन्च कर रहे हैं।

नं० 2, उपाध्यक्ष महोदय, जो श्रम अदालत की तरफ से एवार्ड हुआ है माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि उसका कल ही पब्लिकेशन हुआ है और उसकी सूचना मिली है तो पब्लिकेशन तो कल हुआ है और उसकी यह बात तो सही है, लेकिन उनको सूचना कल ही मिली हो, मैं समझता हूं, यह बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि दुरुस्त बात यह है कि कार्पोरेशन ने इसका फैसला होने के बाद उस फैसले को गवर्नमेंट ने दबाया है, इसका पब्लिकेशन नहीं होने दिया है। मजदूरों को इस बात के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है, जुलूस निकालने पड़े हैं, घरना देना पड़ा है और जब यहां विधान सभा में हमने यह मोशन दे दिया तब मजबूर होकर गवर्नमेंट ने इसका पब्लिकेशन करवाया है। आर्डिनेरिली एक महीना लगना चाहिए किसी भी एवार्ड को पब्लिश होने में 21-1-71 को यह एवार्ड दिया गया है और आज 16-4-71 हो गई है, तो, उपाध्यक्ष महोदय, जानबूझकर गवर्नमेंट ने इस एवार्ड को दबाया है और पब्लिश नहीं होने दिया। एवार्ड में स्पष्टतौर से यह कहा गया है–

In view of all these hard, facts, it requires serious consideration to determine whether after taking over the charge of the Engineering Workshop of the Board and its 191 work charge employees, could the Corporation validly and unilaterally revoke the order and ask the Engineering Board to retrench the employees? Could the Agricultural Engineering Board validly assume jurisdiction after that to retrench these employees? Could these employees be at all retrenched in the face of consistent Government assurances that no employee will be retrenched with the formation of the Corporation.

ये आब्जर्वेशन्स हैं। यह केस चूंकि हाई कोर्ट में गया हुआ है कार्पोरेशन की तरफ से और कार्पोरेशन भी इसमें पार्टी है इसलिए ट्रिब्यूनल में अपने जो विचार हैं वह तो इसमें व्यक्त कर दिये हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट की वजह से उन्होंने इन्टेरिम रिलिफ दे दिया है कि 50 पर्सेन्ट उनको वेजेज का जब से उनको रिट्रेन्चड किया गया है तब से दिया जाय जब तक कि इसका फैसला न हो जाय। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इतने महीने ये लोग रिट्रेन्चड रहे और किसी तरह की उनको तनख्वाह नहीं। वे बेचारे बेरोजगार बैठे हैं। वैसे भी आज बेरोजगारी की समस्या गवर्नमेंट के सामने हैं और बेरोजगारी भत्ते तक के प्रोवीजन गवर्नमेंट ने इस बजट के अन्दर किये हैं, तो जिनका लिगल क्लेम है, कोर्ट से जिनके लिए एवार्ड हो गया है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसको भी गवर्नमेंट चूंकि एक तरीके से एवाइड करे और पेमेन्ट नहीं करे तो यह बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए मैं मंत्रीजी से कहूंगा.......

श्री शोभाराम : एक पाइंट मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जनवरी में एवार्ड हुआ है यह आपका कैसे मानना है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए कि इसकी डेट है।

श्री शोभाराम : इसके बाद कार्पोरेशन कौनसी तारीख को कोई कोर्ट में गया वह तारीख भी बताने की कृपा करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उससे पहले गया है और अब जाने की तैयारी कर रहा है इस एवार्ड के खिलाफ।

श्री शोभाराम : इस एवार्ड के खिलाफ नहीं गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जायेंगे, जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे स्टेटमेंट्स वगैरह बन गये हैं। कल ही पब्लिकेशन हुआ है और कल जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एवार्ड उस बोर्ड के खिलाफ है यानी गवर्नमेंट के खिलाफ है। बोर्ड आपका था। कार्पोरेशन बाद में आया है। उसको इस में पार्टी बनाया है इस सिलसिले में वह गया है। इस एवार्ड के खिलाफ नहीं गया है, लेकिन अब जाने की तैयारी कर रहा है। वर्ना जब एवार्ड हो चुका है, वेजेज कॉन्टीन्यू हो गई है और तीन महीने पहिले अदालत का फैसला हो गया है तो तनख्वाह देने में क्या एतराज है। केवल 50 पर्सेंट को वह बात लागू है। फिर उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कहा जाता है...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : संक्षेप में ही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी समय ले लिया इसलिए दो मिनिट में कह दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात कही जाती है कि नये लोग नहीं लगाये जा रहे हैं तो यह बात नहीं है। जो जाब पहले थे उनको नया नाम देकर और उसी किस्म का काम लेकर लोगों को एपॉइन्टमैन्ट दिया जा रहा है। खासतौर से, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूचना है कि एक बहुत ही स्कैन्डेलस तरीके से इस तरह से भरती का आधार तय किया जाय कि एक ही पर्टीक्यूलर कम्युनिटी के आदमी उसमें लिये जायें। चेयरमैन श्री चन्दनमलजी बैद, वे जैन, उनका पी० ए० एक जैन साहब हैं, सचिव श्री बालूलालजी पानगड़िया, जैन, मुख्य लेखाकार डी० ए० जैन, उप सचिव श्री के० सी० जैन, लेखाधिकारी श्री भन्साली, वह भी जैन, पट्टाधिकारी श्री तनसुख सिंघवी वह भी जैन है, एकाउन्टेन्ट श्री मनोहर कुमार जैन, ट्रेक्टर डीलर यह भी एक जैन है। इनके अतिरिक्त क्लार्क और एकाउन्टेन्ट यह भी जैन लगे हुए हैं, तो इस तरीके से...

श्री रामकिशन : यह क्या दिगम्बर सम्प्रदाय के हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैन काम्युनिटी के लोगों को नौकरी पर नहीं लिया जाय ऐसा मेरा कहना नहीं है। कोई भी काम्युनिटी हो। माथुर साहब हो गये तो माथुरों को भर लिया और कोई जैन साहब हो गये तो जैनों को भर लिया और कोई चौधरी साहब हो गये तो चौधरियों को भर लिया, यह मनोवृत्ति गलत है।

मेरा निवेदन करना यह है कि कार्पोरेशन क्रियेट हो गया है इसलिये चेयरमैन साहब पुराने एम्प्लाइज को छोड़ने की कोशिश करें और नये लोगों की भरती करने की कोशिश करें यह गवर्नमेन्ट की पालिसी गलत है। इससे लेबर में अनरेस्ट फैलेगा लाजमीतौर पर। इसलिए गवर्नमेन्ट अपनी नीति के अनुसार जो पहले के लगे हुए एम्प्लाइज हैं उनसे वचनबद्ध है नौकरी में रखने के लिये, और इस ट्रिब्युनल के फैसले के अनुसार भी मुख्य मन्त्रीजी को कहूंगा कि उनके इमीजियेट पेमेन्ट का प्रबन्ध करें। मजदूर बहुत छोटी छोटी तनख्वाह वाले हैं और इतने अरसे से बेकार हैं इसलिए उनको रुपये में से आठ आना ही मिलने का हुक्म हुआ है वह इनको फौरन दे दें और इन लोगों को एब्जार्ब कर लें ताकि यह समस्या हल हो सके।

श्री राजवी रूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो इण्टीरिम ट्रिब्यूनल ने अवार्ड तारीख 21–1–71 को दिया है। आपने इस अवार्ड को पेज न० 4 से लेकर पेज 6 तक पूरा पढ़ लिया है। उसमें यह निर्णय लिया गया था। उसमें यह भी तय किया गया है कि यह कॉरपोरेशन किस तारीख से बनाया गया है। अवार्ड के पढ़ने से जाहिर हो जाता है कि 27-10-69 को कॉरपोरेशन ने चार्ज ले लिया था। आपने इससे डिनाई किया है लेकिन जज ने कॉरपोरेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट करने के कारण खिलाफ जजमेण्ट नहीं दिया है। इस अवार्ड में आपने पढ़ लिया होगा कि इसका मतलब उन आदमियों से है जो पहले से बोर्ड में काम कर रहे हैं, उनको रिट्रेंच नहीं किया जाएगा। इसलिये आपको राइट नहीं था कि उन 181 आदमियों को रिट्रेंच करके 161 नये आदमियों को लगाने का। इसके अलावा तारीख 13–5–69 की शर्तों के मुताबिक आपको 181 मजदूरों को निकालने का हक नहीं था, न इस शर्त को रिवोक करने का राइट था। अब जज साहब ने यह आर्डर दिया है कि 50% पेमेण्ट करो। उनके इस आर्डर की आपको तामील करनी चाहिये क्योंकि गरीब आदमियों की गरीबी मिटाने का यह एक ही तरीका है। नये आदमियों को अपाइन्टमेन्ट नहीं दें और 181 आदमियों को ही 50% पेमेण्ट दिया जाये। या हो सकता है आप की थिंकिंग दूसरी हो। लेकिन इस आर्डर की आप को कम्प्लाइन्स जरूर करनी चाहिए। ताकि गरीब आदमियों को राहत मिले।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय ''

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्री महोदय ने उनका जो मोटे तौर पर स्टैण्ड है उसको प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, राज्य सरकार को अलग रख कर। कोई भी निर्णय किया हो इस बात को रखने की उन्होंने चेष्टा की है।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मुद्दे हैं। एक तो कारपोरेशन का गठन किया गया है, उस समय राज्य सरकार की यह मंशा रही है कि बोर्ड के जितने एम्प्लाईज हैं उनको बेकार नहीं किया जायेगा बल्कि कारपोरेशन की सर्विसेज में रखा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यही मन्त्री महोदय ने कही हो ऐसी बात नहीं है। इसके निर्माण की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी उस रिपोर्ट में भी यह था कि बोर्ड के एम्प्लाईज का समावेश किया जा सकता है, उनका समावेश किया जाएगा। जो गवर्नमेन्ट सर्विस से जाना चाहेंगे वह डेपुटेशन पर जा सकते हैं। मैं वह पैराग्राफ पढ़ कर सुना देता हूं जिससे यह साफ हो जाएगा।

This is clear from the introduction to the report of the committee on Agro. Industries Corporation. Earlier the Secretary Agricultural Production Rajasthan had assured the workmen of the Board by his letter No. F. 6 (68) Krishi/iii/69 dated 12-5-69 that with the formation of the Corporation services of the temporary employees will automatically stand transferred to the Corporation and the work charge employees will also in all probability continue to work with the proposed Corporation etc.

आगे 4 लाइनों में इसका सब्सटेन्स दिया है।

There are other documents also on the record to show that retrenchment of the workmen of the Agricultural Engineering Board was not all envisaged with the formation of this Corporation.

इसका मतलब उपाध्यक्ष महोदय, एक ही स्पष्ट होता है कि कारपोरेशन का गठन करते समय या कारपोरेशन का गठन किया जाये इसका निर्णय लेते समय राज्य सरकार की यह स्पष्ट मंशा रही है कि बोर्ड के टेम्परेरी और परमानट एम्प्लाई हैं, उनकी सर्विस की कन्टीन्युटी को मेन्टेन करते हुए उनको भी रखा जाये।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, राज्य सरकार ने जब भी कर्मचारी संगठनों के द्वारा कोई मांग प्रस्तुत की गई और उनकी मांगों में टेम्परेरी एम्प्लाईज के भविष्य को निश्चित करने की मांग की गई है तो सदन को भी मुख्यमंत्री द्वारा और मंत्री द्वारा बार बार यह आश्वासन दिया गया है कि उनको परमानेन्ट घोषित किया जाकर उनको अन्य विभागों में लिया जाएगा। एस० पी० सिंह भण्डारी ने एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा गया है:—

The question of work charged employees of the Rajasthan Agricultural Engineering Board who are being rendered surplus on account of the Board's activities being taken over by the Rajasthan Agricultural Industries Corporation was discussed by the Cabinet

Page No 72

(श्री भैरोंसिंह)

in the meeting held on the 28 February 1970 and it was decided that the ..

श्री उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह : ...GAD should try to absorve the surplus staff in other Government departments in public undertakings. You may therefore kindly prepare a list giving full particulars of the employees concerned viz. name, qualifications, experience present post and grade, aptitude etc. and send it to the GAD within two days positively.

क्वालिफिकेशन वगैरह यह सब। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने, इनको बाहर फेंका जाये, इसको स्वीकार नहीं किया है। मैं पहले तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि कैबिनेट ने सरप्लस डिक्लेयर कर दिया और आज एब्जार्व नहीं हुये हैं तो इसमें जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार अपने को उस जिम्मेदारी से, अपनी उस रिस्पोंसिबिलिटी से अपने को मुक्त करना चाहती है। उससे बचने के लिए सरकार ने कारपोरेशन को यह सलाह दी कि तुमको लोगों की छंटनी करनी चाहिए। तुम छंटनी करोगे तो मामला लेबर ट्रिब्युनल में दिया जाएगा। लेबर ट्रिब्यूनल में दिया जायगा तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी। तो इन्होंने मिलकर यह छंटनी की योजना बनाई है। एक बार छंटनी हुई है। उस समय समझौता हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भविष्य में छंटनी नहीं की जाएगी। अब उनको छंटनी कर दी। गवर्नमेंट उनको लेना नहीं चाहती है। उनको जो 50% मिला उसका भुगतान नहीं करना चाहती है। ऊपर से कहा कि हम मजदूरों का हित चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा उनकी छंटनी के बाद जितनी नई नियुक्तियां हुई हैं, अगर वह देखना चाहें तो लिस्ट हमारे पास है।

वही तो वेतन है, वही वेतन श्रृंखला, वही योग्यता फिर पद का नाम कैसे बदल गया है? वह इस लिए बदल गया है कि जिन एम्प्लाइज की छंटनी की गई, उस पद के ऊपर दूसरे लोगों को लिया जायगा तो वह लोग एप्लीकेशन दे देंगे और क्लेम फारवर्ड करेंगे। तो उनको क्लेम से किस प्रकार से वंचित किया जाय, इसलिए पद का नाम बदला गया, क्वालिफिकेशन वही रखी गई, वेतन श्रृंखला वही रखी गई और नियुक्ति की शर्तें वही रखी गई लेकिन केवल इसलिए कि नये ऐम्प्लाइज को भर्ती कर लिया जाय। इसका मतलब न सरकार एब्जार्व करना चाहती है, न कोर्पोरेशन एब्जार्व करना चाहता है, न बोर्ड एब्जार्व करना चाहते है न सरकार कारपोरेशन दबा सकती है कि उनको नियुक्ति मिले; एम्प्लायमेंट मिले, इस प्रकार का प्रयास करना चाहती है। इससे स्थिति स्पष्ट है, एवार्ड इतने पहले दिये जाने के उपरांत भी सरकार कोशिश करती रही है कि एवार्ड प्रकाशित नहीं हो। इस सम्बन्ध में सरकार ने पत्रावलियां चलाई कि किसी प्रकार रोका जाय। इस सम्बन्ध में लीगल एडवाइस ली गई है कि क्या पब्लिकेशन को

Page No 73

(श्री भैरोंसिंह)

रोका जा सकता है। इससे सरकार की श्रौर कृषि मंत्रीजी की मन्शा स्पष्ट है कि आप एम्प्लाइज को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। सरकार कोर्पोरेशन पर जिम्मेदारी डालना चाहे-यह स्थिति नहीं है। कोर्पोरेशन ने सरकार को आड़ ली है श्रौर सरकार ने कोर्पोरेशन की आड़ ली है श्रौर दोनों ही मिलकर कर्मचारियों का शोषण करना चाहते हैं। यह मामला नट सैल में रख दिया जिसे मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे।

अब प्रश्न श्राता है कि उनको श्राप एम्प्लायमेंट न दें श्रौर बोर्ड की तरफ से कोर्ट में चले जायं तो मैं कृषि मंत्री को इतना कमजोर नहीं मानता श्रौर कोर्पोरेशन के चेश्ररमैन को इतना स्ट्रांग नहीं मानता। कोर्पोरेशन के चेअरमैन की ट्रैक्टर के एलॉटमेंट के बारे में शिकायत हैं तो कृषि मंत्री जी थोड़ा सा विचार कर लें कि एम्प्लाइज को नौकरी दिलाना चाहते हैं तो वह ट्रैक्टर के एलाटमेंट की फाइल को देख कर कोर्पोरेशन के चेश्ररमैन को इतना सबमिट करा सकते हैं कि उनको इन एम्प्लाइज को नौकरियों पर रखना पड़े। ट्रैक्टर के एलाटमेंट में धांधली को देख कर कोर्पोरेशन के चेअरमैन की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि कृषि मंत्री जी के कहने के बावजूद नौकरी किसी प्रकार न दे। लेकिन श्राप ट्रैक्टर के एलाटमेंट की अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही न चाहें, एम्प्लाइज को रीऐम्प्लायमेंट मिले, उनको नौकरी दी जाय-इसके सम्बन्ध में प्रेसर इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो हो सकता है कि मजदूर लेबर कानून के तहत ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में घूमते रहें और कोर्पोरेशन उनका शोषण करता रहे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो यह कोर्पोरेशन बना, उस कोर्पोरेशन के बनने के पीछे, जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, ऐसी भावना का निर्माण कर दिया है कि उसमें रहने वाले एम्प्लाइज का फ्यूचर डार्क में जाता है इसलिए कोर्पोरेशन बनाने के पक्ष में नहीं होंगे श्रौर उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं कि कोर्पोरेशन को पब्लिक अन्डरटेकिंग बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, कोर्पोरेशन के गठन के सम्बन्ध में श्रादेश दिया, बोर्ड की लाइबिलिटी श्रौर श्रसेट्स हैं ओटोमेटिकली कोर्पोरेशन के नाम पर ट्रान्सफर हो जायंगी उसी प्रकार से एम्प्लाइज को भी ओप्शन का चान्स देंगे कि वह गवर्नमेंट की सर्विस में जाना चाहें तो गवर्नमेंट को सर्विस में जायं, कोर्पोरेशन की सर्विस में रहना चाहें तो कोर्पोरेशन की सर्विस में रहें। इस प्रकार की स्थिति रख कर एम्प्लाइज को एश्योरेन्स दिया था, उनको परमानेन्ट करवाने की चेष्टा करेंगे। मैं पोइन्टेडली पूछना चाहता हूं कि कोर्पोरेशन के गठन के समय क्या राज्य सरकार की मन्शा रही कि बोर्ड के जितने मजदूर हैं, उनको श्राउट श्राफ एम्प्लायमेंट न फेंका जाय ? दूसरे नम्बर में यह पूछना चाहूंगा कि जो राज्य कर्मचारी राज्य सेवा में आना चाहें, उनको सरप्लस डिक्लेअर किया जाकर श्रौर दूसरे डिपार्टमेंट्स में एबजोर्ब किया जाय—इसके सम्बन्ध में जी. ए. डी. के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट्स को सरक्यूलर भेजा गया है, और कोर्पोरेशन में जिन्हें एब्जोर्ब नहीं किया जायगा, उनकी बोर्ड के सेक्रेटरी ने कोई लिस्ट बना कर दी है ? मैं तीसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि कानून की

(श्री भैरोंसिंह)

पेचीदगी के बारे में राज्य सरकार क्या स्टेन्ड लेकर चलती है जिसके अन्दर है कि एम्प्लाइज को एम्प्लायमेंट मिल सके और पचास पर्सेन्ट का जो एवार्ड मिला है उसका भुगतान किया जा सके।

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष जी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के समक्ष अभी यह विचार चल रहा है और अभी अन्तिम फैसला करना होगा इसलिए मैं उसके मेरिट डिमेरिट पर न जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि बहुत बातें कही जा सकती हैं।

मैं दो तीन तथ्य आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। एक तो यह है, कुछ लोगों ने मुझसे यह जानकारी चाही कि जो सीनियर आदमी थे उनको रिट्रेन्च कर दिया गया और जो जूनियर थे वह रह गये। मैंने इत्मिनान दिलाया है ऐसा होगा और मुझे पता लगेगा कि सीनियर आदमी को रिट्रेन्च कर दिया गया है और जूनियर को रख लिया गया है तो इस सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही करूंगा!

दूसरी बात आपने रखी कि जो रिट्रेन्च आदमी थे और जो नई नियुक्ति को कोर्पोरेशन में यह ठीक बात है, पदों के नाम बदले गये लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन ऐसी ही थी, चाहे ब्लेकस्मिथ की हो उसमें मेट्रिक्यूलेट लोग जाना चाहते हैं, और वही एल. डी. सी. के काम में आ सकते हैं, तो सबकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनको पूरा करता है तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मगर जैसा पहले भी स्वीकार किया था कि हम मामले की तह में जाकर कोशिश करेंगे कि इसका कुछ रास्ता ढूंढ़ा जाय और ज्यादा से ज्यादा आदमियों की बेरोजगारी का प्रश्न उपस्थित हुआ है उसका समाधान किया जाय। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य भैरोंसिहजी ने कहा, मेरिट डिमेरिट रिट्रेन्चमेंट करने का अधिकार था या नहीं, नोटिस वेलिड था या नहीं, हाई कोर्ट में जाकर क्या प्रश्न पैदा होंगे – क्या एब्जोर्पशन किया है वह गलत किया है या सही– इन तमाम चीजों में मैं इस मौके पर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं, पहले भी जब इनकी छंटनी का प्रश्न आया उस समय भी हमने उनको यह कहा था कि हमारा यह प्रयत्न होगा; उसको मैं आज भी दोहराता हूं, हमारा यह प्रयत्न होगा कि और विभागों में इनको किस तरह से एडजस्ट किया जाय, नोकरी किस तरह से, रोजगार किस तरह से दिया जाय। उस नीति के अन्तर्गत, मैं समझता हूं, अस्सी आदमी इनमें से लिये गये। वस्तु स्थिति क्या है, अस्सी में से कितनों ने जोइन किया कितनों ने नहीं किया, यह नहीं बता सकता लेकिन अस्सी आदमियों का इस तरह से एब्जोर्पशन हुआ, इसलिए बताया कि मेरा प्रयत्न यह रहेगा, 181 में से, यद्यपि कन्स्टीट्यूशनल आब्लीगेशन नहीं है कि इस तरीके से जिसको कोर्पोरेशन टेक ओवर करे किसी मौके पर उनकी सर्विस रिट्रेन्च करने का कोर्पोरेशन को अधिकार है अथवा नहीं, है या नहीं, इस तथ्य में न जानकर फिर भी कुछ साल तक जिन लोगों ने काम किया था इसलिए इन्हें रोजगार पर कैसे लगाया जाय–यह बुनियादी प्रश्न आता है। मैं इस बारे में गहराई में नहीं जाना चाहता कि इन्टरिम रिलीफ क्या दिया। मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, राजस्थान के

(श्री शोभाराम)

दीगर डिपार्टमेंट अगर कर सकते है तो इतना उपयोग कहां पर हो सकता है – उस सम्बन्ध में इन्हें एब्जोर्व करने के लिए प्रयत्न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करे। यह नहीं कि सब के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्दर कोई जगह हो तो उस डिपार्टमेंट के बारे में मैं कमिटमेंट दे सकता हूं कि मेरे विभाग में कितनी जगह है, और उसके बारे में कमिटमेंट देने की बात समझ में आती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जी. ए. डी. को नाम भेजे इसमें दो राय नहीं है कि कि जी. ए. डी. के पास जाने से टेक्निकल ढंग से जो सरप्लस की बात करते हैं, 68 की बात वह टेम्प्रेरी तरीके के है, तो वह सरप्लस नहीं होते हैं। यह उनसे सलाह मिली है, वर्क चार्ज एम्प्लाइज के बारे में कि कोई सरप्लस होता नहीं है, वह रिट्रेन्च हो सकता है। तो टेक्निकल परिभाषा यह निकलती है, इसके बावजूद माननीय सदस्यों को पता होगा, पिछले साल यह प्रश्न जब हमारे सामने जून मई में आया और रिट्रेन्चमेंट के नोटिस जारी हो गये थे, तो 28-27 मई को एक महीने का नोटिस दिया। उस समय की एक बात कहूं कि चाहे कान्स्टीट्यूशनल आब्लीगेशन हो या नहीं, हम प्रयत्नशील रहे कि इन लोगों को किसी तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट में लगा दिया जाय। मैं समझता हूं, हम इस तरह से सोच रहे हैं मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि जितने लोग रिट्रेन्चड किये गये हैं उनमें से एब्जोर्व कुछ लोग हो सकते हैं हो जायेंगे। इन्टरीम रिलीफ की बात जो आयी उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि सारे तथ्यों की जानकारी करके ही इन्टरीम रिलीफ देने की बात सामने आवेगी। यह भी कारपोरेशन की बैठन में उनको तय करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इस एवार्ड को लागू करने में ढील की या हमारी तरफ से इस प्रकार की कोरेसपोन्डेन्स हुई कि एवार्ड को प्रकाशित नहीं किया जाय। मैं इतना कह सकता हूं मेरी जानकारी मे इस प्रकार की कोई बात नहीं है, इस प्रकार के पत्र लिखे गये कि इस एवार्ड को प्रकाशित नहीं किया जाय मुझे पता नहीं किसने लिखा और किसने नहीं लिखा। परन्तु माननीय भैरोंसिंह जी ने कहा कि ऐसा पत्र लिखा है मैं उन्हें यह निवेदन करदूं कि मेरी जानकारी में यह बात नहीं है कि किसने इस तरीके का पत्र लिखा कि एवार्ड पब्लिश नहीं किया जाय। खैर जो हुआ जो कुछ होना था होगया। आपका सवाल था कि एवार्ड पब्लिश हुआ और इसमें माननीय श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने बताया मेरिट डिमेरिट, के कान्सटीट्यूशनल ओब्लीगेशन में न जाकर ऐसी व्यवस्था की जाय की ज्यादा से ज्यादा आदमियों और डिपार्टमेंट में लगा दिया जावे और यदि सीनियर को न रख कर जूनियर व्यक्तियों की नियुक्तियां भी यहां करली गयी है। अगर ऐसा कुछ है कि जुनियर व्यक्तियों को रख लिया और सीनियर व्यक्तियों को सरप्लस कर दिया है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तमाम मसले को देखा जा सकता है। इस तमाम बातों का समाधान यद्यपि मैं यह जानता हूं हाई कोर्ट में जाने से न इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मे जाने से होगा। सेक्रेट्री ने पांच पाइन्ट लिख कर पत्र में भेजे हैं और एग्रीकल्चर सेक्रेट्री

(श्री शोभाराम)

का पत्र पढ़कर सुनाया, एग्रीकल्चर कोरपोरेशन को लिखे गये पत्र को उसमें जो लोग सरप्लस किये गये हैं इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। इस विवेचन से मैं समझता हूं कि समाधान नहीं होने वाला है। इस तरफ से एक बात नहीं कही जा सकती है। उस तरफ से भी कही जा सकती है, किन्तु मैं मानता हूं कि इन तमाम बातों के बारे में कारपोरशन के अधिकारियों से मिलकर जो कुछ नयी स्थिति उत्पन्न हुई है और कारपोरेशन के बढ़ते हुए काम के अन्दर, मैं समझता हूं कि जितनी गुन्जायश हो सके उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें लगावें अगर फिर भी कुछ रहते हैं तो मैं समझता हूं कि जरूरी यह है कि जी.ए.डी. को लिस्ट भेजकर उनको लगाने की चेष्टा करें और उसका विचार करें।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय हाउस ठंडा ज्यादा है ठंड लग रही है।

श्री भैरोंसिंह : कोई ठंडक नहीं है।

श्री शोभाराम : तो मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय इंटरिम रिलीफ का जो जिकर किया गया है उसके बारे में यह निवेदन है कि एवार्ड कहता है कि इन्टरीम रिलीफ को एडजस्ट किया जाय, वह कर देते हैं तो भी बड़ी रकम नहीं होती है। वैसे सवाल रकम का नहीं है सवाल यह है कि उनको रोजगार पर कैसे रखें। यह बुनियादी सवाल आ जाता है मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि कारपोरेशन के बारे में जो जिक्र किया गया है कारपोरेशन का जैसा कहा कमिटमेन्ट था और जो काम का एलोकेशन हुआ उसके हिसाब से कारपोरेशन को इन लोगों की जरूरत नहीं है और मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स जो वर्कशाप में चलती थी उनका काम खतम हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम्बल दे दें ठन्ड लग रही है।

श्री शोभाराम : तो उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि इम्प्लीमेंट्स की भी बात हुई। इन्टरीम रिलीफ की बात कही। और मैं समझता हूं कि कुछ ट्रेड खतम होकर जो ट्रेडिशनल हमारे इम्प्लीमेंट थे, उनकी अब जरूरत नहीं रही। अब कारपोरेशन की बात है वह कितने लोगों को एब्जोर्ब करेगा, कितनों को नहीं। जो मौजूदा एक्टीविटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए कह कुछ कर सकता है वह नहीं। पहले जो बकेट्स बनाते थे और बैल द्वारा चालित यन्त्र बनाते थे इनकी जरूरत नहीं है अब जो वहां लोग लगे हुए थे, उनके लिए कहा कि वह वही काम करेंगे उनको काम पर लगायेंगे। यह बात नहीं होगी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कोरपोरेशन के लिए यह नहीं कह सकता कि पुराने ढंग से जो वर्कशाप चलता था उसी ढंग से चले। सवाल यह रहता है कि न समस्याओं को हल कैसे किया जाय। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी विचार करके कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे यही कह सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने जो इतना लम्बा चौड़ा विवरण दिया उससे एक बात ही निकलती है कि उनके दिल में हमदर्दी बहुत है कर्मचारियों के प्रति...

Page No 77

श्री शोभाराम : 80 लिये हैं।

श्री दौलतराम सारण : लम्बी भूमिका के बाद उन्होंने कहा कि कैसे रोजगार मिल पाये इसका वास्तव में वह उपाय खोज रहे हैं बुनियादी सवाल की बात की जा रही है। उन्हें बुनियादी बात अभी मिली नहीं है। इससे मालूम होता है सरकार कितनी उदासीन है कारपोरेशन की रिपोर्ट अभी देखी है उसमें दुनिया भर के ख्वाब लिये गये हैं लेकिन उसमें यह बात नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। मैं आपसे निवेदन कर दूं उपाध्यक्ष महोदय, 181 आदमी हैं जो दस दस वर्ष से काम पर लगे हुए हैं जिनको गला पकड़ कर बाहर निकाल दिया है। श्रमिक बेचारे कोर्ट्स में मारे मारे फिरते हैं लिटीगेशन में मर रहे हैं बेचारों की क्या हालत है कुछ लोग....

श्री भैरोंसिंह : दो तो मर गये हैं। कोई हल नहीं निकाला गया है।

श्री दौलतराम सारण : कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं कोई हल नहीं निकाला गया है। हमने इस कारपोरेशन के संबंध में पिछले सेशन में भी काफी चर्चा की है कि कारपोरेशन के अन्दर बहुत ही भ्रष्टाचार है। यह कारपोरेशन भष्टाचार का अड्डा है खुले आम पैसा लिया जाता है और जो लोग चोरियां करते हैं, अफसरों के लिये गलत काम करते हैं उन श्रमिकों को रख लेते हैं और जो घोटाले नहीं करते उनको रहने नहीं दिया जाता है। श्रमिकों को रहने नहीं दिया जाता है जो पोल खोलते है उनको रिट्रेन्च करने की धमकी दी जाती है। उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाता है ट्रेक्टर्स के मामले में भी यहां खूब भ्रष्टाचार फैला हुआ है लेकिन कारपोरेशन के आफिसर इन सब गड़बड़ियों पर लीपापोती कर दबाना चाहते हैं लेकिन आज जो अन्याय हो रहा है उनके प्रति हमदर्दी दिखा कर उसकी बुनियादी हल खोजने में लगे हुए हैं अब भी भाषण देने के बाद भी मिला नहीं है। जी. ए. डी. में भेजने की बात की जाती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत माननीय मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों से पेट नहीं भरता है। हम चाहते हैं कि आज जो 181 श्रमिक गरीब मारे मारे फिर रहे हैं उन में से कइयों के बच्चे बिलख बिलख रहे हैं भूख के मारे। एक दो बच्चे मर चुके है लेकिन मन्त्री महोदय अभी तक बुनियादी हल ढूंढने में लगे हुए हैं। इस निगम में घोर भ्रष्टाचार है जिनको निकालना चाहते हैं उनको सरप्लस कर देते हैं और दूसरी पोस्ट्स का नाम बदल कर अपने आदमियों को रिश्तेदारों को रख लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय की समझ में बात आगयी हैं उत्तर देने दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : इन से मेरा निवेदन है कि जिन श्रमिकों को हटाया गया है जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें तुरन्त काम पर लिया जाय उनकी हत्या नहीं की जाये। उनके साथ पूर्णतया हमदर्दी करके उनको तुरन्त काम पर लगाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन सबको सामूहिक रूप से वापस लिया जाय। एक तरफ तो समाजवाद की बातें करते हैं समाजवाद की दुहाई देते हैं दूसरी तरफ गरीब श्रमिकों को निकाला जाता है। मैं मुख्य सचेतक जी को देख रहा हूं।

Page No 78

(श्री दौलतराम सारण)

वह श्रमिकों की भलाई को बात करते हैं लेकिन वह एक कौने में दुबके बैठे हुए हैं और इन श्रमिकों के लिये कुछ नहीं बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : 15 मिनट से भाषण दे रहे है लेकिन यह नहीं कहा कि उनको वापस रख लिया जाय, आप पैरवी कर रहे हैं दूसरी तरह की।

श्री दौलतराम सारण : 20 श्रमिकों की एक दिन की रोटी का तो पान चबा जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह सोच रहा हूं कि आप श्रमिकों के लिये कुछ कहेंगे आपको पन्द्रह मिनट हो गये हैं लेकिन यह नहीं कहा कि वापिस लिया जाय। इस तरह बेकार भाषण दे रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये और इन श्रमिकों को निगम से नहीं निकाला जाय। इस बारे में निगम के साथ बातचीत करके निर्णय करना चाहिये। निगम के पास योजनायें हैं उससे उत्पादन क्षमता को बढ़ायें। उन योजनाओं को कार्यान्वित करने की कोशिश की जाये उन योजनाओं को क्रियान्वित करने से उत्पादन में वृद्धि होने से निगम के पास इतने ही श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि इससे ज्यादा की आवश्यकता होगी। केवल इतना फर्क है कि ये नाम बदल कर रख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनको नाम बदलने की ही इच्छा हो तो चपरासी का नाम बदल कर सहायक रखले। जैसाकि माननीय वित्त मन्त्री जी माथुर साहिब ने जेल में कैदियों का नाम बदल कर साथी रख लिया है उसी तरह आप भी इनका नाम बदल कर भैय्या रखलें।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर आगे बहस नहीं होगी माननीय सदस्य इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो न्यायालय में निर्णय होगा उस पर एक्ट करेंगे या नहीं। अमल में लावेंगे या नहीं। अदालत ने कहा कि लीगली राइट नहीं है तो क्या आपकी रेसपोन्सिबलिटी नहीं है कि न्यायालय की प्ली को स्वीकार करें। आप न्यायालय के फैसले को इम्पलीमेन्ट करेंगे या नहीं ?

श्री शोभाराम : न्यायालय के फैसले को इम्पलिमेन्ट नहीं करेंगे तो फिर जिंदा कहां रहेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर कब करेंगे ? सीधी बात है।

श्री शोभाराम : न्यायालय के वर्डिक्ट को इम्पलीमेन्ट सब को करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है किसी के सामने।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्टेरिम रिलीफ...

श्री शोभाराम : यह प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : इन्टेरिम रिलीफ के संबंध में जो अवार्ड हुआ है, उसका पालन करेंगे या नहीं ?

श्री शोभाराम : आप बारबार इस बात को कहते हैं। कोई भी अवार्ड होता है तो अवार्ड को किस तरह से मनाना पड़ेगा उसका एग्जीक्यूशन होता है एटीट्यूड की गुंजाइश यहां नहीं है लीगल मैटर्स पर एटीट्यूड नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक महीने को मियाद कर दी है पब्लिकेशन के बाद एक महीना और भूखा रखना चाहते हैं इम्मीजिएट कर दें वरना पेमेन्ट ऑफ वेजिज के तहत वह दावा करें, डिक्री लायें, नीलामी हो, इससे क्या फायदा ?

श्री शोभाराम : एग्रीकल्चरल इन्जीनीयरिंग बोर्ड के खिलाफ इन्होंने लिखा है परन्तु जैसा आपको मालूम है जब यह दावा किया गया था, क्लेम प्रेजेन्ट किया था जून में यूनियन की तरफ से उस समय वर्कशाप का टेकोवर नहीं हुआ था बाद में हुआ। बोर्ड के सक्सेसर्स निगम है, निगम में बोर्ड है।

श्री भैरोंसिंह : बुनियादी बात मंत्री महोदय स्वीकार कर लें, इनको नौकरी देनी है, मैं बुनियादी बात पूछना चाहता हूं। इस अवार्ड को मनवाने के सम्बन्ध में और इन कर्मचारियों को वापस नौकरी मिले इस सम्बन्ध में निगम जितना काम कर सकती है, उस काम को करवाने के लिए कारपोरेशन एक्ट के तहत जो राज्य सरकार को निर्देशन देने का अधिकार है, क्या राज्य सरकार उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए निगम को निर्देशन देने का विचार रखती है ?

श्री शोभाराम : जहां तक निगम की सेवाओं में इनको लगाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि भी हैं और मैंने आप से कहा जहां जहां गुन्जाइश होगी निगम में, इनकी एक तरीके से जो आवश्यकता मीट कर सकते हैं, इनको लगाने के लिए हम जरूर कहेंगे कि जो आपकी एक्टिविटीज हैं, इसमें इनको प्राथमिकता दी जाये कौनसी कौनसी जगह पर, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक निगम को इस अवार्ड से मनवाने का सवाल है, उनसे बात करनी पड़ेगी, ओटोनोमस संस्था है, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में मामला जाएगा। अब जो कुछ बातें हैं, चूंकि इसकी लीगल काम्प्लीकेशन्स हैं, एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग और वर्कशाप का सवाल है, उसका जो सक्सेसर होगा वह एम्पलायर होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सक्सेसर बाऊण्ड होगा, गवर्नमेंट आर्डर में होगा। जो भी सक्सेसर होगा एग्रीकल्चरल वर्कशाप का वह असेट्स व लायबिलीटीज लेगा।

श्री शोभाराम : मैं ज्यादा नहीं कहता। मैं कहता हूं कि जो सक्सेसर है, जो आटोनोमस संस्था है, उससे बात करनी है और वह बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के द्वारा निर्णय लेते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने कहा उनसे बात करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एटीट्यूड सरकार का ठीक नहीं है कि इन्डवीज्यूअल आदमी ....

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री दिग्विजसिंह व श्री जय नारायण बालोदिया मुख्यमन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने प्रस्ताव के द्वारा मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहा था, वह विराजमान नहीं है। इसलिए मैं अपना प्रस्ताव नहीं रखता।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बैठा हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : आपके बदौलत उनकी पदोन्नति हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मत रखो, आपकी इच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद। पहले कांग्रेस पार्टी।

आय-व्ययक 1971-72 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चल रही बहस के दौरान, इस बजट के भाषण को देखने से और पढ़ने से मालूम हुवा कि जो चुनाव के अन्दर देश में समाजवादी नीतियों पर जो चुनाव हुए उसके अन्दर अपनी प्रधान-मन्त्री श्रीमती गांधी का एक मैंडेट जनता से लिया। उससे यह महसूस होता था कि जितने भी राज्यों या केन्द्र में जो बजट आयेंगे वह समाजवाद के कदम को लेकर आयेंगे। हमने इस बजट भाषण को देखा और पढ़ा जिससे यह तो महसूस होता है कि वास्तव में हम समाजवाद की तरफ आ रहे हैं। जहां तक कि अपनी पिछड़ी हुई जातियों और कृषि और ग्रामीण विद्युतीकरण है, उनका इसमें जिक्र आया है। यह भी साथ साथ आया है कि वास्तव में हम कुछ बेरोजगारी की तरफ नौजवानों में जो असंतोष है, उसके लिए भी कुछ कदम उठाए हैं लेकिन जिस तेजी के साथ और जितना जल्दी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो हमें कदम उठाने चाहिये थे, उसके बारे में इस बजट के दौरान मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

सबसे पहले इस बजट के भाषण के अन्दर एक दो बातें बताऊंगा जिनका बिलकुल जिक्र नहीं किया गया है। राजस्थान वीर और बहादुरों का प्रदेश है। इसमें बहुत बड़ी संख्या के अन्दर फौजी रहते हैं। देश की रक्षा करते हैं और जब चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो हमारे राजस्थान के नौजवान चाहे जाट हो चाहे अहीर, राजपूत चाहे क्षत्रिय हो, किसी भी जाति का हो सबने बड़ी बहादुरी दिखाई है, देश की रक्षा की है लेकिन उन भूतपूर्व सिपाहियों के लिए जमीन एलाटमेंट के लिए उनको प्राथमिकता देने के लिए, उनके बच्चों को कितनी स्कालरशिप मिले, उनके घरों को कितनी कठिनाइयां आती हैं, उनकी सहूलियत के लिए क्या प्रावधान इस बजट में रखा हैं, इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है। आज भी जो नौजवान देश की रक्षा कर रहे हैं अथवा देश की रक्षा करके वापस डिस्चार्ज हो गये हैं या पेन्शन पर आ गये हैं, उनकी जीविका के लिए, उनके बच्चों की जीविका के लिये अथवा उन पर जो मुसीबतें आती हैं उनके समाधान के लिये कोई चर्चा बजट में नहीं है। जहां भी उनकी नौकरियों का प्रश्न आता है, उनके रिजर्वेशन का प्रश्न आता है, वह खाली पेपर पर होता है, और कहीं नहीं होता है। वास्तव में जितनी

(श्री अमीलाल यादव)

गारंटी दी जाती है उनको वहां पर लगाया जाये, उनके सहारे रहें, ऐसा फौजियों के लिये इसमें कोई जिक्र नहीं है। इसलिये वित्तमन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बच्चों की स्कालरशिप और रहन सहन के स्तर पर क्या खर्चा हुआ, वह इसमें नहीं लिखा है। वह अब जब बजट पास करेंगे तब रखने की कृपा करेंगे।

पिछड़ी हुई जातियों से भी दूसरो गरीब, जातियां हैं। पिछड़ी हुई जातियों के लिये आपने 28 परसेन्ट का प्रावधान किया है, बेरोजगार हैं, उनको तनख्वाह और वजीफा देने का प्रावधान है, वह अत्यन्त सराहनीय है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बेरोजगारों के लिये रखा है उसी प्रकार दूसरी जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जैसे नाई हैं, कुम्हार हैं, न जिनके पास जमीन और अन्य साधन हैं और न कुछ उनके लिये भी कुछ रखना चाहिये। इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रावधान पिछड़ी जातियों के लिये रखा है वह न रखें। वह तो जरूर रखें ही।

(2.00 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति, पदासीन)

लेकिन जिस प्रकार इनके लिये 28 परसेन्ट का प्रावधान रखा है उसी प्रकार दूसरी जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जिनके पास आय के बिलकुल साधन नहीं हैं, जिनके पास जमीन नहीं और न ही रोजगार है बारह महीने जो बेरोजगार रहते हैं उनके लिये कम से कम 25 परसेन्ट का प्रावधान कर दीजिये।

इसके साथ साथ बेरोजगारी के मामले में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बेरोजगारी की समस्या है यह एक जटिल समस्या है। इस ओर कदम बढ़ाया वह तो सराहनीय है। जहां आप बेरोजगारी मिटाने का प्रावधान लाते हैं वहां दूसरी ओर बेरोजगारी बढ़ाने का भी साधन बनाते हैं।

एग्रो इन्डस्ट्रीज के ट्रेनीज की बात चल रही थी। 70 में सितम्बर के महीने से 31 दिसम्बर तक एक ट्रेनिंग डिप्लोमा होल्डर्स को दी गयी थी। वे सक्सेसफुल हो गये। जिस प्रकार दूसरे डिप्लोमा होल्डर्स और इन्जीनियर्स को रोजगार दे रहे हैं उसी प्रकार उन लोगों को भी दें। आज उनका भविष्य अंधकारमय है। वे घर घर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। उनको लगाया जाय जो। भी प्रावधान रखा है वह तो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन जो इम्पली-मेन्टेशन होता है वह ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा होता है। कहां कितना पक्षपात होता है, कितना एम्पलोयमेन्ट मिलता है उस चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा केवल नीतियों की ही बात करूंगा कि समाजवाद और गरीबी को हटाने की बात है उसको ईमानदारी से करना चाहिये। वास्तव में यह देखना चाहिये कि जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इन्जीनियर्स हैं या टेक्निशियन्स हैं पहले तो उनका काफी रुपया पढ़ाई में खर्च हो जाता है, ट्रेनिंग ली और फिर भी उनका भविष्य अन्धकारमय हो जाता है। मैंने यह एक छोटी सी मिसाल दी है। आप बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप बढ़ा भी रहे हैं। बेरोजगारी के लिये सरकार जिम्मेदार है। हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, शिक्षा और अन्य

(श्री अमीलाल यादव)

बातों की दृष्टि से, इसलिये यहां पर ऑटोनोमस बोडी और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इन लोगों को कम्पलसरी तौर पर ज्यादा से ज्यादा नौकरी दिलानी चाहिये। आपने एक एक हजार की संख्या प्रत्येक जिले के लिये रखी वह तो सराहनीय है लेकिन मुझे शंका है, पूर्णरूप से शंका पैदा करता हूं कि जो वास्तव में गरीब होंगे उसका तो पता नहीं लगेगा, कभी किसी को लिया जा रहा है और इस प्रकार से वे नौजवान भी इससे महरूम रहेंगे ऐसी संभावना है। हम लोग भी जो कार्यकर्त्ता है, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, अपने इलाकों की लिस्ट बनायें और उसकों चैकअप करें और डिपार्टमेंट से जो लिस्ट दी जाय उसमें प्रायोरिटी के अनुसार कि बहुत ज्यादा गरीब और उससे कम गरीब, उसके लिये कदम उठाये गये हैं या नहीं, उसको मिला है या नहीं, यह देखें। तब ही यह कहा जा सकेगा कि सहीरूप में जो प्रावधान किया गया है उससे गरीब आदमियों को फायदा होगा और सहीरूप में सही दिमाग से इम्पलीमेन्टेशन होगा।

सभापति महोदय, यह बेरोजगारी की समस्या है वह नौ जवानों में बहुत फैली हुई है। उनको कहीं काम नहीं बताया गया तो मोटी कहावत है कि बछड़े को खूब चराओ और इस्तेमाल नहीं करोगे तो घास ही, खोदेगा।

श्री विजयसिंह : दल बदलने के बाद यह याद आया है।

श्री अमीलाल यादव : इस मामले को कुर्सी से दूर लेजाने की कोशिश करेंगे। पढ़े लिखे नौजवानों के साथ जो मैट्रिक या अपढ़ मैट्रिक तक पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार दें। ज्यादा से ज्यादा आपने दस महीने का प्रावधान रखा है। इसके लिये तो आपको और ज्यादा प्रावधान रखना चाहिये था। इससे और बेरोजगारी बढ़ेगी। दस महीने के लिये रोजगार दे देंगे तो क्या हमेशा के लिये रोजगार नहीं मिल जावेगा। इसलिये इनको हमेशा के लिये लगाया जावेगा। दस महीने के लिये नहीं।

दूसरा प्रश्न आया सदन में कृषि के लिये, देहात में विद्युतिकरण और कृषि को कैसे उन्नत बनाया जाय। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहां पर 80/85 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और देहात में रहते हैं।

कृषकों को विशेष चीजें नहीं चाहिये चाहे आप उन पर कितना ही टैक्स लगा दें या उनके ऊपर भार रख दें। दो व तीन चीजें ही उनको विशेषरूप से चाहिये। वे यह चाहते हैं एक तो कि जो उपलब्ध जमीन उसके लिये उनको भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाय, खाद मिल जावे और बीज मिल जावे। पानी के लिये कुछ जगह नहरें हैं। पर अलवर जिले की बहरोड़, मंडावर, बानसूर इलाके ऐसे हैं जहां कोई नहर नहीं है न उम्मीद है। एक नदी जरूर है साबी जिसके लिये मैं अरसे से निवेदन करता आ रहा हूं। इसकी बान्ध की योजना कागजों में पड़ी है। अगर वह योजना पूरी कर दी जावे तो 30/40 गांवों को काफी लाभ मिल सकता है। पर जब डिमाण्ड पर चर्चा आवेगी तब इस पर विस्तार से जिक्र करूंगा।

(श्री अमीलाल यादव)

अभी तो निवेदन इतना ही करना है कि विद्युतीकरण की जो आपकी योजना है गांवों के लिये उसमें आपको एक नीति अपनानी चाहिये कि जहां नहरें आदि के साधन नहीं हैं, पर जमीनें अच्छी है कुओं में काफी पानी है आदमी बड़े महनती हैं उसको सबसे पहले बिजली देनी चाहिये। मैं बहरोड़ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि बहरोड सब डिविजन हरियाणा से तीन ओर से घिरा हुआ है। हरियाणा के लिये हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि वहां एक भी ऐसा गांव नहीं है जो बिजली वाला न हो या सड़कों से नहीं जोड़ दिया गया हो।

इसलिये निवेदन है कि जहां कुए हों, अच्छे खेत और जमीन हो, उपजाऊ हो, मजबूत महनती किसान हों और पड़ौस में ऐसा राज्य हो जो पूर्णतया विद्युतीकृत हो ऐसे इलाकों में आप भी बिजली देने में प्राथमिकता दें। झुंझनूं भी ऐसा ही इलाका है, सीकर की भी यही हालत है। तो सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर, अलवर जिलों में जहां और कोई योजना नहीं चलाई जा सकती वहां बिजली देने में सबसे पहले प्रायरिटी देनी चाहिये।

तिजारा मंडावा, बहरोड़, बानसूर, तहसीलें हरियाणा से तीन ओर से घिरी हुई हैं इसलिये वहां पर सघन योजना कायम होनी चाहिये। इसलिये इस विद्युतिकरण के बारे में और अधिक न कहते हुए मैं विद्युत-मन्त्री से और फाइनेन्स मिनिस्टर से निवेदन करूं कि जिन जिलों में कोई बहुत बड़ी नहर या इरिगेशन के साधन न हों या दूसरी तरह के साधन न हों, पर काफी कुए हों, अच्छे पानी वाले कुए हों, खेत अच्छे हों आदमी महनती हों वहां बिजली ज्यादा से ज्यादा देने का प्रावधान और धनराशि रखना चाहिये। आप भी जब दिल्ली पधारते हैं तो इसी रास्ते से गुजरते हैं और यह सब आप बरावर देखते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विशाल हरियाणा पार्टी का डर लग गया है।

श्री अमीलाल यादव : विशाल हरियाणा पार्टी से हम डरने वाले नहीं हैं। न विशाल हरियाणा पार्टी हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। हमने उसको 75 हजार से डिफीट दी है। बहरोड़ में चन्द वजूहात थे नहीं तो हमने विशाल हरियाणा पार्टी को 75 हजार वोटों से हराया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो बहरोड़ में ही जीते हैं, हमारे यहां से तो हार कर गई है। तुमको डर होना चाहिये।

श्री अमीलाल यादव : विशाल हरियाणा पार्टी से मैंने कहा न कि हम डरने वाले नहीं है। इसलिये उसकी हमें परवाह नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : ऐसा है तो फिर कांग्रेस में क्यों गये?

श्री अमीलाल यादव : यह सही है कि वह इलाका कई सालों से पिछड़ा रखा गया है। किसी ने ध्यान नहीं दिया है हालांकि मिनिस्टर महोदय उस इलाके के काफी संख्या में रहते आये हैं। कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सारे राजस्थान को वे एक दृष्टि से देखते है।

(श्री अमीलाल यादव)

अब मैं सड़कों के बारे में जिक्र करूंगा। बजट बहुत अच्छा, प्रावधान अच्छे रखते हैं, प्रगतिशील है फाइनेन्स मिनिस्टर बड़े समाजवादी है, पर इम्पलीमेन्टेशन अगर सही तरह से कर दिया जावे तो इसमें भी तेजी आती जावेगी।

पर मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि मुझे शक है कि जो रुपया दिया जाता है, जो प्रावधान रखा जाता है उसके अन्दर देरी की जाती है। देरी का कारण है हमारी समाजवादी यह सरकार जरूर है पर इसके आई० ए० एस०, आर० ए० एस० आदि जो नौकर हैं सेक्रेटरी वगैरह हैं उनका दिमाग समाजवादी नहीं बना है। वे वैसे ही ब्यूरोक्रैट्स हैं। उनको अगर यह कहा जावे कि आप योजना को जल्दी इम्पलीमेन्ट करिये तो वे इसे अपनी तौहीन मानते हैं। सोचते हैं हमसे यह छोटा सा आदमी आकर ऐसा क्यों कहता है। हिमाकत से बात करता है यह। तो इस नौकरशाही को ठीक करना होगा। इस समाजवादी बजट का इम्पलीमेन्टेशन भी समाजवादी तरीके से तभी हो पावेगा जब इसको इम्पलीमेन्ट करने वाली नौकरशाही का दिमाग भी समाजवादी बन जावेगा।

तो रोड्स के बारे में कितने मील की सड़क आप बनावेंगे इसकी कोई योजना बजट में नहीं दिखाई दे रही है। यही क्या जो बोर्डर एरिया की सड़कें हैं वे भी वर्षों पहले जो बनीं वे ही बनीं नई कुछ नहीं बनाई गई, और न उन पुरानी सड़कों की मरम्मत ही कराई गई है नवाब साहब स्वयं जानते होंगे कि मांडला, काठवा परतापुर, नीमराना में 54 में सड़कें बनीं तब से एक पैसा उन पर नहीं लगाया मरम्मत तक नहीं कराई गई। अब उनकी हालत यह है कि बसें तो उन पर क्या चलेंगी बैलगाड़ियां तक चलना मुश्किल है। तमाम रोड़ियां उखड़ गई हैं। सड़क लगभग समाप्त हो गई है।

इसलिये निवेदन करता हूं कि जो यह बजट है इसमें सबसे ज्यादा रकम पी. डब्लू. डी. में सड़कों की मरम्मत के लिये ज्यादा रखना चाहिये। दूसरी स्टेटों की लिंक रोड़ है उनकी भी मरम्मत कराई जानी चाहिये। जो 54 में टारगेट रखा उसके बाद 66 की जो सड़कें हैं उनको प्रायरिटी में रखा जावेगा। 69 हजार का आपने प्रावधान रखा है। पर इससे होगा क्या ?

इसके बाद 62/63/64 में जो सड़कों के लिये प्रावधान रखा है उसे पूरा किया जाना जरूरी है। दूसरे जो भी टुकड़े हैं, तीन, पांच मील के जो टुकड़े हैं और दूसरी स्टेट्स से लगे हुए हैं उनकी लिंक रोड़ बनना बहुत लाजमी है और लाजमी तौर से इसकी योजना बनाकर इसको हाथ में लेना चाहिये।

दूसरा, सूक्ष्म सुझाव सभापति महोदय, आपकी मारफत सरकार को यह देना चाहता हूं कि जिन एरियाज में कतई नहर नहीं है, बंध नहीं है, लाजमी तौर पर उन एरियाज का एक साल के अन्दर अन्दर विद्युतिकरण कर दिया जाये। इस तरह एक टेन्टेटिव प्रोग्राम के साथ आप चलें। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के भाषण में इस तरह का आश्वासन जरूर दिया गया है। यह सुन्दर गति आश्वासन के रूप में भाषण के अन्दर दी गई है। भाषण के रूप में जो गति है वही गति काम की होनी चाहिये। कितने दिनों में

(श्री अमोलाल यादव)

इसे पूरा कर दिया जायेगा। इसे तेजी के साथ कहा गया है। पहले की गति से जरूर यह गति तेज है परन्तु उस तेजी के साथ नहीं है जितनी तेजी इन चुनावों के दिनों में आपको देखने को मिली है। खासतौर से किसानों, हरिजनों और देहात के लोगों ने और शहरों के लोगों ने भी तेजी के साथ समाजवाद की विचारधारा के पक्ष में अपना मत दिया है। उन्होंने मत देकर बहुत शक्ति दी है और इस बात की छूट दी है, अच्छी तरह से मौका दिया है कि आप समाजवाद को सही मायने में लायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये आपको टारगेट्स फिक्स अप करने चाहिये।

सभापति महोदय, यह निवेदन और करना चाहता हूं कि जो गरीब मेहतर है, वह सफाई का काम करता है परन्तु उनके घरों को आप देखेंगे तो यह पायेंगे कि यह मच्छरों, गड्डों से भरा पड़ा है और एक एक झोंपडी के अन्दर बीस/बीस आदमी गुजारा कर रहे हैं। उनके रहने का कोई इन्तजाम नहीं है। उनके लिये पानी का कोई इंतजाम नहीं है। मैं अभी टूर पर गया था शाह–जहांपुर और नोमगा, तो वहां के लोगों ने मुझे बताया है कि वहां पर नल योजना चल रही है परन्तु जो टूटियां है उनसे पानी नहीं मिल रहा है। उनसे पानी नहीं दिया जा रहा है। आपने इस बजट में यह प्रावधान रखा है कि उनको पानी दिया जायेगा। ग्राम पंचायत का भी प्रस्ताव है परन्तु उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। इसलिये कम से कम रोशनी और उनको पानी फ्री होना चाहिये। (समय समाप्ति सूचक घंटी) इसलिये कम से कम रोशनी और पानी उनको मिलना चाहिये। (समय समाप्तिसूचक घंटी) ये गरीब लोग हैं। हरिजन बस्ती में रहते हैं। जो शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियां हैं, उनके अन्दर बिजली, पानी बिलकुल इस वर्ष के अन्दर सब जगह मुकम्मिल तौर पर दिया जाना चाहिये, यह घोषणा आपकी होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि वहां पर बहुत गन्दगी है। उसको मिटाने के लिये उनके लिये सड़क बनाये जाने का प्रावधान रखा जाना चाहिये। म्युनिसिपल एरिया के अन्दर यह आपने रखा है। गांवों के अन्दर जो हरिजन बस्तियां हैं वहां पर भी बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि जिन ग्रामों की संख्या 5000 तक की है उन गांवों के लिये यह प्रावधान रखना चाहिये जो म्युनिसिपेलिटी एरियाज के लिये रखा गया है। 5000 तक या इससे अधिक आबादी वाले जो ग्राम हैं, इस जनसंख्या के जितने भी ग्राम हैं, वहां की हरिजन बस्तियों में सड़क का प्रावधान रखा जाना चाहिये। इसके लिये इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज कल्याण मंत्रीजी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से चर्चा करके इसका प्रावधान करेंगे।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, मुझे थोड़ा शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना है। शिक्षा वैसे ही बहुत कम है राजस्थान में। इस शिक्षा के अन्तर्गत यह जो कालेजेज खोलने की बात है, वह बजट एलोकेशन में समाजवाद की तरह होनी चाहिये। यह समाजवादी बजट है, लेकिन यह समाजवाद केवल यही न हो कि एक

(श्री अमीलाल यादव)

मंत्री महोदय आपस में बात करके एक कॉलेज अपनी कान्स्टीट्यूएंसी में करवा लें। इसलिये बजट में इसका प्रावधान हो जाना चाहिये। मैं यह देखता रहा हूं आज तक यह महसूस करता चला आ रहा हूं कि वास्तव में मंत्रीगण एक दूसरें की जगह का काम करते हैं। आपकी नीति सारे राजस्थान के विकास की होनी चाहिये। मैं आपको एक बहरोड़ की मिसाल देता हूं। वहां पर 13 सेकेन्डरी स्कूल है और मन्डावर, बहरोड़ में मैं समझता हूं कि इतने लड़के है कि वे बिना एडमिशन के रह जाते है और वे हरियाणा में, रेवाड़ी में जाकर एडमिशन लेते हैं। वहां पर भी यह नतीजा होता है कि जो प्राइवेट कालेजेज हैं उनमें उनको एडमिशन लेना होता है और इस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आज की परिस्थिति में बहरोड़ के अन्दर कालेज की बहुत आवश्यकता है।

श्री सभापति: ये क्षेत्रीय मांगें हैं। बजट की डिमाण्ड पर भी आप इनको उठा सकते हैं।

श्री अमीलाल यादव: सभापति महोदय, कॉलेजेज का इसमें जिक्र किया गया है इसलिये यहां पर निवेदन कर रहा हूं। बहरोड़ को भी एक कॉलेज दिया जाना चाहिये इसके आप एक और चौथा प्रावधान इस बजट के अन्दर रखें।

सभापति महोदय, इसमें लड़कियों की शिक्षा के बारे में, तसकरा नहीं है। लड़कियों की शिक्षा के बारे में, उनके टेक्नीकल एजूकेशन के बारे में, और उनको वजीफा देने का कोई तसकरा इस बजट भाषण में नहीं है। यह भी एक तरफ से पूअर सेक्शन है, वीकर सेक्सन है जिस तरह शिड्यूल्ड कास्ट वगैरह का वीकर सेक्शन कहलाता है उसी तरह से यह नारी जाति है। जो गर्ल्स स्टूडेन्ट्स हैं उनको शिक्षित करेंगे तभी वे बहादुर होंगी। शिक्षित नहीं करेंगे तो बहादुर कैसे होंगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये भी अलग से प्रावधान किया जाना चाहिये। गर्ल्स एजूकेशन के ऊपर अधिक खर्चा किया जाना चाहिये। हमारे राजस्थान में खास–तौर से पर्दा सिस्टम है और शिक्षा के बारे में इस मामले में वह पिछड़ा हुआ है इसलिये इनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। पर्दा सिस्टम अभी जो उधर से मान–नीय सदस्य बोल रहे थे उनके यहां तो बहुत ही ज्यादा है। इसलिये गर्ल एजूकेशन के बारे में राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये, उनको ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिये। राजस्थान वैसे ही पिछड़ा हुआ है और उसमें लड़कियां और पिछड़ी हुई हैं इसलिये इसमें ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है।

अन्त में, सभापति महोदय, आपकी मार्फत समाज कल्याण के बारे में थोड़ा सा निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे बह–रोड़ में भी शिड्यूल्ड कास्ट का एक छात्रा-वास खोलने का प्रावधान रखेंगे, यह मेरा निवेदन है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री विजय सिंह मकराना।

श्री विजय सिंह (मकराना): सभा पति महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने यह जो

Page No 87

(श्री विजयसिंह)

बजट भाषण किया है, उसके बारे में हमारे यहां एक कहावत है।

"लाल किताब में लिखा यों,
तेली ने बैल लड़ाया क्यों ?
खिला पिला कर किया संड
रहा बैल का बैल
और पचास रुपया दंड।"

इस तरह की यह किताब है। इस लाल किताब में समाजवाद का पता नहीं है और कहा जा रहा है कि समाजवाद ला रहे हैं, सवाल बजट का था और हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने इलेक्शन स्टंट रचाना शुरू कर दिया इस किताब में। और प्रगति यह कर देंगे, वह कर देंगे। यह कम से कम चार साल से सुनते आये हैं परन्तु आपने कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो घाटे ही घाटे का बजट हर साल आता है उसको आपको कम करना है तो टैक्सेज अधिक बढ़ाने के बजाय सबसे पहले आपको इस प्रकार की समस्या हल करनी चाहिये कि राजस्थान के अन्दर जो खर्चा है और खास तौर से जो मन्त्रिमण्डल पर खर्चा है, वह कम किया जाय और उसको कम करने के लिए जो आपने 36 मन्त्रियों की फौज बैठा रखी है उसमें से आपको 10-12 मन्त्री रखने चाहिये. क्योंकि 10-12 मन्त्रियों से राजस्थान का कार्यभार अच्छी तरह चल सकता है। अंग्रेजी में कहावत है ज्यादा रसोइया रखें तो खाना खराब कर देते हैं। इस प्रकार 36 मन्त्रियों की फौज है वह सरकार के काम को बिगाड़ देती है। एक मन्त्री किसी बात का आर्डर देते हैं तो दूसरे मन्त्री अपने चमचों को पनपाने के लिए दूसरा आर्डर दे देंगे। अगर 10-12 मन्त्री करें तो डर किस बात का है आपको डर यह है मन्त्री कम करेंगे तो दल बदल लेंगे। हम वायदा करते हैं ऐसे निकम्मे मन्त्रियों को हम नहीं लेना चाहेंगे, फिर आपको डर किस बात का है और यह जो फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है उसको कम कीजिये मैंने कल ही एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था और वह हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर जसराज जो हैं उनके बारे में था। वे हमारी पार्टी के थे। उन्होंने, सभापति महोदय, उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा 67 में। एक बहुत बड़ी बात कही है मेरे सामने वित्त मन्त्री जी आये और फलां आदमी आया और दो हजार रुपये लेकर आये परन्तु मैंने दल नहीं बदला। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे मकराना में एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, वह चोर था, वह चोर था और अपनी भेड़ बकरियों को लेकर गच्छीपुरा गया। एक रेल्वे के प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति ने कहा यह बकरी मुझे दे दो, कितने रुपये इसके लोगे तब उसने कहा तुम कितने देना चाहते हो। उसने कहा मैं 80 रु० दे दूंगा। उस चोर ने बताया मैं अस्सी वस्सी कुछ नहीं जानता रुपये तीन बीसी लूंगा। वह समझ गया यह चोर है। ऐसे ही जसराज जी हैं कि मेरे पास डेढ डेढ लाख रुपये लेकर आये ......(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : आपके पास प्रमाण है क्या ?

श्री विजय सिंह : प्रमाण तो उनके रहन सहन .....

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : डेढ लाख और दो लाख के आपके पास कोई प्रमाण हैं क्या ?

श्री विजयसिंह : ······ जिस व्यक्ति का रहन सहन ······

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़) : नहीं विजयसिंह जी यह बात नहीं है तीन लाख वाला 10 हजार तो पा सकता है···।

श्री विजय सिंह : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मन्त्रिमण्डल के अन्दर मन्त्री करता क्या है। पाली के डाक बंगले में, जवाजा के डाक बंगले में जाते हैं और वहां नर्तकियों को नचाते है। ये हमारे वित्त मन्त्री जी जिनके बारे में कही जाती है तो कोई बात नहीं है क्योंकि जागीरदार और मुन्शी मुसद्दी ऐसा किया करते थे। हमारे यहां तो शादी विवाह में भी नर्तकी नचाते हैं। आपके समाज में ऐसा करना बहुत बुरा हो सकता है। आपके समाज में मांस खाना बहुत बुरा हो सकता है किन्तु हमारे यहां शिकार करना धर्म है तो हमारे जसराजजी नर्तकियों को नचायें। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। मेरे पास उसके सबूत हैं परन्तु जैसे माननीय भैरोंसिंह जी ने मा० बृज-सुन्दर जी के बारे में एक मामला उठाया था और टेप रेकार्ड हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को दे दी परन्तु हुआ क्या मामला खटाई में पड़ गया, कुछ नहीं हुआ। मैं यह टेप रेकार्ड नहीं देने वाला हूं क्योंकि आपको मालूम है राव जोधा जी को सबक मिला था तो मुझे भी मा० भैरोंसिंहजी और माननीय अध्यक्ष से सबक मिल गया। आप कहें तो बता सकता हूं इसके अन्दर यह एक टेप है जिसके अन्दर आप चाहें तो, आप सुनेंगे तो इसके अन्दर झनकझनक पायल बाजे डाक बंगला जवाजा में सुना जा रहा है और यह एक दूसरा टेप है जिसके अन्दर कुहू कुहू कोयल बोली, इसमें हमारे वित्त मन्त्री जी मद मस्त हो रहे हैं और इसके (तीसरी टेप दिखाते हुये) अन्दर उस नर्तकी की करुण कहानी है जिसके साथ अभद्र व्यवहार माननीय जसराजजी ने किया। यह मेरे पास है। अगर सदन की अनुमति हो तो मैं इसको सुना सकता हूं और आप को इसके अन्दर किसी प्रकार डाउट हो तो चाहे जो ऐक्शन मेरे खिलाफ ले सकते हैं और अगर साबित हो जाय तो कड़े से कड़े कदम मा० उप मन्त्री के खिलाफ उठाये जाने चाहिये। परन्तु होगा क्या ? होना जाना कुछ नहीं है। परन्तु हम इसको साबित करके छोड़ेंगे। जो लाखों रुपया इस राजस्थान सरकार से लेते हैं वह इस प्रकार लाखों रु० लेकर फोकट की कारों में घूमते फिरते है। जहां बेरोजगारी है, लाखों लोगों को रोजी नहीं मिलती उन लाखों लोगों की किस्मत को लूटा जाता है।

मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आपकी सांभर लेक पंचायत समिति ने एक किताब निकाली 66 में जब मैं एम०एल०ए० नहीं था। सुखाड़िया साहब की फोटो चेप दी, अन्दर दामोदरजी की फोटो चेप दी। उसके बाद विष्णुदत जी जिलाधीश और यह हैं हमारे सहदेव जी दल बदलू, यह बी०डी० ओ० और यह हैं एस० डी० एम० की फोटो चिपका दी और पब्लिश कर दिया कि हमने जमीने बांट दी और बहुत से गांवों के नाम बता दिये। परिशिष्ट (ख) हैं जिनको कृषि के लिये भूमि आवंटित की जा चुकी हैं भंसावा, जोबनेर, रोजड़ी, बस्सी नागा इस तरह काफी गांवों के

(श्री विजयसिंह)

नाम हैं। उनके द्वारा बताया गया है 15 बीघा भूमि हर गांव को अलाट की है। इसके लिए मैंने अतारांकित प्रश्न किया जो 13 तारीख को 218 नं० पर आया है और उसका जवाब मुझे मिला है— यह मिला है (पुस्तक दिखाते हुए) इस प्रकार कि इसके किताब में यह लिखा हुआ है परन्तु जमीन अलाट नहीं की गई है अतः खसरा नं० व कब्जा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। किताब में तो लिख दिया जमीन बांट दी और यह विधान सभा में जवाब दिया किसी को जमीन अलाट नहीं की इसलिए खसरा नं० का सवाल नहीं उठता है। इसी प्रकार फौजियों के लिए जमीन की बात है। इसमें आपने भूमिहीनों को 4752 बीघा भूमि, सैनिकों को 99 बीघा भूमि, स्वर्णकारों को 351 बीघा भूमि, अनुसूचित जाति को 2026 बीघा भूमि और अनुसूचित जन जाति को 608 बीघा भूमि, चरागाह के लिए 5212 बीघा भूमि, आबादी के लिए 448 बीघा भूमि—इसी प्रकार पंचायतों के लिए 31 बीघा भूमि। इस प्रकार आपने ये आंकड़े दे दिये और देने के बावजूद जमीन किसी को अलाट नहीं की तो कहने का मतलब केवल प्रचार रूप से किताबें छापते हैं और सुखाड़िया साहब का ऐडवरटाइजमेन्ट करते हैं, उनकी फोटो छाप छाप कर प्रचार करते हैं। यह आपकी ऐडवरटाईजिंग कम्पनी है। हमारे वित्त मंत्रीजी ने भी इसी प्रकार किताब छाप दी और उसमें लिख दिया हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, हम समाजवाद ला रहे है और पेज नं० 40 में लिखा है–अब म्युनिसिपल कस्बों और उनके आस-पास के गांवों के लिए सरकार ने यह नीति तय की है कि आबादी के विकास के लिए आवश्यकतानुसार इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, हाऊसिंग बोर्ड और नगरपालिकायें कृषि भूमि को अवाप्ति करेंगी तो कहने का मतलब यह है कि मकराना के अंदर जो एग्रीकल्चर की बहुत सी भूमि फैक्टरीज के नीचे पड़ी हुई है और उन फैक्टरीज वालों के ऊपर आपने एक तलवार लटका रखी है, आप उनको हमेशा कहते हैं कि आपने और विरोधी पक्ष को वोट दिया तो हम आपसे 80 हजार रुपया चार्ज करेंगे, हम आपसे 90 हजार रुपया चार्ज करेंगे। एक तरफ तो आप इन्डस्ट्रीज को डवलप करना चाहते हैं और दूसरी ओर लोगों के ऊपर इस तरह की तलवार लटकाते हैं। यदि आपको इन्डस्ट्रीज को डवलप करना है तो उसके लिए आपको इस भूमि को आबादी की भूमि में कन्वर्ट करना चाहिए और इसको इण्डस्ट्रियल ऐरिया घोषित करना चाहिये वहां पर बहुत सी ऐसी जमीन है कि जहां कोई उत्पादन नहीं होता क्योंकि पथरीली जमीन है तो वहां जहां खानें निकलती हैं तो वह जमीन आपको खानों के लिए अलाट की जानी चाहिए जबकि माइन्स डिपार्टमेन्ट में आज हजारों की तादाद में अर्जियां पड़ी हैं। जब हम अर्जियां देते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास एक भी अर्जी नहीं पड़ी है और इस तरह से आप लोगों को झूंठा झांसा देते हैं और राजस्थान की प्रगति में बाधक बनते हैं। इस बजट को आप चाहते तो संतुलित बजट बना सकते थे लेकिन यह तभी हो सकता है जब कि आप इन्डस्ट्रीज को आप डवलप करें। आप जापान का ही उदाहरण ले लीजिए। जापान के अन्दर काटेज इन्डस्ट्रीज इतनी डवलप्ड हैं कि जापान को कम्पीट करने वाला आपको दुनियां में कोई दूसरा देश नहीं मिलेगा और ऐसी चीजें बनती हैं। जिससे बड़े बड़े देशों को प्राइज में

(श्री विजयसिंह)

पीछे रख दिया है । पहले जिस मारबल की कीमत 1 रुपया 6 आना स्क्वायर फीट थी । वही आज 20 रुपये स्क्वायर फीट तक बिकता है । इसका खास करण यह है कि आप इन्डस्ट्रीज को डवलप नहीं करना चाहते हैं । आपकी नियत नहीं है । आपने सन 67 में मेरे एक सवाल के जवाब में कहा था कि मकराना के लिए एक नल योजना बनाई गई है और उसके लिए 28 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये हैं लेकिन आपने आज तक उस नल योजना को खटाई में डाल रखा है । म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आयेंगे तो एक ट्रक में डालकर गांवभर में राउण्ड लगवा देंगे तो मालूम होगा कि न जाने कितने नल आ रहे हैं और इस तरह से आपके राजस्थान के पैसे का फालतू का खर्चा होगा और फिर मध्यावधि चुनाव आये—इसमें भी यही शुरू कर दिया और सड़कों का हाल तो राजस्थान भर का मत पूछिये । जयपुर से अजमेर की सड़क तो इतनी खराब है कि आये दिन उस पर एक्सीडेन्ट्स होते हैं । आप सबको मालूम है लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं । और सड़कों के लिए कुछ करना है तो नवाब साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । वैसे आप नवाब रहे हुए हैं और दिलेर भी हो सकते हैं । नवाब होने के बावजूद भी आपके पास पैसे नहीं हैं तो इस नवाबी में क्या रखा है ? फालतू में क्यों मिनिस्टर बने बैठे हो । अगर आपको पैसा नहीं दिया जाता है तो फिर आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए । बिना पैसे के आप क्या करोगे ? मैं सरकार से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क, पानी और बिजली यह अत्यन्त ही आवश्यकता की चीजें हैं और इनके अन्दर अधिक से अधिक धन लगाना चाहिए बिजली के लिए आपने 50 लाख रुपया स्वीकृत किया तो सड़कों के लिए भी 50 करोड़ रुपया स्वीकृत करना चाहिए । तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि सड़कें बहुत ज्यादा मरम्मत मांगती हैं । बहुत सी सड़कें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर पैसा खर्च हो चुका है लेकिन वह वापिस रिपेयर नहीं हो सकतीं धन के अभाव में । इसलिए इसको एक पालीटीकल स्टन्ट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि फलां आदमी पी० डब्लू० डी० का मंत्री है इसलिए सड़कों का पैसा नहीं देंगे और फलां खास आदमी आयुर्वेद का मंत्री है तो उसे ज्यादा पैसा देंगे । इस प्रकार की समस्यायें आपको नहीं बनानी चाहिए । मैं तो आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए.......

श्री सभापति : आपने बजट में देखा होगा कि सबसे ज्यादा पैसा पी. डब्लू. डी. को मिला हैं ।

श्री विजयसिंह : यह आपके ऐरिया के लिए ही मन्जूर हुआ है । सम्पूर्ण राजस्थान के लिए मन्जूर नहीं हुआ है यही दुख है ।

इसके अलावा अब मैं कॉलेज के बारे में कहूंगा कि आप चाहें तो मकराना को कॉलेज से दूर ही रखिये । हमें कॉलेज देने की आवश्यकता नहीं है । जहां ज्यादा कॉलेज हैं वहां ज्यादा ट्रबल्स हैं । कॉलेज आप बड़े बड़े शहरों को दीजिये वरना कॉलेज होने से हमको मालूम है कि कितनी दिक्कतें हैं । हमें मालूम है कि आजकल का मेथड क्या है । स्कूलों में मास्टरों को लड़के गांठते नहीं हैं और एजूकेशन मिनिस्टर ऐसे हैल्पलैस रहते

(श्री विजयसिंह)

इस मामले में। हम नहीं चाहते कि हमारे टाउन में ट्रबल्स हो ग्रौर हम उस ट्रबल को अवोइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप मकराना को कॉलिज दीजिये लेकिन कम से कम ऐसे टाउन के लिए जहां कि 25 हजार की ग्राबादी है वहां कम से कम ग्राप को हायर सैकेण्डरी स्कूल तो जरूर देनी चाहिए। हर व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए ग्रौर मानसिक शिक्षा को और ज्यादा लाने के लिए आपको चाहिए कि कमसे कम हायर सेकेण्डरी ग्राप दें। इसके ग्रलावा सरटेन क्लासेस तक आपको फ्री एजूकेशन देनी चाहिए। कम से कम फोर्थ या फिफ्थ क्लास तक फ्री ऐजूकेशन देनी चाहिए ताकि बहुत से गरीब लोग भी पढ़ सकें।

यही हालत मेडिकल में है। कोई हास्पीटल में जाता है तो किसी प्रकार की दवाई नहीं मिलती। लिक्विड मिलती है ग्रौर उसको पिलाने से कुछ नहीं होता है ग्रौर डाक्टर लोग किसी स्लिप पर दस्तखत करके देंगे तो पहले तो यह है कि कोई नहीं पढ़ सकेगा ग्रौर जो मेडिकल दुकान वाला पढ़ लेगा तो दस, बीस रुपये से कम चार्ज नहीं करेगा। तो फिर ऐसे हास्पीटल से क्या फायदा ? लोग प्राईवेट डाक्टरों के पास जाते हैं। सरकारी डाक्टर अपनी प्राईवेट प्रेक्टिस में ज्यादा इन्टरस्टेड रहते हैं ग्रौर इसी कारण से हास्पीटल में कम इन्टरेस्टेड रहते हैं। अगर ग्राप पूर्णरूपेण दवाईयां दें ग्रौर डाक्टरों के ऊपर बैन लगा दें कि जो गवर्नमेन्ट सर्विस में डाक्टर होगा वह प्राईवेट विजिट नहीं कर सकता ग्रौर ग्रगर करेगा तो दो रुपया या एक रुपया से ज्यादा नहीं लेगा। इससे ग्रापकी चिकित्सा सुविधायें ग्रौर स्ट्रांग हो सकेगी और यही कारण है कि लोगों के अन्दर दिनों दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। गांवों के ग्रन्दर जो बीमारियां हो गयी उनकी नस नहीं पकड़ी जा रही हैं क्योंकि डाक्टर लोग इन्टरेस्ट ही नहीं लेते।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पंचायत समितियां हैं उनको तो ग्राप ताला ही लगा दें। यह बिलकुल काम की नहीं है ग्रौर यह ग्रापका दीवाला निकालेगी। यह भेड़ ऊन विभाग ग्रापका दीवाला निकालेगा, यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट आपका दीवाला निकालेगा। इनके पास कोई काम नहीं है। ये लोग केवल पेट्रोल जलाते हैं ग्रौर गांवों में दीखते हैं शिकार करते हैं ग्रौर इसके अलावा इनके पास ग्रौर कोई काम नहीं हैं। वास्तविक विकास जो राजस्थान का होना चाहिए वह इन डिपार्टमेन्ट्स के थ्रू नहीं हो रहा है और जहां इन दफ्तरों को बन्द कर दिया गया तो ग्राप देखेंगे कि ग्रापको इतनी भाग दौड़ करनी ही नहीं पड़ेगी।

इसके अलावा एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट है इसको अधिक मजबूत करना चाहिए ग्रौर इसके ऊपर ऐसा चैक रखना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट भी करप्ट है। वह करप्ट नहीं होना चाहिए ग्रौर एन्टीकरप्शन की मारफत मिनिस्टरों और एम. एल. ए. बनने के बाद अपना स्तर ऊंचा कर लेते हैं तो उनके स्तर को देखा जाना चाहिए कि पहले क्या स्तर था ग्रौर मंत्री ग्रौर एम. एल. ए. बनने के बाद स्तर क्या हो गया। उनके ऊपर पूर्णरूपेण चैक होना चाहिए। उनकी प्रापर्टी के ऊपर पूर्णरूपेण चैक होना चाहिए, उनकी इनकम के ऊपर पूर्णरूपेण चैक होना चाहिए और

(श्री विजयसिंह)

भ्रष्टाचार है तो उनके ऊपर कड़े से कड़ा मुकद्दमा चलाना चाहिए और बड़े से बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। यही का यही हाल गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स का है। इनके ऊपर भी पूर्णरूपेण चैक होना चाहिए। नहीं तो जो आई. ए. एस. आफिसर्स, आफिस के अन्दर केवल दो घन्टे ही बिताते हैं कभी लन्च टाइम, कभी टी टाइम, कभी मिलने का टाइम, कभी अपाइन्टमेन्ट का टाइम। तो जो आप हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं और दिनों दिन उनकी लग्जरी बढ़ रही हैं उनको रोकने के लिए आपको उनके ऊपर पूर्णरूपेण चैक रखना चाहिए और कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो उस शिकायत के ऊपर आपको पूर्णरूपेण ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं करते और इससे उनको और ज्यादा एनकरेजमेन्ट मिलता है। दूसरे आफिसर्स भी करप्ट होते हैं। यह कांग्रेस के विधायक भी जानते हैं कि करप्शन बढ़ रहा है राजस्थान में। हम भी कहते हैं कि करप्शन बढ़ रहा है और मंत्री लोग भी जानते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई चैक नहीं है। क्या आपने कभी इसके ऊपर विचार किया है कि इसको कैसे खत्म किया जाये। क्या आपने कभी इस मामले में अपोजीशन का सहयोग लिया कि करप्शन को किस तरह से समाप्त किया जाय। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर करप्शन को समाप्त नहीं किया तो एक दिन आयेगा कि हमको तहसील हैडक्वार्टर्स पर, एस. डी. एम. हैड्क्वार्टर्स पर और थानों के ऊपर जाकर जबरदस्ती लोगों को बाहर निकाल निकाल कर पीटना पड़ेगा क्योंकि यह बुरी तरह से रिश्वत खाते हैं और थानों के अन्दर थानेदार बैठकर कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसकी सुनवाई करेंगे। थोड़े दिनों पहले जब ए. एस. आई. को आपने लिया था उस समय एक मांग चली थी कि 21 हजार रुपया जो ला देगा वह ए. एस. आई. बनेगा। ऐसा करेंगे तो नौजवान लड़के किस तरह से सलेक्शन में आ सकेंगे। केवल वही आ सकते हैं जो गंगानगर के हैं, जिनके पास अधिक पैसा है। मेरा मतलब हंसराज जी से नहीं है। परन्तु जो पैसा कमाने वाले लोग हैं और जिनके पास अधिक पैसा है वही स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आज नौकरियों के लिए लोग भटकते फिरते हैं और जिनके पास पैसा होता है उनको नौकरी मिल जाती है। आज वही जांच के लिए मांगते फिरते हैं जिनके पास पैसा होता हैं और उनकी जांच हो जाती है। बहुत से मिनिस्टरों के ऐसे एजेन्ट्स हैं जो कि अभी हमारे केन्टोन में बैठे हुए मिलेंगे। वे वहां पर बात करते हैं और लोगों से कोकाकोला पीते हैं और खाते हैं खिलाते हैं और कहते हैं कि मिनिस्टरों से काम करवा दूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन आदमी आपके पास काम के लिए आता है। कांग्रेस ने एक बात जोरदार बता दी कि जो आदमी बेईमानी करे, चोरी करे, गुन्डागर्दी करे और अगर वह कांग्रेस का चार आना सदस्य बन जाय, आपका चमचा बन जाय। आप उसको प्रोत्साहन देंगे जो आपकी जेब भरे। इससे आप लोगों की बदनामी होती है कि यह आदमी पैसा खाता है और साथ-साथ मिनिस्टरों को भी खिलाता है। इस प्रकार से आपकी बदनामी को दूर करने के लिए आपको एक स्टैण्डर्ड कायम करना होगा। मैं खासतौर से मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोमोशन्स,

(श्री विजयसिंह)

पोस्टिंग्स और ट्रान्सफर्स में बिल्कुल इन्टरफियरेन्स न करें और उसको डिपार्टमेंट पर छोड़ देना चाहिए, और अगर डिपार्टमेंट के मारफत ही सारे काम होंगे तो यह बात सही है कि आपका 80 पर्सेन्ट करप्शन दूर हो जायगा।

आपको बेकारी की समस्या को हल करना है तो अगर आप नौकरियां न दे सकें तो उनको कम से कम बैंकों से लोन दिलायें और उनको धन्धा दिलायें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कम से कम 50-100 इन्जीनियरों को मकराने में भेज दें बैंकों से लोन दिलवाकर तो उनको तरीका बताता हूं काम करने का और उससे वे कमा कर खायेंगे और अपना लोन भी चुका देंगे और आपके पास नहीं आवेंगे इससे आपकी बेकारी की समस्या दूर हो जायगी, परन्तु उसको आप करते नहीं है। जिस आदमी को फिट करना होता है उसको वहीं पर फिट किया जाय। तो बेकारी की समस्या का इस प्रकार से इलाज हो सकता है, वर्ना समस्या हल नहीं हो सकती है।

आपने समाजवाद का झूंठा नारा दिया है। वह किसी तरह से सही रूप से तब तक नहीं आ सकता है जबकि आप लोग खुद अपने आचरण को नहीं सुधारें और हरेक अपने को भारतीय न कहे। जब तक एक भारतीय अपने को भारतीय नहीं समझेगा तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता है और हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। आपने सुना होगा कि इंग्लैण्ड के अन्दर कोई सड़क पर जायेगा और वहां पर कचरा मिलेगा तो वह उसको अपनी जेब में डाल लेगा और कहेगा कि इससे हमारा देश खराब होता है, लेकिन यहां विधानसभा के कमरे में पान के पीक थूकते हैं। कौन थूकता है ? हम और आप। हम में इतनी समझ नहीं है कि इससे विधान सभा का हाल खराब होता है। इधर-उधर कूड़ा करकट डालते हैं और जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। यह कहते हुए मुझे शर्म आती है कि लाबीज के अन्दर जो सोफे रखे हुए हैं तो उन सोफों पर नाक साफ करके लगा देते हैं जिससे उन पर बैठ नहीं सकते है। इस प्रकार की सभ्यता जिन लोगों में नहीं है उनको विधान सभा में नहीं आना चाहिए। विधान सभा में आकर अगर इतनी सी सभ्यता नहीं बता सकते तो फिर क्या आप अपने देश का उद्धार कर सकते हैं।

तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की धारणा बनायें। लोगों के अन्दर भावनाएं पैदा करें कि हम भारतीय हैं, मेरा देश खराब न हो। मेरे देश की रक्षा किस प्रकार से हो, और यह इन्टरफियरेन्स बिल्कुल बन्द होना चाहिए। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बिरदाराम : मैं यह निवेदन कर दूं......

श्री भगवानदास शास्त्री : हमारे दल वाले सदस्यों को कुछ टाइम नहीं मिला।

श्री सभापति : मिलेगा। श्री हंसराज आर्य।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : सभापति महोदय......

श्री सभापति : बिरदारामजी आपका नाम नहीं है लिस्ट में, आप मुख्य सचेतक से मिल लें।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष) : सभापति महोदय, मेरा नाम कौन से नम्बर पर है ?

श्री हंसराज आर्य : ···यह बजट कुछ दृष्टियों से स्वागत योग्य है। शिक्षा के लिए हमारे इस बजट में काफी पैसा रखा है, लेकिन हमारी शिक्षा उद्देश्यहीन है, थोथी है लक्ष्यहीन है। इससे देश में बेकारी की फौज पैदा हो रही है। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि हमारी शिक्षा बुनियादी हो·······

श्री गंगासहाय : सभापति महोदय, कोरम भी है या नहीं यह देख लें।

श्री सभापति : कितने होते हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : 18।

श्री विजयसिंह : 19।

श्री हंसराज आर्य : लेकिन ··· ···

श्री गंगासहाय : सभापति महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री: 16-17 ही हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : वे आगये हैं पूरा हो गया है।

श्री हंसराज आर्य : लेकिन, सभापति महोदय, यह बात खटकने वाली है कि 23 साल के बाद भी सरकार बुनियादी और आवश्यक शिक्षा लागू नहीं कर सके। इस विज्ञान के युग में और जो समाजवाद हम लाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि बुनियादी शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा लागू की जाय।

इस दृष्टि से भी हमारा बजट सराहनीय है कि स्वास्थ्य के लिए इस बजट में काफी पैसा रखा गया है ····

श्री विजयसिंह। फिर भी स्वास्थ्य खराब है आपका।

श्री हंसराज आर्य : आपसे मेरा ठीक ही है।

कुछ अस्पतालों में ····

श्री बिजयसिंह : मुझे कुश्ती थोड़े ही लड़ना है।

श्री हंसराज आर्य : ' कुछ साधनों को बढ़ाया गया है, कुछ नये खोले गये हैं अस्पताल, और कुछ आयुर्वेदिक औषधालय भी खोले गये हैं, कुछ की श्रेणियां बदली गई है। उस दृष्टि से हमारा बजट स्वागत के योग्य है।

इसके साथ ही हरिजन छात्रों के लिए जो कि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं व हरिजन व आदिवासी है उनको जब तक रोजगार नहीं मिले तब तक उनको आर्थिक सहायता दी जायगी। इस दृष्टि से हमारा यह बजट स्वागत योग्य है। इसके अतिरिक्त हरिजन आदिवासी छात्रों को जो कि छात्रावासों में रहते हैं उन्हें आर्थिक सहायता पहले कम मिलती थी को 40 के स्थान पर 55 और 45 के स्थान पर 60 की गई है। वह भी एक स्वागत योग्य बात है।

इसके साथ ही उन गरीबों के लिए कुछ मकान बनाकर दिये जायेंगे जिनकी

(श्री हंसराज आर्य)

साधारण आय है या जो मीडियम आय के हैं। वह बात स्वागत योग्य है लेकिन, सभापति महोदय, इतने कम मकान रखे गये हैं कि वे किस किस को दिये जायेंगे। एक ओर तो राजस्थान में 32000 गांव हैं और मकान केवल 4500 रखे गये हैं। यह बहुत कम हैं। राजस्थान गरीबी से भरा हुआ है....

श्री विजयसिंह : भाई-भतीजों में बांट दगे।

श्री हंसराज आर्य : राजस्थान की गरीबी को देखते हुए, राजस्थान के पिछड़ेपन को देखते हुए इस साल कम से कम 10 हजार मकान बनाने को योजना करना चाहिए थी, लेकिन यह बहुत कम रखे गये हैं, लेकिन फिर भी जो भी रखे गये हैं उनका हम स्वागत करते हैं।

कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई हैं और साथ ही बजाय 15 हजार के 75 हजार की व्यवस्था की गई है यह बात भी स्वागत योग्य है......

श्री श्रवणलाल : वह भी खा जायेंगे ये ही जिस तरह से हरिजन छात्रवासों का पैसा खा जाते हैं उस तरह से।

श्री हंसराज आर्य : इसके साथ ही छोटे बच्चों को बुराइयों से बचाने के लिए जो केन्द्र खोले जा रहे हैं और इनका श्रीगणेश किया जा रहा है वो अजमेर और जयपुर में होंगे यह काम भी स्वागत योग्य है। छोटे बच्चों में ही बुराइयां पैदा होती हैं। और जो बचपन में कन्ट्रोल कर लिया जाये तो आगे चलकर बहुत सी और बुराइयां पैदा नहीं होती हैं। इसके अलावा जो कस्बों में और गांवों में जो सार्वजनिक नल हैं उनमें पानी भविष्य में निःशुल्क दिया जायेगा। यह भी स्वागत योग्य है। इसके अलावा जो हरिजन मुहल्ले हैं, उनको भविष्य में बिजली पानी की सुविधा दी जायेगी। यह स्वागत योग्य है। इसके अलावा डाक्टरों को जब तक उनकी नौकरी नहीं मिले तब तक जो स्टाइपेण्ड देने का प्रावधान किया गया है यह स्वागत के योग्य है। हर जिले में जो एक हजार का रोजगार दिया जायेगा, यह बात स्वागत योग्य है। इसके अलावा जो गांवों में जलप्रदाय योजनाओं के लिए जनसहयोग 5% से 2½% किया गया है यह भी सराहनीय है। बेकारों के लिए जो किया गया है, वह सराहनीय है। राजस्थान बहुत लम्बा चौड़ा है। गरीबी और भूख से भरा हुआ है। एक हजार को रोजगार दिया जायेगा उससे बेरोजगारी दूर नहीं होगी। यह मेरा सुझाव है। बजाय एक हजार के कम से कम हर जिले में 5 हजार लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाती तो स्वागत योग्य थी। इसके अलावा जो छोटे कर्मचारी हैं, चपरासी वगैरह हैं, उनकी तनखा नहीं बढ़ायी गयी है। यह दुःख की बात है। आज महंगाई के युग में एक आदमी 60-70 रुपये में अपना पेट मुश्किल से भर सकता है। जिसके साथ 5-7 आदमी हैं वह कैसे अपना काम चलायेगा। यह समझने की बात है। अच्छा तो यह होता कि हमारे 36 मन्त्रियों की फौज में से 5-7 मन्त्री कम किये जावें। बड़ी कारें इस्तेमाल किये जावे के बजाय छोटी कारे इस्तेमाल की जावे। जो पैसा उससे बचे तो छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह

(श्री हंसराज आर्य)

बढ़ाते तो अच्छा होता। सोने में सुगन्ध होती। सरकार के किसी भी छोटे कर्मचारी की मंहगाई छोड़कर तनख्वाह 100 रु० से कम नहीं होनी चाहिए। यह सरकार समाजवाद की ओर बढ़ रही है। यह रास्ता ठीक नहीं है। क्लास 4 में जो कर्मचारी हैं उनको दो रुपया रोज भत्ता दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या राजस्थान में कोई ऐसा गांव है, जिसमें सुबह से शाम तक दो रुपये में एक आदमी पेट भर सके। दो रुपये में एक आदमी मुश्किल से चने चबाकर कर भी पेट नहीं भर सकता है।

श्री विजयसिंह : सुखाड़िया साहब तो फोकट में पेट भरते हैं। कुछ पैसा भी खर्च नहीं होता है।

श्री सभापति : आॅर्डर, आॅर्डर। हलकी भाषा प्रयोग में नहीं लानी चाहिए।

श्री मदनसिंह : उपमन्त्री के लिए जब बोल रहे थे तो हलकी भाषा नहीं थी। अब चीफ मिनिस्टर के लिए भाषा हलकी कैसे हो गई है?

श्री हंसराज आर्य : हमारी सहकारी संस्थाओं में एक भी सहकारी संस्था ऐसी नहीं है कि जो अच्छी तरह चल रही हो, फूल रही हो, आज सहकारिता फेल होती जा रही है। इसलिए सरकार को चाहिए, क्योंकि वो सहकारी संस्थाएं जो फेल होती जा रही है, इसके लिए सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाये तो समाजवाद को लाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, समाजवाद को लाने के आधार जो हैं वो ग्राम पंचायते हैं। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें हैं। उनमें जीपों का दुरुपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं इन पिछले वर्षों में पंचायतों के माध्यम से जो विकास का पैसा दिया गया था आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि सवा 65 करोड़ रु० खर्च हो गया आज तक उसका प्रमाण-पत्र नहीं आया है। सभी पंचायतें बन्द है। उपयोग हुआ या नहीं हुआ इसका पता ही नहीं है। समाजवाद लाने के लिए हमारा यह निवेदन है कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करें ताकि उनके माध्यम से समाजवाद ला सकें।

(विराम)

सभापति महोदय, समाजवाद के लिए जो कोई सरकारी संस्था खोली जावेगी तो मैं नहीं कह सकता हूं कि चले या नहीं चले। लेकिन नमूने के रूप में गंगानगर शुगर मिल चल रही है। वहां बड़े भारी घोटाले चल रहे हैं। शराब निकलती है वो अधिक से अधिक कर्मचारी लोग शराब पी जाते है। चोरी से बेची जाती है। कोयले की गाड़ियां आती हैं तो उनको सीधा ब्लेक में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।

इसके अलावा रोडवेज की गाड़ियां हैं। रोडवेज की गाड़ियां जहां पर चलती है खास करके उनकी गंगानगर में क्या दशा हैं। गाड़ियों का जो सामान आता है, उस नये सामान को कर्मचारी बेच देते हैं और उसके बजाय पुराना सामान लगा देते हैं। इतनी धाधलियां चलती हैं। हमारे पास जानकारी हैं। हमारे पास सबूत है। मैं एक बार हनुमानगढ़ से गंगानगर तक गया तो रास्ते में 132 आदमी रास्ते में चढ़े उतरे थे— विदाउट चले हैं। कोई रोकने वाला नहीं हैं। यह हाल हैं रोडवेज का।

(श्री हंसराज आर्य)

इसके अलावा बैंक हैं। जब बैंक प्राइवेट चलते थे तो इनकी क्या हालत थी। अब सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं तो कितनी धांधली और मनमानी है? उसके अलावा, साथ साथ एक और आंखों देखा हाल बतलाता हूं। लाखों मन बाजरा जो हरियाणा ने रिजेक्ट कर दिया, यह कह कर कि वह रद्दी हैं, खराब हैं। हरियाणा से व्यापारी 35 रु० और 30 रु० में लेकर आते हैं और चुंगी चौकी पर किसानों के नाम लिखाये जाते हैं। 30–35 के हिसाब से बाजरा लाते हैं और उसको 50 रु० के हिसाब से बेच रहे हैं। चैक किया जावे तो सरकार को पता चलेगा कि ऐसा बाजरा हैं जिसको मवेशी भी नहीं खा सकते हैं। इसके साथ ही जब बाजार में बोली होती हैं, बोली पर निगम वाले नहीं आते हैं निगम वालों से जो रात में जाकर मिल ले, सौ, पचास रुपये रिश्वत के दे दे, तो वह बोली पर आयेंगे और पैसा नहीं दिया तो चाहे पांच रुपये क्विन्टल बिके और चाहे पचास रुपये क्विन्टल बिके, वह ध्यान नहीं देते। यह नमूना हैं समाजवाद का। समाजवाद लाने के लिए जो इस प्रकार की दो चार संस्थायें बनाई हैं उनकी यह हालत है तो फिर समाजवाद कैसे पनपेगा। इसलिए मेरा निवेदन हैं कि समाजवाद लाने के लिए सरकार उद्योग धन्धे चलाये और उसके पहले उसकी बुनियाद जिनसे पड़ी है, जिनसे श्रीगणेश हुआ है उनको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकेगी तो सरकारी स्तर पर फिर धन्धे नहीं चल सकेंगे।

सभापति महोदय, गांवों में किसानों पर बकाया है चार पांच साल तक अकाल पड़ा, इसलिए राजस्व भी बकाया है, तकावी भी बकाया है, बैंक की बकाया है और उसके साथ चार पांच वसूलियां करने के लिए कुर्कियां जारी की जा रही हैं। यह नमूना है समाजवाद का। पहले मैंने अर्ज किया था कि नोहर में एक हरिजन से वसूली करने के लिए तहसीलदार ने कुर्की की, उस हरिजन के पास एक चारपाई और एक बकरी थी। उस चारपाई और बकरी को कुर्क कर लिया गया और उनको साढ़े पच्चीस रुपये के अन्दर नीलाम कर दिया गया। एक ओर हमारे यहां यह हालत है। दूसरी तरफ उद्योगपति हैं उन पर करोड़ों नहीं, एक अरब के आस पास बकाया पड़ी हुई है, लेकिन उन पर कुर्की जारी नहीं होती है, जब कि एक किसान से बकाया वसूल करने के लिए उसकी बकरी और चारपाई नीलाम की जाती है। क्या इसी तरह से समाजवाद आयेगा। मेरा निवेदन है, गांवों में वसूली हो रही है सख्ती से। उसमें ढील की जाय। मैं मानता हूं, वसूली होनी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार को पैसे से काम चलाना है, वह वसूली से ही चलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो अकाल पीड़ित हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है उनसे वसूली की जाय। मैं समझता हूं, इससे बढ़ कर कोई अन्याय नहीं हो सकता है।

सभापति जी, हम समाजवाद लाना चाहते, हैं लेकिन हमारे प्रदेश में गरीबी बढ़ रही है और दूसरी ओर पूंजीवाद बढ़ रहा है। गरीब से पैसा इकट्ठा करने के लिए सख्ती की जा रही है और पूंजीपतियों के नाम से लाखों रुपया बकाया पड़ा हुआ है, फिर भी लाखों रुपया और लिया जा रहा हैं। मेरा निवेदन है कि पूंजीपतियों में जो

(श्री हंसराज आर्य)

बकाया पड़ी हुई है, जो बकाया ओवर ड्यू हो चुकी है, जिसको तीन चार साल की अवधि पार हो गई है, उनसे वसूली न करके जो किसानों के साथ में सख्ती की जा रही है–यह सरकार का गलत तरीका है।

सभापति जी, गांवों में पीने के लिए अगर कोई चीज बची है, तो वह केवल शराब बची है। राजस्थान के बारह हजार गांवों में सत्तर लाख आदमी और एक करोड़ पशु आये दिन पीने के पानी के लिए तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई चाहे तो शराब की दरियां बहायी जा सकती है, गांवों में, शहरों में जगह जगह शराब बेची जा रही है, रेडियो में बोतलें घाल कर आवाज लगाई जा रही है, जैसे सब्जी वाले लगाते हैं, लोकी लो, तोरई लो, परमल लो उसी तरह से गांवों में शराब बेची जाती है, सुरा लो, सस्ती लो, जल्दी लो। पीने के लिए कुछ बचा है तो वह शराब बची है। उसके आधार पर सरकार समाजवाद लाना चाहते हैं। आज शराब जायज, नाजायज, देशी और अंग्रेजी, दोनों प्रकार की शराब इस प्रकार बिकती है। आप नमूना देखिये, जहां से बस गुजरती है, सरेआम मकान पर चार चार बोतलें रखी हैं, हरे रंग की है, लाल है, पीली हैं। नीचे लिखा है, इसमें से जो चाहें ले सकते हैं। एक ओर शराब का प्रचार किया जा रहा है और दूसरी ओर समाजवाद लाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि समाजवाद सरकार लाना चाहती है तो शराब पर रोक लगायें ···

श्री रामकिशन : समाजवाद का शराब से क्या सम्बन्ध है। उसका दूसरा पक्ष है।

श्री मदनसिंह : जिन देशों में शराब पीते हैं, वहां से समाजवाद आया है। वहां कैसे समाजवाद आया।

श्री हंसराज आर्य : शराब के द्वारा लोगों को आर्थिक हानि हो रही है, उनमें यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। गरीबों में शराब से और गरीबी बढ़ाई जा रही है।

श्री रामकिशन : तन्दुरुस्ती बिगड़ती है, यह कहिये, गरीबी की कहिये।

श्री मदनसिंह : समानवाद लायेंगे, समाजवाद नहीं।

श्री हंसराज आर्य : मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, एक बात के लिए सरकार आंख मीच कर चल रही है। राजस्थान सरकार ने तेईस साल से आज तक माना ही नहीं है कि राजस्थान में पीने के पानी का अभाव है। आपके यहां रुटीन में जो भारत सरकार से पैसा आता है, कभी एक करोड़, कभी दो करोड़, कभी चार करोड़, लेकिन सरकार ने सिद्धान्तरूप से यह स्वीकार नहीं किया है। इस सदन में आज से एक साल पहले पीने के पानी के सम्बन्ध में बहस चली सुबह से शाम तक उस बहस में पन्द्रह बीस माननीय सदस्य बोले, लेकिन उस बहस का उत्तर एक साल हो गया, सरकार की ओर से आज तक नहीं दिया गया है। पिछले दिनों मैंने यह प्रश्न पूछा था क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि राजस्थान में कितने गांव ऐसे हैं, जहां पीने का पानी नहीं है, तो सरकार की ओर से उत्तर मिला कि सर्वे नहीं किया गया हैं। पीने का पानी देने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। भारत सरकार को कोई प्लान बना कर दिया है ? तो उत्तर

(श्री हंसराज आर्य)

था कि नहीं है। तो यह मान कर चलना चाहिए कि सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है कि राजस्थान में पीने के पानी की कोई समस्या है। जब सारे हिन्दुस्तान में सब से बढ़कर जगह यह समस्या है जटिल है, राजस्थान में भी यह समस्या है लेकिन राजस्थान सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। राजस्थान के अन्दर 32 हजार गांव हैं, उनमें से 12 हजार गांवों में पीने का पानी नहीं है, लाखों की तादाद में इन्सान और मवेशी आज पानी के लिए तड़प रहे हैं, राजस्थान सरकार इसके लिए कभी दो करोड़ रखती हैं, कभी तीन करोड़ और कभी चार करोड़ लेकिन राजस्थान में पानी नजर नहीं आता हैं। इसलिए मेरा निवेदन हैं कि सरकार अगर और कुछ नहीं करे तो पीने के लिए मवेशियों के लिए पानी दें। तब समाजवाद आयेगा...

श्री परसराम गंगाराम : समाजवाद आने की आशा कोई नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : समाजवाद की आया है।

श्री दौलतराम सारण : मेरा निवेदन है कि कांग्रेस अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों को समझा दें कि समाजवाद क्या होता है ? हर बात में समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद। समाजवाद तो है, लेकिन समाजवाद काला है, पीला है, कैसा है।

श्री हंसराज आर्य : मैं बैठ जाता हूं। माननीय सदस्य समझा दें, मैं समझ लूंगा।

श्री विजयसिंह : समाजवाद की डेफिनेशन क्या है।

श्री हंसराज आर्य : मंत्री सुस्त जनता चुस्त है।

श्री विजयसिंह : इन्दिरा जी है।

श्री हंसराज आर्य : अधिकारी सुस्त और कर्मचारी सुस्त, लेकिन जनता चुस्त है। जनता चुस्त है, लेकिन कर्मचारी सुस्त हैं, अधिकारी सुस्त हैं और मंत्री सुस्त हैं। जनता आज गरीब है इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं सरकार से खासतौर से निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री जो यहां नहीं हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि समाजवाद की ओर जा रहे हैं तो जैसा मैंने बार बार निवेदन किया है, इस मंत्रियों की फौज को जल्दी से जल्दी कम किया जाय। लेकिन सरकार के कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है।

श्री परसराम गंगाराम : तब समाजवाद आयेगा।

श्री हंसराज आर्य : इस सदन की समाप्ति के बाद कुछ राज्य मंत्री, कुछ उपमंत्री, राज्य मंत्री और कुछ नये लोग उपमंत्री बनाये जायेंगे। ऐसी चर्चा शहर में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और बनेंगे?

श्री हंसराज आर्य : ऐसी आवाज आ रही है। यह हुआ तो गजब हो जायगा और राजस्थान तो नहीं बचने वाला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस फौज को कम किया जाय ताकि लोगों को राहत पहुंचे...

श्री मदनसिंह : यू आर नाट लैसर देन ए मंत्री, टू।

श्री हंसराज आर्य : आज से तीन साल पहले सरकार ने ऐलान किया था कि किसानों को जल्दी से जल्दी पास-बुक से दिलवायेंगे ताकि पटवारियों के चक्कर में न पड़ना पड़े और बैंक से कर्ज मिल सके। लेकिन तीन साल बीत चुके हैं, अभी तक सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है कि कितने जिलों के गांवों में किसानों को गवर्नमेंट पास-बुक पहुंचा चुकी है। क्या राजस्थान में प्रेस नहीं हैं यदि नहीं हैं तो हिन्दुस्तान में प्रेस बहुत हैं, छापने वाले बहुत हैं, प्रेस वाले छापने के लिये मैटर का इन्तजार कर रहे हैं। फिर क्या कारण है सरकार पास बुक नहीं छपवा सकी है और उनको बंटवा नहीं सकी है। सरकार ने दो साल, तीन साल पहले ऐलान किया था कि किसानों की छोटी जोतों का लगान सरकार माफ करेगी, लेकिन एक साल के बाद में उसको वापिस ले लिया गया। पिछली बार वित्त मंत्रीजी ने ऐलान किया कि शहरों में आक्ट्राय, चुंगी बन्द कर देंगे और लम्प सम पैसा देंगे। लेकिन ऐलान ऐलान है, आज भी आक्ट्राय की वसूली हो रही है। हमें इस बात का सन्देह है कि सरकार सदन में जो घोषणा करती है उस पर अमल भी करेगी...

श्री मदनसिंह : मर्दों की जबान है।

श्री हंसराज आर्य : इस बजट में भी घोषणायें हुई हैं, इस बजट में बहुत अच्छी बात है, बहुत नहीं तो कुछ कम है, लेकिन जो घोषणायें बजट के द्वारा की जाय उन पर अमल किया जाय तब कुछ जनता को राहत हो सकेगी, लेकिन हमें सन्देह है कि यह सारी की सारी बातें पेपर में ही न रह जायं और अमल में न आयें। आज से दस बारह साल पहले चूरू जिले के, गंगानगर जिले के गांवों की तहसीलों का सैटलमेंट हुआ था। आज तक कभी सुना नहीं, बारह तेरह साल तक सैटलमेंट होने के बाद राजस्व विभाग में पेपर नहीं जाय। समझ में नहीं आता, ऐसे मामले क्या हैं। बारह साल हो गये हैं सैटलमेंट हुए, लेकिन आज तक कागजात सैटलमेंट विभाग में पड़े हैं। सैटलमेंट के आदमी गांवों में घूम घूम कर एप्लीकेशन लेते हैं। पैमाइश के बारे में शिकायत है, अगर है तो एप्लीकेशन दीजिये, उसकी जांच करेंगे। इस प्रकार वह भत्ता पका रहे हैं और जीपों में मनमाने ढंग से चक्कर लगा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, अब इसमें क्या बात है, दस बारह साल से पैमाइश के कागज तहसीलों में नहीं आये हैं और इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत समय निकल चुका है पैमाइश को भू-राजस्व विभाग कागजात को संभाले चूरू जिले और गंगानगर जिले में तीन हजार, चार हजार इन्तकाल रुके पड़े हैं। तीन हजार, चार हजार इन्तकाल बाकी पड़े हैं। विरासत के हैं लेकिन यह रजिस्टर इन्तकाल सैटलमेन्ट विभाग के पास पड़े हुए हैं। सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार समाजवाद लाना चाहती है तो सबसे पहले यह एक कदम उठायें, राजस्थान में जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, सभापति महोदय, राजस्थान में हर डिपार्टमेन्ट में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है किसी भी जगह कोई काम कराने जाते हैं तो क्लर्क को पैसे दिये बगैर फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर नहीं पहुंच पाती है। क्या कोई विभाग ऐसा है जहां बिना पैसे दिये काम होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गृह विभाग जैसा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। आप गलत कह रहे हैं।

श्री सभापति : जारी रखिये, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री हंसराज आर्य : मैंने सबके लिये कहा है कोई विभाग ऐसा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं पूछ रहा हूं गृह विभाग में भ्रष्टाचार है ?

श्री हंसराज आर्य : वहां भ्रष्टाचार नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार सब जगह फैला है। कहीं कम और कहीं ज्यादा।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री हंसराज आर्य : मैं सरकार से निवेदन कर रहा था सभापति महोदय कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी समस्या है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : है तो उदाहरण के लिये बतायें किसने लिया। आपको मालूम है। मन्त्रिमण्डल स्तर पर भ्रष्टाचार है नहीं क्या ? यह मानते हैं गृह विभाग और कई विभागों में भ्रष्टाचार हैं।

श्री हंसराज आर्य : आप कहें, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह कह दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : हंसराज आर्य ये आपके वोट की लीला है आपके वोट ही सारा भ्रष्टाचार यहां पनप रहा है पानी नहीं मिल रहा है। यह आपके वोट का ही नतीजा है। समाजवाद में रुकावट आप जैसे लोगों के वोट की वजह से है।

श्री हंसराज आर्य : मेरे वोट से कोई रुकावट नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप जैसे जो सरकार की तरफ बैठने वाले हैं उनके वोट की लीला है।

श्री मदनसिंह : ये तो इन्दिराजी की ताकत थी जो छोड़ कर अलग हो गई आप छोड़ कर अलग होजायं तो समाजवाद आजायेगा।

श्री श्रवणलाल : भ्रष्टाचार के लिये बोल रहे हैं तो दो चार मिसाल रखें किस किस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया।

श्री विजयसिंह (मकराना) : माननीय सदस्य, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया क्या मानने को तैयार हैं कि मन्त्रिमण्डल स्तर पर भष्टाचार नहीं है। जितने भी दल बदलू हैं वे सभी भ्रष्टाचारी है।

श्री हंसराज आर्य : मैने तो कहा है सभी जगह भ्रष्टाचार है नाम के लिये क्यों कहते हैं ?

श्री मदनसिंह : सब जगह है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नाम की बात नहीं है मैं ओपोजीशन में बैठा हूं। मैं कहता हूं शायद मन्त्रिमण्डल में भ्रष्टाचार नहीं है। आपका क्या कहना है ?

श्री हंसराज आर्य : मैंने तो कहा कि राजस्थान में ऐसी कोई भी जगह बची हुई नहीं हैं जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हैं।

श्री विजयसिंह : आपकी वकालत कामयाब हो गई।

श्री हंसराज आर्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, सरकार ने इस ओर ठोस कदम नहीं उठाया तो हमारे समाजवाद का नारा धरा का धरा ही रह जायेगा। आगे नहीं बढ़ सकेगा। इन सब बुराइयों का रोग भ्रष्टाचार है कहीं भी हो, कितना ही हो, इस भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहिये और इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

(3. 25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर, आर्डर प्लीज। श्री रामकिशन।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल को समय नहीं मिला है।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय, दो दिनों से बजट भाषण पर आम चर्चा हो रही है। कांग्रेसी कई माननीय सदस्य इस प्रकार की राय बनाकर बैठे हैं कि यह बजट ऐतिहासिक हैं, क्रान्तिकारी हैं और समाजवादी है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यह मानकर चल रहे हैं कि यह केवल चुनावी बजट है, प्रचार बजट है सभापति महोदय, मेरा इस संबंध में निवेदन हैं कि यह बजट किसी प्रकार का हो इसमें तीन दिशाओं की तरफ संकेत मिलता है। इसका जिक्र तो मैं बाद में करूंगा लेकिन असल सवाल यह है कि बजट बनाने की जो प्रणाली है और बजट के संबंध में माननीय सदस्यों को जो तथ्य मिलने चाहिये वह इस बजट से मिल नहीं पाते हैं। हम हर साल जब बजट की किताब को पढ़ते हैं तो हमें केवल राजस्व खाते की कुछ जानकारी मिलती है, पूंजी खाते की कुछ जानकारी मिलती है, पब्लिक अकाउन्ट्स की कुछ जानकारी मिलती है, यह जानकारी नहीं मिलती है कि राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है। हम इस स्थिति में नहीं होते, अपने को पाते नहीं कि राजस्थान की जनता को नहीं बल्कि हम अपने आपको इस स्थिति में नहीं पाते कि हम समझ पायें कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति क्या है। सभापति महोदय, यह बजट जिस प्रकार से रखा जाता है एक तो मैं माननीय वित्त मंत्री को यह सलाह दूंगा, इस बजट के तरीके को बदलें और जब बजट का सारा भाषण माननीय सदस्यों के सामने दिया जाय उस समय राज्य की सारी जानकारी सब प्रकार की सूचनायें पेश की जायें, ताकि वादविवाद में सही सुझाव आ सके और विचारों को नई दिशा भी मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वित्त मंत्री जी जिस दिन इस प्रश्न का जवाब बता रहे थे कि राज्य के ऊपर इतना कर्जा है, उस दिन यह कहा था, इतने असेट्स बन चुके हैं, जो कर्ज लिया है चाहे केन्द्रीय सरकार से लिया हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र से लिया हो, या वित्त निगम से लिया हो, या पब्लिक के दूसरे हिस्सों से लिया हो उससे राज्य के असेट्स को बढ़ाया है लेकिन माननीय राज्य मंत्री यह बता सकते हैं कि हमारे राज्य की पूंजी क्या है, हमारे ऊपर कितना कर्ज है इसकी जानकारी तो सदन को है, आज हम राजस्थान की सारी

(श्री रामकिशन)

स्थितियों को समझें तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शंका होती है कि विधान सभा के अधिकांश माननीय सदस्य शायद ही यह समझा पायें कि हमारे राज्य की वित्तीय-स्थिति बड़ी दुर्बल है, कमजोर है। आज आंकड़ों को सही मानें, वैसे आंकड़े निकालने की प्रणाली है और जो सदन के सामने जानकारी आती है, मैं समझता हूं वह अपूर्ण है। हम हर साल प्रति व्यक्ति आमदनी का आंकड़ा पाते हैं और हम यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि फलां साल से फलां साल तक प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी बढ़ गई। प्रति व्यक्ति आमदनी निकालने के लिये हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, प्राइवेट सेक्टर मे कितना है, पब्लिक सेक्टर में कितना है, प्राइवेट उद्योगों के खाते में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ–इसकी जानकारी नहीं होती है। हमको वह जानकारी हो जाती है जो सरकार आंकड़े देती है और उनको प्रमाणित मान कर ही उन्हें चर्चा का विषय बनाते हैं। मैं केवल वित्त मंत्री से यह चाहता था कि एक वक्तव्य राज्य की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में आजाता जो बजट में प्रावधान है, उनके अलावा तो बहस में आसानी होती। मैं समझ रहा हूं कि वित्त मंत्री और राजस्थान सरकार दोनों, जानबूझ कर इस प्रकार के तथ्य सदन के सामने नहीं रखते हैं जिससे लोग असली नतीजा निकाल पायें। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति है, उसकी सही जानकारी मैं ठीक नहीं कह सकता लेकिन मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों को नहीं है। मैं समझ रहा हूं वही बात कह रहा हूं, कई उपमंत्री, कई मंत्री कई राज्य मंत्री, कई केबिनेट मिनिस्टर यह नहीं जानते कि वित्तीय स्थिति क्या है। खैर, उपमंत्री और मंत्री वित्तीय स्थिति को समझ लें–यह आशा नहीं करता, लेकिन राजस्थान के कई मंत्री ऐसे हैं, जो राजस्थान के विभागों के बारे में भी नहीं बता सकेंगे कि कितने विभाग हैं। ऐसी स्थिति है, तो सदन के माननीय सदस्य हैं, उनको सारी जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। गवर्नमेंट को तो सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की सहायता से जो जानकारी चाहिए, एक मिनिट में मिल सकती है, लेकिन हमें वही जानकारी मिलेगी जो जानकारी सरकार देगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति दयनीय है। माननीय वित्त मंत्री ने बतलाया, हमारे राज्य पर 6 अरब 47 करोड़ के करीब कर्ज है, 60 करोड़ ओवर ड्राफ्ट है। और हमारे असेट्स क्या हैं ? मैं समझता हूं, राज्य मंत्री को पता होगा नहीं, जो भाषण को सुन रहे हैं, जो सूचना आज है उसके अनुसार हमारे राज्य के असेट्स 3 अरब 84 करोड़ के आस पास हैं, जो कर्ज है वह 6 अरब 47 करोड़ के करीब है। कर्ज लेने की प्रणाली जो बजट से लिया जाता है, में यह सिद्धान्त है, बजट की मर्यादा है, हमें कर्ज केवल अपनी सम्पत्ति बनाने को लेते हैं। तो मैं यह जानकारी चाहूंगा कि इतना बड़ा गैप कैसे चला गया, जो कर्ज है और जो असेट्स है-इन दोनों को देख कर करीब ढाई अरब और 84 करोड़ का फर्क पड़ता है–यह पूंजी कहां चली गई। मैं समझता हूं, माननीय वित्त मंत्री जवाब देते वक्त उसका जवाब देंगे, जो कर्ज लिया, जो पूंजी हैं–इसके बीच का अन्तर है वह पैसा कहां चला गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री उस दिन कह रहे थे,

(श्री रामकिशन)

हमने अकाल के लिए कर्ज लिया है। मैं मानता हूं, अकाल ऐसी आकस्मिक घटना है जिसके लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ा होगा...

लेकिन अकाल के लिए कुछ काम हुआ है उनके असेट्स को हम अगर गिनती कर लें तो किसी हालत में राजस्थान के असेट्स 3 अरब से ज्यादा नहीं है। तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर यह पैसा हमने किन कामों पर लगाया ? अगर इस पैसे से जो हमने कर्जा लिया है, अगर उत्पादक कार्यों पर लगाते अगर सही ढंग से योजनाओं में नियोजित करते तो राज्य की आर्थिक अवस्था दूसरी होती लेकिन आज स्थिति यह है कि जब मानसून जवाब दे जाता है, जिस साल हल्की वर्षा होती है उस साल प्रति व्यक्ति आमदनी आधे से नीचे चली जाती है और जिस साल वर्षा अच्छी होती है उस समय वित्तमंत्री कहते हैं कि राज्य की आमदनी बढ़ गई। तो एक जवाब मैं वित्त मंत्री से चाहूंगा कि यह कैसे खयाल पैदा हुआ है ? जब बना था उस समय सारे असेट्स 21:80 करोड़ के थे। इन 21 करोड़ के असेट्स में अचल संपत्ति शामिल नहीं थी। स्टेट्स की सूची नहीं दूंगा कि उनके पास बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स कितने हैं या दूसरी पूंजी कितनी है। हमने असेट्स को केवल खाते में जमा किया जो नगद था या सिक्योरिटी के रूप में हस्तांतरित किया। तो राजस्थान के निर्माण के समय जो वास्तविक असेट्स थे, वास्तविक असेट्स थे वह 21 करोड़ के आस पास थे और उस समय राजस्थान पर कर्ज 7 करोड़ का था। कर्जा 7 करोड़ और असेट्स 21 करोड़। आज स्थिति यह है कि कर्जा हो गया 6:47 अरब, असेट्स 3 अरब बन पाए हैं। स्टेट्स के समय की पूंजी को भी शामिल किया गया है। राजस्थान में रियासतों के विलय के समय जो असेट्स मिले थे उनकी गिनती बाद में की गई। इसका मतलब जो कर्जा हमने लिया हैं चाहे अकाल का निकाल दें एक अरब फिर भी सवाल पैदा होता है 2 अरब रुपया कहां चला गया ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपको इन असेट्स की जानकारी कैसे प्राप्त हुई ?

श्री रामकिशन : आप फिर पूछेंगे कि यह ब्रह्मज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हुआ, कांग्रेस वालों को यह भी बताना पड़ेगा क्या ? जब कहेंगे कि यह गलत हैं तो जवाब दूंगा। सरकारी रेकार्ड है, आप समझते हैं कि मैं घर से बनाकर ले आया ?

श्री यशवंतसिंह नाहर : इतना बड़ा ज्ञान आपको कहां से पैदा हो गया ?

श्री रामकिशन : मैं सबसे पहले असेट्स के संबंध में जिक्र कर रहा था। इसके बाद आज राज्य के असली असेट्स थे वह 21:83 करोड़ के थे उस समय कर्जा 7:88 करोड़ यह राजस्थान बनने के बाद 1-1-50 की स्थिति है। इसमें भी 17 करोड़ वह थे जो नियोजित हो रहे थे अलग अलग मामलों में। 54 लाख रुपए रोकड़ मिले और तीन करोड़ करीब राज्य कर्मचारियों का कर्जा था और रिजर्व बैंक का सब मिलाकर हमारे पास 7: 88 करोड़ का कर्जा था। सवाल खड़ा होता है कि हम राजस्थान का निर्माण इस स्थिति में करते हैं। आज बजट की स्थिति यह है कि हम 16 करोड़ से राजस्थान में 1:97 अरब तक पहुंच गए हैं मैं

(श्री रामकिशन)

राजस्व खाते की बात कर रहा हूं। जो आमदनी हो रही है करों से, या केन्द्र के करों के हिस्से की करों से आमदनी होती हैं सबसे ज्यादा खर्चा हो गया है। इस वर्ष 1:97 अरब का प्रावधान किया है। आमदनी का खाता 1.86 अरब। यदि हम अन्य राज्यों से मिलायें तो मालूम पड़ेगा कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, उनका इतना रिटर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कर्जा है जो 20 साल की स्थिति है सबको जोड़कर बताऊं तो कई मंत्रियों को गिनती समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं एक आंकड़ा रखता हूं कि हमारा बजट 16 करोड़ से 1:97 अरब तक पहुंच गया है। 7 करोड़ के बजाय 6:47 अरब तक कर्जा पहुंच गया और असेट्स के निर्माण की सूचना मैंने सदन को पहले दे दी। यह सारी स्थिति राज्य के लिए चिंता की स्थिति है और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस संबंध में स्पष्टीकरण करें। इसके अलावा इन दिनों जो उपलब्धियां हुई हैं वित्त मंत्री होश्यार हैं और जवाब देंगे कि अकाल पर इतना खर्च किया, बिजली लगाई, नहर बनाए, पुल बनाए, सड़कें बनाई, स्कूल बनायें। जो कुछ बना है, मुझे जानकारी वह भी है। राजस्थान जिस समय बना था उस समय 30 लाख एकड़ में सिंचाई होती थी। आज सारी योजनायें बनने के बाद राजस्थान में 60 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो रही है। इसका मतलब सिंचित क्षेत्र में केवल 30 लाख एकड़ बढ़ पाए हैं। राजस्थान के 2600 गावों में बिजली जाने से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं पूंजी का निर्माण कर सकते हैं तो बिजली, पानी और सड़कों की सूचना मेरे पास है। सवाल उठता है कि राजस्थान की जो हालत है उसके मुकाबले में अन्य राज्यों की स्थिति भिन्न है। वित्तमंत्री कहेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी कम है और राजस्थान की ज्यादा है। ऐसे तर्क देकर भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आमदनी इसलिए ज्यादा नहीं हुई कि सही दिशा में नियोजन हुआ। इसलिए ज्यादा नहीं हो गई कि पूंजी अपने आप निर्मित हो गई, सेल्फ जनरेटिंग हो गई बल्कि इसलिए हुई कि आबादी कम है, जमीन ज्यादा है। जैसे जैसलमेर और बाड़मेर में देखलें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। प्रति व्यक्ति आमदनी ज्यादा है क्योंकि आबादी कम है। इस कारण प्रति व्यक्ति आमदनी अन्य राज्यों के मुकाबले में ज्यादा दीखती है लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, उनकी तस्वीर समझें तो निराशा होगी।

वित्त मंत्री ने भाषण में बताया कि 35 करोड़ साल में ब्याज देते हैं और जो ब्याज प्राप्त कर रहे हैं कंपनियों से, सहकारी समितियों से वह है 15 करोड़। 35 करोड़ ब्याज देते हैं और 15 करोड़ प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब 20 करोड़ का हमारा गैप है। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? राजस्थान बनने के समय, जिसकी मैंने पहले सूचना दी है, 17 करोड़ था। आज कंपनियों में, सहकारी संस्थाओं में सब मिला कर 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट रह गया, इन्वेस्टमेंट घट गई, ब्याज बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया। वित्त मंत्री बतायें अपने जवाब के समय कि यह क्यों है? कहां गलती है? सारे मामले पर मैं जाऊंगा तो समय की सीमा के कारण स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा लेकिन तीन प्रश्न हैं। पहली आज बिजली की उपलब्धि हिन्दुस्तान

(श्री रामकिशन)

में 1970 के अंत तक एक लाख के करीब गावों में लगाई जायगी लेकिन 1970 तक का राजस्थान में मुश्किल से 2600 गांवों में लगाई जाएगी। सारे देश में 10 करोड़ एकड़ सिंचाई हुई लेकिन राजस्थान में मुश्किल से 60 लाख एकड़ सिंचाई का इंतजाम हो पाएगा। तो शिक्षा में पीछे, बिजली में पीछे, जमीन में पीछे। साक्षरता का जो सर्वे हुआ है, चौगुना हुआ है उसमें हमारी साक्षरता की जानकारी मिल गई है। तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति तो दुर्बल है ही लेकिन राजस्थान सरकार का दिमाग भी कमजोर है और जिन दिशाओं में नियोजन करना चाहिए था वहां नहीं हुआ है। सरकार से मतलब मेरा मैं किसी मंत्री से नहीं है, व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है क्योंकि कई मंत्री मुझसे भी तेज दिमाग के हैं। लेकिन राज्य सरकार की स्थिति में सुधार हुआ हो, ऐसा नहीं है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने लाल–किताब छापी है और इसलिये कि लाल किताब की फैशन है। किस देश से यह निकला मैं इसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा। किताब का मुख पृष्ठ लाल है, चेहरा सफेद है और चश्मा काला। यह प्रगति की है। दुर्भाग्य से तीन चार वित्त मंत्री हुए हैं राजस्थान में जो आनन्द पसन्द और खुश मिजाज। शकल सूरत अच्छी, चाल चलन और खानपान अच्छा। इसलिये राजस्थान के बजट का लाल कवर छपवा देंगे तो ठीक हो जावेगा। कुल दो तीन पैराज हैं, एक में मजलूमों के लिये आंसू बहाये, कमजोर और दबे हुए लोगों को उठाने की बात कही है, इन्कलाब और तब्दीली की तारीफ की है। आपकी इस लफ्फाजी से आखिर क्या राजस्थान की तस्वीर बनाना चाहते हैं।

जितने बेरोजगार हैं उनके लिये वित्त मंत्रीजी ने कुछ प्रावधान किये हैं, हरिजन और पिछड़े लोगों के लिये कुछ बातें कहीं, कुछ उद्योगों में मजदूरों को लेने की बात कही, बिजली में सुविधा देने की बात कही, होस्पिटल्स बढाने और बेड्स बढाने की बात कही मैं इनका स्वागत करता हूं और यह हर राज्य सरकार का फर्ज है कि लोक-कल्याणकारी कामों में वह खर्च करे और कांग्रेस के माननोय सदस्य इसको एक ऐतिहासिक बजट कहते हैं। जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट है।

श्री उपाध्यक्ष : हमेशा ही कहते रहेंगे ऐतिहासिक है।

श्री रामकिशन : कम से कम वे समाज का मजाक तो न उड़ायें। कल आने वाले बजट को वेदान्तिक कह देंगे। वेदान्त क्या होता है इसका अर्थ ही नहीं मालूम होगा।

ग्रेजुएट्स को कुछ वजीफा दिया है। लेकिन यदि हम प्रति व्यक्ति की आमदनी की दृष्टि से देखें और उसको 54.55 के हिसाब से लें तो राज्य की आमदनी कहीं बढ़ी नहीं है। '54.55 की कीमतों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति की आमदनी 233 रुपया माना है। किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बड़ी चालाक है। उसने एडवरटाइजमेन्ट दिया है अखबारों में। शुरू कहां से किया है? प्रति व्यक्ति आमदनी 233 रु. पहले थी और अब बतायी है 499। रुपया यह उन्होंने चालू कीमतों के ऊपर बता दी

(श्री रामकिशन)

किन्तु उन्होंने 54:55 के कोन्स्टेन्ट, प्राइसेज पर इसको नहीं बताया। यहां पर कोंस्टेन्ट को छोड़ दिया। कितनी चालाक है सरकार जब इसको देखा तो मेरे एक मित्र ने कहा कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आमदनी तो निरन्तर बढ़ती जा रही है। तब मैंने उन्हें कहा कि असल कीमत क्या थी और कोन्स्टेन्ट प्राइसेज से कितनी होनी चाहिये थी यह नहीं बताकर इसको चालू कीमतों के आधार पर बताया है। इसका फर्क न करके सरकार यह केवल प्रचार के लिये बता रही है वह लाल किताब छपवा कर भी हो सकती थी। हालांकि जो आपने घोषणायें की हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। ये तो छोटे मोटे सुधार के कदम कहे जा सकते हैं लेकिन यह कोई ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी कदम नहीं हैं जिनके बारे में ढोल पीट रहे हैं। मैं बिजली पानी और विकास की राज्य की क्या स्थिति है यह बतायी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में भयंकर गरीबी है। हिन्दुस्तान पर कितना कर्जा है और कितना कर्जा राजस्थान पर है इस ओर यदि दृष्टिपात किया जाय तो राजस्थान के किसानों पर और खासकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा कर्जा निकला है। रूरल सर्वे के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को यदि देखा जाय तो मालूम हो जावेगा कि वास्तविक इस संबंध में क्या राजस्थान का चित्र है। हो सकता है कि उसमें गलतियां हों। आंकड़ों के अलावा तो दीगर होता नहीं है। हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी बढी नहीं है जैसा कि वित्त मन्त्रीजी कहते हैं। किन्तु सही रूप में देखा जाय तो राजस्थान पर कर्ज का भार छः गुना अधिक हो गया है। राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। इसके कारण कई हैं। सबसे बड़ा कारण है राज्य सरकार ने इन तीनों पंच साला योजनाओं में, 1970 तक, 6 अरब 17 करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट किया है। इतना पैसा आज तक खर्च कर चुके हैं। योजनाओं का दोष नहीं है। वहां खर्च करना चाहिए, किसको प्राथमिकता देनी चाहिये वह नहीं दी और उस कारण जो नतीजे आने चाहिये थे वह नहीं आ पाये। 1 अरब 86 करोड़ की आमदनी बताते हैं। प्रगतिशील सरकार की तो यह कसौटी होती है कि राज्य का नोन टैक्स रेवेन्यू, आयकर राजस्व क्या है। नोन टैक्स रेवेन्यू, अयकर राजस्व के नाम तो आप 4½ करोड़ से अधिक बता नहीं सकते। केन्द्र का जो अनुदान होता है, आप उसको भी इसमें शामिल कर देते हो। सीधा जो टैक्स लगाते हैं उसका तो आप लेते तो आपको मालूम होता। सेन्टर से जो रेलवे फेयर के एवज में अनुदान मिलता है और दूसरे जो अनुदान मिलते हैं उनको आप नोन टैक्स रेवेन्यू में शामिल कर लेते हैं। और राज्य की जनता को भ्रम हो जाता है।

आखिर क्या क्या साधन हैं जिनके द्वारा हम पैदावार ले सकते हैं। प्रमुख साधन है, उपाध्यक्ष महोदय, नदी घाटी योजना। जिनको आपने आरम्भ किया उनसे क्या आमदनी होती है। हमारे पास है वन, खनिज और हमारा जो इन्वेस्टमेन्ट है उनका अंशदान। उसका हमको प्रोफिट मिलता है। यह हमारे पास आयकर, राजस्व की मदे हैं। मुझे इनको देखकर बड़ी निराशा मालूम पड़ती है। यदि इसको गंभीरतापूर्वक

(श्री रामकिशन)

देखें तो आपको मालूम होगा कि 80 लाख रुपया के करीब आपको वनों से प्राप्त होता है, सिंचायी के साधनों से आपको 2,14,33 हजार रुपया प्राप्त होता है। बहु नदी घाटी योजनाओं से 1 करोड़ दस लाख और सार्वजनिक निर्माण से 63 लाख 70 हजार। और तमाम आपको आय कर राजस्व है वह 4 करोड 71 लाख 54 हजार है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार को विनियोग लगाना चाहिये था, पूंजी लगानी चाहिये थी जिन पर उन पर नहीं लगायी और केवल निराशा से अधिक कुछ नजर नहीं आता हैं।

सरकार कहती है कि बाकी कर में आमदनी बढ़ेगी। तीन चार केन्द्र ऐसे रहते हैं जो प्रमुख माने जा सकते हैं। आमदनी या तो निरन्तर केन्द्रीय सरकार से या कर्ज से आयी है। हमारी आमदनी बढ़ नहीं पायी है। 32.25 लाख भू–राजस्व की आमदनी बतायी गयी है। आबकारी से 9 करोड़ 15 लाख, वनों से 3, 65 लाख और मनोरंजन और दूसरे करों से 7 करोड़ की आमदनी हो सकती है। ब्याज प्राप्त होगा 15 करोड़ जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका। खान की आमदनी, उद्योगों की आमदनी, वह हमारी आमदनी बहुत ही नगण्य आमदनी है। वित्त मन्त्री को चाहिये कि वे एक कमेटी बिठाये और हमारे प्रोजेक्ट्स में जो पूंजी लगी हुई है क्या उनसे आमदनी कम हुई अथवा हमारे विपरीत कारणों से कम हैं। क्या टैक्स कम हैं इसलिये आमदनी कम है? क्या भ्रष्टाचार कम है इसलिये आमदनी कम है? भ्रष्टाचार की जब चर्चा करेंगे तो मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे।

वित्त मंत्री जी ने अपने सारे बजट भाषण में घाटा दिखाया है। उन्होंने इस बात से सन्तोष कर लिया है कि इसको केन्द्रीय सरकार पूरा कर देगी। केन्द्रीय सरकार की क्या स्थिति है? अभी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया गया था उसमें 2 अरब और 40 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। सारे राज्यों ने कुल मिला कर अपने बजट में 5 अरब रुपयों का घाटा दिखाया है। आज हमारे देश की वित्तीय स्थिति है वह घाटे की वित्तीय स्थिति है और घाटे पर ही यह चल रही है उसमें से हमको कितना मिलेगा उसका ऐक इन्डीकेशन देकर यहां समाप्त करना चाहूंगा इसको। योजनाओं के लिये 6 अरब 35 करोड़। 7 अरब का प्रावधान है। 71 की जो जनगणना के आंकड़े आये हैं। उसको देखते हुए तो योजनाओं पर इन्वेस्टमैन्ट बढ़ने वाला नहीं है घटने वाला है क्योंकि केन्द्र की खुद की घाटे की स्थिति है। अब अमेरिका से अधिक मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते। पी० एल० 480 की मियाद भी समाप्त हो रही है और अब आगे इस ओर भी उम्मीद नहीं है। साथ ही अमेरिका और हिन्दुस्तान के उतने मधुर सम्बन्ध भी नहीं है जबकि पहले थे। सबोर्डिनेशन में अब नहीं रहना चाहते जबकि पहले थे। इन सब हालात को देखते हुए केन्द्र की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। केन्द्रीय मदद से वित्त मंत्रीजी ने घाटे की पूर्ति की उम्मीद की है वह उम्मीद पूरी हो जाय वह भी सम्भव नहीं है क्योंकि केन्द्र की खुद की स्थिति ही ठीक नहीं है। इसलिये मैं यह वित्त मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आखिर हमारे पास कोई तरीका भी है या नहीं। खर्चे की स्थिति को भी

(श्री रामकिशन)

देखना पड़ेगा। राज्य की वित्तीय स्थिति को देख रहे हैं।

राजस्थान मंत्री मण्डल के अधिकांश सदस्य अपने अपने विभाग की मांग लेकर आ जावेंगे। पी० डब्ल्यू० डी० वाले अपनी टूटी फूटी सड़कों को लेकर आ जावेंगे, समाज कल्याण मन्त्री कुछ को वजीफे की बात लेकर आ जावेंगे, आयुर्वेद मंत्री च्यवनप्राश के तीन चार डिब्बे पेश कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे ये मन्त्री अपनी अपनी छोटी मोटी मांगें लेकर आ जावेंगे पर यह नहीं सोचा कि हमारा खर्चा कैसा है?

हिसाब लगाया उपाध्यक्ष महोदय, हमारा 1 अरब 70 करोड़ का खर्चा है। अविकास व्यय नान डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर का व्यय 6 करोड़ 95 लाख करोड़ 17 हजार का हो जाता है। तो जो हम कहा करते हैं यह खर्चा बहुत ज्यादा है। वह है 76 करोड़ 95 लाख 16 हजार का। सामाजिक सेवाओं पर व्यय होगा 72 करोड़ 98 लाख के करीब। पर जिसके लिये टैक्स लेते हैं और जो पूंजी निर्माण हमें करना चाहिए उसके लिये सारे राजस्व बजट में से केवल पूंजीगत व्यय के लिये 26 करोड़ के लगभग बचता है। यह है हमारा चिन्ता का कारण।

हम कहां से पैसा लावेंगे? पर कैपिटा आउट–ले का परसेन्टेज घटता जा रहा है। संख्या उनकी जरूर बढ़ती जा रही है। पर डेवलपमेंट की राशि का परसेन्टेज घटता जा रहा है। 3 चार नियोजन राजकीय व्यापार पर भी होंगे। तो इस सबके लिए सरकार की स्थिति में सुधार करना चाहिए। अविकास व्यय को घटाने की जितनी कोशिश हो सके, करनी चाहिये। आज सदन में मुझे समय नहीं है कि इस पर सुझाव दूं कि किस मुद्दे को कहां से हटाया जावे। पर एक बात कहना उचित समझता हूं। आपका प्लानिंग बोर्ड बना हुआ है। मुझे पता नहीं उसकी मीटिंग होती है या नहीं। क्या है? उसकी कभी मीटिंग होती है तो प्लानिंग बोर्ड में क्या कार्यवाही होती है किस तरह क्या होना चाहिये यह मिनिस्ट्रियों को मालूम नहीं। सेक्रेटरी ने प्रस्ताव रख दिया, मंत्री जी दो कप चाय पीकर और दो चार सिगरेट जलाकर और हंसकर आ गये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें कैपिटल बढ़ाने के लिये कई तरीके अपनाने पड़ेंगे। अविकास व्यय घटाना होगा। हालांकि इससे भी काम नहीं चलेगा। दूसरी कमजोरी आपने नहीं देखी? हिन्दुस्तान की सारी विकास योजनाओं का अगर हिसाब बताऊं विस्तार में तो देर हो जावेगी। केवल एक मुद्दा रखना चाहता हूं।

केन्द्रीय सरकार की तरफ से जितने प्रोजेक्ट बनाये गये हैं या लगाये गये हैं अधिकांश में वे अन्य अन्य राज्यों में लगाये गये हैं। आपके राज में कितने हैं? आपको जानकारी नहीं है। आयुर्वेद मंत्री बता सकते हैं? द्राक्षासव की बोतलों के अलावा आपको जानकारी नहीं है। पी. डब्ल्यू. डी. वालों से पूछें, तो कहेंगे सड़क में पड़े खड्डों से ही फुरसत नहीं है। परिवार नियोजन मंत्री से पूछूं तो कहेंगे मुझे तो आपरेशन और लूप की जानकारी है, और नहीं है।

आप दिल्ली में मीटिंग में जाते हैं। जाते हैं न? क्या करते हैं वहां?

एक माननीय सदस्य : सिनेमा देखने।

श्री रामकिशन : सिनेमा में भी तमीज चाहिये। तो मैं कह रहा था कि अंग्रेज जब गये थे तब 12 अरब की पूंजी लगी थी सार्वजनिक उद्योगों में। आज 36 अरब की पूंजी लग चुकी है। पर राजस्थान में इसका कितना विस्तार हुआ ? इसकी जानकारी किसी को है ? किसी को नहीं है। यह किसी अज्ञानता के कारण से नहीं है। ज्ञान में तो ये मेरे से भी ज्यादा हैं। पर आलस्य के कारण जानकारी नहीं कर पाते क्योंकि आपको समय पर तनखा भत्ता आदि मिल जाता है घर पर कार में चले जाते हैं। फिर राजकीय वित्तीय साधन क्यों घट रहे हैं इसकी उनको क्या चिन्ता। आपको तो अपने परिवार की अपनी चिन्ता है वह दूर हुई। आप ताज्जुब करेंगे उपाध्यक्ष महोदय कि सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का 36 अरब रुपया लगा हुआ है। इस में से राजस्थान में कितना लगा है ? 30 करोड़ पचास लाख केवल। हमारे यहां केवल चार प्रोजेक्ट हैं। खेतड़ी तांबा परियोजना, उदयपुर का जिंक स्मेल्टर अजमेर का मशीन टूल्स और एक कोटा में। इस सब में 36 करोड़ पचास लाख का इन्वेस्टमेंट है कुल मिलाकर।

तो हमारे यहां हमारी पर केपिटा इन्कम बढ़ाने के लिये केन्द्रीय उद्योगों का यहां आना जरूरी है। अगर यह नहीं करेंगे तो हमारी वित्तीय स्थिति खराब होती जावेगी। अब इसके लिये यहां किसी को फुर्सत नहीं कि वे केन्द्र में जावें और योजना आयोग से भी कहें और भी कहें। अफसरों को यह ज्ञान होगा तो वे मन्त्रियों के इस तरह के व्यवहार को देखकर चुप हो जाते होंगे।

अंग्रेजों के जाने के बाद राजस्थान में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है इसकी जानकारी इनको नहीं क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने तो हिम्मतनगर तक रेल्वे लाइन लगा दी वे तो हो गये फ्री। पर हमें कितने मील सड़क रेल बांधों आदि की जरूरत है इन मुद्दों को प्लानिंग कमीशन में रखना था। अब नहीं रखा तो या प्रधानमंत्री के डर से या अपनी अज्ञानता से। तो इस तरह से इन कारणों से हमारा राज पीछे हैं। इस लिए पीछे नहीं है कि हमारे यहां रिसोर्सेज की कमी हो कोई, हमारे यहा नदियां है, उसमें पानी है, इन्जीनियर हैं, खुली अच्छी उपजाऊ जमीन है समतल है बुद्धिशील धैर्यवान् और मेहनत करने वाले लोग हैं। 23 साल से वे ही चेहरे। चाहे उनको पी.डब्लू.डी मंत्री बना लो, चाहे वित्त मंत्री बनालो चाहे परिवार नियोजन मंत्री बनालो। इन सारी सहूलियतों के बाद भी यह पिछड़ रहे हैं। केरल में हो तो पता नहीं हमारी क्या हालत हो। राजस्थान में स्थिरता तो इस माने में है। पर आपतो ऐसे बैठ गये हैं जैसे शिवजी के सामने पार्वती मुद्रा बनाये बैठती है। इसके बावजूद पीछे रहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जनता ने जमा दिया।

श्री रामकिशन : तो हमारी स्थिति यह है कि केन्द्रीय उद्योगों में हिस्सा राज्य को जो मिलना चाहिए तो वह नहीं मिला। छत्तीस अरब रुपयों में से केवल 30 करोड़ रुपया मिला। इसे पोइन्ट बनावें और प्लानिंग कमीशन के सामने रखें अगर यहां लोगों को ज्यादा रोजगार देना है तो।

अभी माननीय वित्तमंत्री जी चर्चा करेंगे वाहवाही लूटने के लिये अपनी लाल

(श्री रामकिशन)

किताब की कि एक हजार इन्जीनियरों को वे 250 रुपया वजीफा देंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : राजस्थान में केवल 30 करोड़ पच्चास लाख ही कैसे बताया आपने 220 करोड़ का तो एक ही एटोमिक एनर्जी वाला प्रोजेक्ट है कोटा में।

श्री रामकिशन : मैं तो 68 तक के आंकड़े जो आपने यहां से दिये हैं उनके आधार पर कह रहा हूं। मेरे पास और कोई सूचना का श्रोत तो है नहीं। तो 68 तक के आंकड़े जो अलग अलग किताबों में आपने दिये हैं वे इकट्ठे करके मैंने बताये हैं। मैं इनकी डिटेल में तो इस समय समयाभाव से नहीं जा सकता। पर आज हमारे राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय सब तरफ से काफी निराशाजनक है। इस के कारण हमें ढूंढने हैं और वित्तीय श्रोत हमें बढ़ाने हैं। इसमें भी बेरोजगारों के मामले में गरीबी और बेरोजगारी कैसे मिटावेंगे राज्यपाल के भाषण के अवसर पर कह चुका हूं। उनको दोहराऊंगा नहीं। पर आपने गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के जो तरीके अपनाये हैं मैं पूछता हूं क्या उससे बेरोजगारी, गरीबी मिट जावेगी? आप पढ़े-लिखों की गिनती कर लेते हैं? राजस्थान में अन्दाजन 60 हजार के करीब पढ़-लिखे बेरोजगार हैं। वे आपके आंकड़े के हिसाब से। वैसे तो राजस्थान में 12 से 16 लाख के बीच में होंगे। पर पढ़े लिखों की संख्या आपने 60 हजार के करीब बताई। अब उनके लिये राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि उनको और शिड्यूल्डकास्ट के और ट्राइब्स के ग्रेजुएट्स को वजीफा देंगे। वोट लेने के लिए अगर आपने यह किया है तो वोट तो ठीक हो गये। पर मैं बताऊं शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्रेजुएट्स कितने होंगे? मुश्किल से 15/20 या 30 होंगे। आप यह कहें कि हायर सेकण्डरी या सेकण्डरी पास लोगों को या जो एस.टी. सी० के होंगे तो ये करीब 6, 7 हजार के करीब हो जाते। पर आपने तो केवल एम. ए., बी. ए. पास वालों को देने की बात कही। वोट लेने के लिये तो मामला सुलझ गया। पर वोटों से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : जब वोट होगा तो काम चला लेंगे।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जब ये यहां से हटेंगे तो राजस्थान को कंगाल बना जायेंगे। आज यह स्थिति है। बेरोजगार कितने हैं, ग्रेजुएट्स कितने हैं? एक हजार इन्जीनियरों का पूल बनाने की बात आपने कही है। इसके लिए मैंने सुझाव दिया था राज्य सरकार को···

श्री उपाध्यक्ष : ग्रेजुएट चुनाव में खड़े हो सकते हैं?

श्री रामकिशन : उनको तो खुश कर दिया है। राज्य करते करते यह तो कला इन्होंने सीख ली है।

मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको राज्य सरकार को गंभीरता से लेना होगा। हमारी बेरोजगारी की यह समस्या वजीफा देने से नहीं मिटेगी। हमारे यहां यह वजीफा देने की बात किन के लिए कही गई हैं, इन्जीनियर्स को, डाक्टर्स को? एक सवाल है ये डाक्टर किनके लड़के हैं?

(श्री रामकिशन)

इन्जीनियर किनके लड़के हैं? वे बेरोजगार हैं, उनके लिये हमारी सहानुभूति हो सकती है। जो इन्जीनियर बने हैं, जो डॉक्टर बने हैं, वे सम्पन्न वर्ग के लड़के हैं, ऐसे घरों के लड़के हैं जिनके घरों की माली हालत अच्छी है। लेकिन राजस्थान के अन्दर पचास हजार के करीब भूमिहीनों के लड़के मैट्रिक पास हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास कोई धन्धा नहीं है। उनके लड़के सैकेण्डरी पास कर चुके हैं। उनको सहायता देना है। इन्जीनियर्स के लिये आपने वजीफा दिया, डॉक्टर के लिये आपने प्रावधान कर दिया और जो दूसरे डॉक्टर हैं वेटेरीनरी के उनके लिये भी आपने इन्तजाम कर दिया, परन्तु क्या आप दूसरे लोगों के लिये, जो गरीबों के बच्चे हैं, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनके लिये कोई प्रावधान करने के लिये तैयार हैं? मैं यह बराबर मांग करता चला आ रहा हूं कि सरकार को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता कायम करना चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप यह बेरोजगारी भत्ता शुरू कर दें तो सारे राजस्थान में केवल साढ़े तीन करोड़ का हमारे पर ज्यादा भार पड़ेगा। साढ़े तीन करोड़ का बेरोजगारों को भत्ता दे सकते हैं लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। उनसे काम लेंगे क्या? खाली भत्ता देकर ही जिम्मेदारी से दूर न हट जायं। हमारे यहां शिक्षण कम है, पढ़ाई लिखाई का काम हम उनको बता दें, प्रौढ़ शिक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दें। इसके साथ साथ नदी घाटी योजना, बिजली के नियोजन में उनको लगायें। और जो हमारा नॉन डेवलपमेंट का बजट है उसमें धीरे-धीरे कमी करते चले जायं। और इस तरफ ज्यादा से ज्यादा इनवेस्टमेंट करें। हम दस साल तक 71 से लेकर 81 तक इसमें दो अरब रुपया अगर खर्च कर दें तो सन्थानम् कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, तब जाकर के यहां से बेरोजगारी को मिटा सकेंगे, गरीबी को कम कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस वजीफे से कुछ नहीं कर पायेंगे। यह हो सकता है कि सन् 72 के चुनावों में इनको कुछ वोट मिल जायं खाली राज्य करने के लिये और उससे यह संतोष कर सकते हैं। परन्तु राज्य के मालिक की हैसियत से आपका फर्ज है कि आप राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कृषि की जो व्यवस्था है, उसके सम्बन्ध में मैंने यहां पर जिक्र किया है, सिंचाई के सम्बन्ध में मैंने यहां पर जिक्र किया है, कर्जे की जो स्थिति है, उसके सम्बन्ध में जिक्र किया है और हमारा जिन पर कर्जा है उसके सम्बन्ध में मैंने जिक्र किया है। आज हम हमारी औद्योगिक क्षमता की चर्चा करते हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी जहां कहीं भी जाते हैं हमेशा एक-सा भाषण करते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है हमेशा के लिये उनका एक-सा भाषण लिखा हुआ है, या हर साल वे उसको लिखवा लेते हैं - उद्योगों को ये सुविधायें दी जा रही हैं राजस्थान में, और राजस्थान का यह औद्योगिक विकास कर रहे हैं और फिर सारे उद्योगपतियों से अपील करेंगे कि वे यहां आकर उद्योग लगावें। मैं अभी दिल्ली गया था। मैंने एक उद्योगपति मित्र से वहां बात की। वे बम्बई के हैं और मेरे दोस्त हैं और दूसरे माननीय सदस्य उनका नाम भी जानते हैं। मैंने उनसे कहा - राजस्थान में

(श्री रामकिशन)

क्यों नहीं उद्योग धन्धा खोलते ? उन्होंने कहा, राजस्थान में उद्योग खोलने के पहले चन्दा देना पड़ता है। मैंने कहा बम्बई में भी तो चन्दा देना पड़ता है । बम्बई में नहीं पहले आमदनी हो जाती है, तब देना पड़ता है । यहां पर तो पहले देना पड़ता है ।

श्री मदनसिंह : सोशियेलिस्ट के भी उद्योगपति फ्रेण्ड, ओह गाड ।

श्री रामकिशन : मेरे तो आप भी फ्रेण्ड हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एस. एस. पी. वालों के उद्योगपति दोस्त हो सकते हैं······

श्री रामकिशन : अपने पिताजी से पूछ कर आओ कि किस हैसियत से दोस्त हैं । हम साथ साथ पढ़ते थे और एक जगह हम दोनों कचोड़ियां बेचते थे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राज्य की वितीय स्थिति क्या है ? खनिज सम्पदा के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय में निवेदन कर चुका हूं। आज हमारी औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या है ? लघु उद्योग क्षेत्र की क्या स्थिति है ? हमारे राज्य में कुल लघु उद्योग यूनिट्स 523 हैं और इसमें लगी हुई कुल पूंजी 13 करोड़ 6 लाख रुपये हैं और 26 हजार आदमियों को इससे रोजगार मिल रहा है । यह हमारे यहां का राजस्थान का लघु उद्योग उपक्रम है । हमारा दूसरा सबसे बड़ा उपक्रम है राजस्थान में लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज इसकी कुल संख्या 72 हैं और इसमें कुल पूंजी लगी हुई है 35 करोड़ 14 लाख और रोजगार मिल रहा है 53 हजार लोगों को। तीसरी, मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज हैं और इसकी कुल संख्या है 15, कुल पूंजी की लागत 3 करोड़ 32 लाख है और रोजगार 5 हजार व्यक्तियों को मिल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की जो औद्योगिक क्षमता है, और उसके अनुसार कितना औद्योगीकरण यहां पर हुआ है, उस स्थिति के विश्लेषण में फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा । यहां सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार को बेरोजगारी को मिटाना है, तो हमें सब से पहले तीन काम पर जोर देना पड़ेगा । हमारे यहां पहले सिंचाई के साधनों का, दूसरा बिजली का नियोजन हो और तीसरे हमारे यहां पर छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हो । बड़े उद्योगों की स्थिति को आप देख लीजिये, पूंजी का नियोजन सब से अधिक और रोजगार बहुत ही कम लोगों को मिलता है हमारी योजना ऐसी हो जो तत्काल फल देने वाली हो, रोजगार देने वाली हो। आज हमारे हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जगह जगह भाषण कर रही है, आपने उनके बारे में कहा है प्रबुद्ध नेतृत्व कर रही हैं, यह ठीक है, उनके नेतृत्व में आपको भारी सफलता मिली है, आप चुनाव जीत गये हैं । उनके एक टेलीविजन का इन्टरव्यू मैं सुन रहा था। चुनावों के दिनों में उन्होंने कहा, मैं बेरोजगारी, गरीबी को मिटाना चाहती हूं । उनसे प्रश्न किया गया—कब तक मिटेगी ? उनका उत्तर था—आप मेहनत करिये ? तीस, चालीस साल लग जायेंगे । मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान से बेरोजगारी को मिटाना एक हजार का जो लक्ष्य आपने रखा है उससे तो हिन्दुस्तान में 90 साल लग जायेंगे इस तरह से एक हजार लोगों को एक एक जिले में जो रोजगार देने का आपका

(श्री रामकिशन)

लक्ष्य है, उसके अन्दर आप सड़कें बनवायेंगे उनसे, बांध बनवायेंगे, सॉईल कन्जर्वेशन का काम करवायेंगे। बेरोजगारी के लिये अलग से यह कोई योजना नहीं है। इसके लिये तो हमें प्लान एलोकेशन को, प्लान के सारे पैटर्न को बदलना होगा उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी वित्तीय स्थिति है। हमारे प्लानिंग कमीशन ने और दूसरी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि हमारे यहां की इकोनोमी तीन, चार गल्तियां हो गई हैं। वैसे हमारे यहां सारी गड़बड़ी यह हुई है कि हमारी जो योजनायें हैं, उन योजनाओं को प्राथमिकता सही ढंग से तय नहीं की गई है। दूसरी कमजोरी यह है कि हमने इन योजनाओं को किसी एक जगह शुरू नहीं किया जिसका कि तत्काल फल मिल सकें। हमने यह देखा है कि उद्योग मंत्री बांसवाड़ा के हैं तो एक इन्डस्ट्री बांसवाड़ा में खोल दी गई, समाज कल्याण मंत्री बांदीकुई के हैं तो दो होस्टल उन्होंने बांदीकुई में खोल दिये, नवाब साहब पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर हैं तो तिजारा में चार सड़कें बनवा दीं और नतीजा यह हुआ कि हमारे सारे राज्य में, सारे देश में एक रिजनल इम्बेलेन्स पैदा हो गया है। प्लानिंग कमीशन यह कह रहा है कि हमारा जो आयोजन हुआ है वह गलत दिशा में हो गया है। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की इस साल किताब में तारीफ की गई है। रायबरेली में चुनावों के दिनों में 20 करोड़ का आयोजन स्वीकार किया गया और फिर हमारी प्रधान मंत्री कहती हैं वे ईमानदारी से वोट ले रही हैं। वहां पर 20 करोड़ का नियोजन हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ ? हमारे मुख्य मंत्री उदयपुर जाते हैं और उदयपुर में औषधालय खोलते हैं, जहां बिल्डिंग की जरूरत है वहां औषधालय खोलते हैं। महज वोट लेने के लिये। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी इकोनोमी जो अपने आप उत्पादन करने वाली होनी चाहिए, टैक्स को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, वह मर जाती है। मैंने कई बार, उपाध्यक्ष महोदय, यह सुझाव दिया है कि जैसलमेर, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य यह जिक्र यहां पर किया करते हैं कि उनके यहां पीने का पानी नहीं है। दुनियां में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इसको सच मानता हो कि आज के युग में पीने का पानी नहीं है। मैंने यह सुझाव दिया था कि अलवर में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में आप नल योजनाएं मत लगाइये। हम दस साल तक पानी बाल्टियों से, घड़ों से ले आयेंगे आप इस पैसे को जैसलमेर, बाड़मेर में लगा दीजिये वहां के लोगों को पानी मिल जायगा लेकिन आज उस काम को नहीं करेंगे और हम कहेंगे भरतपुर में बिजली की जरूरत है। आप तत्काल वहां बिजली लगा दीजिये उससे आपका सरकारी खजाना भी भरेगा और लोगों को वास्तविक राहत भी मिलेगी लेकिन वह करते नहीं है ...

श्री अमीनुदीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : भरतपुर में रोड की जरूरत नहीं है ?

श्री रामकिशन : नहीं, उसकी भी जरूरत है। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं क्योंकि मुझे भी एक रोड बनवानी है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था हमने खुद ने जान बूझकर रीजनल इम्बेलेन्स पैदा किया है।

(श्री रामकिशन)

मैने सदन में कई बार कहा है भीलवाड़ा, चित्तौड़ से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। सुखाड़िया साहब, भण्डारी साहब, कोठारी साहब ये सब अपर क्लास के बड़े लोग हैं लेकिन वहां के जो आदिवासी लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं या हरिजन हैं उनका कोई सुधार नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि रीजनल इम्बेलेन्स जानबूझ कर पैदा करते जा रहे हैं। जहां किसी चीज की जरूरत नहीं होती है वहां उस चीज को जरूर करेंगे इसे मुख्य मंत्री भी अच्छी तरह जानते हैं। बजट के हर पैज में ऐसी बात देखने को मिलेगी—कोई औषधालय खुलेगा तो वह उदयपुर में कोई और काम होगा तो वह उदयपुर में। बजट के हर पेज पर उदयपुर लिख रहा है। मुझे विरोध नहीं है उदयपुर से लेकिन पूंजी का दुरुपयोग किया है इससे जो हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए वह नहीं बढ़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, तीन जिलों की बात बताता हूं भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर जहां की जमीन फरटाइल है, किसान यहां के मेहनती हैं आप ही स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं इन इलाकों में लोग क्या चाहते हैं-सीधी बात है वहां पर सिंचाई योजनाओं पर जोर देना चाहिए, बिजली पर जोर देना चाहिए। प्रति व्यक्ति जो इन तीन जिलों पर खर्च हुआ है वह प्रति व्यक्ति अलवर में 106.97 59 तक की बता रहा हूं जो प्रति व्यक्ति खर्च किया है भरतपुर में 140.18 और सवाई माधोपुर में 103.11 पैसे हैं। भरतपुर का इन्वेस्टमेंट कुछ बढ़ा है क्योंकि वहां फ्लड आ गया था इसलिए प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ गया बाकी इन्वेस्टमेन्ट उतना ही है। चित्तौड़, भीलवाड़ा को देखें और वहां भी, उपाध्यक्ष महोदय, अगर खानों पर खर्च किया हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं क्योंकि वह खनिज बहुल क्षेत्र है, माईनर इरिगेशन का काम चले तो मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन हर काम उदयपुर में होगा। अब प्रतिव्यक्ति उदयपुर के आंकड़े को देखेंगे तो वहां 192 है। अलवर में 106 और उदयपुर में 192.73, चित्तौड़ में 129.55, भीलवाड़ा में 136.65 पैसे हैं ‥

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर में कितना है ?

श्री रामकिशन : वहां का कम है।

श्री उपाध्यक्ष : वैसे यह तो कम ही लग रहा है। मैं समझ रहा था और भी ज्यादा होगा

श्री रामकिशन : प्रति व्यक्ति कह रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : 59 तक है।

श्री रामकिशन : इसमें सेन्ट्रल के जो खर्च हैं वे शामिल नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : उदयपुर में बहुत है।

श्री रामकिशन : जो आंकड़े आपके हैं उसके आधार पर ही मानना पड़ेगा। गलत नियोजन हो रहा है उसका नतीजा यह है कि नुकसान में चलते जा रहे हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक ही निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार को कब कौन से तरीके अपनाने चाहिए, जिससे आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो सके। आज जो हमने

(श्री रामकिशन)

इन्वेस्टमेन्ट कर रखा है वह कुछ कम्पनियों में है, कुछ इन्वेस्टमेन्ट सहकारी समितियों में हैं और वह है 15 करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट उससे रिटर्न क्या मिल रहा है 14 लाख सार्वजनिक क्षेत्र की वकालत करते हैं। यह कांग्रेस में बैठे हुए लोगों की हिमायत नहीं है यह तो आगे आने वाले लोगों के लिये सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करना चाहते हैं। स्वतन्त्र पार्टी तो मौखिक विरोध करती है और ये शारीरिक रूप से (एक माननीय सदस्य के व्यवधान करने पर)
आपमें समाजवाद है कहां ? मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य : चुनावों में समाजवाद का नारा दिया था।

श्री रामकिशन : चुनावों के समाजवाद से रामानन्दजी को भ्रम हो सकता है लेकिन मुझे भ्रम नहीं है.... (माननीय सदस्य के व्यवधान करने पर अश्रव्य)....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : रामानन्दजी की शक्ल से तो समाजवाद लग रहा है....

श्री रामकिशन : उनके बाल काले नहीं रहे सफेद हो गये हैं इसलिये आपको ऐसा लग रहा है। अभी मेरे बाल काले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कौनसा तरीका अपनाना चाहिये। माननीय सुरेन्द्रजी ने कहा एक बात। ठीक है, नौजवान हैं लेकिन मैं भी बूढ़ा नहीं हूं। अभी 40-42 के करीब ही गया हूं। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति मुझे समाजवाद की परिभाषा बता सकता है लम्बी केपिटल मास्को पढ़ कर नहीं। आप बता सकते हैं समाजवाद का क्या अर्थ है ? आप बतायें (कई माननीय सदस्यों की ओर इशारा करके)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : राजस्थान को किस समाजवाद की जरूरत है जहां लाखों भूखे, नंगे हैं वहां क्या समाजवाद की परिभाषा करने जायेंगे ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : राजस्थान में समाजवाद की एक परिभाषा है- प्यासी धरती को पानी और खाली हाथ को काम।

श्री रामकिशन : नाहर साहब को समाजवाद की परिभाषा का पता नहीं। मन से कहा, शरीर से कहा जवाब दे दिया........

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने तो जवाब दिया है, जहां लाखों भूखें और नंगे है वहां भूखों को रोटी चाहिये फुटपाथ पर जो पड़े हैं (अश्रव्य) समाजवाद अपने आप आयेगा...

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं क्षमता और सम्पन्नता बढ़ाने की स्थिति में राज्य की स्थिति नहीं है। न राज्य की सम्पन्नता की स्थिति है और न क्षमता की राज्य की स्थिति है.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय काफी होगया है।

श्री रामकिशन : क्षमता और समानता की स्थिति क्या है ? बस, उपाध्यक्ष महोदय खतम कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर राजस्थान के गंगानगर शूगर मील को ले लीजिये। आप एक चीज पायेंगे वहां पर मजदूर कितने हैं और अफसर

(श्री रामकिशन)

कितने हैं और उनका खर्च कितना कितना है, तो इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, सारे क्षेत्र के लिये नियम बनाने पड़ेंगे। आज राजस्थान सरकार किताबों में समाजवाद की चर्चा करना चाहे तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इस देश में क्रान्ति की चर्चा करके आज असली उद्देश्य को भ्रामित किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में चार प्रकार के क्रान्तिकारी हैं—वास्तविक क्रान्तिकारी तो वे हैं जो भोजन, भजन, भवन आवास, वेश-भूषा आदि में परिवर्तन चाहते हैं। यहां न भवन में समानता है, न भोजन में समानता है, न रहन सहन में समानता है। एक हैं वे क्रान्तिकारी ...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो हैं कांग्रेस वाले ....

श्री रामकिशन : ये कहां हैं, उपाध्यक्ष महोदय ? ये तो पेन्ट पहनने वाले हैं। ये देखिये जोशीजी को पेन्ट पहिनना ही नहीं आता है। हर वक्त यूं (ऊंची) करते रहते हैं। दूसरी स्थिति क्या है-आज दूसरे क्रान्तिकारी वे हैं जो समाजवाद को छूते हैं, स्पर्श करते हैं ......

श्री उपाध्यक्ष : जनता ने मान लिया है कांग्रेस के समाजवाद को.....

श्री रामकिशन : मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी तकलीफ हो रही है। आसन है, उसकी भी मर्यादा है इसलिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। हां, तो एक क्रान्तिकारी वे जो स्पर्श करते हैं जैसे हमारे माननीय माथुर साहब ने किया हरिजनों को वजीफा, बच्चों के लिये पौष्टिक आहार, मजदूरों को खाना आदि को इन्होंने स्पर्श किया है। एक होते हैं वाचाल क्रान्तिकारी जो केवल चर्चा करते हैं वह है कांग्रेसी और एक हैं कन्जरवेटिव क्रान्तिकारी जो सफेद बाल वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। प्रबुद्ध नेत्री इन्दिराजी तक यह हालत है। उपाध्यक्ष महोदय, परसों बंगाल पर प्रस्ताव पास किया गया। हमने बंगाल वालों के लिये सहानुभूति प्रकट, की लेकिन किस बात की सहानुभूति और सहयोग ? आज जो बंगाल में लड़ाई चल रही है वह कोई दो देशों का मामला नहीं है। वहां भी क्षमता और समानता का मामला है- समाजवाद का मामला है। हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं पूर्वी बंगला देश को मान्यता प्रदान की जाय लेकिन उसको भी अभी रिकगनिशन नहीं मिल रहा है। समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले देश को अभी तक मान्यता नहीं। पूर्व के दो देश जिनमें वादों को लेकर संघर्ष हो रहा है उन देशों को दूसरे देश एक एक मिनट में मान्यता दे देते हैं। कम्बोडिया का राजा सिहनूक चाइना चला गया उसके पीछे कम्बोडिया में विद्रोह हो गया और उसको रूस ने रिकगनिशन दे दी। चीन में जाकर बैठ गया, मान्यता रूस ने दी और चीन ने दी और चीन ने सिहनूक को दी। कम्बोडिया के अन्दर जिन लोगों ने क्रान्ति की तो दूसरे देशों ने जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं उनमें से अमेरिका जैसे देश ने मान्यता दे दी। लेकिन यहां पर, बंगला देश में समता और समानता के लिये संघर्ष हो रहा है और भारत सरकार अचेतन अवस्था में बैठी है।

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में इस तरह से आज दुनियां की जो राजनीति है वह कन्जर्वेटिव क्रांतिकारियों की वजह से बड़ी धूमिल हो गयी है और सनातनी क्रांतिकारी हैं जो एक वाक्य को लेकर बैठे हैं। आज तो दुनिया में दो तरह के राज्य हैं। एक तो विश्वमित्र राज्य और दूसरे विश्वयार राज्य। तो हमारा देश एक विश्वमित्र राज्य है। तो इस विश्वमित्र वाली सरकार से हम एक तो आशा करते थे कि हम संसार के लिए रास्ता दिखाते, लेकिन हम विश्वयार के सिद्धान्तों पर चल रहे हैं। हम केवल रूप पर, यौवन पर, शक्ति पर, धन पर, और पद पर नजर रखते हैं और इसी दृष्टि से हम व्यवहार करते हैं। जो आउटलुक वाली सरकार है उनका नतीजा क्या निकलेगा ? लेनिन ने एक बात कही थी वह हम भूल गये। हम किसी भी किताब की चर्चा करें चाहे हम लाल किताब की चर्चा करें, चाहे पीली किताब की चर्चा करें, चाहे हरी किताब की चर्चा करें मगर राजस्थान की आर्थिक स्थिति दयनीय है और इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो मैं वित्त मन्त्री जी से जो मैंने मुद्दे उठाये हैं अगर सम्भव हो तो उनका जवाब दे दें, नहीं दें तो कोई बात नहीं।

हमें कुछ-एक कामों के लिए भी ध्यान देना होगा। राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा ही अजीब व्यवहार अपनाया है। इस किताब में माथुर साहब ने लिखा है कि हमने केन्द्रीय सरकार को शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधने के लिये लिख दिया। जब आप यह कर सकते थे, यह क्यों किया है ? माथुर साहब समझते थे कि इस किताब को सब पढ़ेंगे, स्वतन्त्र पार्टी के भाषणों को पढ़ेंगे, हमारे भाषणों को भी पढ़ेंगे और जब तक यह कानून बनकर आयेगा शहरी सम्पत्ति का विभाजन हो जायेगा। आपने पहले से ही सीलिंग की चर्चा कर दी और उसका नतीजा यह निकला कि आपको जमीन नहीं मिली और अब जब कि शहरी सम्पत्ति की चर्चा चली तो मैंने जानकारी की है कि भरतपुर में दो बड़े उद्योगपति भी उसमें नहीं आते। आप इसमें भी वर्ग, स्वार्थ की रक्षा के लिए कानून बनायेंगे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश की जनता भूखी है। वोट के मामले में आप जीत गये और जीत गये उसके लिए आपको बधाई है, लेकिन जिन नीतियों के कारण आपको वोट मिले उन नीतियों को अमल में भी तो लाइये। आप जीते इसकी प्रसन्नता है और हम हारे इसका हमें दुःख है क्योंकि आप एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीते हैं, लेकिन जो आपका व्यवहार है, जो आपका दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन कुछ आया नहीं है केवल कपड़ों में, चश्मों में और सिगरेट में परिवर्तन आ गया है अगर यही क्रांतिकारिता है तो आपको मुबारक है। यही बातें कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1971-72 का बजट जो वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं सन् 1967 से लगातार देख रहा हूं और 67 से लगातार जो बजट पेश हो रहे हैं वे सभी घाटे के बजट प्रस्तुत हुए हैं। आखिर कब तक हम घाटे के बजट प्रस्तुत करते रहेंगे और उन घाटों के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बजट प्रस्तुत करने के साथ ही उसमें स्पष्टीकरण होता है कि उन घाटों को हम मीट-आउट करेंगे केन्द्रीय सरकार की सहायता से। तो यह स्थिति कब तक चलती रहेगी? यह मैं सोच रहा था और इसके लिए सोच कर के कुछ कदम उठाने हैं।

वित्तीय स्थिति के बारे में अभी मेरे दोस्त अपने विचार रख रहे थे। वाकई में अपनी राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। 647 करोड़ रुपये के कर्ज के बारे में जिक्र किया और असेट्स के लिए यह गवर्नमेन्ट का फर्ज है कि रियल पोजीशन वित्त मन्त्री जी जब बयान दें तब वास्तविक रूप में क्या अपने राज्य के असेट्स हैं इसका सही पिक्चर, सही स्थिति सदन के सामने रखनी चाहिए और इस अवसर पर जब जब वित्त मन्त्री जी ने पार्लियामेन्ट के चुनावों के बारे में जिक्र किया तो मैं भी उस सम्बन्ध में कुछ विचार रखना चाहता हूं। लोकसभा के चुनाव हुए और उन चुनावों में नयी कांग्रेस को जीत हुई। जनता ने हमें विश्वास दिया। जब हमें जनता ने विश्वास दिया इस प्रजातन्त्र के युग में तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। देश की आजादी प्राप्त करने के लिये लाखों और हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बलिदान किया और देश के निर्माण के लिए भी हमें सेक्रीफाइस करना होगा, हमें त्याग करना होगा, हमें कठिन परिश्रम करना होगा और हमें लगन के साथ कार्य करना होगा। अगर वास्तव में हम इस देश का निर्माण करना चाहते हैं, वास्तव में हम समाजवाद लाना चाहते हैं, वास्तव में जो हमने वायदे जनता के सामने दिये हैं उन वायदों की पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें कुछ न कुछ देश में निर्माण के लिए करना होगा और इसके लिए यह आवश्यक है, और यह जरूरी है कि हम कुछ सेक्रीफाइस करें, एम० एल० ए० सेक्रीफाइस करें, मन्त्रिमण्डल के सदस्य सेक्रीफाइस करें...

श्री श्रवणलाल : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। उसका कोरम नहीं है।

(गणपूरक घन्टी)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ...और इसके लिए मन्त्रिमण्डल को भी कुछ कदम उठाने होंगे। उन्हें अपने सीमित खर्चे करने होंगे, बिजली का जो उनका खर्चा है उसमें उनको सीमित खर्च करने पड़ेंगे, पानी का अपना सीमित खर्चा करना होगा। और मैं तो यह भी चाहता हूं कि जबकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह कम कर सकती है तो राजस्थान के मन्त्रिमण्डल को भी यह कदम लेने होंगे और अब यह भी स्थिति हो नहीं सकती कि जब हम समाजवाद का नारा लगायें, देश की गरीबी खत्म करने का नारा लगायें और हम हमारे खर्चे बढ़ाते रहें, मन्त्रिमण्डल का खर्चा बढ़ाते रहें। यह स्थिति जनता बर्दाश्त कर नहीं सकती। हम प्रिवीपर्सेस और प्रिविलेजेज राजाओं के समाप्त करना चाहते हैं और इसके बारे में जल्दी से जल्दी केन्द्रीय सरकार निर्णय लेगी। अब जब हम यह निर्णय लें तो साथ में यह भी सोचें कि हम जो भी सुविधायें उठा रहे हैं उनको भी हमें कम करना होगा। अगर मन्त्री-मण्डल के सदस्य अपनी सुविधाओं में कमी नहीं करेंगे, अगर वे ट्रंस अपने खुद के स्वार्थ के लिए करेंगे तो यह जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है और यह स्थिति ज्यादा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दिन चलने की नहीं है। इसलिए अवश्य ही परिवर्तन करना होगा यदि समाजवाद को बढ़ाना अवश्य समझते हैं तो ....

दूसरा, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आप कितना ही परिवर्तन करना चाहें, कितनी भी कोशिश करें समाजवाद लाने की, लेकिन जब तक आप इस गवर्नमेंट मशीनरी में परिवर्तन नहीं करते, जब तक ये गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स सोशियेलिस्ट ओरियेन्टेड नहीं होते तब तक आप किसी तरीके से कितनी ही कोशिश करें समाजवाद आ नहीं सकता। आप इस गवर्नमेंट मशीनरी को सोशियेलिस्ट ओरियेन्टेड करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? आपने क्या उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है? उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दें जिससे कि वे सोशियेलिस्ट ओरियेन्टेड हो सकें।

(4.30 म०प०)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

इसके बारे में क्या कोई योजना है, कोई प्लान है आपके पास? उनका व्यवहार जनता के प्रति अभी तक ठीक नहीं है। अगर जनता की मांग को लेकर उनके प्रतिनिधि उनके पास आयें तो उनके साथ में भी वे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और यहां तक कहते हैं कि क्या आप इनके वकील हैं, किस प्रकार से इनकी पैरवी करने आये हैं। जब जनता के प्रतिनिधियों के साथ में इनका व्यवहार ऐसा है तो गरीब आदमी इनके पास किस प्रकार से जा सकता है और किस प्रकार से उनके सामने अपनी समस्याओं को रखकर उनको दूर कर सकता है। मुझे सबसे बड़ा खतरा जो दिखता है और सबसे बड़ी समस्या जो सामने दिखती है वह यह है कि जब तक इन गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के माइन्ड्स में परिवर्तन नहीं आयेगा तब तक सुधार नहीं होगा।

श्री दौलतराम सारण: सबसे पहले मन्त्रि-मण्डल के लोगों के दिमागों में सुधार होना चाहिए तब दूसरों के दिमाग में सुधार होना चाहिए। वे तो सुधरे हुए हैं, हुक्म के चाकर हैं। अगर इनकी (मन्त्रियों) की नजर ठीक हो जायगी तो एक रात में वे ठीक हो जायेंगे, लेकिन वे देखते हैं कि यहां पर कादा है, कीचड़ है इसलिए परवाह नहीं करते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: मन्त्रिमण्डल के बारे में मैंने पहले ही कह दिया है कि उनको अपने दिमाग में परिवर्तन करना है। उसके बाद में मैंने गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिए कहा है।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष): यह भूतपूर्व मन्त्री के लिए भी है।

श्री दौलतराम सारण: मैं अनुभव की बात कह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर: ज्यादा यहां रहे हैं, कम वहां रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण: अनुभव की बात कह रहा हूं। वहां रहा हूं तो दिल और दिमाग से नहीं रहा हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: जो भी बजट आपने प्रस्तुत किया है उस बजट में समाजवाद की ओर कुछ संकेत भी है, कुछ प्रोग्रेसिव मेजर्स भी हैं, लेकिन मशीनरी जो उसको इम्प्लीमेन्ट करेगी इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं लायेंगे तो वह इसको अच्छी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगी। जब तक आप यह पिक्चर सामने नहीं लायेंगे तब तक विश्वास नहीं हो सकता है कि वास्तविक रूप में आप सुधार कर सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं....

श्री बालसिंह सोढ़ा : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री सभापति : आई एम क्वाइट एलर्ट।

(गणपूरक घन्टी)

श्री दौलतराम सारण : साढ़े बारह सौ रुपया कहां है ? जो पारिश्रमिक लेता है वह कहां है ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो इधर और उधर दोनों ही तरफ हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो इस गवर्नमेंट मशीनरी में जो आर०एस०एस०...

श्री शेरसिंह : (श्री गिरधारी लाल व्यास के आने पर) आ गया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन :...मैं वह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स कितना पार्ट लेते हैं राजनीति में और खुले आम लेते है। गवर्नमेंट के सर्वेयूलर्स भी हैं लेकिन फिर भी जो गवर्नमेन्ट सर्वेंट्स आर० एस० एस० में भाग लेते हैं उनके खिलाफ कदम उठाये जायं। मैं यह चाहता हूं कि उन आर० एस० एस० माइंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स के खिलाफ जो कि आर० एस०एस० में एक्टिव भाग लेते हैं और खुल्लमखुल्ला भाग लेते हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायें और इन आर०एस०एस० ओरियेन्टेड, इन आर० एस०एस० माइन्डेड और इन ऑटोक्रेटिक माइन्डेड गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप कितनी ही कोशिश करें आप कभी भी समाजवाद नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो रुकावट है वह इन गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के दिमाग में परिवर्तन करने की है और इसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रयास करना है। ..

श्री दौलतराम सारण : पार्टी मीटिंग में आप बैठकर बतायें कि मन्त्री लोग गवर्नमेन्ट अधिकारियों की ड्यूटीज में हस्तक्षेप न करें और गुनहगारों को बचाने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल न करें। पार्टी के हित के लिए लोगों के साथ अन्याय न करें, पार्टी के लिए चन्दा इकट्ठा करने के लिए, चुनाव के लिए फण्ड्स लेने के लिए आफिसर्स को फोन न करें तो फिर ये भी न्यायसंगत काम कर सकेंगे। यह आप पार्टी में फैसला करें और उपदेश करना छोड़ दें।

श्री शंकरलाल : आपको अनुभव है।

श्री श्रवणलाल : सबसे पहले वृद्धिचन्द्र जी....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मुझे आर०एस० एस० से कोई डर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आर०एस०एस० जो भी थोड़ी बहुत शक्ति लेकर चलता है उसको समाप्त कर दी जाय। तो मैं उसकी अन्त्येष्टि करने की बात कह रहा हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने बड़े बड़े पून्जीपतियों को हरा दिया और अब राजाशाही और सामंतशाही को खत्म करना है, और इसके लिए भी हमें पूरी तरह से संघर्ष के लिए सजग होना है, और अब के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चुनावों में राजाशाही और सामन्तशाही को खत्म करके जनता को राहत देना है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : पहले अपनी पार्टी से खत्म कर दें।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : अब 72 के चुनावों में जनसंघ का जो शक्ति है जो कि बिलकुल जातीय आधार पर चल रही है और साम्प्रदायिक आधार पर चल रही है, साम्प्रदायिक आधार पर चलना देश के लिये घातक है इसलिये कोशिश करना है कि इस संस्था को ऐसी शिकस्त दें और इस शक्ति को समाप्त कर दें क्योंकि यह देश के लिये बड़ी घातक है।

श्री **भैरोंसिंह** : इसके लिये बजट में कितना प्रोवीजन है?

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : इसके लिये अपने दिमाग को मजबूत करना है ...

श्री **सभापति** : इसका बजट से क्या सम्बन्ध है?

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : जनता के लाभ के लिये इस शक्ति को नष्ट करना है। इस शक्ति को जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक समाजवाद ला नही सकते। समाजवाद लाने के लिए इस शक्ति को नष्ट करना है और कमजोर करना है।

श्री **मथुरादास माथुर** : मेरे बजट का एक एक पैसा और एक एक लफ्ज प्रतिक्रियावादियों को खत्म करने के लिये है।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : मैं इस बात पर आता हूं जो कि मेरा खास विषय है और महत्वपूर्ण विषय है और जनता जिससे इफेक्टेड है, उन समस्याओं पर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। वह अकाल के बारे में है। सारे राजस्थान के अन्दर बहुत ही बढ़िया जमाना है। बाड़मेर जिले के अन्दर भी 852 गांवों में से करीब 700 गांवों में बहुत ही बढ़िया जमाना है. परन्तु 130 गांवों में अभी भी अकाल है और 130 गांवों में कहीं पर तीन साल से, कहीं पर चार साल से, कहीं पर पांच साल से और कहीं पर छः साल से अकाल हैं, और उनको अकालग्रस्त घोषित किये हुए दो महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पर अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। चार महीने से लगातार उनकी हालत खराब है और गवर्नमेंट यह समझती है कि जमाना अच्छा है, जहां वहां के उनके रिश्तेदार उनकी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। पड़ोसी से भी इस प्रकार की मदद होना कठिन है और दूर दूर के गांव वाले उनको मदद दें यह और भी कठिन है। गवर्नमेंट यह कह सकती है कि फोरेस्ट के कार्य चल रहे हैं इसके कारण से अकाल राहत कार्य नहीं खोले हैं। फॉरेस्ट का काम जो चल रहा है उसमें बहुत ही काम मजदूर लगे हुए हैं वह भी उस क्षेत्र में है जो कि अकालग्रस्त क्षेत्र नहीं है उस एरिया के अन्दर फॉरेस्ट के वर्क्स हैं। तो इसलिये यह आवश्यक है कि जो पहले मदद गवर्नमेंट ने दी है। 1968–69 में, अब भी जब अकाल पड़ता है तो इसलिये गवर्नमेन्ट जल्दी से जल्दी निर्णय करें। वित्त-मन्त्री फाइनेन्स का प्रोविजन करें। राज्य में अच्छी वर्षा होने का यह मतलब नहीं है कि आप अकाल सहायता करने की व्यवस्था न करें। इसे जल्दी से जल्दी, तत्काल, आज के आज ही निर्णय करके व्यवस्था अकाल के बारे में की

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जाये। दूसरा मैं कहूंगा कि अभी तक पानी का बड़ा भारी संकट है अभी तक भी ट्रकों द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई है। आप लोग नगरों में कितनी सुविधाएं उठाते हैं लेकिन वहां पर उनको पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है। उनको हरा पानी पीने के लिये मिल रहा है। गांवों में पहले ही पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। 4-5 साल से व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिये रेल की टंकियों द्वारा पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

श्री सभापति : आप ने 20 मिनट ले लिये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अभी तो कह ही रहा हूं।

श्री सभापति : केरी ओन।

श्री वृद्धिचन्द जैन: राजस्थान सरकार ने जो पाइप लाइन बनाई है, डेजर्ट एरिया में बनाई है, वह फेमिन के समय में बनाई है। वह मीभड़ा से बादू तक सम्पूर्ण स्कीम तैयार नहीं हो सकी है। इसके लिए राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेण्टेशन करना चाहिए। उनको हाथ में लेकर जल्दी करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना के लिए निर्णय लिया है। उनसे कोई शेयर नहीं लिया जायेगा। मैं बार-बार असेम्बली में मांग कर रहा था। मैंने मन्त्रिमण्डल में भी मांग रखी थी। यह रख कर काफी राहत पहुंचाई है। 5% के लिए जो किया है जिस की मैं ज्यादा से ज्यादा सराहना करूंगा। 5% जनता दे नहीं सकती है। यह राहत कार्य के लिए ऐसा कार्य किया है जिसकी मैं सराहना करूंगा। गवर्नमेन्ट ने जो नगर पालिकाओं का शुल्क था वह माफ कर दिया है। 6.27 करोड़ माफ कर दिये हैं। मैं पंचायत हैडक्वार्टर्स के बारे में कहना चाहूंगा। उनमें भी बहुत से शुल्क हैं, एरियर्स हैं। तो मैं वित मन्त्री जी से चाहूंगा कि आप ने जो नगरों में और शहरों में 6.27 करोड़ की वसूली मंसूख कर दी है तो इन पंचायतों के जो हैडक्वार्टर हैं, हैं भी बहुत कम लाखों में रकम आयेगी मैं चाहूंगा कि वित मन्त्री महोदय जब भाषण दे तो यह स्पष्ट घोषणा कर दें। तो इनको मंसूख कर दें। यह मंसूख कर दिया जाये तो इससे भी राहत पहुंचेगी। सार्वजनिक नलों पर पानी बिल्कुल फ्री करने का जो निर्णय लिया गया है, उसकी मैं सराहना करूंगा। परन्तु मैं चाहूंगा कि जो नलकूप हैं, जैसे बाड़मेर में हैं, उनमें पानी सप्लाई किया जाता है। बाड़मेर से बोथिया जो रिजर्ववायर हैं, उनमें भी पानी की सप्लाई किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इम्प्लीमेण्टेशन करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले।

मैं तीसरी एक और बात निवेदन करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। अभी जो बंगला देश में हो रहा है उससे हिन्दुस्तान का युद्ध भी हो सकता है। अपनी सीमावर्ती क्षेत्र सड़कों की बड़ी ही दुर्व्यवस्था है। अभी 9-4-71 मैं और अमृत नाहटा जी टूर पर गये थे। वहां सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। रेता आया हुआ है। इतने गड्ढे पड़े हुये हैं कि अगर मरम्मत नहीं करेंगे तो

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

यह तीन चार साल में समाप्त हो जाएगी। अगर बोर्डर रोड्स को रिपेयर नहीं करा सकेंगे तो देश की सुरक्षा······

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, क्योंकि एक अन्तर्राष्ट्रीय मसला है। जो बोर्डर रोड्स बनी हुई हैं, उन पर मिट्टी उड़ कर आ गई हैं। चूंकि वह अपने भाषण में कह रहे हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य द्वारा वह व्यवस्था कर दी गई हैं। बोर्डर रोड्स को टिपटाप कर दिया जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसके लिए मैं वित्तमन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

विद्युत की दृष्टि से बाडमेर और जैसलमेर बहुत ही पिछड़े हुये जिले हैं। विद्युत का मैंने जो सवाल पूछा था। जो वहां की स्थिति है वह मैं सामने रखना चाहता हूं। 20 से 30 गांव इलेक्ट्रिफाइड हुये। जैसलमेर के 485 गांवों में 3 गांव इलेक्ट्रिफाइड हुये। जालौर के 51 गांवों में 5 गांव इलेक्ट्रिफाइड हुये। राज्य सरकार ने यह आदेश दिया है कि जो तहसील हैडक्वार्टर और पंचायत हैडक्वार्टर हैं, उनको बिजली की व्यवस्था कर दी जाएगी। मैं चाहता हूं हैडक्वार्टर्स पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। यह इस साल के अन्दर पंचायत समिति के हैडक्वार्टर और तहसील हैड-क्वार्टर पर बिजली की व्यवस्था करें। और बाड़मेर और जैसलमेर जिले को चम्बल और भाखड़ा से सम्बन्धित करने की योजना बनानी चाहिये। यह सीमावर्ती क्षेत्र हैं। इनका विकास करना आवश्यक है। पाइप लाइन डालने से उद्योग-धन्धे भी पनप सकते हैं। चमड़े का उद्योग भी पनप सकता है। माइन्स का स्कोप है। काफी विकास करने का स्कोप है। इसलिये इन क्षेत्रों में विद्युत् का विकास करें।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से जो तीस प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, यह हमारे लिए तो कोई यूजफुल नहीं है। तीस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जोर दें तो हमारे जिले में दो प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं, एक खोल सकते हैं और ज्यादा जोर लगाएं तो दो खोल सकते हैं। तो प्राइमरी स्कूल खोलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राइमरी एज्यूकेशन पर आपने जोर दिया है। हमारे यहां ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बच्चों का आठ-आठ, दस-दस मील दूर जाना पड़ता है और आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। इसके लिए यदि गांवों में मिडिल स्कूल की हाई स्कूल की भी कुछ कटौती करनी पड़े तो करें क्योंकि आपको प्राइमरी स्कूलों में छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है। इसलिए जो ऐसे गांव हैं जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें आठ-आठ, दस-दस मील दूर बच्चों को जाना पड़ता है, और कई ऐसे गांव हैं जो आठ मील, दस मील, पन्द्रह मील में फैले हुए हैं-उनमें आपको प्राइमरी एज्यूकेशन के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है।

शिक्षा के बारे में मुझे यह भी कहना है कि इसकी पद्धति में भी हमें आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आज हमारे सामने जो यह प्रश्न आया है, यह और विकट रूप धारण करेगा, बेरोजगारी का सवाल आया

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हैं यह विकट रूप धारण क्यों करेगा ? इसकी समस्या का क्या हल करेंगे ? जैसे जैसे लड़के पढ़ते जायेंगे त्यों त्यों यह विकट समस्या होती जायगी । जितने भी लड़के पढ़ते हैं आज की शिक्षा-प्रणाली में वह सभी लोग आज सर्विस चाहते हैं, और दूसरे किसी धन्धे में नहीं जाना चाहते हैं । आज जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, वह एग्रीकल्चर का कार्य, खेती का कार्य मैदानों में जाकर आन दी स्पॉट नहीं करना चाहते । इंजिनियर्स हैं उनके लिए कितनी ही कोशिश करिये किसी धन्धे को लगाने के लिए—मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की एज्यूकेशन हैं उसमें बहुत कम ऐसे धन्धे कर सकते हैं, बाकी सर्विस के लिए ही कोशिश करेंगे। क्योंकि उनका दिमाग किसी और तरफ चलता नहीं हैं । आज एज्यूकेशन का ढंग इस प्रकार का है, इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षा-प्रणाली के बारे में जो हमारे बड़े-बड़े नेता अपने विचार रखते हैं और यह कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से शिक्षा-प्रणाली के द्वारा ऐसे विद्यार्थी तैयार हो, जो तैयार होकर इस प्रकार के हो जायं कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जीवन के अन्दर बिल्कुल स्वावलम्बी हो जाय। परन्तु यह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एज्यूकेशन का ढंग अभी ठीक परिवर्तित नहीं कर पाये हैं । इसके लिए हमें सोचना होगा। हमें उन स्कूलों के अन्दर, सैकेण्डरी स्कूलों के अन्दर, हायर सैकेण्डरी स्कूल के अन्दर और कालेजेज में इस प्रकार की एज्यूकेशन की व्यवस्था करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठना होगा, सीखो और कमाओ के बारे में हमें कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, हमें ऐसी एज्यूकेशन देनी पड़ेगी जिससे कुछ न कुछ कमाने लायक वह हो सकें और वह कुछ धन्धा भी सीख सकें । तो यह कदम भी हमें उठाना पड़ेगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप आसन को सम्बोधित करके बोलें ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हां, मैं आपको सम्बोधित करके बोलूंगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मंत्री महोदय को सम्बोधित करके बोल रहे हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अब मैं मेरा विचार एक डेयरी की स्थापना के बारे में भी रखना चाहता हूं । बाड़मेर जिले में जो 1965-66 के फिगर्स दिये गये थे, उनमें काऊ 37 हजार हैं, बुल 28 हजार हैं, शीप 90 हजार हैं और गोट 47 हजार हैं। अब यह स्थिति नहीं है क्योंकि अकाल के कारण से काफी मवेशी मर चुके हैं, परन्तु यहां पर जो कांकरेज ब्रीड है, और थारपारकर ब्रीड है वह बहुत अच्छी ब्रीड है, और इसकी अच्छी प्रगति कर सकते हैं । पानी के वास्ते वहां पर अब काफी ट्यूब वेल सक्सेसफुल हो चुके हैं, किसी ट्यूब वेल पर भी यह स्कीम की जा सकती है तो बढ़िया गाय सांड उपलब्ध हो सकते हैं। पानी की व्यवस्था है, उसके कारण से फॉडर बैंक की स्थापना की जा सकती हैं, और इसी प्रकार से डेयरी की स्थापना भी की जा सकती है । इसलिए इस बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में डेयरी की स्थापना के लिए आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए, इससे वहां की इकोनॉमी भी ठीक हो सकती है ।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने फेमिन अफेक्टेड एरिया में साढ़े बारह रुपये की सब्सीडी दी । अब

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उनके मवेशी काफी मर चुके हैं, तो उनकी इकानामिक कन्डीशन को ठीक करने के लिए कम से कम अकाल क्षेत्र में आप सौ रुपये प्रत्येक व्यक्ति को तकाबी के रूप में दें मवेशी खदरीने के लिये, गाय खरीदने के लिए दें। भेड़ बकरी खरीदने के लिए दें। इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए, अगर फेमिन के अन्तर्गत आपको मदद देनी है, तो जैसे आपने साढ़े बारह रुपये के हिसाब से मदद दी थी, और उससे काफ़ी राहत लोगों को मिली थी, उसी प्रकार इस समय आपको तकाबी के रूप में भेड़-बकरी खरीदने के लिए, गाय खरीदने के लिए भी देनी चाहिए। वह भेड़-बकरी और गाय खरीद सकेंगे तो वह अपनी इकोनॉमिक कन्डीशन ठीक कर सकेंगे और अपनी घास की कमी नहीं है इसलिए वह संकट के दिन भी निकाल सकते हैं और उनकी इकोनॉमिक कन्डीशन भी ठीक हो सकती हैं। तो इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस सीमावर्ती क्षेत्र को विकसित करने के लिए हमें डट कर पूरी तरह से मदद देनी है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र भी हो। अंत में मैं यह भी चाहता हूं कि इस समाजवाद को लाने के लिए हमें शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के लिए, असमानता को मिटाने के लिए हमें अपने विधान में भी परिवर्तन करना पड़े तो हमें कहना चाहिए। जो फण्डामेन्टल राइट हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में बताये हुए हैं, उनमें परिवर्तन करना पड़े तो हमें करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फण्डामेन्टल राइट्स जिनसे गरीबी मिट नहीं सकती है, जो फण्डामेन्टल राईट बड़े बड़े पूंजीपतियों को संरक्षण दें, और गरीब को गरीब बनाते रहें, ऐसे फंडामेंटल राइट्स को मैं फण्डामेन्टल राइट्स नहीं समझता हूं। अगर वास्तव में समाजवाद को पनपाना है, समाजवाद को आगे बढ़ाना है....

श्री मदनसिंह : कॉन्स्टीट्यूशन की शपथ ग्रहण कर चुके है पांच साल के लिए, तो उस कॉन्स्टीट्यूशन के लिए ऐसे शब्द कैसे कह सकते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कॉन्स्टीट्यूशन, संविधान की हमने शपथ ली हैं, तो संविधान को बनाने वाले भी हमीं है और संविधान को चेंज करने वाले भी हम ही हैं। जो संविधान हमारे समाजवाद के रास्ते में रोड़े अटकावे, जो समाजवाद के रास्ते में रुकावट पेश करे जो पूंजीपतियों को और पूंजीपति बना दें, उनको गरीबों का शोषण करने का अवसर दें वैसे कॉन्स्टीट्यूशन में परिवर्तन करने का हमें अधिकार है और उसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए। अब क्योंकि पांच बज रहे हैं, इसलिए मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि अपनी नई कांग्रेस की विचार धारा है, जो भी इस बजट में अपने विचार प्रकट किये हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करके राजस्थान की गरीब जनता की हालत में सुधार करके और इस दिशा में सुदृढ़ कदम उठायें।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 19 अप्रेल के प्रात:काल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 5 बजे सोमवार दिनांक 19 अप्रेल, 1971 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न स० 295 की सूची)

क्रम संख्या 1	आइटम का नाम 2		निम्नतम दरों वाली पार्टी का नाम 3
1.	ऐंगिल आईरन	54×45×5	मेसर्स झालानी ट्रेडिंग कंपनी, सवाई माधोपुर
2.	,,	45×45×3	,, ,,
3.	,,	25×25×3	,, ,,
4.	,,	40×40×3	,, ,,
5.	,,	50×50×6	,, ,,
6.	,,	40×40×6	,, ,,
7.	,,	65×65×8	,, ,,
8.	,,	35×35×6	,, ,,
9.	,,	75×75×6	,, ,,
10.	एम.एस. प्लेट	20×1 ×5	,, ,,
11.	,,	25×3	,, ,,
12.	,,	45×6	,, ,,
13.	,,	25×6	,, ,,
14.	,,	35×6	,, ,,
15.	,,	12×3	,, ,,
16.	,,	50×10	,, ,,
17.	,,	50×6	,, ,,
18.	,,	30×10	मेसर्स राधा वल्लभ एण्ड सन्स जयपुर
19.	,,	100×10	,, ,,
20.	,,	35×3	मेसर्स झालानी ट्रेडिंग कंपनी
21.	,,	75×10	मेसर्स राधा वल्लभ एण्ड सन्स
22.	,,	60×10	,, ,,

Page No 128

1	2		3	
23.	एम.एस. राउन्ड 28	एम.एम.	मेसर्स झालानी ट्रेडिंग कंपनी	
24.	„ 15	„	„	„
25.	„ 12	„	„	„
26.	„ 50	„	„	„
27.	„ 36	„	„	„
28.	„ 49	„	„	„
29.	„ 25	„	„	„
30.	„ 19	„	„	„
31.	„ 6	„	„	„
32.	„ 10	„	„	„
33.	„ 75	„	मेसर्स राजेन्द्र सिंह एण्ड सन्स, जयपुर ।	
34.	„ 45	„	„	„
35.	एम.एस. एक्वायर 30	„	„	„
36.	„ 25	„	„	„
37.	„ 10	„	„	„
38.	„ 35	„	„	„
39.	एम.एस. चैनल 100×50		मेसर्स झालानी ट्रेडिंग कंपनी,	
40.	बी.पी.सी.आर. शीट 14	गेज	„	„
41.	„ 10	„	मेसर्स राधा वल्लभ एण्ड सन्स, जयपुर	
42.	„ 18	„	„	„
43.	„ 16	„	मेसर्स झालानी ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर ।	
44.	„ 44	„	मेसर्स राधा वल्लभ एण्ड सन्स, जयपुर ।	
45.	„ 8	„	„	„
46.	„ 6	„	„	„
47.	प्लेट 15 एम.एम. मोटी	„	„	„

सूची 'ब'

List B

S. No.	Size	Quantity	Name of the Ist Lowest	Cost of Material: Ist Lowest	Cost of Material: M/S Radha Ballabh & Sons, Jaipur	Remarks
				M/s Jhalani Trading Co. Sawai Madhopur		
1.	Angle Iron	45x45x 5 mm. 16.80 M. Ton.	M/s Jhalani Trading Company, Sawai Madhopur	Rs. 14364.00	Rs. 15130.00 p.	
2.	-do-	45x45x 3 mm. 0.35 M. Ton.	—do—	Rs. 486.75	Rs. 501.01 p.	
3.	-do-	25x25x 3 mm. 13.60 M. Ton.	—do—	Rs. 12075.80 p.	Rs. 12462.76 p.	
4.	-do-	40x40x 3 mm. 18.25 M. Ton.	—do—	Rs. 16206.00 p.	Rs. 16906.44 p.	
5.	-do-	50x50x 6 mm. 14.25 M. Ton.	—do—	Rs. 12240.75 p.	Rs. 12745.91 p.	
6.	-do-	65x65x 5 mm. 79 M. Ton.	—do—	Rs. 68335.00	Rs. 72858.54 p.	
7.	-do-	40x40x 6 mm. 7.10 M. Ton.	—do—	Rs. 6098.90	Rs. 6372.64 p.	
8.	-do-	35x35x 6 mm. 0.75 M. Ton.	—do—	Rs. 641.25 p.	Rs. 675.45 p.	

1	2	3	4	5	6
9.	Angle Iron 75x75x 6 mm.	0.75 M. Ton.	M/s Jhalani Trading Company, Sawai Madhopur	Rs. 675.00	Rs. 696.33 p.
10.	M.S. Flat 20x1.5 mm.	1 M. Ton.		Rs. 850.00	Rs. 985.39 p.
11.	-do- 25x 3 mm.	0.60 M. Ton.	—do—	Rs. 494.40	Rs. 554.77 p.
12.	-do- 45x 6 mm.	23.10 M. Ton.	—do—	Rs. 19588.80 p.	Rs. 20614.21 p.
13.	-do- 25x 6 mm.	1.85 M. Ton.	—do—	Rs. 1031.25	Rs. 1031.10 p.
14.	-do- 35x 6 mm.	8.50 M. Ton.	—do—	Rs. 7437.50	Rs. 7611.58 p.
15.	-do- 12x 3 mm.	0.05 M. Ton.	—do—	Rs. 42.50	Rs. 56.07 p.
16.	-do- 50x10 mm.	7. M. Ton.	—do—	Rs. 5775.00	Rs. 6174.63 p.
17.	-do- 50x 6 mm.	5.50 M. Ton.	—do—	Rs. 4812.05	Rs. 4908.15 p.
18.	-do- 30x10 mm.	1.05 M. Ton.	M/s Radha Ballabh & Sons, JPR	Rs. 897.31	Rs. 897.31 p.
19.	-do. 100x10 mm.	1. M. Ton.	—do—	Rs. 877.57	Rs. 877.57 p.
20.	-do- 35x 3 mm.	0.17 M. Ton.	M/s Jhalani Trading Co.	Rs. 144.50 p.	Rs. 153.16 p.
21.	-do- 75x10 mm.	2. M. Ton.	M/s Radha Ballabh & Sons	Rs. 1749.76p.	Rs. 1749.76 p.
22.	-do- 60x10 mm.	2.50 M. Ton.	—do—	Rs. 2192.92	Rs. 2192.92 p.

23.	M.S. Round	25 mm.	0.112 M. Ton.	M/s Jhalani Trading Co.	Rs. 90.72	Rs. 95.33
24.	-do-	15 mm.	0.250 M. Ton.	—do—	Rs. 200.00	Rs. 212.79
25.	-do-	12 mm.	0.150 M. Ton.	—do—	Rs, 123.00	Rs. 131.58
26.	-do-	60 mm.	7.250 M. Ton.	—do—	Rs. 5951.25 p.	Rs. 6171.12
27.	-do-	36 mm.	13.30 M.Ton	M/s Jhalani Trading Co.	Rs.10,959.20p.	Rs. 11320.83
28.	-do-	40 mm.	9.90 ,,	—do—	Rs. 8157.60p.	Rs. 8426.78
29.	-do-	25 mm.	6.10 ,,	—do—	Rs. 5028.40p.	Rs. 5192.26
30.	-do-	19 mm.	2.05 ,,	—do—	Rs. 1689.20p.	Rs. 1744.94
31.	-do-	6 mm.	0.09 ,,	—do—	Rs. 75.51p.	Rs. 87.94
32.	-do-	10 mm.	0.13 ,,	—do—	Rs. 107.90p.	Rs. 116.90
33.	-do-	75 mm.	7.80 ,,	M/s Rajèndra Singh & Sons JP	Rs. 6552.00p.	Rs. 8639.28
34.	-do-	45 mm.	1.20 ,,	—do—	Rs. 1008.00	Rs. 1021.43
35.	M.S. squire	30 mm.	3 ,,	—do—	Rs. 2550.00	Rs. 2553.57

1	2		3	4	5	6	
36.	M.S.Squire	25 mm.	17 M. Ton	M/s Rajendra Singh	Rs.14450.00	Rs. 14470.33	p.
37.	-do-	10 mm.	3.50 „	& Sons JP	Rs. 2975.00	Rs. 3140.65	p.
38.	-do-	35 mm.	54 „	—do—	Rs.40900.00	Rs. 46964.26	p.
39.	M.S. Chan-nal	100x50 mm.	6 M.Ton	M/s Jhalani Trading Co.	Rs. 5400.00	Rs. 5700.00	p.
40.	C.R.E. P.sheet	14 G	6 M.Ton	—do—	Rs. 6540.00	Rs. 6578.52	p.
41.	-do-	10 G	6 M.Ton	—do—	Rs. 6450.00	Rs. 6135.84	p.
42.	-do-	18 G	58.80M.Ton	—do—	Rs.98431.20.	Rs. 32865.75	p.
43.	-do-	16 G	44 M.Ton	—do—	Rs.59136.00	Rs. 61527.48	p.
44.	-do-	22 G	12 M.Ton	—do—	Rs.23400.00	Rs. 17820.48	p.
45.	-do-	8 G	20 M.Ton	—do—	Rs.18000.00	Rs. 17452.60	p.
46.	-do-	15 Ms.Thick.	0.31M.Ton	—do—	Rs. 310.00	Rs. 279.00	p.
47.	-do-	6 G	7. M.Ton	—do—	Rs. 6826.00	Rs. 6300.00	p.
					Rs. 5,01,789.90	Rs. 4,98,166.03	

Page No 133

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं० 299 की सूची)

आर.ए.एस. अधिकारियों को गत दस वर्ष में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा दी गई की सूची।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	आरोप	दण्ड दिया गया
1	श्री रघुनंदन प्रसाद	एक यात्रा का भत्ता दो बार उठाना।	एक वर्ष की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
2	श्री बी. एम. पुरोहित	सरकारी जीप गाड़ियों का दुरुपयोग।	दो वर्ष की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
3	श्री जी. बी. सक्सेना	सरकारी ट्रेक्टर को निजी उपयोग में लेना।	तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
4	श्री एस. सी. अग्रवाल	झूठा यात्रा बिल उठाना	एक वर्ष की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी।
5	श्री ताराचन्द जैन	रिश्वत प्राप्त करना	स्पेशल जज बालोतरा के न्यायालय से दिनांक 5-1-64 को 1 वर्ष का कठोर कारावास व 500) रु० जुर्माना की सजा दी गई। अभियुक्त ने इसके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की और उच्च न्यायालय से दिनांक 27-3-68 को अभियुक्त को बरी कर दिया। जिसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सरकार में द्वारा अपील दायर कर रखी है। इस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं० 300 की सूची)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

प्रेषिति

समस्त जिलाधीश (राजस्थान)

क्रमांक प० 6 (2) राज/ख/71 जयपुर, दिनांक 25 फरवरी, 1971

विचाराधीन नामान्तरकरणों को शीघ्र फैसल करने हेतु इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6 (2) राज/ख/71, दिनांक 22-1-71 के द्वारा अनुरोध किया गया था। नामान्तरकरण कुछ तो ऐसे थे जो नामान्तरकरण पंजिका में पंजियित किये हुए थे परन्तु कुछ ऐसे भी थे कि जो मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पंजीयन नहीं किये जा रहे हैं। पंजीयन नहीं किये जाने के मुख्य कारण सिलिंग नियम, खातों का विभाजन जिससे कि खाते न्यूनतम-निर्धारित क्षेत्र से कम में परिवर्तित होते थे आदि थे, परन्तु अब पर अंकित इस विभाग के परिपत्र के अनुसार इस प्रकार के नामान्तरकरण भी फैसल किये जाने हैं। इस प्रकार के नामान्तरकरणों के फैसल होने में सम्भवतः कुछ समय लगे और नामान्तरकरण फैसल नहीं होने के कारण उन पर सरचार्ज का भार अविभाजित खातों (होल्डिंग्स) के अनुसार पड़ रहा है। अतः निदेशानुसार निवेदन है कि जिन मामलों में नामान्तरकरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र आ चुके हों अथवा अब आ जावें, उन पर तो निर्णय नामान्तरकरण सरचार्ज की वसूली स्थगित कर दी जावे।

ह० गनपतराय
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

(1) पंजीयक, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।

(2) भू. प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, अजमेर।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE (C) DEPARTMENT

To

All Collectors

Jaipur, January 22, 1971

No. F. 6 (2) Rev. B/71:-

Sub:— Attestation of Mutations.

It has come to the notice of theGovernment that a large number of mutations are pending decision. In many cases mutations are also yet to be registered in the 'Intqal Register' and to be disposed off. This has created difficulties for cultivators regarding the payment of surcharge and determination of their ceiling limits. The question of early disposal of such mutations has been examined.

Reasons for pending cases may be as follows:—

1. The Division holding might result in holding having less than the minimum area prescribed under Section 53 read with Section 180 of the Raj. Tenancy Act.

2. The transfers and devolution of rights and interest might be in contravention of the provisions of Ceiling Law, Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act, and other relevant provisions.

In order to obviate the difficulties of the cultivators and for proper implementation of provisions of Ceiling Law and also for correct assessment of surcharge following decision has been taken:—

1. Immediate steps be taken to register all mutations and to decide them expeditiously alongwith all other such mutations which already stand registered.

2. Mutation proceedings resulting out partition by agreement or decree or orders of a Court and succession may be sanctioned even though such sanction results in holding of an area less than the minimum prescribed under Section 35 of the Rajasthan Tenancy Act (Action to amend Section 53 of the Rajasthan Tenancy Act is being taken separately).

3. Due to insertion of section 30 DD and amendment in Section 30 J of the Rajasthan

Tenancy Act, certain categories of transfers which earlier were not recognised for ceiling purposes have been recognised. Tehsildars, may therefore, be directed that mutations of such transfers as are covered under the provisions of Section 30 DD and 30 J as amended are also recorded and decided.

4. In case where holding has been actually divided by mutual agreement or by decree of court and conquential charges are yet to be recorded in the Land Records, such corrections should be expeditiously done in the land records.

5. In case where actually shares of the successors are not recorded, Tehsildars should be directed that shares of the co-tenants and co-sharers should be recorded in case the party apply for them on the basis of their mutual agreement. Wide publicity may be given in your district to enable the co-sharers and co-tenants to apply to the Tehsildars to get their shares defined and recorded by mutual agreement.

6. All such mutations shall be decided according to the existing Rules by Panchayats concerned and in case the Panchayat fails to dispose of them within two months, the S.D.O. may be directed to authorise the respective Tehsildar to dispose of such mutations.

The receipt of the circular may kindly be acknowledged.

Sd/-

Under Secretary to the Govt.

Copy forwarded to the following for information and necessary action to be:—

1. The Registrar, Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer.

2. The Settlement Commissioner, Raj., Jaipur.

Sd—

Under Secretary to the Govt.

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न सं. 311 की सूची)

नक्शा राष्ट्रीय राज-पथ जयपुर से देहली बाबत तहसील बहरोड़ जिला अलवर

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कितनी जमीन सड़क के नीचे आई बीघा में : रिपोर्ट पटवारी के आधार पर	लगान	सम्वत् किस वर्ष में जमीन ली गई जबानी पूछताछ के आधार पर	किस सम्वत् से लगान बन्द किया गया	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	जनपुरवास	5 बी. 2 बिस्वा	8)55	2018	2025	
2.	गुती	32–12	56)76	,,	,,	
3.	पोकरछाजा	6–4	10)71	,,	,,	
4.	शेरपुर	23–16	93–81	,,	,,	
5.	बहमी	31–17	43–94	,,	,,	
6.	हमजापुर	27–10	32–22	,,	2026	
7.	बहरोड़त फतेनसुख	2–16	निल	,,	2020	लगान सेटलमेंट द्वारा बन्द कर दिया गया है।
8.	बहरोड़बतर फघलराम	14	निल	,,	2020	
9.	बहरोड़बतर डूंगरसी	50–10	,,	,,	,,	,,
10.	बहतरोड़बतर काकरखोपा	12–13	,,	,,	,,	,,
11.	फतहपुरा	18-19	,,	,,	,,	,,
12.	मोलडिया	37–5	,,	,,	,,	,,
13.	माजराकाठ	15–5	,,	,,	,,	,,
14.	जनकी सहपुरा	35–6	,,	,,	,,	,,
15.	बेलनी	15–6	,,	,,	,,	,,
16.	शहाजहांपुर	70–17	,,	,,	,,	,,
17.	चोबारा	44–11	,,	,,	,,	,,
18.	गुगलकोटा	45–18	,,	,,	,,	,,
	योग	482.9	244.99			

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं. 178 की सूची)

सिलिंग केसेज की पैरवी करने हेतु नियुक्त राजकीय व अभिभाषकों का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	राजकीय अभिभाषक का नाम	अब तक अधिकतम जोत के तय किये गये मुकद्में
1	2	3	4
1.	अजमेर	श्री नरेन्द्र सिंह चोरड़िया	163
2.	अलवर	—	90
3.	बाड़मेर	श्री धनराज जोशी	252
4.	भरतपुर	,, धर्मगोपाल चतुर्वेदी	99
5.	बीकानेर	,, गौरी शंकर आचार्य	160
6.	बूंदी	,, उत्सवलाल गर्ग	359
7.	भीलवाड़ा	,, रामचन्द्र जाट	निल
8.	चित्तौड़गढ़	—	224
9.	चूरू	—	683
10.	गंगानगर	श्री रोशनलाल गुप्ता	889
11.	जयपुर	,, हजारीचन्द शर्मा	164
12.	जालौर	,, मदनराज सोलंकी	139
13.	जोधपुर	—	200
14.	जैसलमेर	—	निल
15.	झालावाड़	श्री अहफाव मोहम्मद खां	निल
16.	कोटा	,, पानाचन्द जैन	निल
17.	पाली	,, मगनराज	313
18.	नागौर	—	निल
19.	सवाईमाधोपुर	,, आनन्द बिहारी लाल	353
20.	टोंक	,, रामनारायण शर्मा	425
21.	उदयपुर	,, वनसिंह चोरड़िया	40
22.	सिरोही	,, भंवरलाल गेमावत	निल

परिशिष्ट 6

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट का रिक्त पद

312. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर नगर में अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का पद गत दो वर्षों से रिक्त क्यों रखा गया है ?

(2) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बाड़मेर की न्यायालय में इस समय कितने मुकद्दमे विचाराधीन है ?

(3) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बाड़मेर न्यायालय के सभी मुकद्दमे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बाड़मेर की न्यायलय में हस्तान्तरित होने से एवं सभी नये मुकद्दमे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की न्यायालय में दायर होने से उक्त न्यायालय में अत्याधिक मुकद्दमे एकत्र हो गए हैं और तीन माह की पेशियां पड़ने लगी हैं जिससे जनता को न्याय मिलने में अत्याधिक विलम्ब हो रहा है ?

(4) अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बाड़मेर की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर में अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का पद अधिकारियों की कमी होने के कारण गत दो वर्षों से खाली रखा गया है।

(2) मुंसिफ मजिस्ट्रेट बाड़मेर के न्यायालय में 1 अप्रेल, 1971 को 386 दीवानी दावे व 599 फौजदारी मुकद्दमें विचाराधीन थे।

(3) जी हां, यह सही है कि अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बाड़मेर के न्यायालय में कोई अधिकारी न होने से वहां के मुकद्दमे मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हस्तान्तरित कर दिये गये थे जिसके फलस्वरूप वहां अधिक संख्या में मुकदमे एकत्रित हो गए हैं है। मुकदमें अधिक संख्या में होने के कारण पेशियां भी लंबी देनी ही पड़ती है।

(4) नये मुंसिफ मजिस्ट्रेटों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कर लिया गया है। नियुक्ति की कार्यवाही चालू है और नियुक्ति के आदेश जारी होने पर बाड़मेर में भी एक अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करदी जावेगी।

सिंधी कालोनी कोटा

313. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर विकास न्यास सीमाओं में स्थित सिंधी कालोनी में निर्मित मकानों की संख्या क्या है ?

(2) उपरोक्त कालोनी में निर्माण हेतु रिहेबिलिटेशन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि दी थी ?

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(3) नगर विकास न्यास उक्त कालोनी में प्रत्येक परिवार को कितनी कितनी भूमि पर कब्जे की मान्यता देता है ?

उत्तर

(1) 209 क्वार्टर।

(2) उक्त कालोनी में क्वार्टरों का निर्माण पुनर्वास विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से करा कर शरणार्थियों को आवंटित किये हैं अतः प्रत्येक व्यक्ति को जमीन देने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) नगर विकास न्यास कोटा ने अभी तक भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं निकाले हैं।

ग्राम खाखड़की एवं बड़गांव में भूमि का आवंटन

314. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खाखड़की एवं बड़गांव (जिला नागौर) में गत वर्ष जमीनों का एलाटमेन्ट हुआ ? यदि हां, तो जिन आदमियों को जितने बीघा जमीन एलाट की गई उनके नाम व तारीख सहित पूरा विवरण सदन की मेज पर रखे ?

(2) क्या यह सही है कि जिन लोगों को जमीनें एलाट की गई उन्हें कब्जा दे दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उनमें से कुछ लोगों को वापिस बेदखल कर दिया गया ? यदि हां, तो जिनको बेदखल किया गया व जिन्होंने किया उनके नाम सदन की मेज पर रखे ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है, जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है, उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां यह सही है, जिन लोगों को जमीन एलाट की गई उनको कब्जा दे दिया गया है।

(3) जी यह सही नहीं है।

Page No 141

ग्राम बड़गांव में निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 20-9-70 को भूमि आवंटित की

क्रम संख्या 1	नाम अलोटी 2	खसरा नं० 3	रकबा 4
1	श्री जोराराम रेगर	1078/1	10 बीघा
2	श्री परताराम गडि तलवार	776 896	8।।।) 3।।।)
3	श्री समूराम ,,	137 138	7)3 6।)4
4	श्री शंकर राम ,,	602 893/1	5।।)1 3।।।)1
5	श्री नन्दाराम ,,	444	12)3
6	श्री मु० पानेकी रेगर	1078/1	11।)
7	श्री गंनारा गडि तलवार	306	12)4
8	श्री शिवकरण रेगर	1088	131/3
9	मु० गोरली रेगर	1078/1	10)

ग्राम खड़की में निम्नलिखित व्यक्तियों को 20-9-70 को भूमि आवंटित की गई

1	श्री शंकरराम मेघवाल	91	10।।।)1
2	श्री गोपूराम मेघवाल	839	5)
3	श्री भोलाराम मेघवाल	839	5)
4	श्री मिसरूराम मेघवाल	839	5)
5	श्री मागूराम नट	1074 220	3) 7)
6	श्री जीतराम गडित लुहार	1059	7)
7	श्री आईदान ,,	1059	6।)3

Page No 142

1	2	3	4
8	श्री भागूराम मेघवाल	220	7)
9	श्री भोलाराम मेघवाल	848	4ıı)3
10	श्री किशना रेगर	201	5ıı)2
11	श्री मंगलाराम रेगर	1	7)
12	श्री किशना रेगर	1	6ııı)4
13	श्री अमरू रेगर	424	7ı)3
14	श्री गोपा रेगर	839	5)

Page No 143

बंध मारेल व बंध सिलीसेड में मत्स्य आखेट का ठेका

315. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वह सही है कि बंध मारेल व बंध सिलीसेड का मत्स्य आखेट रायल्टी आधार पर करने का ठेका सन् 1969-70 का दिया गया था ? अगर हां, तो कब कब किस किस को व किस किस रेट पर ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ठेके के लिये सिक्योरिटी जमा करवाई गई थी ? अगर हां, तो कितनी कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों ठेकों की सिक्योरिटी वापस लौटा दी गई है ? अगर हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 9-9-69 को बंध मोरेल को एवम् दि० 12-9-69 को बंध सिलीसेड का ठेका श्री इसलामुद्दीन ठेकेदार को उच्चतम बोली के आधार पर दिया गया था। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां, बन्ध मोरेल के लिए रु० 3000) सिलीसेड के लिए 10,000) रु० सिक्यूरिटी के रूप में जमा कराये थे।

(3) जी नहीं।

प्रति क्विन्टल की दर से

	मेजर कार्य	माईनर कार्य
1. बंध मारेल	306)	164)
2. बंध सीलीसेड	300)	140)

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों से भू-राजस्व आदि बकाया की वसूली

316. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष पश्चिमी राजस्थान के उन जिलों में जहां लगातार कई वर्षों से अकाल था, वहां पीछे की बकाया ऋण व भू-राजस्व की वसूली एक साथ की जा रही है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि एक साथ वसूली की क्षमता जनता में नहीं है और वसूली भी लगातार अकाल के कारण संभव नहीं है ? इसके लिए सरकार क्या योजना बना रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि जहां लगातार तीन वर्ष अधिक समय से अकाल पड़ रहा है वहां केवल इस वर्ष की ही भू-राजस्व की वसूली और अन्य ऋण की किश्तें जो लगातार अकाल के कारण इकट्ठी हो गई हैं उसमें ब्याज की छूट और किश्तें आगे की जावे ? अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं, जबकि जनता के पास भुगतान की क्षमता नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार ने काश्तकारों की क्षमता के अनुसार वसूली करने के विस्तृत आदेश प्रसारित किए हैं जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग) विभाग

संख्या एफ 7 (86) रा/ग/67 जयपुर, दिनांक 18 जनवरी, 71

आदेश

राज्य सरकार ने भू-राजस्व, तकावी आदि की वसूली हेतु विस्तृत आदेश इस विभाग के संख्या एफ 7 (86) राज/ग/67 दिनांक 21-1-1970 द्वारा प्रसारित किया था।

इस वर्ष अधिकतर क्षेत्रों में अच्छी फसल होने के कारण लगान तकावी आदि की वसूली हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना आवश्यक समझा गया ताकि काश्तकारों से वसूली इस प्रकार की जावे कि इसका भार उनकी वहन करने की क्षमता के बाहर नहीं जावे। इस सम्बन्ध में स्थिति की जांच कर लगान, तकावी आदि की वसूली हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:—

(I) सहायता विभाग द्वारा घोषित अभावग्रस्त क्षेत्रों में:—

(1) (क) भू-राजस्व की वसूली स्थगित रहेगी।

(ख) सभी प्रकार के कृषि ऋण, (दीर्घ मध्यम एवं अल्प कालीन) राज्य तथा पंचायत समिति के तकाबी की मांग की वसूली भी स्थगित रहेगी परन्तु कुए बनाने हेतु दिये गये ऋण की किश्तों और उसके ब्याज की वसूली जारी रहेगी, बशर्ते कि उन कुओं से इस वर्ष खरीफ की फसल में सिंचाई हुई हो।

(ग) ट्रेक्टरों एवं पम्पिंग सैट्स हेतु दिये गये ऋणों की किश्तें एवं ब्याज की वसूली जारी रहेगी।

(घ) उक्त दोनों अवस्था में भी एक समय केवल दो किश्तें ही वसूल की जावेगी जिसमें एक हाल की एवं एक बकाया की होगी।

(2) उक्त स्थगित वसूली सहायता विभाग द्वारा धारा 126 राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित आदेशों में अंकित अवधि तक ही स्थगित रहेगी।

(3) खनिज एवं उद्योग ऋणों की किश्त एवं उसकी ब्याज की वसूली जारी रहेगी।

(4) सहकारी समिति की मांग की वसूली सहकारिता विभाग के नियमानुसार जारी रहेगी। सहकारिता विभाग के नियमों में अभावग्रस्त स्थिति में अल्पकालीन ऋण को मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तन करने के प्रावधान हैं।

(II) ऐसे क्षेत्रों में जो पूर्व में तो अभावग्रस्त घोषित हुए पर इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित नहीं हुए हैं:—

(1) किसी भी कृषक से दो किश्तों से अधिक का लगान एक साथ वसूल नहीं होगा।

(2) राज्य में कई क्षेत्रों में लगान की वसूली हेतु वर्ष में एक ही किश्त निर्धारित है एवं कुछ क्षेत्रों में वसूली दो किश्तों में होती है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां दोनों फसल होने पर भी वसूली एक ही किश्त में की जाती है। इस सम्बन्ध में ऐसे क्षेत्रों की वसूली निम्न प्रकार की जावेगी:—

(क) वह क्षेत्र जहां एक ही फसल खरीफ होती है और वसूली एक ही किश्त में की जाती है उसमें काश्तकार से हाल के वर्ष की किश्त एवं गत वर्ष की एक किश्त की वसूली की जावेगी।

(ख) वह क्षेत्र जहां वसूली एक किश्त में की जाती है परन्तु खरीफ के अलावा रबी की फसल भी होती है उसमें वसूली एक साथ हाल की किश्त एवं गत वर्ष की आधी किश्त खरीफ की वसूली के समय की जावेगी एवं शेष आधी किश्त की वसूली, दूसरे क्षेत्रों में रबी की वसूली हेतु निर्धारित समय में की जावेगी।

(ग) वह क्षेत्र जहां वसूली दो किश्तों में होती है इस वर्ष खरीफ की वसूली के साथ साथ गत वर्ष की खरीफ की किश्त वसूल की जावेगी एवं रबी की वसूली के समय रबी की वसूली के साथ साथ गत वर्ष को रबी की किश्त वसूल की जावेगी।

(III) पंचायत समिति के एवं अन्य ऋण:—

(1) दीर्घ एवं मध्यम कालीन ऋणों की वसूली यदि दो छ:माही किश्तों में होती हो तो इस खरीफ के साथ इस वर्ष की एक किश्त व पिछले वर्ष की दोनों किश्त वसूल की जावेगी। इस वर्ष की रबी की किश्त जून, जुलाई में वसूल की जावेगी। यदि वसूली एक सालाना किश्त में होती हो तो इस समय एक किश्त चालू वर्ष की व एक किश्त पिछले वर्ष की वसूल की जावे।

(2) अल्पकालीन ऋण (खाद बीज हेतु):—ऐसे ऋणों की वसूली इस वर्ष इस प्रकार की जावेगी कि वसूली के समय में हाल की मांग साधारण व्याज सहित एवं इतनी ही पिछले वर्षों की एक साल की मांग साधारण व्याज सहित वसूल की जावेगी।

(3) ट्रेक्टर एवं पम्पिग सैट्स क्रय किये जाने हेतु दिये गये ऋणों को छोड़ कर बाकी सभी ऋणों पर आज तक का देय दण्डित व्याज अपलेखन किया जाता है। अत:

इस दण्डिक ब्याज को मांग में सम्मिलित नहीं किया जावे और वसूल नहीं किया जावे।

इस वर्ष वसूली हेतु साधारणतया मांग-पत्र वितरित किये जा चुके हैं यदि वितरित मांग पत्र ऊपर लिखित प्रक्रिया अनुसार ठीक पाए जावें तो वसूली निर्धारित समय में की जावे अन्यथा उक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधित मांग पत्र तैयार कर वितरित किया जावे लेकिन चूंकि इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने में समय लगना स्वाभाविक है अतः यह आदेश दिये जाते हैं कि इस वर्ष की मांग के बराबर ही गत वर्ष की मांग मानकर वसूली जारी रखी जावे लेकिन इस मांग में से दण्डिक ब्याज जहां कहीं लगाया हो कम कर लिया जावे।

क० ला० बराया
राजस्व सचिव

बृहत् बहुउद्देशीय सहकारी समिति ग्राम बामला

317. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि तहसील बारां के ग्राम बामला की बृहत् बहुद्देशीय सहकारी सोसायटी में हजारों रुपयों का गबन व घोटाला चल रहा है ? यदि हां, तो गबन व घोटाला किस प्रकार से हुआ और उसमें किस किस का हाथ है और उस पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

जी हां, समिति के निरीक्षण में समिति में निम्नराशि के गबन व दुरुपयोग पाये गये:—

तिथि गबन व दुरुपयोग	राशि जिसका गबन व दुरुपयोग किया गया	विवरण गबन व दुरुपयोग	नाम व्यक्ति जिसके द्वारा गबन व दुरुपयोग किया गया
1	2	3	4
गबन—			
(1) 20-7-64	408)	वसूल शुदा ऋण में से रोक-कर समिति में जमा नहीं करवाना	श्री रामचन्द्र व्यवस्थापक
(2) 26-7-70	31)80	बनावटी खर्चा बताकर	,, ,,
(3) 16-8-70	43)	क्रय किये सामान की राशि समिति में जमा न करवाना।	,, ,,

1	2	3	4
दुरुपयोग —			
(1) 30-6-69	118)	अधिक वेतन उठाकर	श्री रामचन्द्र व्यवस्थापक
(2) 14-3-70	1450)	वसूल शुदा राशि रोकना व समिति में जमा न करवाना।	,, ,,
(3) 3-6-70	200)	कम ऋण देकर व अधिक नाम लिखकर अल्प समय का गबन।	,, ,,

निरीक्षण के आधार पर गबन व दुरुपयोग पाये जाने के कारण राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत समिति में जांच कराई जा रही है और ऋणों की पुष्टि भी की जा रही है। जिससे उपरोक्त राशि के अतिरिक्त भी यदि कोई गबन या दुरुपयोग जो निरीक्षण में जानकारी से नहीं आया हो उसका मालूम हो सके।

व्यवस्थापक समिति के विरुद्ध मामला पुलिस को सौंप दिया गया है।

व्यवस्थापक समिति के विरुद्ध राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत गबन व दुरुपयोग की राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

समिति के व्यवस्थापक को निलम्बित कर दिया गया है तथा समिति की प्रबन्धकारिणी जिसने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार नहीं निभाया को अपदस्थ कर प्रशासक की नियुक्ति करदी गई थी। किन्तु राजस्थान सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा सहायक रजिस्ट्रार बारां के आदेश निरस्त हो जाने के फलस्वरूप समिति का चार्ज पुनः पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा ले लिया गया है।

वैद्यों के श्रेणी परिवर्तन के लिये प्रार्थना-पत्र

318. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि इण्डियन मेडीसन बोर्ड, राजस्थान जयपुर के कार्यालय में अनुभव के आधार पर वैद्यों की श्रेणी परिवर्तन के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हैं? यदि हां, तो कितने वैद्यों को किन किन श्रेणी से किस किस श्रेणी में परिवर्तन करने के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और किन किन कारणों से ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त श्रेणी परिवर्तन करने के मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी और क्या अपनाई जाती है ?

(3) उक्त मामलों का निपटारा करने में कितना समय लगाया जाना चाहिए था और कितना लगाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) हां, सूची संलग्न है।

(2) आवेदन-पत्र प्रस्तुतकर्ता का साक्षात्कार लिये जाने पर ही श्रेणी परिवर्तन किया जाता रहा है, और भविष्य में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

(3) बोर्ड का निर्वाचन कार्य सन् 1969 से ही प्रारम्भ हो रहा है, तथा निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात् शीघ्र ही आवेदन पत्रों पर निर्णय किया जा सकेगा।

क्रम संख्या	नाम	किस श्रेणी से किस श्रेणी के लिये	विचाराधीन होने का कारण
1	2	3	4
1.	वैद्य श्री देवेन्द्र दत्त शर्मा	(ब) श्रेणी से (अ)	साक्षात्कार में अनुपस्थित होने के कारण ।
2.	,, ,, शिवराज जैन	,,	,,
3.	,, ,, काशीराम शर्मा	,,	,,
4.	,, ,, जुगल किशोर शर्मा	,,	,,
5.	,, ,, सरदारचन्द सिंघवी	,,	,,
6.	,, ,, टीकम दत्त व्यास	,,	,,
7.	,, ,, मूलचन्द मिश्र	,,	,,
8.	,, ,, दीनदयाल मिश्र	,,	,,
9.	,, ,, सूरजमल गुप्ता	,,	,,
10.	,, ,, रिछपाल शर्मा	,,	अधिवेशन के अभाव में
11.	,, ,, बतुलाल शर्मा	,,	,,
12.	,, ,, दुर्गा प्रसाद शर्मा	,,	,,
13.	,, ,, मोहनलाल शर्मा	,,	,,
14.	,, ,, रामकिशोर बरोडियां	,,	,,
15.	,, ,, वेद प्रकाश	,,	,,
16.	,, ,, इन्द्र भान सी भटनागर	,,	,,
17.	,, ,, सुखदेव प्रसाद	,,	,,
18.	,, ,, घासीलाल शर्मा	,,	,,
19.	,, ,, चोइथराम मेघानी	,,	,,
20.	,, ,, कन्हैयालाल टण्डन	,,	,,
21.	,, ,, राम निवास शर्मा	,,	,,

Page No 149

1	2	3	4
22.	वैद्य श्री अन्नराज शर्मा	(ब) श्रेणी से (अ)	अधिवेशन के अभाव में
23.	,, ,, कन्हैयालाल काला	,,	,,
24.	,, ,, कृष्णचन्द्र शर्मा	,,	,,
25.	,, ,, सूर्यनारायण शर्मा	,,	,,
26.	,, ,, लक्ष्मणदास साधु	,,	,,
27.	,, ,, बुद्धि निधान यति	,,	,,
28.	,, ,, गिरधारीलाल	,,	,,
29.	,, ,, स्वामी नारायण वियोगी	,,	,,
30.	,, ,, घेवरचन्द पारीक	,,	,,
31.	,, ,, दामोदरलाल शर्मा	,,	,,
32.	,, ,, श्रीवल्लभ व्यास	,,	,,
33.	,, ,, भंवरसिंह टांक	,,	,,
34.	,, ,, केशवलाल		,,
35.	,, ,, बिहारीलाल शर्मा	,,	,,
36.	,, ,, हरिशचन्द्र गर्ग		,,
37.	,, ,, मान शंकर	,,	,,
38.	,, ,, लक्ष्मणदास	,,	,,
39.	,, ,, शिव प्रसाद शर्मा	,,	,,
40.	,, ,, सीताराम व्यास	,,	,,
41.	,, ,, दयाशंकर शर्मा	,,	,,
42.	,, ,, सूर्यनारायण शर्मा	,,	,,

1	2	3	4
43.	वैद्य श्री नारायणदास शर्मा	(ब) श्रेणी से (अ)	अधिवेशन के अभाव में
44.	,, ,, रामदयाल गोयल	,,	,,
45.	,, ,, गोपालदास	,,	,,
46.	,, ,, छगनलाल	सूचिबद्ध से (ब) श्रेणी	आवश्यक पूर्ति के अभाव में
47.	,, ,, अब्दुल रहमान	,,	,,
48.	,, ,, मोहनलाल शर्मा	,,	अधिवेशन के अभाव में
49.	,, ,, सत्यनारायण शर्मा	,,	,,
50.	,, ,, विजयसिंह टण्डन	,,	,,
51.	,, ,, धूड़ालाल भंसाली	,,	,,
52.	,, ,, कुबेरसिंह शुक्ला	,,	,,
53.	,, ,, बसन्त पेशवे	,,	,,
54.	,, ,, करनसिंह परिहार	,,	,,
55.	,, ,, केवलचन्द	,,	,,
56.	,, ,, लक्ष्मीनारायण	,,	,,
57.	,, ,, गोपीचन्द भाटिया	,,	,,
58.	,, ,, नन्दलाल	,,	,,
59.	,, ,, जगन्नाथ प्रसाद वर्मा	,,	,,
60.	,, ,, विजय प्रकाश	,,	,,
61.	,, ,, भंवरलाल शर्मा	,,	,,
62.	,, ,, राधेश्याम झालाणी	,,	,,
63.	,, ,, मधुरमल	,,	,,

1	2	3	4
64.	वैद्य श्री चन्द्र प्रकाश आचार्य	सूची (व) से (अ) श्रेणी	अधिवेशन के अभाव में
65.	" " गोवर्धनलाल शर्मा	"	"
66.	" " सुन्दरदास	"	"
67.	" " विश्वनाथ गुप्ता	"	"
68.	" " दीन मोहम्मद	"	"
69.	" " श्यामसिंह परिहार	"	"
70.	" " रघुनाथ प्रसाद पुरोहित	"	"
71.	" " मोहनलाल	"	"
72.	" " डूंगर दत्त शर्मा	"	"
73.	" " रामचन्द्र शर्मा	"	"
74.	" " राम प्रकाश थरेजा	"	"
75.	" " भूराराम स्वामी	"	"
76.	" " श्रीनारायण शर्मा	"	"
77.	" " धनकुमार जैन	"	"
78.	" " वेद प्रकाश	"	"
79.	" " नृसिंह दास	"	"
80.	" " गुलाबसिंह	"	"
81.	" " दामोदरलाल मोदी	"	"

ग्राम आकोला एवं तागा में भूमि का आवंटन

319. श्री शंकरलाल जाट (कपासन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सन् 1962 में गांव अकोला व तागा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के 84 भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी ?

(2) यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्तियों को जमीन पर कब्जा दिया गया है और कितने व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिया गया है ?

(3) कब्जा नहीं देने के कारण क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1962 में गांव आकोला में कुल 68 एवं गांव तागा में 34 भूमिहीन व्यक्तियों को भूतपूर्व तहसील भोपाल सागर के समय आवंटन किया गया था ।

(2) इन 102 व्यक्तियों में से ग्राम तागा में सिर्फ 13 व्यक्तियों को भूमि का कब्जा दिया गया था, शेष को नहीं दिया गया ।

(3) कब्जा नहीं देने का कारण यह है कि आवंटन के बाद 17-9-62 को भोपाल सागर तहसील, तहसील कपासन में विलीन हो जाने से 14-10-1963 में उक्त गांव कमाण्ड क्षेत्र घोषित हो जाने के कारण उक्त भूमि का कब्जा देने की रोक वक्त के उप जिलाधीश ने लगादी ।

आयुर्वेद डिस्पेन्सरी ग्राम खोह

320. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या आयुर्वेद मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खोह (पंचायत समिति कठूमर) से आयुर्वेद डिस्पेन्सरी को हटा दिया है ? यदि हां, तो इस डिस्पेन्सरी को हटाने के क्या कारण है ?

(2) क्या डिस्पेन्सरी खोलते समय खोह ग्राम के भवन दाता से कोई शर्तें की गई थीं? यदि हां, तो वे शर्तें क्या थीं ।

उत्तर

(1) जी हां । भवन व्यवस्था नहीं होने से ।

(2) जी नहीं ।

पटवारियों द्वारा वसूली का कार्य

321. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) साधारणतया एक पटवार सर्किल कितनी वसूली के आधार पर बनाया जाता है ? यह हलका केवल मालगुजारी की वसूली के आधार पर होता है या अन्य वसूली पर जिसमें सिंचाई शुल्क भी शामिल कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि नहरी क्षेत्र में एक पटवारी को जो पूरी वसूली करनी होती है उसमें राजस्व के अतिरिक्त, सिंचाई पंचायत समितियों द्वारा दिये गये कर्जों की वसूली भी शामिल है ? यदि हां, तो अनुमानतः यह राशि कितनी हो जाती है ?

(श्री केशरी सिंह हाड़ा)

(3) एक पटवारी द्वारा किस किस प्रकार के मतालबे जैर वसूली होते हैं ? क्या राजस्व पटवारियों को सिंचाई के शुल्क वसूली का तथा पंचायत समितियों की वसूली करने का अलाउन्स दिया जाता है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग के पटवारी और पंचायत समितियों के ग्राम सेवक मांग-पत्र के जारी करने के बाद बेकार बैठे रहते हैं ? यदि हां, तो वसूली का कार्य क्यों नहीं करते ?

(5) क्या सरकार ने राजस्व के पटवारी को रकम की हिफाजत के लिये तिजोरियां दे रखी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) पटवार सर्किल का निर्माण मालगुजारी की वसूली अथवा अन्य वसूली के आधार पर नहीं किया जाता है । इसका निर्माण भू-अभिलेख नियमावली के नियम 2 में वर्णित आधारों पर किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक पटवार सरकिल में साधारणतया 3000 खसरा नम्बर 8,000 रुपये मालगुजारी, 7,500 कुल रकबा जिसमें 2500 एकड़ कृषित होना चाहिए ।

(2) जी हां । वसूली अनुमानतः 5,000) रुपये के लगभग हो सकती है ।

(3) एक पटवारी द्वारा निम्न प्रकार के मतालबे वसूल किये जाते हैं ।

1. भू-राजस्व
2. कस्टोडियन एवं रिहेबिलीटेशन
3. पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायत
4. कृषि विभाग
5. सिंचाई विभाग
6. उपनिवेशन विभाग
7. विकास विभाग
8. कन्सोलिडेशन
9. पी० डी० आर० एवं लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विभिन्न बकाया राजस्व विभाग के पटवारियों को पंचायत समितियों की वसूली के लिए वसूल शुदा रकम का 2% एलाउन्स के रूप में दिया जाता है । सिंचाई शुल्क की वसूली के लिए कोई एलाउन्स नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह राज्य सरकार के ही एक विभाग की वसूली है ।

(4) जी नहीं । सिंचाई विभाग का पटवारी वसूली के अतिरिक्त साल में अन्य बहुत से कार्य करता है, बेकार नहीं बैठता । जहां तक ग्रामसेवकों का संबंध है वे न तो मांग-पत्र जारी करते हैं और न उनके द्वारा वसूली का कार्य ही किया जाता है ।

(5) राजस्व के पटवारियों को रकम की हिफाजत के लिए तिजोरियों की व्यवस्था की जा रही है ।

भरतपुर जिले में नल कूप कार्य

322. श्री रामकिशन (बैर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा भरतपुर जिले के किस किस स्थान पर टैस्ट वर्क चालू किया गया है ?

(श्री रामकिशन)

(2) इसके परिणामस्वरूप किस किस पंचायत समिति में सरकारी नलकूप बनाने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखा जाय।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में मालोनी, बेसीन एवं गुनपुर आर्टिशन बेसिन में टैस्ट वेल्स लगाये जा रहे हैं।

(2) उपरोक्त खोज के परिणाम स्वरूप धौलपुर पंचायत समिति एवं राजाखेड़ा पंचायत समिति में नलकूप लगाने की योजना कृषि पुनर्वित निगम के अन्तर्गत बनेगी।

भू-आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

323. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांधी शताब्दी में भूमि आवंटन अभियान में तहसील सवाई माधोपुर, खण्डहार एवं बोली में कितने आवेदन-पत्र भू-आवंटन हेतु एस० डी० ओ० सवाई माधोपुर के पास प्रेषित हुए ? तहसील वाइज संख्या बताने की कृपा करें।

(2) उक्त आवेदन पत्रों में से कितने व्यक्तियों को कितनी भूमि आवण्टित की जा सकी ?

(3) क्या यह सही है कि शेष व्यक्तियों को मुख्यतया भूमि इसलिए आवण्टित नहीं की जा सकी कि इन तहसीलों में आवण्टन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इन भूमिहीनों की समस्या का हल करने हेतु राज्य सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गांधी शताब्दी में भूमि आवंटन अभियान के तहत सब डिविजन सवाई-माधोपुर में कुल 533 आवेदन पत्र निम्न प्रकार तहसील वार प्राप्त हुए :—

तहसील बोली	106
तहसील खण्डार	304
तहसील सवाई माधोपुर	123
	533

(2) उक्त प्रार्थना पत्रों में से तहसील बोली के 33 व्यक्तियों को 93 एकड़, तहसील खण्डार के 180 व्यक्तियों को 591 एकड़ व तहसील सवाई माधोपुर के 27 व्यक्तियों को 117 एकड़, कुल 240 व्यक्तियों को 801 एकड़ भूमि आवंटित की गई।

(3) शेष प्रार्थना पत्र भूमि उपलब्ध न होने के कारण से खारिज नहीं किये गये बल्कि अन्य कानूनी कारण होने की वजह से खारिज किये गये हैं।

लिफ्ट सिंचाई योजना क्षेत्र लूणकरणसर

324. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि लिफ्ट सिंचाई योजना क्षेत्र लूणकरणसर के उन गावों को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने की विज्ञप्ति

(श्री हंसराज आर्य)

राज-पत्र में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन गांवों में इस योजना से सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पायेगी ?

(2) अगर हां, तो उपरोक्त श्रेणी के गांवों के काश्तकारों को राजस्थान कृषि अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत मिले खातेदारी अधिकारों के इन्द्राजात दर्ज करने की कार्यवाही कितने अर्से में पूरी करदी जायेगी ?

उत्तर

(1) लूणकरणसर क्षेत्र के 51 गांवों में जहां नहरी पानी नहीं पहुंच पायेगा उन्हें उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने की विज्ञप्ति दिनांक 1-2-71 को जारी की जा चुकी है।

(2) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(31-3-71)

नामांकन कार्य

180. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील केशोराय पाटन में सरकार ने किस तारीख के आदेश द्वारा काश्तकारों के नामांकन बन्द किये ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा नामांकन बन्द कर देने के कारण काश्तकारों को आर्थिक हानि हुई है ?

(3) क्या यह सत्य है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों के नाम भी नामांकन नहीं किया जाता इसके कारण काश्तकारों को सरचार्ज चुकाना होता है ?

(4) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार अदालती फैसलों के आधार पर नामांकन करता है अन्यथा नहीं ?

(5) सरकार पुनः इस तहसील में नामांकन कार्य कब से शुरू करेगी और यह कब तक पूरा हो सकेगा ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा नामान्तरकरण बन्द किये जाने के कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये। अलबत्ता जिलाधीश ने पैमाइश के कारण राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण नहीं किये जाने के आदेश दिये थे। जिलाधीश के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) बिना जांच कराये इस सम्बन्ध में निश्चितरूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई आर्थिक हानि हुई या नहीं।

(3) इस क्षेत्र का बन्दोबस्त कार्य दिनांक 7-12-67 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा बन्द हुआ था। बन्दोबस्त के दौरान नामान्तरकरण का कार्य भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया है।

(4) जी हां।

(5) इस सम्बन्ध में जांच कर आदेश शीघ्र ही प्रसारित किये जायेंगे।

Copy of letter No. 2026 L. R./63, dated 31st Aug. 1963 from Sh. G. J. Misra, Collector, Bundi to Tehsildar, K. Patan.

From the perusal of the mutation's statement sent by your Tehsil I find that mutations from the year Smt. 2011 onwards are still pending in your Tehsil. The present position as availa ble in the office is given in the enclosed statement. I discussed the matter with the Assistant Settlement Officer, Patan today and he informed me that the Settlement Department has already decided all the mutation cases upto Smt. 2019. Apparently, therefore, there has been a lack of co-ordination between the Tehsil and the Settlement Department otherwise this heavy balance would not have remained outstanding against your Tehsil.

You are, therefore, directed to take a stock of all these mutation cases and pass orders on each of them giving reasons that since the Settlement Department has already disposed them of they need not be kept pending in the Tehsil. The aggrieved party can always go in appeal and if some applicants state that their cases have not been taken by the Settlement Department you should transfer those proceedings through me to the Settlement Officer concerned. Till the survey and record operations are declared closed in your Tehsil you should also not to open any new mutation at your end. You may direct the party to approach the Settlement Department for the same. You are, however, the ensure that there has been a clear order passed on every mutation of your Tehsil about its being rejected on the ground of Settlement Department having already disposed it of. After you have passed order on all of these you will please send two Patwaris with all the entire mutation record to the Settlement Office at Kota and to these facts reconciled with the mutations decided by the Settlement Department. This work must be completed within a fortnight because I am moving the Settlement Department for the closing of survey operations. Any pending mutations after 15th of September in your Tehsil would reflect adversely on you.

You are, therefore, to take immediate action in producing the mutation record to the Settlement Department and to dispose of all the mutation cases in the stipulated period under intimation to this office.

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 302 की सूचा)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

प्रति,

समस्त जिलाधीश ।

संख्या एफ 6 (19) राज/ख/67 जयपुर, दिनांक 23 जून, 67

विषय:—भूमि अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग विधान सभा के अधिवेशन के समय नहीं रखने हेतु ।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि इस वर्ष तहसीलदारों ने भूमि आवंटन कमेटी की उन दिनों बैठकें रखीं जबकि विधान सभा का सत्र चल रहा था और इस वजह से विधायक भूमि आवंटन कमेटी की बैठकों में शामिल नहीं हो पाये ।

अतः निदेशानुसार निवेदन है कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो भूमि आवंटन कमेटी की बैठक नहीं रखी जाये । तारीख 20 जून से 5 जुलाई के बीच में इस प्रकार की बैठक रखी जाये और यदि इससे पहले आवंटन कमेटी की बैठक हो चुकी हो तो उसके निर्णयों के बारे में अगर किसी विधायक को कोई आपत्ति हो तो सम्बन्धित विधायक से पुन: विचार-विमर्श किया जाय ।

हस्ताक्षर
सहायक राजस्व सचिव

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या 294 की सूची)

सूची खातेदारान जिनके पास सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अधिकतम क्षेत्रफल तहसील देवली जिला टोंक

नाम पंचायत	नाम ग्राम	नाम खातेदार	रकबा
1. सांडला	थली	श्री मानसिंह, महेन्द्रपालसिंह	255 ।।।)1
2. नासिरदा	नासिरदा	श्री पृथ्वीसिंह, उम्मेदसिंह वगैरा	248)
3. ,,	मानसिंहपुरा	नारायन, माधो केशरा, वगैरा	115 ।।।)3
4. सांडला	सांडला	श्री देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह	293।)3
5. ,,	,,	श्री मती भटियानजी	252 ।।)1
6. ,,	भंवरथला	श्री राजासिंह पुत्र ओंकारसिंह	166) 3
7. ,,	,,	श्री मती नरूलीजी सूरज कुंवर	105 ।)
8. ,,	दलवासा	श्री कृष्ण, उम्मा प० लक्ष्मण	94)
9. मालेड़ा	डाबरकलां	श्री नारायनसिंह, छोटूसिंह वगैरा	392 ।।)2
10. ,,	मालेड़ा	श्री जशवतसिंह पुत्र पूनमसिंह	506) 4
11. बाजवाड़	बीजवाड़	श्री नारायनसिंह पुत्र संग्रामसिंह राजपूत नि० डग्गी	252 ।।।)
12. राजमहल	हुंसलपुरा	श्री भूरा पुत्र बालाजाट	145।) 2
13. काशीर	कुन्देड़ा	श्री सरदारशेर बहादुर खां	233 ।।)3
14. राजमहल	राजमहल	श्रीमती रोरूयांनीजी	161 ।।।)3
15. ,,	लाखेरलाई	श्री सुसपाल पुत्र रघुनाथ जाट	84 ।।।)2
16. गांवड़ी	गांवड़ी	श्री दुर्गादास, मुकटसिंह वगैरा	340 ।।।)2
17. ,,	,,	श्री दुर्गादास पुत्र दुलेसिंह	227)।।
18. ,,	,,	श्री मुकटसिंह पुत्र दुलेसिंह	226)
19. एन्थली	सिरोही	श्री किशोरसिंह	219 ।)2
20. ,,	,,	श्री देवीदान पुत्र व श्रीचत्तरदान नि. पांचो	1171)2
21. देवली गांव	देवला गांव	श्री बृजराजसिंह पुत्र अमरनाथसिंह सावर	257 ।।)
22. ,,	,,	श्री भवरसिंह पुत्र श्री किशनसिंह	167।।) 2
23. ,,	,,	श्री मोहनलाल पुत्र पन्नालाल	133)।।
24. राजमहल	सतवाड़ा	श्री गुलाबसिंह पुत्र माधोसिंह	306) 1
25. बन्थली	बन्थली	श्रीमती गोविन्दकंवर बाईजी	154 ।।।)
26. ,,	,,	श्री गोवरधनसिंह	92।)4

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 296 की सूची)

सेवामें,

जिलाधीश, महोदय अलवर

विषय : शिकायत विरुद्ध कालूराम जी तहसीलदार बानसूर

श्रीमान,

प्रार्थना-पत्र शिकायत निम्न भांति अर्पण है :

1. श्री कालू राम जी यदुवंशी गत 1½ वर्ष से बानसूर में तहसीलदार हैं और इनकी सोहरत बहुत खराब है इनके बारे में आम धारणा है कि ये बिगर पैसा लिये कोई काम नहीं करते हैं खुल्लमखुल्ला रिश्वत लेते हैं और बिगर लिये कोई काम नहीं करते हैं।

2. यह है कि इनके न्यायालय में माल सम्बन्धी मुकदमात चाहे दफा 91 राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही हो चाहे कोई नामांतरकरण हो, चाहे कोई रेगुलाइजेशन का केस हो गर्ज यह कि बिना पैसा लिये किसी भी मुकदमे का फैसला नहीं करते हैं। उदाहरण के लिये ग्राम बावरिया, छीड़, भड़ीजा, बसी, गुवाड़ा, चुला, शाहपुर, बानसूर आदि के मुकदमात हैं जिनमें जाहरा, भूथा, हमीरपुर आदि हैं।

3. यह है कि जिन मुकदमा में वकील नहीं होते हैं उनकी हालत छोड़िये परन्तु जिन में वकील होते हैं उन मुकदमों में भी तारीख नियत से पूर्ण बिना सूचना किये हुए पैसे लेकर मन माना फैसला कर देते हैं। उदाहरण के लिये राम दयाल बनाम रामदयाल हमीरपुर प्रहलाद बनाम जीता बावरिया, सरकार बनाम धर्नसि कुम्हार बावरिया आदि मुकदमात ऐसे हैं जिनमें तारीख कोई बताई गई और इससे पहिले फैसला कर दिया गया।

4. एक ही तरह के मुकदमात को पैसा लेकर अलग अलग तरीके से मापदन्ड बना कर फैसला करते हैं। उदाहरण के लिये ग्राम बावरिया में एक ही तरह के मुकदमात और उतनी ही जमीनें परन्तु पैसे लेने पर किसी पर पांच सात रुपये ही जुर्माना पैसा न देने वालों पर 200-250 रु० जुर्माना उदाहरण के लिये धर्नसिह कुम्हार बावरिया प्रहलाद स्योकरण बगर वगैरा।

5. यह है कि फौजदारी मुकदमात में सरे इजलास दोनों पार्टियों से पैसे मांगते हैं और दोनों से पैसे लेते हैं। जिसकी वजह से इनके खिलाफ बहुत मुकदमों में मुन्तकिलें दरख्वास्त न्यायालय एस० डी० एम० सा० बहरोड़ के पेश की जा चुकी है जिसमें रिश्वत लेने के बारे में ही निवेदन किया गया है और इन्हीं कारणों से बहुत से मुकदमें इनकी अदालत से उठा दिये गये हैं।

6. रजिस्ट्रियों के बारे में यह आम सोहरत है कि दस प्रतिशत रिश्वत कम से कम ली जाती है और इस तरह के काम करने से बहुत से व्यक्ति जिन का नाम इन्क्वायरी के समय बतलाया जावेगा इस काम के लिये इनकी इजलास व घर के सामने बैठे रहते हैं।

7. यह है कि बन्दोबस्त विभाग तथा सहायक कलेक्टर बहरोड़ के फैसलों का अमल कराने में बगैर पैसे अमल नहीं करते हैं, उदाहरण के लिये बुद्धालाल पंसारी बानर, रमाकान्त बोहरा बानसूर आदि।

8. यह है कि श्री कालूराम जी न्यायालय में बहुत ही कम बैठते हैं और सारा काम घर पर करते हैं और दिन भर पैसे बटोरने में लगे रहते हैं।

9. यह है कि अलोट की गई जमीनों पर किसी को खातेदारी हकूक नहीं मिलते हैं परन्तु कालूराम जी भारी रकम लेकर उनको खातेदारी का हकूक देते हैं उदाहरण के लिये रामजीलाल सुनार गुन्ठी तथा फूथा राम माली, हमीरपुर आदि।

10. यह कि श्री कालूराम जी तहसीलदार ने बानसूर में आने के बाद एक मकान का निर्माण कराया है जिसकी लागत कम से 50,000 रु० हैं यह सब बानसूर की रिश्वत की कमाई है। इनके चरित्र के बारे में भी कई कथायें प्रचलित हैं जो इन्क्वायरी के समय बतलाया जावे। श्रीमान से नम्र निवेदन है कि श्री कालूराम को निलंबित किया जाकर खुली जांच कराई जावे। दिनांक 23-11-70।

प्रार्थीगण

रामोअवतार शर्मा एडवोकेट एवं प्रधान पंचायत समिति बानसूर, लछमन प्रसाद जी एडवोकेट अध्यक्ष बार एसोसियेशन बानसूर, रमेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट एवं रामेश्वर दयाल, एडवोकेट।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची)

सूची विधान सभा प्रश्न संख्या 92 द्वारा श्री नन्दलाल

नाम तहसील	अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या जिनको भूमि अलाट हुई		अनु. जनजाति के व्यक्तियों की संख्या जिनको भूमि अलाट हुई	
शाहबाद	चमार	272	बहेलिया	689
	गाड़िया	9	भील	23
	कामी	60	मीना	5
	सोगार	7		
	भाई	8		
	मोगा	2		
	भांगो	7		
	भंगी	4		
	सरभंगी	1		
योग		370 व्यक्ति	योग	717 व्यक्ति
किशनगढ़	भेर	4	सहर	992
	कानी	4	मीना	69
	बैरवा	42		
	चमार	133	योग	971 व्यक्ति
	हरिजन	25		
	नायक	1		
		17		
	थोरी	4		
	चण्डाल	6		
	जाटव	11		
	खटीक	22		
	रैदास	2		
	मोची	1		
		8		
		12		
	धानुक	11		
	मणकनी	2		
	योग	325 व्यक्ति		

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 309 की सूची)

कठूमर पंचायत समिति के ग्रामों की सूची जिनको लघु सिंचाई योजना से बाहर रखा गया है—

1.	कालाजाडी	8.	सहाडी
2.	लाडकी	9.	जोरड़तार
3.	दातिया	10.	मेखाटा
4.	टिकारी	11.	जिसली
5.	नामी कलो	12.	दयालपुरा
6.	नामी खुर्द	13.	इन्द्रावली
7.	खेदाछारट बामी	14.	सुदाना

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 311 की सूची)

प्रश्न 1 की सूची

सफल नलकूपों की सूची—जिला जैसलमेर

क्रम सं०	नलकूपों का नाम	ड्रीलिंग एजेन्सी	खोदे जाने का वर्ष
1.	डाबला 2	समन्वेषी नलकूप संस्था	1965
2.	डाबला 3	,,	,,
3.	अकल	,,	,,
4.	पायेसर 2	,,	,,
5.	पायेसर 3	,,	,,
6.	जैरत	,,	,,
7.	सुल्ताना	,,	1966
8.	तानसर	,,	1965
9.	खोयान	,,	,,
10.	मुलाना	,,	,,
11.	सागर	,,	,,
12.	करमेरी	,,	,,
13.	चान्दन	,,	,,
14.	लाथो	,,	,,
15.	बादरिया	,,	,,
16.	सवाला	,,	,,
17.	देवीकोट	,,	,,
18.	अजासर	,,	,,
19.	कोटा	,,	,,
20.	भोलानी	,,	,,
21.	जोनजोलानी	,,	,,
22.	बरढाना	,,	,,
23.	जोन्द	,,	,,
24.	भागोरागांव	,,	,,
25.	दान्तीयाली	,,	1967
26.	लोम्भेवाला	,,	1967
27.	पोकरन-1	राजस्थान भू-जल मण्डल	1964
28.	पोकरन-2	,,	1966
29.	रामदेवरा	,,	1966
30.	चांदणी	,,	1966

सफल नलकूपों की सूची— जिला बाड़मेर

क्रम सं०	नलकूपों का नाम	ड्रीलिंग	खोदे जाने का वर्ष
1.	बोथीया 2	समन्वेशी नल कूप संस्था	1965
2.	,, 3	,,	,,
3.	भाखका 1	,,	,,
4.	,, 2	,,	1966
5.	उन्दू	,,	1965
6.	भीयार	,,	,,
7.	धनेऊ	,,	,,
8.	महावार	,,	,,
9.	बलमासर	,,	,,
10.	कानासर	,,	,,
11.	तुरबी	,,	,,
12.	गीरब	,,	,,
13.	गडरा रोड	राजस्थान भूजल मण्डल	,,
14.	बीसाला	,,	,,
15.	जासोल-2	,,	,,
16.	जासोल-1	,,	1969
17.	धोरीमाना	,,	,,
18.	कनाना	,,	1965
19.	पाटूदी	,,	,,
20.	मजई	,,	,,
21.	पाडरू	,,	1969
22.	अजीत	,,	,,
23.	बान्डरा	,,	,,
24.	सवाई पदमसिंह	,,	,,
25.	छोली	,,	,,
26.	दुम्बली	,,	,,

प्रश्न 4 की सूची

जिलेवार नलकूपों की सूची, जो इस वर्ष प्रत्येक दिन वास्तविक पानी की आवश्यकता को देखते हुए चलाये गये।

जिला बाड़मेर

1.	बोथीया	2	बाड़मेर जल प्रदाय योजना हेतु चलाये जा रहे हैं
2.	,,	3	
3.	भाडका	1	
4.	,,	2	
5.	उन्दू		1.38 घन्टे
6.	मीयार		1.12 ,,
7.	धनेऊ		1.88 ,,
8.	माहावार		5.11 ,,
9.	अलमसर		2.66 ,,
10.	कानसर		1.74 ,,
11.	तुरबी		2.67 ,,
12.	गीरब		0.98 ,,

Page No 166

जिला जैसलमेर

1.	डाबला 12	जैसलमेर जल प्रदाय योजना हेतु चलाये जा रहे हैं	
2.	जैरत	0.83	घन्टे
3.	सुल्ताना	1.5	,,
4.	तानसर	2.5	,,
5.	खीयान	2.0	,,
6.	देवीकोट	2.5	,,
7.	जीनजीनाली	1.35	,,
8.	अकल	0.75	,,
9.	मुल्ताना	1.5	,,
10.	श्री मादरीया	1.25	,,
11.	कीटा	1	,,
12.	भीलानो	1.75	,,
13.	भूगारा गांव	0.5	,,
14.	पोकरन 1	पोकरने जल प्रदाय योजना हेतु चलाये जा रहे है	
15.	पोकरन 2		
16.	डाबला 3	जैसलमेर जल प्रदाय योजना हेतु चलाये जारहे हैं	

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 312 की सूची)

DIGGIES COMPLETED

1. Naurangdesar (1 NDR)
2. Lakhuwali (5 LK)
3. Mainawali (5 MWM)
4. Chohilanwali (2 C)
5. Mohanmagria (8 NDR & 1 RP)
6. Lunawali Dhani (2 SMTSM)
7. Masitanwali (1 MSTSM)
8. Kumabaranwali Dhani (10 MD)
9. Chak No. 22 NDR.
10. „ „ 1 MWM
11. „ „ 3 FDM
12. „ „ 3 NWD
13. „ „ 5 BLM
14. „ „ 4 BLD
15. „ „ 23 SAD
16. „ „ 7 BLD
17. „ „ 8 APD (Kishansar)
18. „ „ 14 APD (Jhandawali)
19. „ „ 10 KSD (Khirajsar)
20. „ „ 13 PTD & 2 LPM (Lalpura Chhotta)
21. „ „ 112 NWD (Barhanpura)
22. „ „ 2 APD
23. „ „ 11-12 BLM
24. „ „ 5 BLM & 4 KCM (Sirajsar)
25. „ „ 14 SJM
26. Site No. 5 (3 MW) Munda.
27. Matorinwali Dhani (6 MW)
28. Dablikalan (11 & 13 DBL)
29. Rampura-Ramsar (3 RWD)
30. Keharawala (10 RWD)
31. Bhanpura (16 A. C.)

32. Chaiya (8 BPM)
33. Kanwani (12, 14 KM)
34. Kani 1 MSD
35. Dashuwali (9 SPM)
36. Nirwal (I & 3 MWM)
37. Dhanasar (22 NWD)
38. 2 AZWD
39. Thalrka (17 RWD)
40. 5 SPD
41. 15 BPM
42. 1 SWM
43. Rampura (2 RPM)
44. 8 KM
45. 4 SAD
46. 1 SJM
47. 9 FIM
48. Lakhuwali.
49. Zorawarpura.
50. 15 PTD.
51. 10 BLM.
52. Colonisation Colony, Anupgarh.
53. MIRZAWALI
54. ⅓ Budhwalia.
55. Kalalanwali Dhani
56. Dhani Dudhwalon kil Abadi No. 20.
57. Dhani Daultabad Abadi No. 26.
58. 11 Z. W D.

DIGGIES FOR CUSTEES UNDER CONSTRUCTION IN R. C. P. AREA UPTO JANUARY, 1971

S. No.	Abadi No.	Progress
1.	52 (Chak No. 1 SM)	Work in Progress.
2.	51 („ „ 18 GD)	—do—
3.	42 („ „ 22 ND)	—do—
4.	41 („ „ 12 H)	—do—
5.	38 („ „ 15 H)	—do—
6.	37 („ „ 18 P)	—do—
7.	36 („ „ 16 P)	—do—
8.	34 („ „ 8 K)	80% work completed.
9.	33 („ „ 14 K)	85% work completed.
10.	32 („ „ 27 K)	20% work completed.
11.	18 („ „ 1 NWM)	Work completed except filtration system.
12.	15 („ „ 9 A)	—do—
13.	63 („ 19 APD)	—do—
14.	49A („ 14 APD)	45% work has been completed.
15.	47A („ 13 APD)	Work taken up.
16.	32 („ 27 A)	20% work has been completed.
17.	17 („ 15 A)	Work completed except filtration system.
18.	45A („ 3 KSD)	70% work completed and Rest is in Progress.
19.	14 („ 10 FDM)	Contractor has been ordered to start work.
20.	12 („ 5 MWM)	45% work has been completed.
21.	9 („ 2 MWM)	Work Re-started.
22.	8 („ 35 PD)	Work suspended by contractors.
23.	7 („ 3 FIM)	Work in Progress.
24.	4 („ 3 NWD)	85% completed and rest in Progress.
25.	50 („ 12 GD)	90% Earth work has been completed.

Page No 170

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 316 की सूची)

स्थाई करण कर्मचारियों की सूची

1. श्री गंगाशरण पाठक, लेखा लिपिक, निदेशालय।
2. श्री मनमोहन लाल काला, व० लि०, भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, रूपनगढ (जिला अजमेर)
3. श्री बलराम जसवी, कनिष्ठ लिपिक, निदेशालय।
4. श्री प्रेम प्रकाश कम्पूटर, निदेशालय।
5. श्री केवल राम तनेजा, कनिष्ठ लिपिक निदेशालय।
6. श्री श्याम लाल शर्मा, लेखा लिपिक, निदेशालय।
7. श्री सत्यनारायण शर्मा, ले० लि० भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, दूदू(जयपुर)।
8. श्री आसूसिंह, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, भेड़ अनुसन्धान केन्द्र, बोहडबीड़।
9. श्री भंवरलाल जैन, लेखा लिपिक भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, भीलवाड़ा (अजमेर)।
10. श्री किशन शर्मा, लेखा लिपिक, भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, सांभर (अजमेर)।
11. श्री रामेश्वर प्रसाद, शुक्ला, कनिष्ट लिपिक, निदेशालय।
12. दुर्गादास कट्टा, आशु लिपिक, उप शासन सचिव, नियुक्ति प्रशासन सुधार नियुक्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 317 की सूची)

Agriculture (Cell-IV) Department

No. F. (100) Agr. IV/70 Jaipur, dated 9th January, 1971.

ORDER

The following officers in the Sheep and Wool Department are promoted on an ad-hoc basis to the scale of Rs. 375-850 on the posts noted against each:—

	Name	Present posting	New posting
1	2	3	4
1.	Shri R. P. Kakkar.	Sheep & Wool Extension Officer.	Laboratory Officer, Bikaner.
2.	Shri D. S. Rathore.	Distt. Sheep & Wool Officer, Jalore.	Chief Shearing Officer, Jaipur.
3.	Shri K B. Dewanji.	Lecturer, Sheep & Wool Training School, Jaipur.	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Mandore.
4.	Shri B. B. L. Kakkar.	Wool Grading Officer, Bikaner.	Wool Grading Officer, Bikaner.
5.	Shri N. C. Mathur.	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Jaipur.	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Jaipur.

1	2	3	4
6.	Shri S. D. Kalla.	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Bakalia.	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Bakalia.
7.	Shri S. C. Gupta.	Sheep & Wool Extension Officer.	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Lathi.
8.	Shri Nahar Singh.	Sheep & Wool Extension Officer, Newai	Lecturer, Sheep & Wool Training School, Jaipur.
9.	Shri P. N. Priyani	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Lathi (Jaisalmer Distt.)	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Kodamdesar.
10.	Shri H. D. Roharia.	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Chittorgarh.	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Chittorgarh.
11.	Shri B. D. Goyal.	Distt Sheep & Wool Officer, Ajmer.	Lecturer, Sheep and Wool Training School, Jaipur.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Agriculture (Cell-IV) Department

No. F. 1 (100) Agr. IV/70

Jaipur, dated 9th, 11th January, 1971

ORDER

The following trnasfers/postings are ordered with immediate effect:—

Name	Present posting	New Posting
1. Shri B. S. Malik	Distt. Sheep & Wool Officer, Barmer.	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Joharbeer-(Bikaner).
2. Shri S. R. Haldia	Superintendent, Sheep Breeding Farm, Joharbeer.	District Sheep & Wool Officer, Jodhpur.
3. Shri K. B. Mathur	Laboratory Officer, Bikaner.	District Sheep & Wool Officer, Barmer.
4. Shri Mahendra Singh	Lecturer Sheep & Wool Training School, Jaipur	Wool Grading Officer, Jodhpur.
5. Shri K. Swaroop	Chief Shearing Officer, Jaipur	District Sheep & Wool Officer, Ajmer.

1	2	3	4
6.	Shri C. B. Rao Dev	On deputation from Animal Husbandry Department.	District Sheep & Wool Officer, Sikar.
7.	Shri K. C. Purohit	On deputation from Animal Husbandry Department.	District Sheep & Wool Officer, Jalore.
8.	Shri Narain Singh	Wool Grading Officer, Jodhpur.	Reverted to Subordinate Services. Orders for his posting will be issued by Director, Sheep & Wool.

By Order

Sd/- S. P. Singh Bhandari,

Secretary, Agriculture Production.

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल, 1971)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
15	4	आलूदा	आलोदा
16	9	श्यामजो	श्यामजी
20	अन्तिम से 1	अश्रुष्य	अश्रव्य
33	„ 8	शन्का	शंका
34	2	बाफणा	बाफना
43	अन्तिम से 1	वष	वर्ष
45	„ 18	500-00 रु०	500 रु०
65	10	भूकर	भू-कर
69	5	स्ट्रेन्थ	स्ट्रेन्थ
129	9	कृषी	कृषि
141	अन्तिम से 20	introdvction	introduction
142	12	परमानट	परमानेन्ट
143	7	absorve	absorb
144	अन्तिम से 10	चाहते	चाहती
149	12	कि	—
150	2	बेठन	बैठक
„	अन्तिम से 13	और	को
152	11	इम्लीमेंट	इम्पलीमेंट
167	10	है	—
172	2	तरफ	तरह
260	9	पजियित्	पंजियत
290	6	अधार	आधार
„	अन्तिम से 10	ये	से
295	11	धानर	धानसूर